## राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक:2 सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौबीसवां दिवस संख्या:15

**शुक्रवार,**
26 जुलाई **2024**

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

**(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)**

### तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्रीचन्दजी, नमस्कार। इनकी आवाज वहां तक आ रही थी तो मैंने सोचा जरा नमस्कार कर दूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, राम-राम।

श्री अध्यक्ष: राम-राम। प्रश्न काल।

**प्रश्न संख्या 240**

श्री बालमुकुन्दाचार्य।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

अगला प्रश्न श्री धर्मपाल।

**खेतड़ी में खराब ट्यूबवैल**

241. श्री धर्मपाल (खेतड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में वर्तमान में कितने ट्यूबवेल खराब हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खराब ट्यूबवेलों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कुल 2 कस्बे क्रमश: खेतड़ी एवं गोठड़ा तथा 44 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 129 ग्राम में 75 पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण विभाग

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर
+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

द्वारा किया जाता है। शहरी जल योजना खेतड़ी एवं गोठड़ा के अंतर्गत कुल 11 नलकूप स्थापित है, जिनमें से 10 नलकूप क्रियाशील है तथा 01 नलकूप सूखा होने के कारण नकारा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 251 विभागीय नलकूप स्थापित है, जिनमें से 220 नलकूप क्रियाशील है तथा 31 नलकूप सूखा होने के कारण नकारा है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी, हां। क्षेत्र में विभागीय पेयजल योजनाओं पर मरम्मत योग्य खराब नलकूपों को नियत समयावधि में मरम्मत कर उपयोग में लिया जा रहा है।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दस ट्यूबवेल व बीस हैंडपम्प की घोषणा की गयी थी, उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद परंतु मेरा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी एवं सूखाग्रस्त होने के कारण पेयजल की काफी समस्या है। इस स्थिति में ट्यूबवैल्स की संख्या और हैंडपम्प्स की संख्या पर्याप्त नहीं है तो माननीय मंत्रीजी, यह बताने की कृपा करें कि पेयजल समस्या को मध्यनजर रखते हुए बजट घोषणा में घोषित ट्यूबवैल्स और हैंडपम्प्स की संख्या बढ़ायी जा सकती है क्या? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दो वर्षों में 20 हैंडपम्प और दस ट्यूबवैल के लिए घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार जो इनके होंगे वह तो कर दिये जाएंगे और बाकी मैं माननीय सदस्य को और अन्य सभी माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि अब तक जितने भी खराब ट्यूबवैल्स होते थे उनको नकारा घोषित करने के बाद में दुबारा उनकी सार-सम्भाल नहीं करते थे पर इस बार मैंने मेरे विभाग के पास में लगभग बीस से ज्यादा बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे तो उनको भी हमने ठीक करवा ली है और जो भी ट्यूबवैल्स आपके फेल हो गये हैं, आप उनकी लिस्ट हमें दे दो, उनमें या तो कोई मोटर खराब है या उसमें कोई पाइप खराब है, स्टार्टर खराब है या उनको डीपनिंग भी करनी पड़े तो हम हमारी मशीनों से करेंगे और फिर भी अगर नया ट्यूबवैल लगाना हो तो उसके बराबर में ही हम नया ट्यूबवैल कर देंगे जिससे लाइट का कनेक्शन दुबारा से नहीं लेना पड़े और जो खर्चा बीस लाख रुपये के आस-पास आता है वह हम दो से तीन लाख रुपये में या जितना भी खर्चा होगा, उसको करेंगे। आप जितने भी चाहे दस ट्यूबवेल्स की दो, बीस ट्यूबवैल्स की दो, तीस ट्यूबवैल्स की दो, हंड्रेड परसेंट हम पूरे राजस्थान में जहां-जहां पर भी खराब नकारा ट्यूबवैल्स पड़े हुए हैं उनको हंड्रेड परसेंट ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): पूरक प्रश्न नम्बर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में खेतड़ी

क्षेत्र में कुल 44 में से 28 ग्राम पंचायतों में 54 ट्यूबवेल टी.एस.एस. स्कीम के तहत है और जब यह खराब होते हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिकता से और तत्परता से इनको सही नहीं करवाया जाता है तो इसलिए अधिकांश समय यह बंद पड़े रहते हैं, जिससे पेयजल का संकट रहता है, तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उक्त ट्यूबवैल्स की प्रभावी मॉनिटरिंग, कोई प्रभावी नियम या प्रभावी कमेटी का गठन कर सकती है? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ट्यूबवेल्स के साथ जितने भी हैंडपम्प्स थे, उनकी रिपयेरिंग का काम हैंडपम्प मिस्त्रियों के द्वारा किया जाता था और उनकी भर्ती ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग द्वारा की गयी थी। कई वर्षों से नये ट्यूबवेल, हैंडपम्प मिस्त्री की भर्ती नहीं की गयी और वे रिटायर होते चले गये, यह बहुत बड़ी समस्या है। हर गर्मी के अन्दर हमारे विभाग द्वारा मरम्मत का अभियान चलाया जाता है बाकी अभी जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने चार लाख भर्तियों की जो घोषणा की है, इसमें हम हैंडपम्प मिस्त्री की भी लगभग पांच से छह हजार की भर्ती कर रहे हैं और उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी से बात करके, पंचायती राज मंत्रीजी से बात करके हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यह जितनी भी हैंडपम्प मिस्त्री की पोस्ट खाली है, उनकी हम भर्ती करें और इनकी मरम्मत का जो भी काम होगा, उसके तहत हंड्रेड परसेंट आने वाले समय में पूरी मरम्मत कर दी जायेगी।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रमेश खींची।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मंत्रीजी, यह सभी के लिए है न? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। यह प्रश्न आपका नहीं है। पहली बार सुबह-सुबह बिना पूछे ही खड़े हो गये। मैंने आपको कहा है, नहीं। आप अलग से प्रश्न लेकर आओ, आपका प्रश्न लगेगा तो आपको समय देंगे।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बिना अनुमति के आपको भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)...

**कठूमर के ग्रामों को ई.आर.सी.पी. से जोड़ने की योजना**

242. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्वी राजस्थान में ई.आर.सी.पी. की योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर के समस्त ग्रामों को ईसरदा बांध से जोड़ने की नवीन योजना बनायी जा रही है? यदि हां, तो क्या इसकी डी.पी.आर. बन चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना से विधान सभा क्षेत्र कठूमर के समस्त बांधों व तालाबों से जोड़कर सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) जी, हां। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वर्तमान में संशोधित प्रारूप, संशोधित पार्वती कालीसिंध लिंक (पी.के.सी.-ई.आर.सी.पी. एकीकृत) के कार्य वर्ष 2018-19 से संचालित किये जा रहे हैं।

(2) संशोधित पार्वती कालीसिंध लिंक (पी.के.सी.- ई.आर.सी.पी. एकीकृत) की डी.पी.आर. का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) द्वारा किया जा रहा है। डी.पी.आर. प्राप्ति उपरांत ही विधान सभा क्षेत्र कठूमर के गांवों को ईसरदा बांध से जोड़ने की वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध होगी।

(3) उपरोक्तानुसार।

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब मैंने पढ़ लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रश्न का आपने पूरा गहराई से अध्ययन नहीं किया। विभाग ने जो जवाब भेजा है, वह ही जवाब आपने मुझे भेज दिया। मेरा सवाल पूछने का यह है कि क्या यह सही है कि ई.आर.सी.पी. या जो आपने अब पी.के.सी. के नाम से, पार्वती कालीसिंध लिंक कैनाल के नाम से इसको संशोधित कर दिया। वर्ष 2018 में हमारी वसुन्धराजी की सरकार थी तब इसकी घोषणा हुई थी। 2019 में पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को आगे कहीं किया ही नहीं, इसका भट्टा बैठा दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री रमेश खींची (कठूमर): मेरे क्षेत्र में तो खारा पानी है और यह सारे जिस तरह से लोग लंगड़े-लूले, गूंगे-बहरे, अंधे सब हो चुके हैं। पांच साल में कुछ काम नहीं किया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री रमेश खींची (कठूमर): लेकिन अब आपने यह घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्रश्न ही पूछो, भाषण नहीं।

श्री रमेश खींची (कठूमर): मैं यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से कि जो अब नई घोषणा की है, उस घोषणा के अंतर्गत मेरे कठूमर विधान सभा क्षेत्र के समस्त पंचायत मुख्यालय, गांव, ढाणी, खारे पानी के जो गांव हैं, वे क्या इस नई डी.पी.आर. में स्वीकृत हैं या नहीं हैं? फर्स्ट फेज में मेरा यह आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहला सवाल है, फिर दूसरा सवाल बाद में पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमारी संशोधित

पी.के.सी. लिंक परियोजना की डी.पी.आर. भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा तैयार की जा रही है। जब डी.पी.आर. विस्तृत रूप से तैयार हो जायेगी तब ही हम बता पाएंगे कि कौन-कौन से तालाब और बांध जुड़े हैं। इसके अलावा हमारी बजट घोषणा में भी है, डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर की घोषणा की है जिसमें लगभग 9700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह सिलीसेढ़ के पास में एक रिजर्वायर बनेगा।

श्री रमेश खींची (कठूमर): मान्यवर, यह कठूमर ही नहीं पूरे जिले का, पूरे पूर्वी राजस्थान का सवाल है। इसमें भारत सरकार के सवाल की बात नहीं है। राज्य सरकार ने इसको डी.पी.आर. में लिया है या नहीं लिया? नम्बर एक। नम्बर दो, जो तालाब और बांध हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए उसके माध्यम से पानी देंगे या नहीं देंगे? सवाल इस बात का है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि डी.पी.आर. हमारी भी बन रही है और जब विस्तृत डी.पी.आर. की रिपोर्ट आ जायेगी, तब ही हम अधिकृत रूप से कुछ बता पाएंगे।

श्री रमेश खींची (कठूमर): इसकी कोई घोषणा आप सदन में करें। मेरे यहां पर इतनी बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष: आपके दो पूरक प्रश्न हो गये हैं।

श्री रमेश खींची (कठूमर): यह कहां पर कह रहे हैं? बात यह है कि फर्स्ट फेज में आप इसको इस योजना में लेंगे या नहीं लेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने दो पूरक प्रश्न पूछ लिये हैं। हां, अब आप पूछिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमारे कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य की जो चिंता है वह जायज है और पूरे अलवर की ही यह समस्या है। आपने खंड एक में जो जवाब दिया है कि यह 2018-19 से ही संचालित किये जा रहे हैं और अब जो डी.पी.आर. का काम है, वह एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा किया जा रहा है तो जो यह डी.पी.आर. बन रही है उसका कोई आधार तो होगा, सरकार ने कुछ बताया तो होगा कि इस आधार पर आप डी.पी.आर. बनाइये। आप यह ही नहीं बता पा रहे हैं कि कौनसे बांध जुड़ रहे हैं या नहीं जुड रहे हैं? यह तो सिम्पल सा क्वेश्चन है। डी.पी.आर. आप बनवा रहे हो तो आपने कुछ एजेंडा उसको दिया तो होगा? कहां तक पानी लेकर आना है? आपने अभी कहा कि सिलीसेढ़ तक पानी आयेगा, तो मेरे को तो यह लगता नहीं है कि सिलीसेढ़ के आस-पास कोई डी.पी.आर. में बांध के लिए कोई जगह बनाई हो, जहां पर यह पूरी स्टोरेज होगी। यह तो अलवर के पास एक जगह है, तो मैं यह चाहता हूं कि आप सदन को गुमराह न करें। आप तो यह स्पेसिफिक बतायें, एक तो आप एम.ओ.यू. नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एम.ओ.यू. को आप छोड़ो पर यह जो डी.पी.आर. बन रही है, यह किस आधार पर बन रही है, कितने बांध इसमें लिये जायेंगे क्योंकि घोषणा हुई है बजट में कि हम इतने बांधों को जोड़ेंगे, तो आप बांधों का नाम ही नहीं बता पा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः यह केवल कठूमर से जुड़ा हुआ है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कठूमर का ही बता दें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को यह बताना चाहता हूं कि इनकी जो चिंता है, यह 2018-19 की बात कर रहे हैं तो हमारा जो नवनेरा और ईसरदा बांध है, उसके लिए हमारी पिछली सरकार में घोषणा हुई थी।

**SSY/RTM/26.07.2024/11:10/4b**

2022-23 के बजट में भी आपने इसको ईआरसीपी का घटक माना था। यह ऑन रिकार्ड है। अभी जो हमने 9600 करोड़ के टेंडर किये हैं, वह इनको ही लिंक करेंगे। रही बात कि बांध कौन-कौन से जुड़ेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 35 बांध जो आपके समय थे, वह तो है ही, इसके अलावा और भी विस्तृत डीपीआर बनाकर अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री संजीव कुमार।

**हनुमानगढ़ जिले में संचालित नशा मुक्ति केन्द्र**

243. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला हनुमानगढ़ में सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र कब स्वीकृत किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र संचालित नहीं किया जा रहा हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त केन्द्र को संचालित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 54 के अनुसार प्रदेश के युवाओं को शराब एवं नशे की लत जैसे व्यसनों से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा एवं अजमेर सहित कुल 15 स्थानों पर 20 करोड़ की लागत से नशामुक्ति केन्द्र खोलने/सुदृढ़ किये जाने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने के कारण यह स्वीकृत नहीं हो पाया।

(2) उक्त घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने के कारण यह नशामुक्ति केन्द्र संचालित नहीं किया जा रहा है। हां, परिवर्तित बजट वर्ष 2024-2025 के बिन्दु संख्या 68 में प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत को ध्यान में रखते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड़ क्षमता के नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। उक्त बजट के परिप्रेक्ष्य में हनुमानगढ़ जिले में 25 बेड की क्षमता का नशामुक्ति केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

श्री संजीव कुमार (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: हां। पूरक प्रश्न पूछ लो। सीधा पूरक ही पूछना चाह रहे हैं। पूरक पूछने दो। उत्तर आ गया।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ना, वह हाउस को पता नहीं चलेगा। वह हमारे दोनों के बीच में ही रहेगा। हाउस को पता नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं चले, कोई बात नहीं। यह व्यवस्था है अपने यहां। कोई पूरक है, आप पूरक बताओ। पूरक प्रश्न पूछो। वह पढ़ लेंगे।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ और मेडिकेटेड नशे की वजह से युवा वर्ग का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। पिछली सरकार के समय भी बजट घोषणा 2023-24 में हनुमानगढ़ में सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की गई, वह कागजों तक सीमित रह गई। वह धरातल पर नहीं उतर पाई। अब वर्तमान में भी इस बजट में 2024-25 में भी हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में यह सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र आप कब तक खोल दोगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य संजीव कुमार जी ने जो सवाल किया है, यह बात सही है कि वर्ष 2023-24 में पिछली कांग्रेस सरकार के समय बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 4 में राजस्थान के अजमेर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सहित 15 स्थानों पर 20 करोड़ की लागत से नये नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की गई थी।

श्री अध्यक्ष: इनको हनुमानगढ़ का ही उत्तर दे दो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, मैं वही दे रहा हूं। वही दे रहा हूं।

श्री संजीव कुमार (भादरा): कहीं नहीं खोला।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 सालों के अन्दर घोषणा की लेकिन राजस्थान में एक भी सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र नहीं खुला। हनुमानगढ़ में भी घोषणा की थी। मैं बस बता रहा हूं। हनुमानगढ़ में भी घोषणा हुई थी। लेकिन हनुमानगढ़ में नहीं खुला।

अभी हमारी सरकार ने, माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने और हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि परिवर्तित बजट 2024-25 के बिन्दु संख्या 68 में राजस्थान में 10 करोड़ की लागत से 25-25 बेड के नशा मुक्ति केन्द्र खोलेंगे जिसमें हनुमानगढ़ भी है।

श्री अध्यक्ष: इनका कब तक खुलेगा?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हनुमानगढ़ में 25 बेड

क्षमता का नशामुक्ति केन्द्र है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 10 जुलाई का बजट पेश हुआ। 11 तारीख को हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री के साथ बैठक की। 13-14 को हम लोग जिलों में गये। और जो बजट के अन्दर जो-जो घोषणाएं हुई थी, वहां हमने टाइम लाइन फिक्स कर दी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह तारीख बता दें तो मान जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: बता रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बिल पूरे होने के बाद।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं वही बता रहा हूं। आप मेरा जवाब सुनो तो सही। नेता, प्रतिपक्ष आप सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष: एप्रोप्रिएशन तो होने दो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं वही तो बता रहा हूं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष को तकलीफ इस बात की है कि पिछली सरकार में घोषणा हुई थी और हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष: 29 के बाद हो जायेगा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हम यह कहते हैं कि यह जो हनुमानगढ़ के अन्दर, सरकारी जो नशा मुक्ति केन्द्र है, पहले तो मैं यह बताऊं कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर खोलेंगे। अभी बजट घोषणा हुई है। बजट सत्र के तुरंत बाद में हमारी इस पर कार्यवाही शुरू हो गई है। एक महीने, 2 महीने के अन्दर-अन्दर हम इसको वहां पर खोल देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा।

श्री संजीव कुमार (भादरा): अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में बिना स्वीकृति के अनेक प्राइवेट नशा मुक्ति केन्द्र अवैध रूप से चल रहे हैं। वहां नशा छुड़वाने की बजाय लोगों का शोषण किया जाता है। अभी पिछले दिनों बिरहानी थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति केन्द्र में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। ऐसा गंभीर मामला भी सामने आया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो अवैध नशा मुक्ति केन्द्र हनुमानगढ़ जिले में चल रहे हैं, क्या उनकी विस्तृत जांच करवाने का और अवैध पाये जाने पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का, ऐसे जो अवैध नशा मुक्ति केन्द्र हैं, उनको तुरंत बंद करवाने का आप कोई विचार रखते हो? यदि हां तो कब तक, और नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, यह वाकई में बहुत गंभीर घटना है कि नशा मुक्ति केन्द्र की आड़ में अगर कोई इल्लीगल सेंटर चलता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। एक कमेटी बनाकर उसकी जांच की जायेगी। अगर इल्लीगल तरीके से वह चल रहा है, जांच रिपोर्ट में आता है तो उसको निरस्त करेंगे। उसके खिलाफ में सख्त

कानूनी कार्यवाही करेंगे।

लेकिन मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि हमारे सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अनुदानित लगभग 35 एनजीओ चलते हैं जिसमें हनुमानगढ़ के अन्दर नारायण सेवा समिति का 15 बेड का, लगभग 30 लाख रुपये की ग्रांट हम देते हैं, वह चलता है। उसके अलावा गैर अनुदानित हमारे 2020 में जो अधिनियम आया था, उसके बाद में 16 एनजीओ को हमने हनुमानगढ़ के अन्दर-अन्दर लाइसेंस दिया हुआ है। 16 एनजीओ भी आज की तारीख में चल रहे हैं। लेकिन जो एनजीओ, जो संस्थाएं बिना रजिस्ट्रेशन के, गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, निश्चित ही उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीणा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक उच्च स्तरीय कमेटी से जांच होगी।

श्री अध्यक्ष: 2 पूरक के उत्तर आ गये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जांच में इल्लीगल होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आ गये। आपने कहा कि कार्यवाही करेंगे। इन्होंने कहा कि कार्यवाही करेंगे।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): एक मिनट, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। श्री ललित मीना।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): मेरा एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड है।

श्री अध्यक्ष: एरिया होगा। आप अपना प्रश्न पूछिये। आपका भी उत्तर दिलायेंगे।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): बहुत गंभीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। ऐसा है तो चर्चा में आओ। श्री ललित मीना।

## किशनगंज में राशन डीलरों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

244. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला बारां में राशन सामग्री का वितरण नहीं करने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में राशन डीलरों द्वारा किए गए गबन की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शिकायतों की जांच विशेष जांच दल से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) जी,हाँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता व कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

के अन्तर्गत जारी राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण, निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है।

(2) जी, हाँ | विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में राशन डीलरों द्वारा किए गए गबन की 01 जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक 20 शिकायतें प्राप्त हुई है | शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

| **प्राप्त शिकायत** | **शिकायत पर की गयी कार्यवही** | | |
|---|---|---|---|
| 20 | **निलम्बित** | **निरस्त** | **नोटिस जारी** |
| | 08 | 02 | 10 |

(3) जी नहीं। उक्त शिकायतों की जांच करवाई जाकर राशन डीलरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप देखिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह हमेशा ही ऐसा करते हैं।

श्री अध्यक्ष: हमेशा तो नहीं करते। आज कर रहे हैं। मैंने टोक दिया। मैं देख रहा हूं। आपको कल भी कहा था। आपको जब कभी मौका मिले, अध्यक्ष बन जाओ तब जरूर बोलना। अब मैं अध्यक्ष हूं, मैं ही बोलूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वहीं बैठ गये हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठने के लिए अनुमति है। खड़े होने की अनुमति नहीं है। खड़े होने की अनुमति नहीं है, बैठने की तो है। हां, बोलें।

माननीय सदस्य।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बारां जिले में हमारे पोस मशीन में कई डीलरों के 100 क्विंटल, 1200 क्विंटल पोस मशीन में बाकी बताया जा रहा है। इस वजह से उनको गेहूं अलॉट होता नहीं है। आम जनता को वह कहते हैं कि मेरे पास गेहूं अलॉटमेंट नहीं है। आम जनता वहां से वापस आ जाती है। उनको बहुत दिक्कत आती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हम 100 क्विंटल से ऊपर जिन डीलरों की पोस मशीन में बाकी हैं, उनका स्थायी लाइसेंस रद्द कर नये डीलर नियुक्त करने का विचार रखते हैं क्या? रखते हैं तो कब तक? क्योंकि पोस मशीन में अलॉटमेंट नहीं है, गेहूं नहीं है तो वहां आम जनता प्रत्येक जन प्रतिनिधि से पूछती है कि हमको गेहूं कब मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़े जागरूक हैं और इसके खिलाफ निरंतर वहां पर कार्यवाही कराने में हमेशा रुचि रख रहे हैं। ऐसे जागरूक जन

प्रतिनिधि रहेंगे तो वास्तव में जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें काफी सुधार होगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि हम गेहूं के एक-एक दाने को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। जो आपने बताया कि, जहां शिकायत आपने बतायी कि 100 क्विंटल से फर्क है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करके जो आपने बताया कि जहां पर रिक्त स्थान हैं,उनकी पूर्ति करके वहां पर उचित मूल्य आवंटन की दुकान कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूं कि इसमें आपने बताया कि 20 शिकायतें मिलीं, 8 का आपने निलंबन किया। लेकिन 90 दिन बाद वही 8 लोग बहाल होकर वापस उन्हीं को वितरण दिया जाता है। उन्हीं को वितरण देने के बाद फिर वही आम जनता में उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता है। कम से कम स्थायी लाइसेंस निरस्त कर नये डीलर की नियुक्ति उस स्थान पर करें। यह बारां जिले की नहीं पूरे राजस्थान की स्थिति है। मंत्री महोदय, मैं यह चाहूंगा कि 90 दिन जो आपके होते हैं, उसके बाद स्थायी निरस्त करके वहां पर नये डीलर बनाने का आप रखते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जहां पर शिकायत में गंभीरता पायी जाती है, उनका निलंबन तो है ही, निरस्त करने की कार्यवाही भी करेंगे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर, प्रस्ताव कलेक्टर को अग्रेषित करके उनकी दुकान को निरत करेंगे। नये राशन की दुकान की प्रक्रिया करेंगे। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

**Spp/Rtm/26.07.2024/11:20/1c**

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री विरेन्द्र सिंह।

**खरवा से ब्यावर के मध्य फैक्टरियों से वायु प्रदूषण**

245. श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मसूदा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खरवा से ब्यावर के मध्य दोनों तरफ ग्राम पंचायत खरवा, पीपलाज, कानाखेडा में रीको स्थित पत्थर पीसने की फैक्ट्रियों से होने वाले वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत खरवा, पीपलाज व कानाखेड़ा में कुल 369 मिनरल ग्राईंडिंग इकाई संचालित हैं, जिनमे से 345 इकाइयां वैध सम्मति सीमा में है तथा शेष 24 की संचालन सम्मति वैध नहीं हैं, जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु मशीन

को कवर कराना, बैग फ़िल्टर लगाना, पानी का छिड़काव करना इत्यादि - उपाय किए जाते हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर उक्त उद्योगो का निरीक्षण तथा वायु गुणवत्ता की जांच की जाती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा गत 03 वर्षों (अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024) में 125 उद्योगों में वायु प्रदूषण मापन हेतु वायु नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया गया, जिसमें 87 इकाइयों की वायु गुणवत्ता जांच रिपोर्ट मानकों के अनुरूप पाई गईं एवं 38 इकाइयों की वायु गुणवत्ता जांच रिपोर्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई थीं। 38 इकाइयों का पुनः निरीक्षण किया गया जिसमें से 21 इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था सुचारु रूप से सुदृढ़ कर ली गई तथा वायु गुणवत्ता जांच परिणाम मानकों के अनुरूप पाये गए। 15 इकाइयों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(अ) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, शेष 2 इकाइयां बन्द पायी गयीं। जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विगत 03 वर्षों (01.04.2021 से 31.03.2024) की अवधि में उक्त क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध संचालित 21 मिनरल ग्राईडिंग इकाइयों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (अ) के अंतर्गत बंद करने के निर्देश जारी किए गए। विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। जिनका विवरण परिशिट-ब पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न पूछना है, जवाब मिल गया माननीय सदस्य।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरक प्रश्न पूछना है। क्योंकि पिछले पांच वर्षो से व्यवस्थाएं बदली हैं लेकिन आंकड़े वही के वही हैं। जांच करने वाले वही अधिकारी हैं। मेरा प्रश्न यह है कि खरवा, पीपलाज, कानाखेडा फैक्टरियों द्वारा फैक्टरी के बाहर सड़क के किनारे जो वेस्ट और डस्ट डालते हैं, क्या सरकार उनको पाबन्द करेगी और डस्ट उठवायेगी? हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने खरवा को लेकर, प्रदूषण को लेकर चिन्ता व्यक्त की है। इसी प्रकार की चिन्ता राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्य ने और कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसी सदन में रखी थी। मैंने उस समय भी आश्वस्त किया था और मैं आज आपको भी आश्वस्त करता हूं कि विभाग इसमें सम्बन्धित उद्योगों को नोटिस देकर उठवाने की चिन्ता ही नहीं करेगा, अपितु वहां से उठवायेगा भी।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि आपने उसमें बताया कि मशीनों के कवर, फिल्टर बैग और पानी का छिड़काव के लिये, क्या आप बताने की कृपा करेंगे,

क्योंकि फैक्टरियों में न तो कोई फिल्टर बैग है, न कोई पानी का छिड़काव है और न कोई बाहर सड़कों पर पानी का छिड़काव है। मजदूर जब फैक्टरी से काम करके बाहर निकलते हैं तो पूरे सफेद झक होकर बाहर निकलते हैं तो क्या यह जो तीन कमियां हैं, उन पर सरकार क्या रोक लगायेगी? हां तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने उद्योगों में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर उनके द्वारा जो प्रिकोशंस बरते जा रहे हैं, उसको लेकर चिंता भी व्यक्त की है और उद्योगों के द्वारा फैल रहे प्रदूषण के लिये भी चिन्ता व्यक्त की है। जैसाकि मैंने पहले बताया कि इसी विधान सभा में कपासन से आने वाले माननीय सदस्य और राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसी प्रकार की चिन्ता व्यक्त की थी। मैं आज इस सदन में घोषणा करता हूं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा मुख्य पर्यावरण अभियन्ता की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय एक समिति का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं और वह समिति सम्बन्धित क्षेत्र में जाकर सर्वे भी करेगी, सम्बन्धित जन-प्रतिनिधियों से और ग्रामवासियों से बात भी करेगी और जो भी प्रदूषण को रोकने के लिये कदम के सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिये जायेंगे, उनको लागू भी करेगी और इसके बावजूद भी यदि कोई उद्योग प्रदूषण फैलायेगा तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण राम।

## नागौर जिले में संचालित फसल खरीद केन्द्र

246. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के कितने केन्द्र कहां-कहां पर किस-किस योजना के तहत स्थापित किये गये हैं? वर्ष 2022-23 में मूंग खरीद का विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में वर्ष 2022-2023 में कुल कितने टोकन काटे गये तथा कितने टोकन से मूंग खरीदे गये तथा कितने शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त केन्द्रों द्वारा लक्ष्य अनुरूप मूंग नहीं खरीदे जाने के कारण किसानों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) जिला नागौर में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा दलहन-तिलहन की खरीद हेतु स्थापित क्रय केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा खाद्य विभाग द्वारा गेहूं खरीद खरीद हेतु स्थापित क्रय

केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

वर्ष 2022-23 में नागौर जिले में की गई मूंग खरीद का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में वर्ष 2022-2023 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत मूंग विक्रय हेतु कुल 6,740 किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया। उक्त में से 4,932 किसानों द्वारा मूंग विक्रय किया गया तथा शेष 1,808 किसान क्रय केन्द्रों पर उपज विक्रय करने हेतु नही आये।

(3) जी नहीं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में मूंग विक्रय हेतु पंजीयन करवाने वाले सभी 6,740 किसानों को तुलाई हेतु दिनांक आंवटित कर दी गई थी, जिनमें से 4,932 किसान मूंग विक्रय करने हेतु क्रय केन्द्रों पर उपस्थित हुए। क्षेत्र के किसानों को मूंग खरीद से संबंधित परेशानी होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आगामी खरीफ सीजन वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा जारी पी एस एस गाइड लाइन के अनुसार एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार मूंग की खरीद माह नवम्बर 2024 से जनवरी 2025 तक किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य पूरक प्रश्न।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है वर्ष 2022-23 और 2023-24 में मूंग खरीद का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितने मूंग की खरीद की गई? लक्ष्य के अनुरूप मूंग नहीं खरीदे जाने के क्या कारण रहे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ की सीजन 2022-23 में जिला नागौर में 8 लाख 343 क्विंटल मूंग खरीद के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। इसमें से 4 लाख 73 हजार 759 क्विंटल मूंग की खरीद की गयी। उक्त सीजन में मूंग का समर्थन मूल्य 7,755 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित था। किसान अपने मूंग की गुणवत्ता के आधार पर मंडी में प्रचलित अधिक भावों पर जिंस का विक्रय करने हेत स्वतंत्र है। उक्त खरीद में मूंग विक्रय हेतु पंजीयन कराने वाले सभी किसानों को तुलाई की दिनांक आवंटित कर दी गयी थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है वर्ष 2022-23 में कुल पंजीयन 6,740 किसानों का हुआ, उसमें से लगभग 25 प्रतिशत किसान 1,808 क्रय केन्द्रों पर उपस्थित नहीं हुए। क्या सरकार ने पुन: जानने का प्रयास किया कि 25 प्रतिशत किसान क्रय केन्द्रों पर क्यों नहीं आये? इसके क्या कारण रहे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है, लेकिन समर्थन मूल्य पर वह विक्रय करें ऐसा हम किसानों को

प्रतिबन्धित नहीं कर सकते। किसान अपनी फसल को बेचने के लिये स्वतन्त्र है। हमने पंजीयन किया था, फिर भी कुछ किसान नहीं आये, उसके भी कुछ कारण रहते हैं। अपनी मूंग की गुणवत्ता के आधार पर मैंने पूर्व में भी बताया कि अपनी गुणवत्ता के आधार पर मंडी की प्रचलित अधिक भावों पर जिंस विक्रय करने हेतु किसान स्वतंत्र है। हमने तो अपनी तरफ से उनको डेट दी थी, अगर फिर भी वह नहीं आये तो पाबन्दी नहीं है। वैसे कोई शिकायत इसमें प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री हाकम अली खां।

**फतेहपुर नगर परिषद क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्यवाही**

247. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या फतेहपुर नगर परिषद् क्षेत्र में खसरा नम्बर 1287 पर हो रहा निर्माण नियमानुसार है? यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्माणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी नहीं। नगर परिषद फतेहपुर द्वारा खसरा नम्बर 1287 में हो रहे निर्माण की मौका जांच करवाई गई एवं मौके पर किए जा रहे निर्माण को अवैध पाया जाने पर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.05.2024 को उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त कर, हटा दिया गया है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय मंत्रीजी, आपने जवाब में बताया लेकिन जवाब सही नहीं दिया। जिस अधिकारी ने भी यह जवाब दिया, वह गलत जवाब दिया है। जो मैंने मांगा था 1287 पर अवैध निर्माण के बारे में, तो जवाब में कहा है कि निर्माण अवैध था और उसको 24.5.2024 को मौके पर जाकर हटा दिया गया है। कुछ भी नहीं हटाया गया है, सिर्फ फोन करके निर्माण कार्य को रोका गया है। रोकने के बाद भी जो 20 फीट गहरा खड्ढा खोद रखा है वहां पर, वह फतेहपुर के बाजार का मैन रास्ता है। सारे गांव, बस स्टेण्ड और रेलवे स्टेशन से लोग उसी रास्ते से बाजार के अन्दर जाते हैं और सामने एक हॉस्पिटल है, उसकी वजह से वहां गाड़ियां खड़ी करते हैं मरीज को उतारने और ले-जाने के लिये। आये दिन वहां पर इससे ट्रेफिक जाम रहता है। उस निर्माण, जो खड्ढा खोद रखा है, उसमें जो पिलर खड़े कर रखे हैं, पिलर को मत तोड़ो, मैं नहीं कहता हूं लेकिन खड्ढे को बंद करवाकर रास्ते को अवरूद्ध तो मत करो और उसको थोड़ा ठीक कराओ। बस अधिकारियों को यह निर्देश करो कि जो खड्ढा खोद रखा है उस खड्ढे को भरवाकर उसको ठीक करा दें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि फतेहपुर का खसरा नम्बर 1287 गैर मुमकिन आबादी रकबा 41.60 हैक्टेयर में शहर की मूल घनी आबादी बसी हुई है और फतेहपुर के इस खसरा नंबर में अवैध निर्माण की

शिकायत प्राप्त होने पर नगरपालिका एक्ट की धारा 194 के अन्तर्गत कार्यवाही कर अवैध निर्माण हटा दिया गया था।

इसमें यह जरूर है कि वार्ड नम्बर 27 में केनरा बैंक के पास स्थित बाजोरिया कोठी में अवैध रूप से निर्माण कराने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर नगर परिषद द्वारा निरीक्षक से मौके की जांच करवायी गयी जिसमें पाया गया कि नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत सक्षम निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना मौके पर बेसमेंट एवं दुकानों की प्लाटिंग कर निर्माण शुरू किया गया। 22.4.2024 को नोटिस दिया गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और निर्माण कार्य शुरू रहा और उसके बाद 16.5.2024 को फिर उसको आदेश दिया गया।

**MLS/RTM/26.07.2024/11:30/1d**

और फिर 24.05.2024 को मौके पर मौका मजिस्ट्रेट और पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में नगर परिषद् की गठित टीम द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त कर हटा दिया गया है और आज की तारीख में मौके पर काम बन्द है। अब आपने जिस गड्ढे का जिक्र किया है, मैं आज ही नगर परिषद् फतेहपुर के आयुक्त को निर्देशित कर दूंगा कि वे आने वाले एक सप्ताह में उस गड्ढे को पाटकर आम रास्ते में आवागमन की बाधा को दूर करे।

श्री अध्यक्ष: श्री रोहित बौहरा।

**राजाखेड़ा के महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद**

248. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के महाविद्यालय में विगत वर्ष विज्ञान संकाय खोला गया था? यदि हां तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कॉलेज पर अब तक उक्त संकाय के व्याख्याताओं का पदस्थापन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) जी हां। छात्र हितों की आवश्यकता के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में विज्ञान संकाय राजसेस सोसायटी के अन्तर्गत खोला गया है।

(2) उक्त महाविद्यालय में सत्र 2023-24 में विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं गणित विषयों में विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत 4 गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया गया तथा सत्र 2024-25 में गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन करवाये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मुझे उत्तर मिल गया है। धन्यवाद उप-मुख्य मंत्री

महोदय। जब मैंने यह प्रश्न पूछा, उसके बाद वहां गैस्ट फैकल्टीज परसों सब लग गयी हैं। अब एक चीज और है, जो पूरक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कम से कम क्वेश्चन पूछने से बच्चों का भला तो हुआ। साइंस फैकल्टी तो आपने भर दी, पर आट्‌र्स फैकल्टी अभी भी खाली है। मैं आपसे विनती करता हूं, जिस तत्परता से कार्रवाई आपने साइंस फैकल्टी की करी, वैसे ही आप आप आट्‌र्स फकल्टी में भी कर दें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जायेगी, क्योंकि जब से शुरू हुआ है, तब से आट्‌र्स में इंग्लिश का टीचर अभी तक वहां पर अवेलेबल नहीं है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह चिन्ता की है, निश्चित रूप से इनके इस महाविद्यालय में एक प्राचार्य का पद है, वह भरा हुआ है, आचार्य के 14 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 11 भरे हुए हैं और उनमें से 3 नियमित हैं तथा 8 विद्या सम्बल से लिये गये हैं। हमारे लाइब्रेरियन और पीटीआई की 247 वेकेंसीज आने वाली हैं और आरपीएससी से 1936 पद अभी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। निश्चित रूप से उनके आते ही आपकी इस समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहित जी का हृदय परिवर्तन होता जा रहा है, सरकार को वे इतना धन्यवाद दे रहे हैं, इसके लिए तो मेजें थपथपानी चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका हृदय स्ट्रॉन्ग बने, यह मैं आशा करता हूं।

श्री गोपीचन्द मीणा।

**जहाजपुर में संचालित पेयजल योजनाएं**

249. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उप-खण्ड कोटड़ी व जहाजपुर के कौन-कौन से गांव व ढाणियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी पेयजल योजनाएं बन्द हैं तथा कौन-कौन सी योजनाएं वर्षों पुरानी होने एवं वर्तमान में आबादी क्षेत्र के विस्तार के कारण पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बन्द पेयजल योजनाओं को प्रारम्भ करने व वर्षों पुरानी पेयजल योजनाओं के विस्तार व पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत उप-खण्ड जहाजपुर एवं उप-खण्ड कोटड़ी में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 334 ग्राम एवं 134 ढाणियां सम्मिलित हैं। चम्बल भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना चरण द्वितीय की स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की बैठक संख्या 190 दिनांक 30.05.2013 को राशि

रुपये 1495.68 करोड़ की जारी की गयी थी। उक्त परियोजना को क्रियान्वयन हेतु कुल 8 पैकेज में विभक्त किया गया। योजना के पैकेज संख्या- 6, 7, एवं 8 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार सभी 316 ग्रामों को सार्वजनिक नल (पी.एस.पी.) के माध्यम से शुद्ध पेयजल से चरणबद्ध रूप से माह फरवरी, 2023 तक लाभान्वित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पेयजल कनेक्शन देने के लिए परियोजना के पैकेज संख्या 6, 7 एवं 8 हेतु एस.एल.एस.एस.सी. दिनांक 02.07.2021 से राशि रुपये 453.58 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी। उक्त 3 वृहद् पेयजल परियेजनाओं में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पूर्व से पी.एस.पी से लाभान्वित 300 ग्राम व नवसृजित 18 ग्राम सहित कुल 318 ग्राम एवं 99 ढाणियों को सम्मिलित किया गया। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त वृहद् पेयजल परियोजनाओं में सम्मिलित सभी 318 ग्रामों एवं 88 ढाणियों को घर-घर पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष 11 ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रगतिरत् है एवं माह सितम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

वृहद् परियोजनाओं के अतिरिक्त पूर्व से परियोजना अन्तर्गत पी.एस.पी. से लाभान्वित 16 ग्राम एवं 35 ढाणियों को हर घर पेयजल से लाभान्वित करने हेतु राशि रुपये 9.45 करोड़ की 16 योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। स्वीकृति के विरुद्ध सभी 16 ग्राम एवं 20 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है एवं शेष रही 15 ढाणियों को लाभान्वित किये जाने हेतु संशोधित स्वीकृति प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ठ-स पर संलग्न है।

वर्तमान में उक्त 15 ढाणियों में 28 नग हैंडपम्प द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसकी सूची परिशिष्ठ-द पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत कुल 3 वृहद् पेयजल परियोजनाएं, 8 क्षेत्रीय पेयजल योजना, 5 पाइप्ड योजना तथा 20 जनता जल योजना वर्तमान में संचालित हैं। उक्त समस्त योजनाएं वर्तमान में चालू हैं एवं पेयजल वितरण नियमित एवं सुचारू रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में सभी योजनाएं कार्यशील अवस्था में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु वर्ष 2054 की परिकल्पित जनसंख्या के अनुसार योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कस्बा जहाजपुर की शहरी पेयजल योजना के विस्तारित/बाहरी क्षेत्र को अमृत 2.0 कार्यक्रम में स्वीकृत संवर्धन योजना राशि रुपये 10.26 करोड़ में शामिल किया गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत योजना के तहत कस्बे के विस्तारित/बाहरी क्षेत्र में पेयजल कार्य करवाकर लाभान्वित किया जायेगा।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है, मैं उत्तर से सन्तुष्ट हूं। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत देवली नगरपालिका क्षेत्र के पास में मेरी ग्राम पंचायतें- ऊंचा,

कुचलवाड़ा, टिकड़, ध्वाला, इनके गांवों को पेयजल योजना स्कीम से वंचित रखा। ग्राम श्याम नगर, ज्योति कॉलोनी, वार्ड नं. 1, 2, 3, 4, बजरंग कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी, हनुमान नगर, बारलापोलिया, मुंशीपुरा की ढाणी, खेमां का झोंपड़ा, मोरलाऊंचा, इन गांवों को कब तक पेयजल से जोड़ने की कृपा करेंगे?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि देवली कस्बा टोंक जिले में स्थित है और माननीय सदस्य का जहाजपुर क्षेत्र है, वह देवली कस्बे के चारों तरफ पैरिफेरी एरिया में बसा हुआ है, वहां पर अमृत 2.0 के तहत हम काम करा रहे हैं। इसके साथ-साथ इस बजट में हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने उसमें बजट दिया है। जो भी इनके क्षेत्र में पैरिफेरी एरिया है, माननीय सदस्य ने जिन-जिन कॉलोनियां का नाम बताया, उनमें आने वाले 6 महीने में हम काम करा देंगे। कोई भी आपकी कॉलोनी पानी से वंचित नहीं रहेगी।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, जो जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र और कोटड़ी में कुछ गांवों को इन्होंने राजनीतिक द्वेषता से वंचित रख दिया है। भूतिया, काबरा का झोंपड़ा, बारापाला, घाटारानी का झोंपड़ा, नौलाई माता का झोंपड़ा, धुंवाली का नाका, भोजपुरा, कंजर का झोंपड़ा...

श्री अध्यक्ष: जरा धीरे-धीरे बोलें, समझ में तो आये प्रश्न उनके, क्या पूछना चाह रहे हैं।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): इनको छोड़ दिया था, इनको कब तक जोड़ देंगे?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना 15 अगस्त 2019 को हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने पूरे देश में चालू की। यह राजस्थान के लिए वरदान थी। जिस तरह से यह योजना आने के बाद राजस्थान में लगभग 90 हजार करोड़ की योजना यहां से बनकर गयी, जिसमें जो भी तखमीना हुआ, केन्द्र सरकार के पास गया, सबने सैंक्शन किया। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पिछली सरकार ने लगभग 90 हजार करोड़ में से केवल 30 हजार करोड़ के काम कराये।

आज राजस्थान पूरे देश में 34वें स्थान पर है और उसकी काम पूरा करने की तिथि मार्च 2024 थी, जो निकल चुकी है। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जल शक्ति मंत्री जी से केन्द्र में बात करके, सबसे पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस योजना को आगे कैसे चालू करें। इसके साथ-साथ जो तखमीना में कमी रही थी, कई ढाणियां, कुछ तो राजनीतिवश इन्होंने मोहल्लों को ही छोड़ दिया। कई सदस्य मेरे पास आ रहे हैं। कुछ तो इनकी तकनीकी गलती रही है। उन सबको जोड़कर लगभग 10 से 12 हजार करोड़ की है, इनको भी हम जोड़कर भेजेंगे। आगे की सैंक्शन मिलने के बाद में माननीय सदस्य के कोई गांव नहीं छोड़ेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि योजना बन्द हो गयी और दूसरी

तरफ आप कह रहे हैं कि हम इसे जोड़ देंगे। स्थिति क्लीयर करें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सब जगह पर मार्च 2024 का टारगेट था, दूसरे स्टेट्स इसे कम्प्लीट कर चुके हैं, हम सबसे लास्ट में थे, हम नहीं कर पाये, हमें आश्वस्त किया गया है कि आपको इसकी हम सैंक्शन देंगे, जब भी कैबिनेट में इसका डिसीजन होगा, उसके बाद हम वर्क ऑर्डर दे पाएंगे और फिर जो बची हुई ढाणियां हैं, उन्हें भी जोड़ा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम।

## सूरतगढ़ के फिरोजपुर फीडर की मरम्मत

250. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) फिरोजपुर फीडर का निर्माण कब किया गया एवं इसके निर्माण के समय पानी लेने की क्षमता कितनी निर्धारित की गयी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त फीडर किस आर.डी. से किस आर.डी. तक क्षतिग्रस्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि फीडर के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रदेश के हिस्से का पानी अन्य प्रान्तों व पाकिस्तान में चला जाता है? यदि हां तो प्रदेश के हिस्से का कितना पानी व्यर्थ जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त फीडर की मरम्मत हेतु बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हां तो कार्य कब प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) फिरोजपुर फीडर का निर्माण वर्ष 1952-53 में किया गया एवं इसके निर्माण के समय क्षमता 11192 क्यूसेक निर्धारित थी।

(2) वर्तमान में उक्त फीडर आर.डी. 0 से आर.डी. 168 तक जगह-जगह क्षतिग्रस्त अवस्था में है।

(3) जी नहीं, मानसून के दौरान बांधों के डाउनस्ट्रीम में अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में हरिके हैड से निकलने वाली इंदिरा गांधी फीडर व फिरोजपुर फीडर के विकसित सिंचाई तंत्र में अधिकतम उपलब्ध क्षमता तक पानी का उपयोग लिये जाने के पश्चात शेष रहा पानी ही पाकिस्तान की तरफ प्रवाहित हो जाता है।

(4) बजट घोषणा वर्ष 2024 में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 200 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। इसके सम्बन्ध में पी.एफ.आर. दिनांक 09.02.2024 को केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है एवं पंजाब राज्य द्वारा डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। शीघ्र ही डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली में प्रस्तुत की जानी सम्भावित है। स्वीकृति अनुसार पंजाब सरकार द्वारा कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने जवाब में यह कहा है कि हरिके हैड से निकलने वाली

इंदिरा गांधी फीडर व फिरोजपुर फीडर के विकसित सिंचाई तंत्र में अधिकतम उपलब्ध क्षमता तक पानी का उपयोग लिये जाने के पश्चात शेष रहा पानी ही पाकिस्तान की तरफ प्रवाहित हो रहा है, जबकि गंगनहर, जिसकी क्षमता 2500 क्यूसेक्स है, जिसे 2500 क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिये, पिछले 2 महीने से 1000 से 1200, 1500 क्यूसेक्स पानी मिल रहा है। जब हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है तो फिर ऐसे में गंगनहर को 2500 क्यूसेक्स पानी क्यों नहीं मिल रहा है?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बीबीएम की तकनीकी समिति की बैठक में यह तय शेयर अनुसार पंजाब द्वारा पानी का इनटेक दिया जाता है, जिस अनुसार बीबीएम द्वारा बांधों में पानी छोड़ा जाता है। चूंकि वह हरिके बैराज पर आता है, इस पानी को हरिके बैराज पर पहुंचने में दो-तीन दिवस लग जाते हैं, हरिके बैराज पर से निकलने वाली फिरोजपुर फीडर व हरिके बैराज के डाउनस्ट्रीम में पंजाब के सिस्टम हेतु पानी छोड़ा जाता है। दोनों नहरों में इनकी ग्रहण क्षमतानुसार पानी प्रवाह नहीं किया जाता, लेकिन कई बार बांध के डाउनस्ट्रीम में बारिश होने के कारण हरिके बैराज पर पानी की आवक बढ़ जाती है।

हरिके बैराज से निकलने वाली नहरों को पूर्ण क्षमता पर चलाने के उपरान्त भी अतिरिक्त पानी को हरिके बैराज में डाउनस्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। यह पानी ही हुसनीवाला हैड से पाकिस्तान चला जाता है। चूंकि यह पानी बहुत कम समय के लिए आता है एवं बीच-बीच में प्राप्त होता है, इसलिए बांधों से पानी कम नहीं कराया जा सकता। दूसरा, अगर माननीय सदस्य, हम 6 महीने का आकलन करें तो हमें लगभग बराबर ही पानी मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): नहीं, हमें पानी बराबर नहीं मिल रहा है। इसका जवाब तो आया नहीं। 2500 क्यूसेक्स की नहर है, 2500 क्यूसेक मिलना चाहिये, हमें 1200-1500 क्यूसेक्स क्यों मिल रहा है? हमें तो यह बता दें आप।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गंगनहर को मानूसन के दौरान ही शेयर निर्धारित मात्रा के अनुसार पानी नहीं मिलता है। 2500 क्यूसेक के विरुद्ध औसत 2265 क्यूसेक्स है। इस वर्ष भी 2500 क्यूसेक्स की मांग के विरुद्ध न्यूनतम 1744 क्यूसेक तक भी पानी मिला है। गंगनहर को पूर्ण वर्षा के दौरान ओवरऑल निर्धारित शेयर मात्रा में प्राप्त होता है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अप्रैल-मई 2023 में जो आपने फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार की 200 करोड़ की पीएफआर भेजी है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अप्रैल-मई 2023 में भेजी गयी पीएफआर के लिए केन्द्रीय जल आयोग से कितनी बार किस-किस तारीख को पत्राचार हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

**mkd/rtm/26.07.2024/11:40/1e**

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चूंकि मूल प्रश्न से हटकर है तो मैं सारा पता करके भिजवा दूंगा।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): यह हटकर कहां हैं? आपने जवाब दिया है, बजट घोषणा 2024 में फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़..। उसी का मैं पूछ रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि 2023 के बाद कितनी बार राजस्थान सरकार ने पत्राचार है और उसके क्या-क्या जवाब आये?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि डीपीआर स्वीकृति के पूर्व पीएफआर स्वीकृति लेना आवश्यक होती है। पिछली सरकार के कार्यालय में पीएफआर तैयार कर दिनांक 29.05.2023 को केन्द्रीय जल आयोग को भेज गई थी, परन्तु आयोग के आक्षेपों की पालना नहीं किये जाने से मंजूर नहीं हो सकी। जिससे डीपीआर तैयार नहीं हो पाई।

वर्तमान सरकार के सत्ता में आते ही इस पर तत्परता से संज्ञान लेकर केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को पीएफआर पुन: प्रस्तुत करते हुए दिनांक 09.02.2024 को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से पीएफआर की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राम निवास गावडिया।

**परबतसर में विधवा विवाह उपहार योजना के लाभार्थी**

251. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में विधवा विवाह उपहार योजना संचालित है? यदि हां, तो उक्त योजना अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र परबतसर में माह जनवरी, 2019 से माह नवम्बर, 2023 तक कितनों को लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): जी हां। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में जनवरी 2019 से नवम्बर 2023 तक 2 आवेदकों को लाभान्वित किया गया। लाभान्वितों की सूची संलग्न है।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विधवा विवाह उपहार योजना के तहत 2019 से 2023 तक मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि 2 आवेदन आये हैं और उनको 51000 की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि वर्ष 2024 में विधान सभा क्षेत्र परबसर से कितने आवेदन आये हैं? उनमें से कितने पात्र आवेदनकर्ता हैं? उनको कब तक भुगतान कर दिया जायेगा।?

साथ ही, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारी सरकार ने अन्तरजातीय विवाह राशि को 5

लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है। साथ ही, दिव्यांग सुखद दाम्पत्य योजना है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): प्रश्न पर ही आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां दिव्यांग 80 प्रतिशत से ज्यादा पात्र हैं, उसकी राशि 50 हजार से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो। इनके क्या पूछना है, वह पूछो। पहले कर दी वह तो नियमों में आ गया।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय मंत्री जी, इस विधवा विवाह उपहार योजना की राशि को, जो 51000 है, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने की मंशा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्षः हां, यह प्रश्न है। माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विधवा विवाह उपहार योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि वर्ष 2007-08 में योजना प्रारम्भ हुई। उस समय पहले प्रावधान 15 हजार रुपये का था। फिर इसकी राशि में 2016 में वृद्धि की गई, उसे 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किया गया। फिर, 2019 में इस राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी गई।

पूरे राजस्थान में जो पेंशनर्स विधवा महिलाएं हैं, उनकी संख्या लगभग 22 लाख के करीब हैं। आज की तारीख में, लेकिन वर्ष 2019-20 से लेकर 2024-25 तक पूरे राजस्थान में इस योजना के माध्यम से मात्र 60 विधवा महिलाओं को इस विधवा उपहार योजना से लाभान्वित किया गया।

आपके परबतसर की अगर बात करूं तो परबतसर विधान सभा के अन्दर 2024-25 में एक भी आवेदन हमारे पास नहीं आया है। इसलिए, आवेदन नहीं आने के कारण इस योजना से किसी को लाभान्वित नहीं किया जा सका।

श्री अध्यक्षः दूसरा, प्रश्न पूछिये।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। परबतसर से तीन आवेदन आये हैं, जबकि इनके अधिकारी इनको गुमराह करते हैं। मंत्री जी, तैयारी करके आते नहीं हैं। मेरे पास उसके प्रस्ताव पड़े हैं।

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि एक भी प्रस्ताव नहीं आया है, जबकि वहां से तीन प्रस्ताव आये हैं और इनके अधिकारी इनको जवाब नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्षः आप नियमों में आइये। उसका भी करेंगे।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): दूसरा मेरा सवाल था, उसकी राशि 51 हजार से 5 लाख बढ़ाने तक की आप मंशा रखते हो या नहीं? यह सदन को बतायें।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में मैंने आपको बताया कि ये आवेदन हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जैसा

माननीय सदस्य ने बताया, अगर किसी अधिकारी ने हमें इस योजना की जानकारी के अभाव में गलत दिया, उसको इसी सप्ताह के अन्दर सस्पेंड कर दिया जायेगा और आगे से कोई अधिकारी गलत उत्तर नहीं दे, इसका का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

आपने यह जो राशि बढ़ाने की घोषणा की है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय पर वित्तीय उपलब्धता के आधार पर और आगे परीक्षण करके निश्चित ही हम चाहेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से, जो हमने इसमें राशि बढ़ाई है, आगे भी यदि सम्भव होगा तो इसमें राशि बढ़ाकर उन विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्बल देने का काम करेंगे, क्योंकि पहले भी राजाराम मोहन राय जी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जी ने, दयानन्द सरस्वती जी ने यह प्रयास किया था कि विधवाओं के सम्मान में पुनर्विवाह की व्यवस्था लागू हो। 18 से 50 साल की उम्र में, जो बहनें, जो मातृशक्ति विधवा हो जाती हैं, उन विधवाओं का पुनर्विवाह हो, इसलिए जो भी निर्णय होगा, उन विधवा महिलाओं के सम्मान में होगा।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): आप तो काम करके दिखाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, अभी बढ़ा दो।

श्री अध्यक्ष: एप्रोप्रिएशन बिल आ जाने दो। आपके दो प्रश्न हो गये हैं। श्री सुरेश गुर्जर।

**झालावाड़ जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में दर्ज अपीलों का निस्तारण**

252. श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु अपीलीय अधिकार उपखण्ड अधिकारी को दिया गया है? यदि हां, तो झालावाड़ जिले के उपखण्ड खानपुर एवं उपखण्ड झालावाड़ के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 से जून, 2024 तक कितनी अपीलें दर्ज हुईं? अपील के निर्णय अनुसार कितने नाम जोड़े गये तथा कितनी अपीलें अस्वीकार की गईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर विगत पांच वर्षों से नाम नहीं जोडे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नये नाम कब तक जोडे जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) जी हां | झालावाड़ जिले के उपखण्ड खानपुर एवं उपखण्ड झालरापाटन में वित्तीय वर्ष 2020-21 से जून, 2024 तक प्राप्त, स्वीकृत एवं अस्वीकृत अपीलों का संख्यात्मक विवरण निम्न है:-

| क्रम संख्या | नाम उपखण्ड | प्राप्त अपील | स्वीकृत अपील | अस्वीकृत अपील |
|---|---|---|---|---|
| 01 | झालरापाटन | 7576 | 1784 | 23 |
| 02 | खानपुर | 6060 | 1300 | 61 |

(2) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा योजना में विगत पांच वर्षो में नाम जोडे गये हैं।

भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4.46 करोड के विरुद्ध शेष रहे स्थान के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोड़ने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब मेरे पास आ गया है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया है। पूरक प्रश्न।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): मेरा मंत्री जी से पूरक प्रश्न है कि आपने जवाब में बताया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दोनों उपखण्ड खानपुर, बकानी से कुल 13 हजार 636 अपीलें प्राप्त हुई हैं। जिसमें से 3 हजार 84 अपीलें स्वीकार की हैं और 84 अपीलें अस्वीकार की हैं। दोनों उपखण्ड़ों की बची हुई 10 हजार 668 अपीलों का वर्तमान में क्या स्टेटस है? ये लोग सालों से खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए इन्तजार कर रहे हैं, सरकार इन नामों को कब तक शामिल करने का विचार रखती है?

माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा प्रश्न है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की जो सीलिंग सीमा तय कर रखी है, जिसके कारण टारगेट पूरे होने पर पोर्टल खुलना बन्द हो जाता है। आपकी डबल इंजन की सरकार, क्या केन्द्र से सीलिंग सीमा बढ़ाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो बताये हैं कि लम्बित हैं, जिनका खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अन्दर प्रावधान है, हर राज्य की सीलिंग 4 करोड़ 46 लाख की सिलिंग है, जिसमें 4 करोड़ 36 लाख पहले थे और 1 लाख 67 हजार विशेष योग्यजन हैं, उनको हमारी सरकार ने गत सप्ताह जोड़ दिया है। अब जो 8 लाख हैं, उनकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी है तो 4 करोड़ 46 लाख अगले दो माह में हम पूरा कर देंगे।

बाकी हमारे पास पूरे राजस्थान के 3 लाख 90 हजार आवेदन लम्बित हैं, उसमें 8 लाख इसमें और हो जायेंगे तो 5 लाख 50 हजार के आसपास लम्बित रहेंगे।

आपका दूसरा प्रश्न कि इसमें सरकार क्या कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिन्होंने सरकार बनते ही 29 दिसम्बर, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर खाद् सुरक्षा अधिनियम में सीलिंग सीमा बढ़ाने का निवेदन किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और कुछ पूछना है या हो गया।

अगला प्रश्न। माननीय शान्ती लाल जी धारीवाल। माननीय लगा रहा हूं, आप हमसे वरिष्ठ

हैं। हमसे सीनियर है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम शान्ती लाल नहीं है, शान्ती कुमार है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या बोलियें।

**गोड़ावन संरक्षण हेतु टनल का निर्माण**

253. श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या वन्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2024-25 में गोड़ावन संरक्षण हेतु टनल निर्माण की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त टनल का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(2) वर्तमान में प्रदेश में कितने गोड़ावन हैं? इनकी संख्या में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये?

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। दिनांक 14.06.2024 को राज्य सरकार द्वारा GIB Rewilding Structure के निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज जयपुर के द्वारा बजट आवंटन किया जा चुका है। उक्त कार्य करने हेतु कार्यकारी एजेन्सी RSRDC का चिह्नित किया गया है, शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) वन विभाग द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से विस्तृत रूप में सम्पूर्ण थार मरुस्थल जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाडमेर व बीकानेर के कुछ क्षेत्र को शामिल करते हुए गोडावण गणना 2017-18 में करवाया गया। उक्त गणना में गोडावण की संख्या 128 + 19 आंकलित की गई है।

उक्त गणना के अलावा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन वन्यजीव गणना वाटरहोल पद्धति से करवाई जाती है। इस वर्ष 2024 में उक्त पद्धति से गोडावण की संख्या 64 प्राप्त हुई है। उक्त गणना में केवल अभयारण्य क्षेत्र तथा सेटेलाइट क्षेत्र के क्लोजर्स का क्षेत्र सम्मिलित है। पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं मिलने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया है। इनकी संख्या में वृद्धि के लिए विभाग द्वारा जैसलमेर में क्लोजरों का निर्माण और कृत्रिम ब्रीडिंग सेंटर का स्थापित किया गया है। वर्तमान में उक्त सेंटर में 44 पक्षियों को वैज्ञानिक देखरेख में पाला जा रहा है इसके अतिरिक्त सोरसन बारां में एक गोडावन प्रजनन केन्द्र विकास कार्य प्रगतिरत है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरे पास जवाब आ चुका है। मेरा सवाल यह था कि टनल के निर्माण के लिए कब तक काम पूरा हो जायेगा? या कब से शुरू हो गया? और कब तक काम पूरा हो जायेगा? लेकिन उसका जवाब आपने नहीं दिया।

मेरा सवाल यह है कि बजट 2024-25 में टनल के निर्माण की घोषणा की गई। यह टनल किस स्थान पर बनेगी? पहली बात। दूसरा यह है कि कितने वर्गमीटर में बनेगी? तीसरी, बात इसकी डीपीआर बन गई क्या? और डीपीआर बन गई तो फिर कार्यादेश जारी हो

गये क्या?

इसी के साथ-साथ मैं आपसे यह भी पूछ रहा हूं कि प्रभावी संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल हैचिंग के लिए क्या-क्या कार्य किये जाने की आपकी योजना है? जैसे सोरसन, बारां में है, गोडावन में। वहां पर केन्द्र का कार्य कब से चल रहा है? और वह कब तक पूरा हो जायेगा? उसके लिए कोई बजट का प्रोविजन भी रखा है या नहीं रखा? सवाल नम्बर एक।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, एक में ही कई प्रश्न पूछ लिये हैं। टनल के बारे में, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस बजट के अन्दर घोषणा की गई थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि दिनांक 14.06.2024 को 8 करोड़ का बजट उसके लिए आवंटित कर दिया गया है। साथ ही साथ, आरएसआरडीसी कार्य एजेंसी के रूप में चिन्हित किया जा चुका है और बहुत जल्द ही उसका काम शुरू कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आप अगला प्रश्न पूछियें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपने यह जवाब दे दिया है कि अब शुरू कर दिया जायेगा। मैंने आपसे यह पूछा था कि कब तक शुरू होगा? मैंने आपसे यह पूछा था कि कब तक शुरू होगा? एक बात।

उसका कार्यादेश दे दिया गया क्या? उसका जवाब आपने नहीं दिया। खैर, दूसरा सवाल मेरा यह था कि आर्टिफिशियल हैचिंग सेंटर कई जगह स्थापित किये गये हैं और वैज्ञानिकों की देख-रेख में उनको पाला जा रहा है। सवाल मेरा यह नहीं था कि इनकी संख्या में वृद्धि के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? यह नहीं बताया आपने।

**Bhs/Rtm/26.7.24/11.50/1f**

खैर, दूसरा सवाल अब मैं पूछता हूं कि गोडावन संरक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल हैचिंग हेतु कितने हेक्टेयर वन भूमि कहां-कहां पर उपलब्ध करायी गई? और मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर, सोरसन, बारां, सोखलिया, अजमेर जैसे अन्य स्थानों पर भी जिस तरीके की जलवायु वहां पर है राजस्थान के और क्षेत्रों में भी इस प्रकार की जलवायु मौजूद है, तो क्या उन स्थानों पर भी प्रजनन का कोई प्रयास करने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य जो इस सदन के जहां तक मेरी जानकारी है सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और 81 साल की उम्र में आप वन्य जीव...

श्री अध्यक्ष: 81 साल नहीं है, सॉरी, 19 साल है। उम्र सौ माइनस इक्यासी, उन्नीस साल के हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ठीक कह रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये। अभी जवान हैं ये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 19 साल का सदस्य विधान सभा में क्या कर रहा है, पच्चीस होनी जरूरी है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपसे मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो मिल गया मुझे।

श्री अध्यक्ष: जवान हैं। बैठो आप। माननीय मंत्री जी, जवाब दें।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): इस उम्र में भी आप वन्य जीव-जन्तुओं और पशु-पक्षियों की चिन्ता कर रहे हैं, यह हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ जो आपने चिन्ता व्यक्त की चूंकि, अध्यक्ष जी, प्राय: यह देखा जा रहा है और दो दिन पहले सदन में एक बड़ा विकट प्रश्न भी उठा था कि इसी सदन के कुछ माननीय सदस्य या बाहर भी बैठ होंगे वो वर्तमान परिस्थितियों में वन्य क्षेत्र की भूमि हो, चाहे राजस्व की भूमि हो, चाहे नदी हो, चाहे जोहड़ हो उस पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आपकी चिन्ता निश्चित रूप से जायज है और मैं आपको यह जो आपने प्रश्न किया है, कितने हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है वन विभाग द्वारा निश्चित रूप से मैं आपके पास वो रिकार्ड भिजवा दूंगा और इस सन्दर्भ में कोई भी अच्छा सुझाव आप देंगे, मैं आपको यह विश्वास देता हूं कि मेरा विभाग राज्य सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उसको लागू करेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दो न आप तो। प्रश्न ही बता दो क्या पूछा था, यही बता दो आप क्या पूछा है आपसे?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): आपने यह पूछा था कि जो ... ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपने पूछा है वो।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर निवेदन करूं फिर ये आदत की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे और उँगली की बात करेंगे लेकिन एक मुहावरा इनके ऊपर बिलकुल लागू हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दे दो।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): जिसमें यह है कि हर बात पर टांग अड़ाना। ये हर बात में टांग अड़ाने की आदत इनकी लगी हुई है। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर दीजिये।

अगला प्रश्न। डॉ. ऋतु बानावत। बैठिये। माननीय मंत्री जी, आपका हो गया। बैठिये। अगला प्रश्न आ गया।

## समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद

254. डा. ऋतु बनावत (बयाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कितने मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन हुआ तथा सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितना बाजरा खरीदने का लक्ष्य रखा गया तथा कितने बाजरे की खरीद हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लक्ष्य के अनुपातिक खरीद नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2024 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी फसल खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा उसकी प्रभावी देखरेख के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 59,18,718 टन एवं 2023-24 में 43,82,760 मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन हुआ।

जी,नहीं। खरीफविपणन सीजन वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान प्रदेश में न्युनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। बाजरे का लक्ष्य निर्धारित नहीं होने से खरीद नहीं हुई।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या-1 में समाहित है।

(3) जीनहीं। वर्ष 2024 में आने वाली खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ चुका है मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि बाजरे की खरीद नहीं हुई है, पिछले कई सालों से एम.एस.पी. पर बाजरे की खरीद नहीं हुह है। जब बाजार में बाजरा आता है जो कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि श्री अन्न है और पूरे देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है, तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब बाजार में बाजरा आता है तो 1600-1800 रुपये टन के भाव से बिकता है और खरीद जब नहीं होती है तो अरबों रुपयों का किसान को नुकसान होता तो उसकी भरपाई के लिए कोई योजना सरकार के पास है या नहीं? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि राजस्थान में कुल कितने बाजरे के उत्पादन का लक्ष्य है और कितना टन सरकार खरीदने का लक्ष्य कर रही है इस हिसाब से किसानों को अरबों रुपये का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर ऐसी कोई योजना है तो सरकार मेज पर रखे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विषय गम्भीर विषय है। किसानों के लिए जागरूकता का विषय है। किसानों को लाभ मिले और इसके लिए जो योजना का आपने विषय पूछा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने श्री अन्न के लिए हमेशा प्रोत्साहित करने का पूरे भारत में और पूरे विश्व में भारत के प्रधान मंत्री की प्रशंसा हर जगह हुई है माननीय मोदी जी की अब यह बात राजस्थान में यह सत्य

है कि पिछले लम्बे अर्से से राजस्थान में बाजरे की खरीदी नहीं की गई है और आने वाले समय में हमारी सरकार जिस तरह से हमने किसानों के लिए काम किया जिस तरह माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरकार बनते ही किसानों को बोनस गेहूं में दिया सवा सौ रुपये क्विंटल और जिस तरह किसान सम्मान निधि के तहत साढ़े छः सौ करोड़ रुपये दिये गये, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में चूंकि पहले आचार संहिता थी, आने वाले समय में जरूर इस बिन्दु पर सरकार गहनता से विचार कर किसानों को राहत अवश्य प्रदान करेगी।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): एक मेरा पूरक प्रश्न और है कि क्या जब बाजरा हमारे ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बाजरा खरीदोगे कि नहीं ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके घोषणा पत्र में है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। बैठिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पांच साल में आपने बाजरा नहीं खरीदा। हम खरीदेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, वह जवाब दिलवायें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठोगो तो दिलवाऊं न। सब खड़े हो गये तो कोई उत्तर नहीं आयेगा। बैठिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपने मांग ही नहीं की, खरीदने की मांग ही नहीं की। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मेरे को यों करने की जरूरत नहीं है। आसन का सम्मान नहीं करते हो। मेरे को भी आता है सम्मान करवाना। मैं सिखा दूंगा। मैं सम्मान कराना सिखा दूंगा। बैठिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जवाब तो सुनो। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष जी, जब हम विपक्ष में थे तो यह प्रश्न पूछा गया कि बाजरा खरीद के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की, तो जवाब आया कि राजस्थान सरकार तत्कालीन ने कोई कार्यवाही नहीं की। हमारे मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए हमेशा प्रयास किये हैं।

**सदन कूप में**

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)**

श्री अध्यक्षः नो। मैं आप पर कार्यवाही करूंगा। माननीय सदस्य। इनको निकालने का प्रस्ताव लाओ। जो होगा, देखेंगे। एक-दो को निकालूंगा तब अक्ल आयेगी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमारी सरकार किसानों के लिए हमेशा तत्पर रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हो, चाहे हमारे किसानों को बिजली कनेक्शन देना हो, सरकार तत्पर है आप लोग जवाब से भागना चाह रहे हो। 15 साल आपके मुख्य मंत्री रहे, आपने खरीदा कभी बाजरा? 15 साल आप रहे। ...(व्यवधान)... तब तो नहीं की ...(व्यवधान)... पांच साल में आपने। हमारी सरकार जिस तरह गेहूं का

समर्थन मूल्य किया है, श्री अन्न के लिए कटिबद्ध है। श्री अन्न योजना का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किया तो हमारी सरकार ने किया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी, दो मिनट। प्रश्न काल समाप्त। आप कुछ कहें। कोई नहीं बोलेगा।

**Kas/rtm/26.07.2024/12.00/1g**

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन है, सदन में प्रश्न-उत्तर आवश्यक है। अगर प्रश्न किया है, तो उत्तर सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिये। हम अगर किसी की तरफ एक अंगुली करते हैं, तो चार अपनी तरफ होती हैं। प्रश्न पूछा गया कि बाजरे की कितनी खरीद की गई? मैं कहना चाहता हूं कि बाजरे की फसल अभी आने वाली है, सरकार बनने के शायद यह पहली फसल होगी, लेकिन इस बात का भी विचार करना चाहिये कि पिछले पांच साल में हमने उसमें कितनी खरीददारी की। मंत्री महोदय का जवाब पूरा सुनने के बाद आपका पूरक प्रश्न आता है, पहले मंत्री जी का पूरा जवाब आप सुनिए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आगामी बाजरे की फसल के लिये केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा है और हमें आपकी सरकार के समय में एक जगह नहीं, हमें कई जगह धरना देना पडा, क्योंकि हरियाणा के किसान को, गुजरात के किसान को, एम.पी. के किसान को, यू.पी. के किसान को उसके बाजरे का 2300 रुपये मिला और हमारे किसानों का बाजरा 1400 रुपये और 1500 रुपये में बिका था। अगर आप इस बात को कहते हैं कि किसान को धोखा किसने दिया, यह भी सुनिश्चित होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था, हमने सुना है। हमारी सरकार जो कुछ कहेगी, वह करके दिखायेगी। राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जवाब स्पष्टता पूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिये लाभ भी देगी।

**अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन**

**निर्देशों के पश्चात् भी सदन कूप में प्रवेश करने वाले माननीय सदस्यों का सम्बन्धित मंत्री संज्ञान लें व आवश्यक होने पर कार्यवाही प्रस्तावित करें**

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल हो गया। मुझे भी कोई व्यवस्था देनी है, फिर आप बोलना, आपको बुलाऊंगा। दो मिनट, मुझे कुछ कहना है। मैं सभी माननीय सदस्यों से बार-बार रोज आग्रह कर रहा हूं कि वैल में ना आएं। आज जो भी वैल में आएं हैं, माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि उसका संज्ञान लें और उसके बाद आवश्यकता पड़े तो आप उनके लिये प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बोलिए आप।

## तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपा रखो, नाराज मत हों। निवेदन इतना सा ही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आप पधारे, अच्छा लगा आप सदन में आये। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, बैठे-बैठे बोलने की इजाजत आपने दी है क्या? आज आप सदन में आये, अच्छा लगा। भैरोंसिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो वे हमेशा सदन में बैठते थे। अगर मुख्य मंत्री सदन में आते हैं तो सदन की गरिमा भी बनती है। आज आप आये और आपने देखा भी कि हम कोई आपके मंत्रियों पर कोई लांछन नहीं लगाना चाह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि मंत्रियों के उत्तर आपको सुनने चाहिये, तो हम सुन रहे हैं। हम यह भी चाहते हैं कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हमने लगाया है, उसका आंसर हमें मिले, घुमा-फिरा कर उसका जवाब ना दें।

आज बाजरे की खरीद की जो बात है, माननीय प्रधान मंत्री जी इसको लेकर चिंतित हैं, श्री अन्न की इसको उपाधि दी है। आपके खुद के घोषणा पत्र में यह था कि हम बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे और उसी को लेकर माननीय सदस्या प्रश्न लगा रही हैं। यह पहला प्रश्न नहीं है, इससे पहले भी लगे हैं, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही है। हम तो यह चाहते थे कि मंत्री जी का जवाब आये कि हमारे घोषणा पत्र में है और हम अबकी बार बाजरे की खरीद शुरू करेंगे। आप कह रहे हो कि हम किसानों की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम भी मदद कर रहे हैं। आपने गेहूं के समर्थन मूल्य 2700 रुपये की कही, आप सवा सौ रुपये ही बढ़ा पाये, 2700 नहीं किया और जो गेहूं की खरीद हुई, ...(व्यवधान)... वह प्रतिवर्ष का कहा था, एक वर्ष निकल गया। आप बीच में मत बोलिए, प्लीज।

श्री अध्यक्ष: तरीका तो आपका भी सही नहीं था, तरीका आपका भी सही नहीं था वैल में आना। तरीका मुझे मत बताओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अब जो खरीद हुई, वह भी पिछली साल के मुकाबले चौथे हिस्से की ही हुई। हमने लगभग 20 लाख टन खरीद की, आपने 5 लाख टन की ही खरीद की। बाजरे के लिये ही डिमांड है, आप आश्वस्त कर दें कि बाजरा खरीद लेंगे। नहीं खरीद पाएं तो भी आप बता दो, हमें तो कोई जबरदस्ती है नहीं कि हम कोई ट्रेक्टर भर कर लेकर ही जा रहे हैं। आज अगर आप घोषणा कर देंगे तो राजस्थान का किसान खुश होगा। अच्छी बारिश हो रही है और इधर सरकार भी बरस जाये तो राम भी राज़ी और राज भी राज़ी, किसान की मौज हो जायेगी, मैं तो यही निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आंकड़ा गलत बताया है। गेहूं में हमने इस साल 12 लाख मैट्रिक टन खरीदा है। जो आपने गत वर्ष खरीदा, उससे तीन गुना ज्यादा खरीदा है। आप आंकड़े के साथ आकर बात करना।

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 ...(व्यवधान)... हो गया, नो। अनुदान की मांगों पर विचार व मतदान। श्री झाबर सिंह खर्रा। ...(व्यवधान)... आपका कोई पूरक प्रश्न नहीं है। बैठिए, बैठिए, अंकित नहीं, अंकित नहीं। माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछना, आपका जवाब दिलाऊंगा। बैठिए, यह काम्पीटिशन नहीं होगा। इस विधान सभा को पब्लिक प्रजेंस रखने का प्लेटफार्म मैं नहीं दूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बैठिए। कोई अंकित नहीं, कोई अंकित नहीं। आप बोलना शुरू करें।

**अनुदान की मांग**

**मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन की प्रस्तुति**

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,07,12,000/- (नवासी करोड़ सात लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

**(मांग संख्या 39 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)**

**मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन की प्रस्तुति**

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,23,66,97,92,000/- (एक खरब तेईस अरब छियासठ करोड़ सत्तानवे लाख बानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

**(मांग संख्या 40 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)**

श्री अध्यक्ष: बहस प्रारम्भ हो, उसके पहले चूंकि आज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि डिमांड ऐसी है। क्या आज भोजन अवकाश को स्थगित कर दें तो कंटीन्यू रहे? और सबके भोजन की व्यवस्था यहां पर है। पक्ष और विपक्ष, दोनों स्वादिष्ट भोजन यहां ले सकेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, डिनर की भी करवा दो, लेट चलने की उम्मीद है।

श्री अध्यक्ष: आज वह भी करेंगे।

विधायी कार्य। राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024। श्री कन्हैया लाल चौधरी।

**विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन**

**राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024**

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने

की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**msk/rtm/26.07.2024/1210/1h**

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विभाग को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब हम इस पर बहस शुरू करते हैं।

**सूचना**

**उदयपुर में शिक्षक की हत्या**

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है। उदयपुर के अन्दर एक एससी के शिक्षक का रात को तलवार से गला काट दिया गया। वहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिवार की कोई मदद नहीं हुई है। एक घंटे बाद तो पुलिस पहुंची है। ऐसी स्थिति प्रदेश की है तो मैं चाहूंगा कि सरकार संज्ञान ले और उस परिवार की मदद करे और आरोपियों को तुरन्त पकड़े।

एक छोटा-सा आग्रह आपसे भी है। आपने एक छोटी-सी व्यवस्था दी थी। जो उस दिन का वक्तव्य था, उस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाये। हमने परसों जो गृह राज्य मंत्री के लिए प्रश्न उठाया था, उसमें सरकार की तरफ से जवाब आना था, वह जवाब अभी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक। श्री श्रीचन्द कृपलानी। ...(व्यवधान)... अब हो गया, पहले स्लिप भेजें, किसकी इन्फार्मेशन देने वाले हैं? ऐसा नहीं, पहले स्लिप भेजें, फिर मैं अनुमति दे दूंगा।

**मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन व**

**मांग संख्या 40 - स्वास्थ्य शासन विभाग पर विचार**

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39-नगरीय विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40 - स्वास्थ्य शासन विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों से जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रशासन शहरों के संग अभियान के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया। विकास कार्य अवरुद्ध हो गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात मेरे सामने बैठे हुए लोगों को कहना चाहता हूं, धारीवाल साहब।

**आबाद शहरों को बर्बाद कर दिया तुमने,**
**शहरों का यह मंजर हर किसी ने देखा है।**

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आये छह-सात महीने हुए हैं। उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने पांच साल तक राजस्थान पर राज किया। मैं इसमें एक-एक चीज बता सकता हूं। यहां पर धारीवाल जी भी बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने घोषणाएं कीं, फर्जी शिलान्यास किये। कई जगह कुछ काम नहीं हुआ तो उद्घाटन भी कर दिये। कई संस्थाओं से ऋण लेकर, उनसे जो राजनीतिक लाभ मिल सकता था, इन्होंने कुछ कार्य करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम निकला कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से जो एसएफसी और टीएफसी व अन्य जो अनुदान आता है, वह निदेशालय स्तर से कटौती शुरू हो गयी है। राजस्थान में छोटी-छोटी नगरपालिकाएं हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय जयपुर लेवल पर कटौती शुरू कर दी और उसकी वजह से राजस्थान की छोटी-छोटी नगरपालिकाएं थीं, वे कंगाल होने की स्थिति में आ गयी हैं, धारीवाल साहब आपके राज में। इसी वजह से आज राजस्थान की उन नगरपालिकाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हमने चार-चार करोड़ रुपये छोटी-छोटी नगरपालिकाओं को विकास के लिए दिये थे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अपनी जगह पर बैठें। एक ही जगह पर चार-चार बैठे हैं, यह ठीक नहीं है। आपको सब लोग देख रहे हैं। ...(व्यवधान)... व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं। आप पर्ची भिजवा दें, इनको बोलने दें। आपके सदस्य बोल रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होगा कि जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज था, उस समय हमने जयपुर शहर को सुन्दर बनाने के लिए, सौंदर्यकरण के लिए, यहां पर दुर्गंधयुक्त अमानीशाह नाला था, धारीवाल जी, आपको भी ध्यान होगा, हमने 1700 करोड़ रुपये लगाकर वहां द्रव्यवती नदी के नाम से सौंदर्यकरण किया, पार्क बनाया, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था की। उससे विकास को गति मिली, लेकिन आपने पांच साल में उस जयपुर शहर की द्रव्यवती नदी की क्या स्थिति की है? आप यह वहां पर देख सकते हैं। दुर्गंध मार रही है और आपने जयपुर का सत्यानाश कर दिया। हमने हर नगरपालिका में फायर ब्रिगेड दिये, जहां पर आवश्यकता थी। हमने भर्ती की। इन्होंने पांच साल में कुछ भी नहीं किया। जयपुर में रिंग रोड बना हुआ है, आपने देखा होगा। यह रोड किसने बनाया?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हमने बनाया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने नहीं बनाया। यह रिंग रोड भारतीय जनता पार्टी के राज में बना है। हम इसके लिए नेशनल हाई-वे और विशेष रूप से नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी तालियां बजाएं। हमने उनसे रिक्वैस्ट की और उसमें 900 करोड़ की लागत से। आपने तो उस काम को अधूरा छोड़ दिया। थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अब हम उस काम को करेंगे, ये झाबर सिंह खर्रा साहब करेंगे। ...(व्यवधान)... कमाने की बात

तो मैं अब बताता हूं।

स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हिन्दुस्तान की सराहना पूरे विश्व में की गयी। राजस्थान में स्वच्छ भारत अभियान भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में शुरू हुआ था। धारीवाल साहब, उस अभियान का सत्यानाश आपने कर दिया। शहरों की क्या ग्रेडिंग है, यह आपको अच्छी तरह से पता है। आज मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, मैं जब मंत्री था, उस समय खुद इंदौर जाकर आया। वहां पर और यहां पर हम फर्क देखते हैं तो लगता है कि राजस्थान में पिछले पांच साल के राज में स्वच्छ भारत अभियान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। मैं हमारे मंत्री जी को निवेदन करुंगा, इन्होंने पूरा काम द्वेषतापूर्वक इसलिए किया, क्योंकि उस अभियान के नाम के साथ हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ था। इन्होंने उस काम को रोक दिया और आज हमारे मंत्री जी उस काम को वापस शुरू कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में जेडीए द्वारा और अन्य नगरपालिकाओं के द्वारा, आपने एक बहुत अच्छा काम किया, बिल्डिंगों को सील करने का। सील के पीछे कितनी डील की होगी, यह आपको पता होगा। डोटासरा जी, अगर अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को टूटना चाहिए। सील करके, थोड़े दिन बाद सील खोलने का मतलब यह है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आप पर सीधा-सीधा आरोप लगा रहा हूं कि इस जयपुर और राजस्थान में ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं, जिन पर जयुपर में अवैध निर्माण हुआ है, उन पर आपने सील लगायी, थोड़े दिन बाद राजनीतिक प्रेशर से या डील करके उसको खोल दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय झाबर सिंह खर्रा साहब से निवेदन करुंगा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपकी जानकारी में यदि डील है तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको एसीबी में देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जाएंगे, वह भी जाएंगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी तक क्यों नहीं गये?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जाएंगे और सब जेलों में भी जाएंगे, जिन्होंने पैसा खाया है। किसी को नहीं बख्शेंगे। आपने क्या किया, जयपुर को, जोधपुर को, कोटा को, टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यदि आप परमिशन दें तो मैं अध्यक्ष जी से एक बात बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कृपलानी जी मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है, वह आप ठीक कर सकते हैं। इनको मंत्री नहीं बनाओ, लेकिन मंत्री वाली सीट पर बैठा दें, ये ढंग से बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब आप दोनों के लिए सुरक्षित करेंगे। आप इधर नहीं आ पा रहे हैं, मेरा भी दोष नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, जैसा दर्द मेरे को है, वैसा ही दर्द

इनको है कि इनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया है। जूली साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको विपक्ष का नेता बनाएं। क्योंकि जूली साहब को तो आप बोलने नहीं देते हैं। ये भले आदमी हैं, खड़े नहीं होते, आप खड़े हो जाते हैं। पहले तो यह तय करें कि विपक्ष का नेता कौन है? उसको बार-बार हाइजेक कर लेते हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ये प्रदेश अध्यक्ष हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): लेकिन ये विपक्ष का नेता बनना चाह रहे हैं। आपको पता नहीं है।

**(समय: बजे)**

**(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)**

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): ये नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं।

श्री सभापति: शान्त रहें, बोलने दीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों शहरों के टुकड़े क्यों किये गये? दो नगर निगम क्यों बनाये गये? सिर्फ इसलिए बनाये गये कि कांग्रेस पार्टी, एक नगर निगम रहता है तो ये चुनाव जीत नहीं पाते। इन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर दो टुकड़े किये।

**mdp/rtm/26.07.2024/12:20/1j**

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अगर इसी वजह से दो बनायी कि दो बनाने पर हम जीत जाएंगे तो आप यह देखिए कि जोधपुर में भी एक हम हार गये, एक जीत गये। जयपुर में भी एक हम हार गये, एक जीत गये, लेकिन कोटा में दोनों जीत गये। ...(व्यवधान)... मतलब आप जो बात कहना चाहते हैं, वह तो गलत हो गयी।

श्री सभापति: बोलने दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति जी, आज राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब को और हमारी वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दिल से दे रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बिलकुल दिल से। इन्होंने हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के शहरी विकास के सपने को साकार करते हुए राज्य के निकायों को संबल देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। शहरी यातायात के लिए इन्होंने 500 इलेक्ट्रिकल बसें देने की घोषणा की है। स्ट्रीट वेंडर्स को संबल देने के लिए मुख्य मंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना प्रारम्भ हो रही है। निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एसएफसी ग्रांट को 6.75 से 7 परसेंट कर दिया है, इससे निश्चित रूप से निकायों का विकास होगा। विशेष रूप से निकायों में जन-प्रतिनिधि हैं, उनको जो वेतन-भत्ता मिलता है, मानदेय मिलता है, उसमें दस परसेंट की वृद्धि की है। मैं मुख्य मंत्री जी को और हमारी डिप्टी सी एम वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत

धन्यवाद देता हूं।

बीस से अधिक नगरपालिकाओं का गठन किया गया। पाली, भीलवाड़ा को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आपने नगर पालिकाएं कैसी बनायीं, आपको पता है? दस हजार की आबादी नहीं वहां नगरपालिका आपने बना दी।

श्री सभापतिः आप इधर देखकर बोलिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप भी कोटा के ही हैं, एक ही बात है।

श्री सभापतिः सुन रहे हैं, आप तो बताइए। धन्यवाद, ये हमारी पारम्परिक वेशभूषा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, इन्होंने लाखों पट्टे दिए। इन्होंने पट्टे क्यों दिए?

श्री सभापतिः भगवा है साहब। सूरज का रंग भगवा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति महोदय, कल बाबाओं की जिस तरह से जय-जय हो रही थी, आपको लगा होगा कि इससे सुन्दर वेशभूषा नहीं हो सकती, इसलिए आपने आज ये धारण कर ली।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इन्होंने तुष्टिकरण की नीति की। जो अच्छी-अच्छी जमीनें थीं, कौड़ियों के दाम पर अपने लोगों को, संस्थाओं को इन्होंने भूमि बांट दी। सरकारी निजी भूमि की अवैध व अनियमित जमीनों पर इन्होंने पट्टे दे दिए। मैं खर्रा साहब को, हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पिछले दिनों विधान सभा में घोषणा की इस बात की कि जो गलत पट्टे दिये गये हैं, उनकी जांच करके कार्यवाही करेंगे और पट्टे भी निरस्त करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको शायद ध्यान नहीं है हमारे निम्बाहेड़ा में आपके दो तीन पार्षद जेलों में बंद है अभी पट्टों की वजह से। फर्जी पट्टे बनाये जिन्होंने। अभी बंद है। ये जो योग्य कदम उठाया, उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा समय का ध्यान रखें। समय सीमा इसमें तय कर दें ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। फटाफट यह काम हो जाए तो लोगों को राहत मिल जायेगी। मंत्री महोदय को मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अल्पकाल में नयी टाउनशिप पॉलिसी आपने लागू कर दी। नये भवन विनियम आदि का ड्राफ्ट प्रकाशित आपने कर दिया। इसके लिए आप सब भी धन्यवाद दीजिए इनको, क्योंकि इतने कम समय में ये काम नहीं हो सकता था। हमारे खर्रा साहब ने इस काम को किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नये विनियमों व नीतियों में गरीब वर्ग व आदिवासियों व अनुसूचित जाति के लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए। हम आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। हमारा उदयपुर हो, डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, चित्तौड़ हो, आदिवासी बहुल जिले हैं, जहां पर अधिकतर लोग अनुसूचित जाति, जनजाति के रहते हैं। इन योजनाओं में और जितनी भी आप स्कीम बना रहे हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इस गरीब

वर्ग को फायदा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे।

मंत्री महोदय, इस बात का भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि नगरीय निकाय, न्यास और प्राधिकरणों में वर्षों से जो, कांग्रेस के राज में संविदा पर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आपने रख रखा था, कांग्रेस के लोगों ने, अधिकतर कांग्रेसियों को लगा रखा था। राजनीतिक आधार पर संविदा पर उनकी नियुक्ति कर रखी थी। उनकी आपने छुट्टी कर दी और राजस्थान के सभी नगर निगम व नगरपालिकाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया आपने। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

धारीवाल साहब, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, पिछले पांच साल में आपने कुछ भी भर्ती नहीं की। जब हमारा पिछला कार्यकाल था पांच साल का तो हमने फायरमेन की भी भर्ती की, हमने हरिजन समाज की भी भर्ती की, हमने 18 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 18 हजार। विज्ञापन निकाला था, वह टुकड़ों में था। इन्होंने ने भी निकाला है सफाई कर्मचारियों का। आपने भी निकाली है भर्ती, सभापति महोदय, उसमें हुआ क्या? उसमें कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्टाचार करने में लगे। लोगों ने शिकायत की। हाइकोर्ट ने रोक लगा दी। एक भी भर्ती नहीं कर पाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको जो कद है, उसके मुताबिक भाषण कीजिए। हम सब सुनेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): देखिए डोटासरा जी, मेरा कद आपसे बड़ा है। मैं 1990 में एमएलए बन गया था। आप बहुत बाद में बने हैं। आप भले ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ): तभी सुन रहे हैं हम। अच्छा बोलेंगे, तभी सुन रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरा गला खराब है, नहीं तो मैं आप सबका इलाज कर देता। जुबेर खान जी क्या कह रहे हैं? जुबेर खान जी तो मेरे साथ रहे हैं।

श्री सभापति: आपका ध्यान भटका रहे हैं। आप तो विषय पर बोलिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माइक छोटा है, इसलिए आवाज कम आ रही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, हमने एक योजना प्रारंभ की थी। अन्नपूर्णा रसोई योजना। 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन। हम उस समय 400 करोड़ रुपये सब्सिडी दे रहे थे। आपने क्या किया? गहलोत साहब का राज आया। आपने योजना का नाम बदल दिया और अपनी दादी मां के नाम पर रख लिया इंदिरा गांधी रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना सही थी, नाम सही था, अन्नपूर्णा हमारी माता है। अन्न की माता कहते हैं अन्नपूर्णा माता को, लेकिन आपने इंदिरा जी के नाम पर रख दिया। हालांकि मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने वापस उसका नाम चेंज कर दिया अन्नपूर्णा रसोई योजना रख दिया और 450 ग्राम जो देते थे, उसकी जगह

600 ग्राम का आपने प्रावधान किया। 350 करोड़ सब्सिडी देने का काम किया, उसके लिए खर्रा साहब का और वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, जयपुर शहर में मेट्रो की सख्त आवश्यकता है। इतनी नहीं थी लेकिन पहले गहलोत साहब के राज में मेट्रो प्रारम्भ हुआ। उसके बाद वापस अभी कांग्रेस का राज आया। उस काम को रोक दिया गया। अभी मंत्री जी ने वापस इस मेट्रो को जो विस्तार करना है, क्योंकि पहले जब मेट्रो प्रारम्भ की थी, उसका रूट सही नहीं था। अब उस रूट को कैसे सही किया जाए, उसका विस्तार किया जाए, इसके लिए आपने कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी केन्द्र का बजट दिया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शहरों को विकास का केन्द्र मानकर विकसित करने के लिए कई प्रावधान इस बजट में किए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत बजट में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रधान मंत्री मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री, भारत सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान को भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो गरीबों के लिए शहरी आवास बन रहे हैं, उन शहरी आवास के स्थानों का चयन, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, उसकी जगह को जरूर देखा जाए। जहां जमीन उपलब्ध होगी, वहां तो बनाएंगे ही आप, लेकिन जहां पर बिजली की व्यवस्था हो सके, पीने के पानी की व्यवस्था हो सके।

**Ans/rtm 12.30 1k 26.07.2024**

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि उसकी जगह को जरूर देखा जाए। जहां जमीन उपलब्ध होगी वहां तो आप बनाएंगे ही, लेकिन जहां बिजली की व्यवस्था हो सके, पीने के पानी की व्यवस्था हो सके, सड़क की व्यवस्था हो सके, परिवहन की उपलब्धता हो सके, ऐसे स्थानों का आप चयन करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। मकानों के निर्माण के समय, निर्माण सामग्री और डिजाइन का भी आप पूर्ण ध्यान रखेंगे, मुझे इसका मुझे पूरा विश्वास है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जयपुर को हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने देखा होगा अभी गुजरात में वहां की सरकार ने गिफ्ट सिटी बनाई है। यहां के लोग गिफ्ट सिटी देखने जाते हैं तो उनको लगता है क्या गिफ्ट सिटी बनी है, जैसे सिंगापुर का नक्श है पूरा ही। विश्व के बड़े-बड़े जो खूबसूरत देश है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे झाबर सिंह जी खर्रा जो जयपुर को हाईटेक सिटी बना रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत सिटी बनेगी, जिससे शहरों के विकास की ओर हम अग्रसर होंगे।

पिछली सरकार में हम अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट लाए थे। उस समय रेरा का कानून भी हम ही लाए थे। उसके पीछे हमारा उद्देश्य था कि जो टाइटल है, वह टाइटल फ्लैट वालों को मिल जाए। आपकी सरकार में क्या हुआ, आपकी सरकार में जितने भी बिल्डर हैं, उनके दबाव में आकर आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसकी वजह से जो 40-50 लाख का लोन लेकर फ्लैट ले रहे थे, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करुंगा कि इसको वापस ठंडे बस्ते से निकालकर, उन गरीब लोगों को, जिन्होंने नौकरी में रहते हुए, लोन लेकर फ्लैट्स लिए, उनको फ्लेट्स पर अधिकार मिले, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, अभी तो बहुत कुछ है बोलने के लिए है।

श्री सभापतिः समाप्त करे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अभी तो मुझे एक घंटा बोलना है।

श्री सभापतिः समय पर पूर्ण करे। शीघ्र पूर्ण करे, वक्ता बहुत हैं। कन्क्लूड कर दे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमने, पिछली सरकार ने एक लैंड पूलिंग एक्ट लागू किया था, लेकिन उस लैंड पूलिंग एक्ट को भी आपने समाप्त कर दिया। शून्य कर दिया। उसमें कोई काम नहीं हुआ। केवल भू-व्यवसायी, जो बिल्डर है, जो भू-माफिया है, उनका काम कांग्रेस के राज में पांच सालों में हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, मैं धारीवल साहब पर आरोप नहीं लगा रहा। पांच साल के बारे में अगर राजस्थान के किसी भी व्यक्ति से पूछे, फाइलें कहां पड़ी रहती थी, फोन किस का आता था, उस फाइल पर दस्तखत कैसे होते थे, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कितना करप्शन उस समय हुआ है। मैं समझता हूं आप बुजुर्ग है, आपके बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं है। राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आने के बाद और खर्रा साहब के यूडीएच मंत्री बनने के बाद, किसी के माई के लाल की ताकत नहीं हुई कि सात महीने में एक रूपये का आरोप भी हमारे यूडीएच डिपार्टमेंट पर लगा दे। लगातार आपके बारे में जो चर्चा चल रही थी, समाप्त हो गई है1

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करुंगा कि नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे आवासों की योजना हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड मकान बनाता हो, उसमें किसानों की जमीन अवाप्त की जाती है। आज भी राजस्थान की सरकार के पास, इनके डिपार्टमेंट के पास, ऐसे हज़ारों- सैकड़ों केस होंगे, जिनका किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन में हम उस समय 25 परसेंट मुआवजे की राशि देते थे। कांग्रेस के राज में उसको 15 परसेंट कर दिया। अभी खर्रा साहब, आपने शायद वापस 25 परसेंट कर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। किसानों को 25 परसेंट मुआवजा मिलेगा।

श्री सभापतिः विराजे। विराजे साहब, विराजे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने 15 परसेंट कर दिया था ...(व्यवधान)... रिकार्ड में है।

श्री सभापति: श्री शान्ती धारीवाल जी। धारीवाल साहब, प्रारम्भ करें साहब।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, इन्होंने 50 नवीन नगरपालिकाओं का गठन किया। आप मुझे यह बताइये, आपने जो 50 नगरपालिकाएं बनाई, धारीवाल साहब, आपने वहां क्या-क्या व्यवस्थाएं की? वहां ना तो बाबू है, ना ईओ है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था है, ना आपने कोई आर्थिक सहायता की। हालत यह है कि नरेगा के काम चल रहे थे वह भी पंचायतों को, नगरपालिका कर दिया। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कई नगरपालिकाएँ तो आपने ऐसी बनाई, आपने नोर्म्स छोड़कर 10 हजार से छोटी नगरपालिकाएं बना दीं।

श्री सभापति: विराजें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आज उन नगरपालिकाओं के पक्ष में लोग नहीं है। सारे लोग परेशान है। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हमारा शासन वापस कैसे आए।

श्री सभापति: विराजे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, अभी तो बोलना है।

श्री सभापति: समय हो गया। माननीय शान्ती धारीवाल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: हो गया साहब। बहुत बड़ी लिस्ट है। आप विराजे साहब। आज 60 से ऊपर वक्ता हो रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): शहरी रोजगार में 100 दिवस को आपने 125 दिन किए, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजे, प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मेरा निवेदन सुन लो। लास्ट में एक ही बात कहूँगा। कांग्रेस के पांच साल के राज में..

श्री सभापति: कन्क्लूड कर दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कोटा, जोधपुर, उसके अलावा आपको कोई नजर ही नहीं आया। ...(व्यवधान)... आपने 2600 करोड़ रुपये लगाए और 750 करोड़ रुपये का कर्जा आज भी कोटा में बाकी है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अभी 750 करोड़ का कर्जा बाकी है। आपने जोधपुर और कोटा के विकास के लिए जो पैसा लगाया, 750 करोड़ का कर्जा अभी भी बाकी है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बिलकुल नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपको जानकारी ही नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने महंगाई राहत कैम्प लगाए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप मुझे लिखकर दे दो, मैं आपको जवाब दे दूंगा कितना कर्जा है, कितना हम छोड़कर गए हैं। कोरे टप्पे मत मारो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): महंगाई राहत कैम्प में जितने भी कैम्प लगे, उन सारे कैम्प में कांग्रेस के लोगों को बिठाकर टेंट लगवाए गए। करोड़ों रूपये का उसका भुगतान किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री सभापति: विराजिए। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने करोड़ों का भुगतान किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। आप वरिष्ठ सदस्य है। आपको जितना समय दिया, उससे ज्यादा समय दे दिया। विराजिए साहब। विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): करोड़ों का भुगतान करने के बाद एक रूपये का फायदा राजस्थान की जनता को नहीं मिला।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अभी तो हाउसिंग बोर्ड बाकी है साहब।

श्री सभापति: हो गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हाउसिंग बोर्ड का कुछ हुआ ही नहीं।

श्री सभापति: काफी चीज़ें आ गईं, विराजिए। प्लीज, विराजिए। माननीय शांति कुमार धारीवाल जी। आप प्रारम्भ करे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ये बैठें तो सही।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं एक-दो सुझाव दे दूं।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमारी नगरपालिकाएँ जो कमजोर है उनकी आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करें। हमारी निम्बाहेडा नगरपालिका को नगर परिषद बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। आज आसन की भी मजबूरी है कि मुझे अंकित नहीं, कहना पड़ेगा क्योंकि 60 से भी ऊपर सदस्य हैं, जो आज अपनी बात कहेंगे। इसलिए समय, मर्यादाओं का, समय सीमा का पालन करें। शांति धारीवाल जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय शांति कुमार जी जब यहां बैठते थे तो हमको बिलकुल नहीं सुनते थे, फिर भी मैं आश्वस्त करता हूं आपको पूरा सुनेगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): देखिए ऐसा है गर्ग साहब, आपका कोई भी मंत्री बोलता है तो उसको बीच में मैं कतई डिस्टर्ब नहीं करता, और आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि

कृपया आप सुने तो सही।

श्री सभापति: कोई नहीं बोलेगा। साहब, आप बोलिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, मांग संख्या 39, पिछले सात महीनों में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसको उपलब्धि माना जा सके। सात महीने हो गए इस सरकार को। पूरे राजस्थान में एक काम बता दो, जो आपने इन सात महीनों में शुरू कर दिया हो। क्या किया, रिव्यू कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। रिव्यू कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, देखेंगे, डीपीआर बनने डाल दी, यह कर दी, वह कर दी, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। ...(व्यवधान)... गर्ग साहब।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप बोलिए। आपको नहीं कह रहा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): नगरपालिका संस्थाओं में, नगर विकास न्यासों में और जितने भी प्राधिकरण हैं, अब तो 5-6 प्राधिकरण हो गए, सब काम ठप्प पड़े हुए हैं। वहां कोई काम नहीं हो रहे।

**VPS-RTM-26.07.2024-12.40-1l**

दो-दो, तीन-तीन बार चीफ सैक्रेटरी साहब वहां पर दौरे कर आये और दौरे में बाकायदा उन्होंने हाज़िरी रजिस्टर भी चैक कर लिया, फाइलों के फोटो भी ले लिये पर नतीजा कुछ नहीं है। वह ही ढाक के तीन पात। सब काम बंद पड़े हुए हैं, असमंजस की स्थिति है। हमने प्रशासन शहर की ओर चलाया, प्रशासन शहर के संग का अभियान चलाया और उसमें दस लाख पट्टे बांटने का पूरे राजस्थान में उसका टार्गेट रखा लेकिन दस लाख के बजाए हमने तेरह लाख पट्टे बांटे, तेरह लाख। अब हमारे आदरणीय मंत्रीजी ने यह कहा कि साहब, कई फर्जी पट्टे बंट गये। बंटेंगे, बंटते हैं, बंटते आये हैं, पकड़ो। कितने पकड़े? 254 ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): वे जेलों में बंद हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कृपलानीजी, प्लीज। कितने पकड़े? 254 पकड़े। और पकड़ो, करो सस्पेंड +++ को जिसने पट्टा दिया है। कहां दिक्कत है और कौनसा ऐसा काम है जिसको आप शुरू करते हो और उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ नहीं पायी जाती? जब गड़बड़ पायी जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। एक्शन लो। कौन रोकता है आपको? लेकिन क्या पट्टे बांटना बंद कर दे? काम करना बंद कर दे अगर मान लो उस काम में गड़बड़ होती हो तो? छोटी-मोटी कोई गड़बड़ होती हो तो काम ही नहीं करें? तेरह लाख में से पकड़े कितने गये? केवल 254, खैर। नाम हस्तांतरण किये गये लाखों, सब-डिवीजन किये गये, सब-डिवीजन के साथ-साथ आपके बिल्डिंग प्लान पास किये गये। लाखों बिल्डिंग प्लान पास हुए उस अभियान के दौरान तो कितनी बड़ी राहत यहां के लोगों को, यहां के निवासियों को मिली? जिस मकान में वह वर्षों से रह रहा है अगर उसका पट्टा उसको मिल जाता है, मालिकाना हक मिल जाता है तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है।

इसी के साथ-साथ इस अभियान के दौरान, जैसा कि आप कह रहे थे कि चार करोड़ रुपया हमने नगरपालिकाओं को दिया। यह कृपलानी साहब ने फरमाया था। 7500 करोड़ रुपया नगरपालिकाओं की आमदनी हुई है इससे, प्रशासन शहर के संग अभियान से 7500 करोड़ रुपये की जिससे काफी डवलपमेंट वहां पर छोटी-छोटी नगरपालिकाओं ने, न्यासों ने, प्राधिकरण वगैरह सब ने किया, नगरपालिका संस्थाओं ने किया। यह हिस्ट्री है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा और मेरा दावा है कि आप आगे कर भी नहीं पाओगे, जो हमने कर दिया वह आप कर भी नहीं पाओगे।

अब कोई काम ही नहीं किया। आप यह कहते हो कि साहब, कोई आरोप मत लगाओ। नहीं लगाएंगे साहब, है भी नहीं आरोप, हम यह मानते हैं पर कोई काम करोगे जब आरोप आयेगा न। तुमने तो +++ कुछ किया ही नहीं, दादा भाई।

सबसे बड़ी बात तो यह थी, आपने भी इस बात को उठाया था कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। करना यह चाहिए था बजट में कि नगरपालिकाओं की आमदनी किस प्रकार से बढ़े, उनकी आय किस प्रकार से बढ़ सकती है क्योंकि सरकार देगी भी तो कहां तक देगी? चाहे आपकी सरकार हो या चाहे हमारी सरकार हो, फाइनेंस कमीशन से मिलता है तो कितना मिलता है? जितना मिलता आया है, वह मिलता रहेगा। जब तक नगरपालिकाओं की आमदनी आप नहीं बढ़ाओगे, जब तक वहां पर उस नगर का, चाहे वह नगर छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, किसी भी साइज का हो, उसकी आमदनी, वह नहीं बढ़ सकती।

कुल मिलाकर मेरा मतलब यह है कि पूरे राज्य में यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि इस विभाग में होगा तो क्या होगा? रिव्यू, रिव्यू करेंगे, जांच करेंगे, डी.पी.आर. बनने में डाल दी, बनाएंगे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि छोटी-छोटी चीजों के लिए, सरकार ने सारे काम को अपने हाथ में ले लिये, सारे काम समेट लिये अपनी पोटली में, अब नतीजा क्या हो रहा है कि हर नगरपालिकाओं से, हर न्यास से, हर प्राधिकरणों से सरकार के पास कागज आ जाता है कि इसमें मार्गदर्शन दीजिए और मार्गदर्शन दे कौन? एक भी मार्गदर्शन का जवाब वहां पर नहीं पहुंच रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, आप जिस विधान सभा क्षेत्र से आते हो न, माननीय सभापति महोदय, कोटा दक्षिण नगर निगम से, वहां का चेयरमैन हमारे द्वारा बनाया हुआ था। वहां का चेयरमैन जो था, जब इलेक्शन हुआ तो हमारा आदमी था। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: महापौर।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वह चुनाव के बाद में आपके साथ हो गया आदमी, लोक सभा के चुनाव के टाइम पर। कांग्रेस से उसने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो प्रतिपक्ष का नेता भी बी.जे.पी. का और चेयरमैन भी बी.जे.पी. का ही है। उसके मार्गदर्शन मांगने के लिए चार कागज यहां पर आ गये कमिश्नर के द्वारा कि साहब, मार्गदर्शन दो कि क्या करें? एक ही पार्टी के दोनों थोड़े ही होते हैं? मेयर भी बी.जे.पी. का और प्रतिपक्ष का

नेता भी बी.जे.पी. का। चार कागज भेज दिये कमिश्नर ने, रोज लट्ठ-मृदंग हो रहे हैं वहां पर। आपकी विधान सभा क्षेत्र का मामला उठाया है मैंने लेकिन साहब, यहां से मार्गदर्शन नहीं गया आज तक। आज तक मार्गदर्शन नहीं गया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): दर्शन तो हो ही रहे हैं।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था दी जाय।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): व्यवस्था नहीं दे पाएंगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, केंद्रित कर ली। अब अफसर करे तो क्या करे? वे मन मसोस कर रह जाते हैं कि यह काम पहले हमारे जरिए जल्दी-जल्दी हो जाता था, अब हो ही नहीं सकता, अब हम क्या करें? जवाब यह मिल जाता है। डम्प पड़े हुए हैं सारे, जितने भी कागज वहां से मार्गदर्शन के आते हैं, वे सारे डम्प पड़े हुए हैं। जितनी भी फाइलें आती हैं वह सब डम्प पड़ी हुई हैं।

अब आपने, यह कल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। माननीय मुख्य मंत्रीजी आज पधारे भी थे, बहुत अच्छा रहता अगर वे इस वक्त यहां पर रहते तो मैं उनको भी बताता। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में यह बहुत बड़ी न्यूज आयी है जिसमें आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का भी फोटो है और आदरणीय खर्रा साहब का भी फोटो है और खर्रा साहब का स्टेटमेंट भी है, बहुत लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट है, चार-पांच कॉलम का स्टेटमेंट है। विषय यह है कि राज्य में एक चुनाव हो। यह बजट में भी आ चुका है, दिया कुमारीजी ने बजट में भी बोला है कि एक राज्य में एक चुनाव, भाई, सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर यह सब सम्भव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इसके खिलाफ नहीं हैं अगर एक चुनाव होता है तो लेकिन हो नहीं सकता। इस बात को समझना चाहिए कि हम कहने के पहले उसको देखे तो सही कि यह सम्भव है या नहीं है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): धीरे बोलो आप। धीरे बोलो। आपकी उम्र ज्यादा हो गयी, आप धीरे-धीरे बोलो, इतनी तेज मत बोलो नहीं तो गड़बड़ हो जायेगी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जैसा बोलता आया हूं वैसे ही बोलूंगा लेकिन पानी के लिए तो बोलो, +++ पानी ला दें, भाई।

श्री सभापति: पानी ले आना। अच्छा, उम्र के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करेगा, अभी 19 साल घोषित करी है उन्होंने।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप संविधान के प्रोविजन्स को देखिये। हमारा संविधान क्या कहता है? उन प्रोविजन्स में क्या यह व्यवहारिक होगा कि आप एक चुनाव करवा दोगे? प्रोविजन के, आर्टिकल 243-E, जिसके अनुसार पंचायती राज और आर्टिकल 243-U, जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं का कार्यकाल न तो घटाया जा सकता और न ही बढ़ाया जा सकता।

**SSY/RTM/26.07.2024/12:50/1m**

कैसे घटा दोगे आप? एक नगरपालिका अगर 5 साल के लिए बनी हुई है और आपने तय कर लिया कि हम तो दिसम्बर में सब नगरपालिकाओं के एक ही बार में चुनाव करायेंगे और उसके तो कुल मिलाकर अभी 3 साल ही हुए हैं, 5 साल भी नहीं हुए तो उसको कैसे हटा दोगे? किस कानून में हटा दोगे? यह तो बताओ। एक तरीका है कि आप उसको डिजॉल्व कर दो। लेकिन डिजॉल्व करने के बाद में भी क्या होगा? अगर उस नगरपालिका को डिजॉल्व करते हो तो आपको 6 महीने के अन्दर-अन्दर उस नगरपालिका के दुबारा चुनाव कराने पड़ेंगे और चुनाव कब तक के लिए होंगे? जितना उसका रिमेनिंग पीरियड था, 2 साल जो बचा हुआ था, वह सिर्फ 2 साल के लिए होगा। 2 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं रह सकता।

एक बोर्ड का टाइम खत्म होता है, संविधान कहता है कि उसके पहले दूसरे बोर्ड का इलेक्शन हो जाना चाहिए। क्या संविधान बदल दोगे?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): तैयारी तो कर ही रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 400 पार।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): वह 400 पार नहीं हुए नहीं तो बदल देते।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): इमरजेंसी में क्या हो गया था?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): खर्रा साहब, मेरी उम्र 81 साल की है। मैं सुनता भी कम हूं तो आप जो भी बोले तब अपने जवाब में बोल देना। वह ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं पूरा अच्छी तरह से इस पर सुन लूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पानी पीओ आप पहले तो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): पानी पिलायेंगे आप लोंगो को अभी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अभी तो हम पिला रहे हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप किसी का कार्यकाल जब तक उसका पूरा नहीं हो, तब तक कोई चुनाव नहीं करवा सकते। डिजॉल्व ही एक रास्ता है। डिजोल्यूशन भी कब करोगे? जब या तो उसमें भ्रष्टाचार पाया जाये, या नगरपालिका के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों की वह नगरपालिका पूरी पालना नहीं कर रही हो तो डिजोल्यूशन करोगे। वह भी कब करोगे? जब उसको सुनकर आप उसका फैसला करोगे। अपने आप नहीं कर सकते कि फाइल पर आपने लिख दिया कि इसको डिजॉल्व किया जाता है। यह नहीं होगा।

अगर नगरपालिका का चैयरमैन मैं हूं तो मुझे बुलाना पड़ेगा। मुझे बुलाकर मुझे सुनना पड़ेगा। सुनकर के फिर फैसला करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते। यही प्रोविजन, सेम प्रोविजन नगरपालिका एक्ट जब 2009 में हमने बनाया था, तो उसका सेक्शन 7 और सेक्शन 11 में रखा था। पंचायत राज के एक्ट में भी जो 2013 में बना था, सॉरी जो 1994 में बना था, उसका भी सेक्शन 17 यही कहता है, सब नगरपालिकाओं का कार्यकाल, नगरपालिका संस्थाओं का, नगरपालिका ही नहीं, नगरपालिका के बाद नगर परिषद भी है,

नगर निगम भी है, सभी हैं। कार्यकाल किसी का एक महीने, एक साल का बचा है, किसी का 2 साल का बचा है। किसी का 3 साल का बचा है। चाहे किसी का 4 साल का बचा है। यह किसी हालत में संभव नहीं है।

रिमेंडर पीरियड के लिए ही चुनाव होगा। सबसे बड़ी बात यह है। 5 साल के पीरियड के लिए चुना गया है, 3 साल बाद आप उसको डिजॉल्व करते हो तो अगला चुनाव सिर्फ 2 साल के लिए होगा। सबसे पहले तो आपको यह करने के लिए संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। संविधान को हाथ में लेते ही तो आपने देख लिया, मई के चुनाव में देश ने क्या किया? राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखा-दिखा करके आपको 240 पर ला दिया। इसलिए कतई सोचना भी मत। वरना 5 साल भी पूरे नहीं कर पाओगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम के मामले में 5 जजो की संविधान बेंच ने, संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था। यह फैसला है मेरे पास। पूरा फैसला है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप इनके सलाहकार के रूप में भाषण दे रहे हो कि विधायक के रूप में। आप इनको सलाह दे रहे हो?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सुझाव भी देना पड़ता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): राज्य को सरकार चलाती है, लेकिन प्रतिपक्ष का दायित्व भी बनता है कि वह सुझाव भी देता है।

श्री सभापति: आप तो बोलें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जहां गलत चल रहे हों वहां उनको सुधारने की कोशिश भी करे। मेरा यह निवेदन है कि आपने इतना बड़ा दे दिया कि हम स्पेशल सेशन बुला लेंगे। विशेष अधिवेशन बुलाकर इस मामले को पास कर लेंगे। यह अधिवेशनों से पास नहीं हो सकता है। अधिवेशन आप हजार बुला लो। कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस इरादे को छोड़ो, इधर-उधर की बातें करना छोड़ो और कुछ ना कुछ काम करके दिखाना चालू करो। व्यावहारिक बात करो। यह मूलभूत बात को देखकर के नकारो मत।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या कह रहे हो?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं यह कह रहा हूं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप टेबल कर दो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्यों?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): नहीं, मेरा स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है। आप मुझसे क्या

चाहते हो, मैं तैयार हूं। आप फिक्र ही मत करो।

आपने कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर पट्टे जारी कर दिये गये। यह तो संभावना रहती है। मैं मानता हूं इस बात को। नगरपालिकाओं में जिस प्रकार का स्टाफ बैठा हुआ है, नगर विकास न्यास में बैठा हुआ है, प्राधिकरणों में बैठा हुआ है, सबमें बैठा हुआ है, कई जगह इस प्रकार की बात होती है। लेकिन उसकी वजह से पट्टे बांटना बंद नहीं कर सकते। उसकी जब शिकायत आती है तो जांच कराते हैं। जांच कराइये, आप भी कराइये। करिये सस्पैंड, करो, बर्खास्त करो +++ को।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): असंसदीय बात बोल रहे हैं ...(व्यवधान)... +++ को क्या होता है?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): यह आदत पड़ गयी मुझे ...(व्यवधान)... कई इस तरह के ...(व्यवधान)... कृपलानी जी, आप तो मेरे मित्र हो ...(व्यवधान)... आप तो मेरे मित्र हो। आप एक बार यूडीएच मंत्री गलती से बन गये। कुछ जानकारी हासिल कर नहीं पाये उन दिनों में।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मिल लेते तो फायदा हो जाता।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं जो बोल रहा हूं उससे आप कुछ अपना ज्ञान बढ़ा लो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): लैंड मोरगेज की भी जानकारी है मुझे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इनके ऊपर से निकल रहा है सारा। बाई पास ही हो रहा है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): एक बात और मैं बता दूं आपको। आपको शायद जानकारी में नहीं होगा। पिछली सरकार में हमने एक कानून पास किया था। जयपुर विकास प्राधिकरण में भी किया। अजमेर विकास प्राधिकरण में भी किया। जोधपुर विकास प्राधिकरण में भी किया। नगर विकास न्यास के एक्ट में भी किया और नगरपालिका एक्ट में भी किया।

**Spp/Rtm/26.07.2024/13:00/1n**

उसमें यह किया कि अगर मान लीजिये कोई आदमी गलत तथ्य बताता हुआ पट्टा ले लेता है तो पहले कोई अधिकार नहीं था नगरपालिकाओं को, प्राधिकरण को, न्यास को उसको खारिज करने का। उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। सिविल कोर्ट से डिक्री लेनी पड़ती थी। हमने यहां पर बकायदा एक्ट में अमेंडमेंट किया और एक्ट में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट को इस बात की पॉवर दी कि गवर्नमेंट सीधे का सीधा उसको कैंसिल कर सकती है ऐसा तथ्य आते ही। बहुत बड़ी बात है। इसलिये आपको कोई दिक्कत नहीं आयेगी। आप तो देखो और देखकर यह लगता है कि यह पट्टा गलत पट्टा है तो सीधे का सीधा उसको खारिज करो। आपको अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है।

अभी यू.डी.एच. ने 12 जुलाई, 2024 को एक आदेश जारी किया कि अवाप्त जमीन के बजाय, जैसा कि आप कह रहे थे, कृपलानी साहब, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, आप माफ

करना। आपने कहा कि 25 प्रतिशत देने की थी और हमारे टाइम 15 प्रतिशत थी, ऐसा नहीं था। पहले 1998 के पहले 12 प्रतिशत जमीन दी जाती थी। जब 1998 में हमारी सरकार बनी, कुछ टाइम के लिये शायद आप भी एम एल ए बने थे 1998 में, याद आ रहा है? आपकी मेमोरी कम दिखाती है मुझे, वरना फटाफट हां भर लेते कि हां, मैं भी था। खैर, उस वक्त हमने 12 प्रतिशत तो 15 प्रतिशत कर दिया था कि 15 प्रतिशत मिलेगा। सरकार बदल गयी 2003 में और 2003 के बाद वसुन्धराजी की सरकार आ गयी। वसुन्धरा जी की सरकार ने फिर उसको 15 से 25 प्रतिशत कर दिया और 25 प्रतिशत आज तक चला आ रहा है। हमने भी 25 माना, उन्होंने भी 25 किया और हम भी 25 प्रतिशत मानते गये और 25 प्रतिशत आज भी मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमने उसमें तीन संशोधन किये थे। लैण्ड फॉर लैण्ड, अवाप्त की हुई जमीन के बजाय में आपको जमीन कहां देनी है। कहां देनी है, कितनी देनी है, किस कीमत की देनी है, क्या देनी है? यह सारा का सारा कानून हमने 01.06.2022 को सर्कुलर निकाल दिया था। उस सर्कुलर में तीन अमेंडमेंट हमने किये हैं बाद में। अब आपने क्या किया? उन तीनों अमेंडमेंट को शामिल करके उसका हूबहू वैसा का वैसा निकाल दिया और कह दिया कि हमने फैसला कर दिया है, कर दिया है, अब 25 प्रतिशत मिलेगा और लैण्ड फॉर लैण्ड का इस तरीके से मिलेगा। वही जमीन देनी पड़ेगी, वहीं सब करना पड़ेगा। पहले से ही सब बना हुआ है। उसको देखो आप।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आपके टाइम की लैण्ड फॉर लैण्ड की फाइलें गायब क्यों हो रही हैं आफिसों से?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ये गायब जो हुईं तो उनको आप पकड़ो। आपके पास पुलिस है। आपके पास एस ओ जी है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): इसलिये हुईं कि आपने जो अमेंडमेंट किया, उसको आपके अधिकारियों ने माना नहीं और 25-30 लाख रुपये बीघा के बदले 3-3 करोड़ रुपये बीघा वाली जमीन अलॉट हुई है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपको कौन रोक रहा है? आप उनको पकड़ो, कौन रोक रहा है? जो फाइलें गायब हुई हैं, पता तो लगे या कोरी बातें ही बातें कर रहे हो। पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। चार महीने से तो आज तक हम सुन रहे हैं। एक तो फाइल पकड़ाई में आयी नहीं। गायब भी हुई है या नहीं, यह भी पता नहीं है। या यूं ही आप हवा बना रहे हो। उनको पकड़ो, पकड़िये, आप मेहरबानी करके उनको पकड़िये। अच्छा है, पता लगेगा लोगों को।

श्री सभापति: कन्क्लुड करें माननीय सदस्य।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा जो सर्कुलर निकला है और जो हमने संशोधन किया, उसी को वैसा का वैसा करके और बता दिया कि हमने यह सर्कुलर निकाल दिया है और यह-यह कानून बना दिया। बने हुए कानून को बना

दिया।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हमने चालू की। देश में पहली योजना है कि उसमें शहरों में मनरेगा के जैसे आज रोजगार मिलता था। मनरेगा के जैसे रोजगार मिलता था और उसके लिये 800 करोड़ रुपया हमने रखा। आपने उसको घटाकर 400 करोड़ कर दिया। यह क्या दिखाता है? रोजगार और मंहगाई, ये दो तो जैसे कोई चुडैल आ गयी हो आपके सामने बस, वैसा हाल है। उसमें बल्कि यह भी किया कि मनरेगा में तो 100 दिन का ही रोजगार मिलता है, शहर के बेरोजगार को 100 के बजाय 125 दिन का मिलेगा।

आप इंदिरा रसोई की बात कर रहे हो कि 400 ग्राम के बजाय 600 ग्राम हो गयी। कुछ नहीं हुई। सुन लें मेरी पूरी बात। पूरी बात सुन लो। कोरी बातें ही बातें हैं। 9 महीने हो गये इंदिरा गांधी को अब तो अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा रसोई को चलाने वाले के 9 महीने से पेमेंट नहीं हुए। अब सुनिये आप बात। आप जो कह रहे थे कि पिछली बार हमने अन्नपूर्णा योजना चलायी थी, जिसमें पांच रुपये का नाश्ता मिलता था और आठ रुपये की थाली मिलती थी। याद है, कैसे मिलती थी? खुले में लाइन में लगते थे। हमने बिठाकर बकायदा जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाता है और कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उस तरीके से परोसगारी होती थी। ..(व्यवधान).. आप समझो, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरा ज्ञान तो बढ़ा हुआ है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना। कहीं चल रही है क्या देश में इस प्रकार की योजना, जो हमने चलायी? इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना में 50 हजार रुपये का लोन, बगैर ब्याज के, अपना बिजनैस बढ़ाने के लिये मिलते थे, यह हमने किया।

स्वच्छ भारत मिशन के लिये आपने कहा। स्वच्छ मिशन भारत में भी हमने 3 लाख 68 हजार घरेलू शौचालयों का निर्माण किया है पांच साल में और 22 हजार 447 सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया है और 184 शहरों के मास्टर प्लान बनाये हैं। मास्टर प्लान आप बनाकर के तो दिखाना, कैसे बनता है?

श्री सभापति: विराजें साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पिछले पांच साल में आपने कौनसा मास्टर बनाया है, जब आपकी सरकार थी? बोलो कालीचरण जी। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: आप विराजो साहब। कन्क्लुड हो गया।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कई प्रकार की नई-नई योजनाएं लाये। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: आप बिराजिये, आपका समय हो गया।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ऐसे क्या कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय?

श्री सभापति: आधे घंटे से ज्यादा हो गया। 30 मिनट का समय हो गया। ..(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी बाकी है। ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: आपका 30 मिनट का समय था, 30 मिनट बोल लिये आप।

..(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी तो मेरा आधा हुआ है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: इन्होंने आपको समय कम दिया है। श्रीमान कालीचरण जी सराफ। ...(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या बात कर हैं माननीय सभापति महोदय? ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: यह तो आपको देना है, मुझे नहीं देना।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जूली साहब, आप दे दो।

श्री सभापति: श्री कालीचरण जी सराफ। ...(व्यवधान)..

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जूली साहब, जरा टाइम बढ़वाओ। ..(व्यवधान).

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आगे एडजस्ट कर लेंगे। हमारा जो समय है, उसमें कर लेंगे एडजस्ट। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: ऐसे नहीं, एक बार हो गया। मेरी बात सुनिये, आपने लिस्ट दी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कृपलानी साहब भी तय समय से ज्यादा बोले हैं। हमारे भी एक नाम कम कर देंगे। एक नाम कम कर देंगे। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: देखिये, मैंने इनको भी ज्यादा बुलवाया है, जितना उनको बुलवाया है तो इनको 30 मिनट से ऊपर हो गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई नहीं, हमारे एक वक्ता कम कर देंगे, आप तो धारीवाल जी को बुला दो। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: हो गया साहब, काफी हो गया।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): देवनारायण आवासीय योजना बनायी। आपने देखा, मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कोटा आने का। आप देखिये, देवनारायण योजना जो हमने वहां पर बनायी है, जिसमें आज कम से कम 800 पशुपालकों के निवास स्थान बनाये हैं। दो-दो कमरों का मकान बनाया है, बाथरूम बनाया है, रसोई बनायी है, गोदाम बनाया है और शैड बनाया है उनके पशुओं को रखने के लिये। 60-60 फीट चौड़ाई की सड़कें बनायी हैं।

श्री सभापति: प्लीज विराजें। श्री कालीचरण जी सराफ। बिराजिये माननीय वरिष्ठ सदस्य। ..(व्यवधान).. आप बिराजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): उसको देखिये आप। आपने देखा फ्लाईओवर ऑक्सीजन पार्क, चिकित्सालय के नवीन ब्लॉक बनाये हैं और जलापूर्ति के लिये काम किया है। नगरपालिका और नगर न्यासों द्वारा हमने वह काम करवाकर दिया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। नवीन चौराहों का सौन्दर्यीकरण और ऑक्सीजन प्लांट बनाये हैं।

**MLS/RTM/26.07.2024/13:10/1o**

श्री सभापतिः विराजिये माननीय वरिष्ठ सदस्य।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): इसी तरीके से...

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अब मुझे आप पांच मिनट और दे दें।

श्री सभापतिः काफी समय बोल लिये आप। पांच मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बोलने वाले वक्ता बहुत हैं आज।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पांच मिनट दे दें बस मुझे।

श्री सभापतिः आज बोलने वाले 65 लोग हो रहे हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कितने ही बोलने वाले हों, देर तक चला लीजियेगा, लेकिन पांच मिनट दे दें।

श्री सभापतिः आप बोल लिये 30 मिनट।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): +++

श्री सभापतिः 30 मिनट से अधिक बोल लिये आप।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ट्रैफिक की समस्या को देखकर के आपने कुछ प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है।

श्री सभापतिः विराजिये, विराजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जो आपने प्रोजेक्ट की घोषणा की है, मैं मोटे तौर पर तो उसका स्वागत करता हूं कि आप फ्लाई ओवर बना रहे हैं, अच्छा है, सबकुछ है, लेकिन यह भी देखें कि यह जयपुर शहर पूरे संसार में किसलिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है अपने खुलेपन के लिए। चौड़े रास्ते, बिलकुल खुले हैं। हमने जवाहर लाल नेहरू मार्ग बनाया। वह बिलकुल खुला हुआ बनाया। खुलापन था उसका। विश्व प्रसिद्ध वह मार्ग बना है।

श्री सभापतिः विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्रीमान् कालीचरण सराफ।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): विराजें अब आप विराजें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापतिः श्री कालीचरण जी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं तो बोल लूं, पर ये बैठें तो सही।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब विराजें आप प्लीज। शान्ती जी, बैठें। साहब, अब ये बैठें तो सही। मेरे टाइम में काउंट मत कीजियेगा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापतिः पहले आपको टाइम मैंशन करना चाहिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापतिः अब ऐसे नहीं होता। मैंने 5 मिनट ज्यादा बुलवा दिया। विराजें, साहब। आप बोलिये, साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप विराजें।

श्री सभापतिः आप बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब क्या करें इनका?

श्री सभापतिः आप बोलिये, उनका अंकित नहीं हो रहा। आप बोलिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापतिः आप बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं बोल लूं, पर ये बैठें तो सही।

श्री सभापतिः वे तो बैठ जाएंगे, आप बोलना चालू तो करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): विराजें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, हमारे दो वक्ताओं का समय कम कर लीजियेगा।

श्री सभापतिः यह व्यवस्था पहले से ही मैंशन करी जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पहले से ही है हमारा समय। हमारी पार्टी का समय निर्धारित है। उस समय में से इन्हें समय देते हैं तो क्या दिक्कत है?

श्री सभापतिः आपकी पार्टी का समय है तो पहले से आप मैंशन करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा थोड़ी न होता है।

श्री सभापतिः यह लिखा हुआ है आपने, यह देखिये न आप।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमने कह दिया आपको, दो वक्ता कम कर देंगे। जो हमारा समय है, उसमें क्या दिक्कत है? यह तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई।

श्री सभापतिः पर यह अध्यक्ष जी की परमिशन के बिना सम्भव नहीं है। आप एक बार अध्यक्ष जी से व्यवस्था ले लीजिये। एक आदमी को आप पांच मिनट ज्यादा बुलवा लें, दस मिनट ज्यादा बुलवा लें, इतना तो ठीक है अपन चला सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। मेरी बात सुनिये आप, विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, दो मिनट मांग रहे हैं, दो मिनट आप दे दीजिये।

श्री सभापतिः आपको यदि बुलवाना है तो पहले से तय करके बुलवाइये, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तो दो मिनट का ही तो कह रहे हैं, कन्क्लूड कर रहे

हैं।

श्री सभापतिः 7 मिनट ज्यादा बुलवाया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बड़ा मन रखिये। आप भी कोटा के हैं, ये भी कोटा के हैं। थोड़ा कोटा बढ़ा दें।

श्री सभापतिः अब हो गया। अब बोल दिया। कालीचरण जी बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दो मिनट इतने में तो हो जाते।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं तो बोल लूं, ये बैठें तो सही।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दो मिनट करवा दें इनका। ऐसी क्या बात हो गयी?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापतिः हो गया, काफी विषय आ गये आपके।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापतिः विराजिये। माननीय कालीचरण जी सराफ।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप बैठाएं न, साहब, इन्हें।

श्री सभापतिः आप तो बोलिये, माइक चालू है आपका।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बैठें, बैठें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापतिः विराजें, विराजें। आप बोलिये साहब।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बैठें। बैठें, धारीवाल जी।

श्री सभापतिः आप प्रारम्भ करें साहब।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं तो तैयार हूं, पर ये बैठें तो सही।

श्री सभापतिः कोई बात नहीं, आप तो बोलिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बैठें, आप बैठें।

श्री सभापतिः आप बोलें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये बैठें तो सही।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन और मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन, इन पर चर्चा चल रही है। मैं भी अपने आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। हमारे कोटा उत्तर से आने वाले वरिष्ठ सदस्य ने अभी यह कहा कि 7 महीने आपकी सरकार आये हो गये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, क्या है यह? इन्हें बैठाइये।

श्री सभापतिः आप बोलें। आप तो अपनी बात कहिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इन्होंने यह कहा कि आपकी सरकार आये 7 महीने हो गये। मैं आपको कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार में जितने 5 साल में काम नहीं हुए, उतने हमारे 5 साल के कार्यकाल में निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वह करती है और जो करती है, वही कहती है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप विराजें, विराजें।

श्री सभापतिः आप तो इधर बोलें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बिलकुल, बिलकुल, आपके भी करेंगे। बैठें आप। विराजें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री सभापतिः माननीय, आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरा टाइम जाया हो रहा है।

श्री सभापतिः मैंने जिनको अनुमति है, सिर्फ उनका ही अंकित होगा, इसके अलावा कुछ अंकित नहीं होगा। आप बोलिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): विराजें। अब बैठें, बैठें। हो गया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बोलिये। उनका अंकित नहीं हो रहा है। आप तो इधर देखिये और बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार जो बजट हमारी वित्त मंत्री दीया कुमारी जी ने जारी किया है, उनमें जयपुर शहर के लिए जिस प्रकार के ओवरब्रिजेज, सड़कें, मैट्रो रेल, इनके बारे में उन्होंने घोषणाएं की हैं, मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय से यह गुजारिश करूंगा कि जो बजट में जयपुर शहर के लिए घोषणाएं की गयी हैं, क्योंकि जब शान्ती धारीवाल जी मंत्री थे तो इन्होंने तो चश्मा लगा रखा था, केवल कोटा, कोटा, कोटा, कोटा के अन्दर सारा पैसा ले गये, हमारे जयपुर शहर में राजधानी होने के नाते जितना विकास होना चाहिये था, उसका एक परसेंट काम भी आपने नहीं किया।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बैठें आप।

श्री सभापतिः माननीय वरिष्ठ सदस्य, आप विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बैठें। माननीय सभापति महोदय, 2019 में यूनेस्को ने हमारे जयपुर शहर के परकोटे को विश्व विरासत के रूप में रैकग्नाइज किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे जयपुर शहर में 80 लाख से ज्यादा पर्यटक प्रतिवर्ष आने लगे और उसमें 5 लाख विदेशी पर्यटक हमारे प्रदेश में आने लगे, परन्तु यह दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल तक इन्होंने परकोटे के संरक्षण का कोई काम नहीं किया, वहां निरन्तर अतिक्रमण होते रहे। जो हैरिटेज हवेलियां हमारे परकोटे में बनी हुई थीं, उन्हें तोड़-तोड़कर कॉम्प्लैक्सेज खड़े हो गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यूनेस्को ने जो विश्व विरासत में हमारे जयपुर शहर के परकोटे को, जन्तर-मन्तर को और आमेर फोर्ट को शामिल किया है और जिसके कारण पर्यटक यहां जयपुर में आते हैं,

**mkd/rtm/26.07.2024/13:20/1p**

आप परकोटे में जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं, उनको हटाइये। हैरिटेज हवेलियां, जिनको तोड़कर परकोटे में जो बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स बन रहे हैं, उन पर रोक लगाइये, नहीं तो हमारे जयपुर शहर का हैरिटेज स्वरूप बिगड़ गया, जो हमारे जयपुर शहर की पहचान है, पर्यटक आना बन्द हो जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी केन्द्रीय सरकार, जिसने सीवरेज लाइन पुरानी होने के कारण, जीर्ण-शीर्ण हो गई है, पूरे शहर में जगह-जगह सीवरेज के कारण जाम लगता है, सीवरेज लाइन बहती है, भयंकर बदबू आती है, उसके लिए केन्द्रीय सरकार ने 1406 करोड़ रुपये अमृत योजना-2 के अन्तर्गत स्वीकृत किये। परन्तु पिछली सरकार ने जहां 60 परसेंट पोपुलेशन रहती है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में, उनको तो इन्होंने दिये 456 करोड़..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो हमारे साथ ही थे, पिछले पांच साल में।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप विराजिये। आप बैठो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 456 करोड़ रुपये आपने जयपुर ग्रेटर को दिया और जो जयपुर हैरिटेज का 40 परसेंट इलाका है, उसको आपने 950 करोड़ रुपये दिये। इतना ही नहीं, 950 करोड़ रुपये में 30 परसेंट पैसा नगर निगम को वहन करना था, आपने भेदभावपूर्ण नीति करके, आपने राज्य सरकार की तरफ से वह पैसा दे दिया। जयपुर ग्रेटर में जो 136 करोड़ रुपया, 30 परसेंट हिस्सा देना था, वह आपने आज तक नहीं दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि हैरिटेज में तो सीवरेज का काम चालू भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया, पांच-पांच वर्क ऑर्डर निकल गये, पर जयपुर ग्रेटर में अभी तक आपने जो 456 करोड़

रुपये दिये, उसका काम चालू नहीं हुआ, क्योंकि 136 करोड़ रुपये आपने उसमें नहीं दिया था।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से 136 करोड़ रुपया जयपुर ग्रेटर नगर निगम को दें। जिससे हमारे यहां भी सीवरेज की समस्या है, उससे निजात मिल सके।

दूसरा काम इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि हमने जयपुर, कोटा व जोधपुर को दो-दो नगर निगम बना दिये। इसका परिणाम जानते हो आप क्या हुआ? आज जयपुर शहर पूरी तरह सड़ रहा है। जोधपुर बुरी तरह सड़ रहा है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, संसाधन हैं नहीं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई। दिल्ली जैसे शहर में 12 साल बाद में, उन्होंने भी तीन-तीन नगर निगम वहां बनाये थे पर परिणाम क्या हुआ? उनको 12 साल बाद यह निर्णय वापस लेना पडा। वहां दिल्ली नगर निगम एक बनाना पडा।

आज बम्बई इतना बड़ा शहर है, वहां पर एक नगर निगम है। कलकत्ता इतना बड़ा शहर है, वहां पर एक नगर निगम है। चेन्नई इतना बड़ा शहर है, वहां एक नगर निगम है, परन्तु तुष्टिकरण, जैसा निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ नगर निगमों पर हमारा कब्जा हो जाये। इसलिए इन्होंने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगम बनाये।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप इनको वापस एक-एक करिये। जिससे कि सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके और जो वार्ड भी आपने बना दिये, एक-एक गली में, एक-एक पार्षद। अब जयपुर शहर में 250 पार्षद, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल खर्चा बढ़ रहा है। आप उसको वापस 150 जयपुर में करिये, जिससे जयपुर शहर की व्यवस्था पूरी हो सके।

मैं एक समस्या जाइंट वॉल्स के अन्दर, आज प्रश्न भी था, बालमुकुन्दाचार्य जी का, वे उस समय नहीं थे। ई-रिक्शा, जयपुर शहर में तीस हजार से ज्यादा ई-रिक्शा चल रहे हैं। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि उन ई-रिक्शाओं में जयपुर का लोकल नागरिक कोई नहीं है। ये सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। जो बाहर से आये हैं, उनके ये ई-रिक्शा हैं। यह सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैफिक कंट्रोल की दो-दो बार, तीन-तीन बार मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है।

मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए पॉलिसी बनायें। आप जोन वाइज रिक्शों का बंटवारा करें और सबके आधार कार्ड के आधार पर इनकी चैकिंग करें। आज आप देखिये कि 100-100 रिक्शे एक-एक व्यक्ति के हैं, किराये पर चला रहे हैं। यह जयपुर शहर के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप निश्चित रूप से इनका रजिस्ट्रेशन करिये। इनका आधार कार्ड देखिये और उसके आधार पर आप इनका निर्णय करें।

मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूं, राजापार्क में 50 वर्ष पूर्व एक दुकान को हमारे जो आदर्श नगर के उपायुक्त महोदय हैं, उन्होंने मकान मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए सीज कर दिया। एक बिल्डिंग है, उसमें 15-20 दुकानें बनी हुई हैं। 50-50 साल से दुकानें बनी हुई हैं। एक बड़ा ज्वैलर है, जिसने वह बिल्डिंग खरीदी है। वह वहां एक होटल

बनाना चाहता है। उसने पहले उस दुकानदार से कहा कि खाली कर दो, नहीं तो मैं सीज करवा दूंगा। उसने कहा कि 50 साल पुरानी दुकान है, आप सीज कैसे करवा दोगे। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और एक इल्लिगल दुकान बनाकर, जीरो सैट बैक पर बना ली, इसलिए आप उस दुकान को सीज करो, पूरी बिल्डिंग को ही सीज कर दिया। पचास साल से जो काम कर रहा है, उसको आपने सीज कर दिया। मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करवाये और जो डीसी युगान्तर शर्मा, जिसे मैंने टेलीफोन किया तो मुझे कहा कि आप कुछ भी कर लेना, मैंने तो सीज कर दी। इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी जांच करवाइये और उस गरीब आदमी की दुकान को खुलवाइये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मेरा मामला भी इससे जुड़ा हुआ है। आदर्श नगर का डीसी है और यह कहता है कि मैं तो चीफ सैक्रेटरी का आदमी हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसने एक मकान को, सारी दुकानें सीज कर दी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): देखो, ये भी कह रहे हैं। हां, मिले हुए हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपने तो मुझसे यह कहा था कि मैं भजन लाल जी की तारीफ करूंगा, मंत्री बनूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): विराजो-विराजो। ऐसा है, जयपुर के विकास के लिए यदि जयपुर के सारे एमएलए मिलेंगे तो निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि हमको जयपुर का विकास करना है, आप समझें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 28 फरवरी को समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ा। उसमें लिखा कि शहरी अमृत योजना के अन्तर्गत 900 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर शहर का मुम्बई और अहमदाबाद की दर्ज पर री-डवलपमेंट किया जायेगा।

उसमें क्या करेंगे? टोंक रोड को रामबाग सर्किल से बी-2 बाइपास तक, 125 मीटर इधर और 125 मीटर इधर,यानी 250 मीटर चौड़ा किया जायेगा। 250 मीटर चौड़ा करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय एसी कमरों में बैठकर ये अधिकारी इस प्रकार के निर्णय कर लेते हैं। आपने कभी कल्पना की है कि 250 मीटर अगर टोंक रोड चौड़ा हो गया तो उसमें कम से कम 5 हजार मकान टूटेंगे और कम से कम 100 कॉलोनियां खत्म हो जायेंगी, लोकतंत्र में यह सम्भव है? क्या हम जनप्रतिनिधियों ने भाड़ झोंकी हैं? हम किसी भी हालत में इस प्रकार का काम नहीं होने देंगे।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप अपना जवाब दें तो ये बताये, क्योंकि आज हजारों नागरिक दहशत में जी रहे हैं। मेरे पास लोग रोज आते हैं। साहब, ये आपके राज में क्या हो रहा है। 250 मीटर, 250 मीटर तो हमारी जेएलएन मार्ग ही नहीं है। यदि इस प्रकार से चौड़ा करेंगे तो कई लोग सड़क पर आ जायेंगे। इसके बारे में निश्चित रूप से आप विचार करें और यह घोषणा करें कि इस प्रकार का जो शेख चिल्लाना निर्णय सरकार के अधिकारियों ने एसी में बैठकर किया है, इसको किसी भी प्रकार से लागू नहीं किया जायेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, हमारे निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सही कहा है कि द्रव्यवती नदी, वसुन्धरा जी की जब सरकार थी तो जयपुर शहर में आये दिन बाढ़ के हालात नहीं बनें, इसके लिए हमने द्रव्यवती नदी का सौंदर्यीकरण किया। अमानीशाह के नाले को पक्का करके, वहां वॉक-वे भी बनाया,साइकिल के लिए ट्रेक भी बनाया, परन्तु पांच साल जब आपकी सरकार रही, धारीवाल जी, द्रव्यवती नदी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। द्रव्यवती नदी के बारे में आप एक शब्द भी नहीं बोले।

**Bhs/Rtm/26.7.24/13.30/1q**

मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2003 से 2008 के बीच में निश्चित रूप से आप इसके ऊपर ध्यान देंगे और यदि जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगायेंगे। जहां गन्दगी को रोके जाने की बात है, उसको करेंगे, जो सीवरेज का पानी उसके अन्दर गिरता है उसको हटायेंगे और निश्चित रूप से इसका सौन्दर्यीकरण करेंगे। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... मेरा टाइम खराब मत करो। नहीं तो ये अभी घंटी बजा देंगे। मेरा टाइम कर्टेल मत करना आप।

श्री सभापति: पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, मैंने 1.22 बजे चालू किया, अभी आठ मिनट हुए हैं मुझे तो, आप यह ध्यान रखना।

श्री सभापति: नहीं, आपने 13.15 पर शुरू किया था।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे।

श्री सभापति: वो डिस्टर्बेंस वाला समय काट दिया। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मालवीय नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 5,6,7,8,9,10,11,12 के बीच में एक नाला है बरसाती नाला है। बगल में ही वह सरस संकुल है। वहां पर जो दूध परिशोधन होता है वह उसके अन्दर गिरता है। नाले के दोनों तरफ जो घर है उनका सीवरेज का पानी उसमें गिरता है। मैं यह कहूंगा कि आप उस नाले को पाटने का काम करवायें। बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों के खेलने का मैदान बनायें। गिरधर मार्ग पर हमारे कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स बने हुए हैं उनके लिए वहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है पार्किंग की व्यवस्था करायें। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंत्री महोदय ने यहां पर यह अनाउंस किया था कि हम दस करोड़ रुपये इसके लिए देते हैं परन्तु न तो दस करोड़ रुपये मिले और न कोई वहां विकास का काम हुआ इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी डी.पी.आर. बना करके और जितना भी इसमें पैसा लगता है वो लगा करके इस समस्या से निजात दिलवायें।

सभापति महोदय, एक यह करतारपुरा नाला, यह कच्चा है, अमानीशाह के नाले की तर्ज

पर जिस प्रकार हमने पिछली बार द्रव्यवती नदी का विकास किया उसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि करतारपुरा नाले को आप पक्का करवायें और पक्का करवा कर दोनों तरफ जो कॉलोनियां बसी हुई हैं उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगायें जिससे कि उसमें गन्दगी नहीं जाये। अभी मैंने पढ़ा था कि उसकी चौड़ाई तीस मीटर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उसका आउटफाल ही पच्चीस मीटर है तो आप तीस मीटर क्यों करना चाहते हो? एम.एन.आई.टी. ने सर्वे करके कह दिया कि तीस मीटर तो इसकी चौड़ाई करो और फिर दोनों तरफ तीस-तीस फीट की यहां पर रोड रखो। फिर वही, कम से कम 60 कॉलोनियां हैं और पचास हजार लोग रहते हैं उनका क्या होगा तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इसकी चौड़ाई पच्चीस मीटर रखें और पच्चीस मीटर रख कर दोनों तरफ पेड़ लगायें तीस फीट की सड़क की जरूरत नहीं है। पेड़ लगाइये, छोटे-छोटे एस.टी.पी. के प्लांट लगाइये जिससे कि इसका भला हो सके।

सभापति महोदय, फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि करतारपुरा नाले के लिए जब भी हम बात करते हैं नगर निगम को कहते हैं तो वो कहते हैं कि यह जे.डी.ए. का मामला है, जे.डी.ए. को कहते हैं तो वो यह कहते हैं कि यह नगर निगम का मामला है। मैंने मेरे विधायक कोष से वहां तीस लाख रुपये दिये हैं रैलिंग लगवाई और उसका परिणाम यह हुआ कि पहले आयुष नाम का बच्चा जो कार में जा रहा है और वह कार बह गई और उसकी मौत हो गई परन्तु जब हमने रैलिंग लगवाई उसके बाद फिर जब बरसात आई, एक कार फंस गई और वो आदमी बच गया तो मैं यह चाहूंगा कि आप इसका निर्धारण करें कि इसका कौन करेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसी प्रकार कहना चाहूंगा कि हमारे लालकोठी एरिया है, पिछली सरकार ने बड़े-बड़े पट्टे दे दिये नियमों में अमेंडमेंट कर दिया। पृथ्वीराज नगर तक में आपने पट्टे दे दिये पर ये लालकोठी एरिया की क्या दुश्मनी है 13 कॉलोनियां हैं वहां पर। 13 कॉलोनियों में पट्टे नहीं मिले। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर इन 13 कॉलोनियों में भी आप निश्चित रूप से पट्टे देने का काम करें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारा गोपालपुरा बाईपास है वहां चन्द्रनगर करके एक कॉलोनी है। जे.डी.ए. ऑथोरिटी की बैठक संख्या 64, जब कृपलानी जी मंत्री थे, 22.5.2018 को एजेंडा संख्या 6420 से उक्त भूखंडों को प्रभावित सौ फीट रोड को विलोपित करके और नगरीय विकास मंत्री को यह आदेश दिया कि आप इसमें उचित कार्यवाही करें। धारीवाल जी मंत्री थे और क्योंकि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला था इसलिये उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदय, ...।

श्री सभापति: विराजिये, साहब।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, अभी तो शुरू ही नहीं किया और आप कह रहे हो विराजिये।

श्री सभापति: आपको 6 मिनट और ज्यादा दिये हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): देखो 22 पर मैंने चालू किया था, तीन मिनट

और लूंगा। तीन मिनट। तीन मिनट लूंगा इससे ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री सभापति: जल्दी समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से विचार करें और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावा कोई बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारी बात कृपलानी जी ने कर दी है। उनियारा गार्डन, बापू नगर, सिवाड़ एरिया, मोती डूंगरी गणेश जी के मन्दिर के पीछे की बस्ती, संजय बस्ती, दुर्गापुरा स्थित खवास जी का बाग़, गांधी नगर मोड पर ओझा जी का बाग़ के वर्षों से भूखंडधारियों को अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत इनको भी पट्टे दिलवायें।

इसी प्रकार से राजा पार्क, आदर्श नगर, फ्रंटियर कॉलोनी जहां पाकिस्तान और हिन्दुस्तान जब अलग हुए तो वहां से जो पुरुषार्थी यहां पर आये उनको भी अभी तक पट्टे नहीं मिले। उनको भी पट्टे दिलवाने की व्यवस्था आप करें।

इसी प्रकार मालवीय नगर सेक्टर 9 में हमने 1993 में 2X2 की दुकानें दी थी लोगों को और यह तय किया था कि 21 हजार रुपये लेंगे एक दुकानदार से। पांच-पांच हजार रुपये उसमें जमा करवा दिये बाकी पैसे आप नहीं ले रहे हो और उनको पट्टे नहीं मिले तो इनके बाकी पैसे लेकर के उनको भी पट्टे दिये जायें तो निश्चित रूप से उनको भी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, यह पहले भी बात आई है और अभी बजट में भी घोषणा की है कि हम सैटेलाइट टाउन्स डवलप करेंगे तो मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि मुम्बई में जैसे उपनगर है जैसे मलाड है, अंधेरी है, जोगेश्वरी है, बोरीवली है वैसे ही जयपुर शहर के जो आस-पास के इलाके हैं अचरोल है, शिवदासपुरा है, बस्सी है, इधर चौमूं है, अपने बगरू है इनको आप सैटेलाइट टाउन्स में डवलप करें। सैटेलाइट टाउन्स में डवलप करने का मतलब यह नहीं है कि आपने वहां पर एक स्कूल खोल दिया। वहां पर स्कूल भी खोलिये, कॉलेज भी खोलिये, कॉम्प्लैक्सेज भी बनाइये, रोड कनेक्टिविटी भी करिये। सारी जो शहर में सुविधायें मिलती हैं वो वहां पर यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से ...।

श्री सभापति: विराजें साहब, हो गये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो मिनट ठहरिये। मैं बोल रहा हूं एक मिनट में, आप बार-बार टोको मत।

श्री सभापति: हो गया, आपको जो समय दिया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं ज्यादा वैसे भी नहीं बोलूंगा। मुझे जितना टाइम दिया उतना ही बोलूंगा। इसी प्रकार से अब रोज गाय पकड़ने के लिए हमारे नगर निगम के लोग आ जाते हैं। हाईकोर्ट का आदेश है, गाय पकड़ेंगे, तो पकड़ेंगे तो सही पर इनको ले जाओगे कहां। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप जयपुर के चारों कोनों पर डेयरी कॉम्पलैक्सेज डवलप करें और वहां सारी सुविधायें दें और उसके बाद सख्ती करके गायों को वहां पर ले जायें।

इसी प्रकार से हमारे यहां मूर्ति कला का जो उद्योग है जो विश्व प्रसिद्ध उद्योग है इसके लिए अभी खजाने वालों के रास्ते में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तेजाजी नगर में रोज ठक-ठक होती है लोग परेशान होते हैं रोज मेरे पास आते हैं, धूल उड़ती है तो आप मूर्तिकारों के लिए एक नगर घोषित करें। वहां लोगों को बसायें और वहां मूर्ति कला का यदि व्यवसाय चलेगा तो निश्चित रूप से यह अच्छा रहेगा।

श्री सभापतिः विराजिये, साहब।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर)ः आप बार-बार घंटी दबा रहे हो इसलिये आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)ः सभापति महोदय, ज्ञान तो कृपलानी जी ने, धारीवाल जी ने और बचा-खुचा कालीचरण जी ने बहुत दे दिया। मैं जो ग्राउंड लेवल पर परेशानियां आ रही हैं मंत्री जी को उससे अवगत कराना चाहूंगा। मंत्री जी।

श्री सभापतिः आप तो इधर बोलें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)ः पहली बात तो जो कालीचरण जी ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर का दिल है, यहां आज देखिये एस.एम.एस. हॉस्टिल है, एस.एम.एस. कॉलेज है, हॉस्टल्स हैं, जे.के. लोन हॉस्पिटल है, बिरला मन्दिर है, गणेश मन्दिर है, जे.डी.ए. है, यूनिवर्सिटी है, इन्दिरा जी की स्टैच्यु है, गांधी जी की स्टैच्यु है, ओ.टी.एस. है, पौद्दार इंस्टिट्यूट है और वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर है तो अगर आप उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनायेंगे तो उसकी ब्यूटी खतम हो जायेगी।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अगर आपको वी.आई.पीज को सीधा दिल्ली लेकर जाना है, वहां एयरपोर्ट ले जाना है तो आप जे.डी.ए. सर्किल से अण्डर ग्राउंड रोड बना दीजिये न। नीचे तो कुछ नहीं, नीचे से ले जाइये, नीचे-नीचे चल कर एयरपोर्ट चले जायेंगे।

**Kas/rtm/26.07.2024/13.40/2a**

इसलिए इसको गंभीरता से लें। कालीचरण जी बैठे हैं, 1993-98 की बात है, आज जहां सेंट्रल पार्क बना हुआ है, भैरोंसिंह जी यहां डायमण्ड मार्केट बनाने के लिये तैयार हो गये थे। उनसे सत्ता और विपक्ष का एक डेलिगेशन मिला और उनको कहा कि जयपुर में कोई जगह तो ऐसी छोड़ो जहां सांस ले सकें। उन्होंने बात मानी और आज वहां खूबसूरत सेंट्रल पार्क बना हुआ है। इसलिए अगर कोई सुझाव देता है तो सरकार को मानना चाहिये। अगर भैरोंसिंह जी भी उस समय जिद पर आ जाते तो वहां एक मार्केट बन जाता और यह खुली हवा सेंट्रल पार्क की नहीं होती।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, जेडीए, यूआईटीज में अनॉथराइज्ड कंस्ट्रक्शन क्यों हो जाता है? यह तो सभी जानते हैं कि अनॉथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कराने वाले कोई न कोई लालच

रखते हैं, फिर इनको तोड़ते हैं। आजकल अखबारों में आ रहा है 4 किलोमीटर पीला पंजा चला, सीढिया तोड़ दीं, लोग कह रहे हैं कि चढ़ेंगे कैसे? बनने ही क्यों दिया जाता है? जो जोन के अधिकारी होते हैं या बीट के अधिकारी होते हैं, जो तनख्वाह लेते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वहां देखें कि जेडीए, यूआइटी या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं हो। देखते रहते हैं, फिर तोड़ते रहते हैं, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। सड़क बन रही है, प्लानिंग है नहीं कि नीचे पाइप लाइन डाल दें जिसमें तार वगैरह सब डल जाये। फिर हर साल खोदते रहते हैं, जेसीबी लगाते रहते हैं। कोई प्लानिंग होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये? मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पहले ही व्यवस्था करें। जब व्यक्ति विशेष अपनी प्रोपर्टी पर किसी को कब्जा नहीं करने देता तो सरकार अपनी प्रोपर्टी पर कब्जा कैसे करने देती है, यह विचारणीय बिन्दु है।

मैं आपसे दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, अभी कालीचरण जी कह रहे थे कि हम बहुत कुछ कर गये हैं। आप मुझे यह बताइए कांग्रेस की सरकार में 2021-22 से लेकर 2023-24 में विधायकों के माध्यम से 240 किलोमीटर रोड नगर निगमों में, नगर परिषदों में और नगरपालिकाओं में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनवाई थीं। आपने एक किलोमीटर की भी यहां घोषणा की? नगरपालिका में क्या गांव नहीं हैं? नगरपालिका में क्या लोग नहीं रहते हैं? नगर परिषद में क्या लोग नहीं रहते हैं? सरकार को करना चाहिये कि जिस तरह से आपने अंबार लगा दिया ग्रामीण सड़कों की लिस्ट में, आप नगर निकायों में भी सड़कों का प्रावधान करें, मैं यह कहना चाहता हूं।

प्रजातंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। बहुत से प्रांतों में, मध्य प्रदेश में मेयर का, सभापतियों का डाइरेक्ट चुनाव हो रहा है ना, राजस्थान सरकार क्यों नहीं करवा रही? एक बार अशोक गहलोत जी की सरकार ने कराये थे, वो वसुंधरा जी ने आकर रोक दिये। उसके बाद क्या बोलूं मैं, वह शब्द तो यहां नहीं बोल सकता, सरकारों को यह लगता है कि पार्षद बनेंगे, इनको मैनुप्लेट कर लेंगे, खरीद लेंगे, इनके रिश्तेदारों पर दबाव देंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो भी सत्ता में होगा वह बोर्ड बना लेगा। क्यों नहीं डाइरेक्ट चुनाव कराते? कितना भ्रष्टाचार होता है मेयर में, सभापतियों में? अगर आपकी मंशा सही है तो आप एप्रोप्रिएशन बिल पर यह घोषणा कीजिए या मंत्री जी आज कीजिए कि हम नगरपालिकाओं के, नगर निगमों के, नगर परिषदों के सीधे चुनाव करायेंगे जैसे और प्रांतों में हो रहे हैं। दीजिए लोगों को मौका, लोग चुनेंगे, बाड़ाबंदी तो बंद होगी।

सभापति महोदय, मुझे कितने मिनट दिये हैं, क्योंकि मैं यह बहस नहीं करना चाहता।

श्री सभापतिः 15 मिनट लिखे हैं आपके, पांच मिनट हो गये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पांच मिनट हो गये, 10 मिनट बोल सकता हूं? आप लोगों ने क्या शुरूआत की, कांग्रेस ने 81 नगर पालिकाएं, 36 नगर परिषद, 10 नगर निगम, कुल 147 संस्थाओं का गठन किया है। आपने इस बजट में कितने की घोषणा की है? माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि कितना ही चीख लो, जो जनता ने तय कर लिया, वह होगा। सरकार

को सुझाव दो, असत्य तारीफें मत करो, बजट बहुत अच्छा है। मोदी जी और भजन लाल जी की तारीफ मत करो। कोई जिसकी ज्यादा तारीफ करता है ना यह जनता उसको सबक सिखा देती है और जिसके साथ 'बेचारा' लग जाता है, जनता उसकी नैया पार कर देती है। हमारे यहां भी यशस्वी का नारा दिल्ली तक सुनते थे हम, कहां गया वह नारा यशस्वी का? यह जनता सब जानती है, जागरूक है कि सरकार हमारे लिये क्या फायदा कर रही है। हम इस पवित्र सदन में कुछ भी असत्य बोल लें, तारीफें कर लें, लेकिन अंततोगत्वा फैसला जनता को करना है। यहां जितने बोलते हैं, राजस्थान के इतिहास में 35 परसेंट तो वापस लौट कर नहीं आये और दोनों ही पक्षों से नहीं आते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। आज स्थिति क्या हो रही है, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों की दो-दो साल मीटिंगें नहीं होती हैं। जबकि इस विधान सभा से कानून पास है कि हर तीन महीने में साधारण सभा की मीटिंग होगी। कौन संज्ञान लेगा इसका? चेयरमैन और ईओ, दोनों मिलकर जो चाहते हैं, वह करते रहते हैं। ना पार्षदों की मीटिंग बुलाते हैं, ना नियमों के अनुसार कमेटियां बनाते हैं, ना लोगों को इन्वाल्व करते हैं। बिजली का तो सुना था कि भारी भ्रष्टाचार है, यह नगरपालिकाओं का ता मैंने देखा है, मेरे यहां पांच नगरपालिकाएं हैं, इन्होंने तो रिकार्ड ही तोड़ रखा है। एक सड़क बनी पड़ी है, उसी पर दूसरी बना दी, क्योंकि ईओ ने और चेयरमैन को फैसला करना है। ऑफ लाइन वाले छोटे टेंडर लगाने हैं, ऑन लाइन वाले लगाने नहीं है। इसकी व्यवस्था कौन करेगा कि समय पर मीटिंग हो, ताकि पार्षद अपनी बात रख सकें, एमएलएज भी उस मीटिंग में जाकर अपनी बात रख सकें। आज एमएलए का और नगरपालिका का, नगर परिषद का कोई संपर्क नहीं है। किसी कमेटी में नहीं है, साधारण सभा में है, साधारण सभा होती नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज स्थिति क्या है, अलवर नगर निगम को एक साल से ऊपर हो गया बने हुए, जो नगर परिषद के उप सभापति थे, वो ही आज मेयर हैं। आप चुनाव क्यों नहीं कराते? चुनाव कराने में क्या एसक्यूज है? जब नगर निगम बना दिया तो उसका पुनर्गठन क्यों नहीं करते? नगर निगम तो इसलिए ही बनाया है कि थोड़ा बड़ा हो जाये, तो उसका पुनर्गठन क्यों नहीं करते? मेरा आपसे निवेदन है कि इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिये।

एक आप टाउनशिप पॉलिसी ला रहे हैं। टाउनशिप पॉलिसी पर आप निजी खातेदार को क्यों अलग रख रहे हैं? बिल्डर को सारा फायदा दे रहे हैं। अगर कोई निजी खातेदार नियमानुसार अपनी टाउनशिप डवलप करना चाहता है, उसको आप क्यों वंचित रखना चाहते हो? अगर वह नियमों में आता है, तो उसको भी आप मौका दीजिए, बल्कि उसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिये, क्योंकि वह रीयल खातेदार है, इसमें कहां दिक्कत है?

आज नगरपालिकाएं, नगर परिषदों की यह स्थिति है, जयपुर में रोज अख़बार में आता है कि नाला रुक गया, सफाई नहीं है, कचरा पडा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ शिकायतें की थीं कि नगर पालिका रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में यह-यह अनियमितताएं हो रही हैं। ईओ की हिम्मत देखिए, तीन दिन का नोटिस

देकर साधारण सभा कर दी। हमने जब कहा कि कम से कम सात दिन का नोटिस होना चाहिये। नियमों का उल्लंघन करके, नियमों को ताक पर रख कर तीन दिन में बुलाई हुई मीटिंग को साधारण सभा कर दी, इससे बड़ा अन्याय और गैर कानूनी काम क्या होगा?

**msk/rtm/26.07.2024/1350/2b**

आप मुझे बताइये, किससे कहें। पूर्व मंत्री जी ने कहा कि द्वेष भावना के बगैर, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जांच कराकर कार्यवाही करुंगा। इनके पिताजी हमारे साथ पंचायत राज के मंत्री थी, बहुत दबंग आदमी थे। ईमानदार आदमी थे, मुझे यहां कहने में कोई संकोच नहीं है। जिस तरह से ये जवाब देते हैं। जवाब से तो लगता है कि ये भी दमदार आदमी हैं, लेकिन रिजल्ट आयेगा तब पता चलेगा। सीएस से मिला, सीएस ने कहा कि भ्रष्टाचार पकड़ने का यह काम तो हमारा है। आप तो हमारा काम कर रहे है। आज छह महीने हो गये, कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टर साहब हैं, बहुत अच्छा आदमी बताते हैं, अच्छे अधिकारी हैं, आईएएस हैं, उनसे मिला कि मैं हफ्ते दस दिन में इसकी जांच कराकर इस पर कार्यवाही करूंगा। आज तक जांच ही नहीं हुई। यह सिस्टम क्या है? जब एक विधायक कह रहा है कि आप जांच कराइये। यह तो नहीं कह रहा कि किसी को सस्पेंड कराइये। मंत्री जी, आ गये, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस तरह से जवाब देते हैं, स्पष्ट देते हैं, कि हम कार्यवाही करायेंगे, जांच करायेंगे। मैं भी आपसे मिला था। आपने कहा था कि द्वेष भावना के बगैर ईमानदारी से जांच कराकर कार्यवाही करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर आप जैसे वक्तव्य देने के वाले के मंत्रालय में कार्यवाही नहीं होगी। मैंने लिखित में दिया था कि कानून में सात दिन का नोटिस है, नियमों में, साधारण सभा का। तीन-तीन दिन के नोटिस देकर मीटिंग करते हैं, वह भी व्हाट्सएप पर डालकर। किसी को चिट्ठी नहीं देते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो जांच कराइये।

आपकी तीन-तीन नगरपालिकों में एक ईओ के पास चार्ज है। एक रेगुलर स्टाफ नहीं है, सब डेपूटेशन है। मालाखेड़ा नगरपालिका में एक ईओ हैं, लेडी हैं, वे तो दफ्तर में जाती ही नहीं हैं। काम कैसे होंगे। लोग खातेदारियों में पट्टे दे रहे हैं। मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा। आप जांच करा लीजिये कि रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिकाओं में जो राजा-महाराजाओं के टाइम में किले होते थे और पानी के निकास के लिए खाइयां होती थीं, उनमें पट्टे दिये जा रहे हैं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जहां गोदाम बने हुए हैं, वहां स्टेट ग्रांट में पट्टे दिये जा रहे हैं। निजी खातेदारियों में पट्टे दिये जा रहे हैं। इनकी जांच कौन करायेगा?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): हम करायेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप कराइये। मैंने पहले भी आपको लिखकर दिया। फिर दिये। क्योंकि आपके पिताजी हमारे साथ मंत्री थे, हम एमएलए थे। बहुत ईमानदार मजबूत आदमी

थे, पंचायती राज मंत्री थे। आपकी आवाज से लगता है कि आप उनके बेटे हो। लेकिन उनके बेटे की तरह वही काम करिये, जो कहते हैं, उसको करिये। मुझे कोई संकोच नहीं है। जो आदमी सही है, उसके लिए सही है और गलत है उसके लिए गलत कहना। 60 साल की उम्र हो गयी। 1990 में, 25 साल 2 महीने में एमएलए बना था, राज तो मेरे भाग्य नहीं है तो मुझे लालच नहीं है कि कोई मुख्य मंत्री नाराज हो जायेगा, मुझे मंत्री नहीं बनायेगा।

श्री सभापतिः विराजिये, श्री प्रताप सिंह सिंघवी। विराजें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आधा मिनट। वाइंडअप तो करने दें। मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने यह बात रखी थी कि और प्रान्तों की तरह डायरेक्ट चुनाव कराइये, मेयर का भी, चेयरमैन का भी। सभापति जी, मैंने बहुत उम्मीद के साथ इस पवित्र सदन में ये बातें रखी हैं कि आप इनका संज्ञान लेंगे, इनके ऊपर उचित कार्यवाही करेंगे, ताकि सरकार के ऊपर विश्वास जम सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद, श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने आज नगरीय विकास एवं आवासन की मांग पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं जुबेर भाई की इस बात की ताईद करूंगा कि वास्तव में हमारे मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा हैं, वे वास्तव में शेर दिल इंसान हैं। जो कहते हैं, करते हैं। छह महीने से जब से ये मंत्री बने हैं। पहले मेरे साथ मंत्री भी रहे हैं। मैं इनके पिताजी के साथ भी रहा हूं। इनके पिताजी भी दम वाले व्यक्ति थे और मुझे लगता है कि ये उसी बाप का खून हैं, ये उससे ज्यादा दम वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको यही निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास का जहां तक सवाल है। नगरीय विकास का पूर्ण रूप से और समान रूप से तब तक विकास नहीं हो सकता है, जब तक हम उसके मास्टर प्लान पर ध्यान नहीं देंगे। जब तक मास्टर प्लान पर ध्यान नहीं देंगे, अतिक्रमण की समस्याएं होती रहेंगी। बाद में हमारी मजबूरी हो जाती है कि किसी के बने-बनाये मकान तोड़ें। सरकार को नहीं चाहते हुए भी इस प्रकार का काम करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मास्टर प्लान को आप लागू करवाने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मैंने इस विभाग को भी करीब से देखा है। इस विभाग में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं। यह काजल की कोठरी है, इसमें से आदमी बेदाग निकल जाये, यह बहुत बड़ी बात है। आरोप की आप चिन्ता नहीं करें। पर निश्चित रूप से इस विभाग को आगे ले जाने के लिए, पूरे राजस्थान में आपका जिस प्रकार से नाम और व्यवहार है, उस प्रकार से आप इस विभाग में छाप छोड़ें। इस प्रकार का मेरा आपसे निवेदन है कि जहां तक आपका खुद का सवाल है। आप में किसी तरह की कोई बात मुझे नजर नहीं आती, जहां तक जयपुर में कई प्राइवेट कॉलोनाइजर हैं, हाउसिंग सोसाइटी के भूखंड काटकर आबादी बसा दी है। इनको हटाना हमारे लिए चुनौती है। यदि समय रहते मास्टर प्लान और

रोड साइड का डिमार्केशन समय पर कर देते हैं तो आज जो जेडीए पर, नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, इस पर भी कहीं न कहीं रोक लगेगी। दूसरे जो बेतरतीब मकान बना लेते हैं, एक्रॉचमेंट कहीं पर हो जाता है, जानकारी के अभाव में। उस पर भी रोक लगेगी। यह मेरा आपको सुझाव है। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करुंगा। मैं सुझाव के रूप में अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने दो-तीन काम बेहतरीन करे हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी का काम है। आपने 446 परियोजनाओं में से 411 पूरी की हैं। 92 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास में आपने 2023 के बाद गरीब एवं आवासहीन जरूरतमंदों को 8089 आवासों का पूर्ण निर्माण कर 17042 आवासों पर कब्जा दिया है। यह भी स्वागतयोग्य है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगारों को रोजगार के लिए 50 हजार तक ब्याज मुक्त ऋण, अब तक 72 हजार लाभार्थियों को बैंक से इस ऋण का वितरण हो चुका है। यह भी स्वागत योग्य है।

जिस प्रकार से मैंने आपको निवेदन किया कि हमको यह भी देखने में आता है कि हमारी जो आवासीय कॉलोनियां हैं, उनमें लैंड-यूज का बिना ध्यान रखे हुए। आज भी हम जयपुर और राजस्थान के हर शहर में देखेंगे तो नजर आयेगा कि वहां खुले आम इंडस्ट्री चल रही है। वहां पर खुले आम कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बीमारी को जितना हो सके रोकें, इस प्रकार का मैं निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से यहां राजापार्क में हुआ, कोटा में राजीव नगर में हुआ। अब जीरो-साइड-बैक में मकान बन गये। वहां रेजीडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, होटल बन रहे हैं, दूसरे काम चल रहे हैं। राजीव गांधी नगर, कोटा की भी स्थिति आज ऐसी है। राजापार्क, जयपुर की स्थिति भी इस प्रकार की है। राजापार्क को तो दिल्ली के करोल बाग का नाम भी दे सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको तोड़ नहीं पायेंगे। हमारे ऊपर कई प्रकार के दबाव हैं, कानूनी अड़चनें भी आयेंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उसको रेगुलाइज कर दें। रेगुलाइज करने से आपको अपार धन मिलेगा। उस धन को आप राजस्थान के विकास में, शहरों के विकास में लगा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको निवेदन किया है।

मास्टरप्लान से बार-बार छेड़छाड़ नहीं हो। जो 2011 का मास्टर प्लान था, उसको 2025 में बदल दिया, अब 2047 की बात चल रही है। जब 2025 में बदला, उसको 2047 में फिर बदल देंगे।

**mdp/rtm/26.07.2024/14:00/2c**

मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात के लिए आप कठोरता से अधिकारियों को निर्देश दें कि मास्टर प्लान में एक बार जो बात आ गयी है या जो फेसिलिट है, उसको फेसिलिटी रखे। फेसिलिटी में मकान बन गये हैं, कहीं पार्क खतम कर दिए। पार्क की जमीन पर मकान बन गये। आये दिन इस प्रकार की शिकायतें जन प्रतिनिधियों के मार्फत जेडीए, नगर निगम,

कोटा, जयपुर, जोधपुर सब जगह आती रहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर ध्यान देंगे।

मैं आपका इस बात पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कई जगह बरसात के दिनों में पानी का भराव हो जाता है। पानी का भराव होने की वजह से हमारी डामर की सड़कें बहुतायत में टूटती हैं और उनको हम धन अभाव की वजह से समय पर रिपेयर नहीं कर सकते। कुछ हमारे फंड की कमी की वजह से भी वह सड़कें टूटी रह जाती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर संभव हो सके, वहां पर सीसी रोड बनवाएं ताकि भविष्य में खराब न हो।

जेडीए का मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जेडीए का जो रिंग रोड बना हुआ है, इसके आसपास प्रस्तावित सेक्टर रोड्स हैं। सेक्टर रोड में जो आउटर साइड को तो ए केटेगिरी में माना है और जो इनर साइड है, उसको बी व सी केटेगिरी में माना है। मेरा निवेदन है कि जो वीरान है, जहां पर कोई बस्ती, बसावट नहीं है, उसको तो ए कैटेगिरी में मान रहे हैं और जहां बसावट है, आबादी बस गयी, उसको बी व सी कैटेगिरी में मान रहे हैं। इस गाइड लाइन की पालना, सेक्टर रोड वही पर बने जहां बसावट ज्यादा है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि हमको नये रास्ते ढूंढने चाहिए। शहरों में यातायात का दबाव बहुत बढ़ रहा है। यातायात का दबाव बढ़ने की वजह से हमको कई जगह जाम का सामना करना पड़ता है, विशेषकर बरसात के दिनों में। मेरा निवेदन है कि हमको नये रास्ते ईजाद करने चाहिए। यातायात की समस्या पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि राजस्थान में पानी की भयंकर कमी है। पानी की कमी जयपुर में भी है। जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, भीलवाड़ा के लोग, ये सब बीसलपुर या चम्बल के पानी पर डिपेंड करते हैं। अगर बीसलपुर का पानी जयपुर में नहीं होगा तो अजमेर के लोग भी प्यासे मरेंगे और जयपुर के लोग भी प्यासे मरेंगे। इसलिए वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जहां पर जितना बन सके उतना बनवाना चाहिए। चाहे घरों में हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे सरकारी रोड पर हो। हमने हमारे समय में कोशिश की थी। स्टेच्यू सर्किल के पास रोड पर बना हुआ भी है। इस प्रकार वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना देंगे तो वह पानी जमीन में जाएगा और वॉटर रिचार्ज होगा। यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरा, मेट्रो का मैं निवेदन करूंगा। आप जितना बना रहे हैं, ठीक है। अभी-भी रामगंज की तरफ काम चल रहा है, वह भी स्वागत योग्य है। मेट्रो का फायदा हम तब तक नहीं उठा पायेंगे, जब तक ये विश्वकर्मा से लेकर सीतापुरा तक नहीं बने।

श्री सभापति: विराजिए साहब।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): सबको दो मिनट बख्शे हैं, मुझे भी दीजिए। माननीय सभापति महोदय, ऐसी कुर्सी पर विराजमान हैं तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। आप मेरे

छोटे भाई हैं।

श्री सभापति: शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मैं आपसे आवासन मंडल के बारे में निवेदन करूंगा। आवासन मंडल की प्रोपर्टी पर या तो ज्यादातर कचरा पडा हुआ है या लोगों ने कब्जा कर रखा है। कई कॉर्नर प्लाट हाउसिंग बोर्ड ने इसलिए छोड़ रखे हैं कि ऑक्शन करेंगे। जो भी हो परंतु उसका निस्तारण समय पर हो जाए तो लोगों का कब्जा नहीं रहे। डीलिमिटेशन का काम, नगर निगम में, चाहे नगर पालिकाओं में, जिस प्रकार डीलिमिटेशन कांग्रेस के लोगों ने या कांग्रेस के समय में धारीवाल साहब ने राजनीतिक आधार पर किया है या गहलोत साहब ने राजनीतिक आधार पर किया है, इसको आप तुरंत समाप्त करें। जल्दी नया डीलिमिटेशन करवाएं ताकि लोगों को राजनीतिक आधार पर बांटा है, वह नहीं बांटें। जैसे हमारे कोटा में रिवर फ्रंट है, टिकट ही इतना है कि लोग जा ही नहीं सकते। दो-तीन हजार करोड़ रुपये वहां लगे हैं। कहीं पट्टी निकल रही है, कहीं हाथी की सूंड टूट रही है। इस प्रकार की स्थिति हो रही है। इसका भी रख-रखाव जिस प्रकार से करना है कीजिए।

श्री सभापति: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): एक निवेदन और है कि आप अवैध अतिक्रमण पर सख्ती से कार्यवाही कीजिए। ये थोड़े दिन बुरा लगता है, परंतु आखिरकार जिस आदमी का अतिक्रमण हटता है, वह खुद ही खुश होता है और धन्यवाद देता है। मैंने मेरे समय में श्योपुर में जहां हल्दीघाटी रोड निकाला है, उसके बीच में मकान थे, सहर्ष लोगों को बुलाकर, राज़ी करके उनको तोड़ा। आप ताज्जुब करेंगे मैं रात को 2 बजे जब वहां देखने गया तो उन लोगों ने गाली देने के बजाय मुझे मालाएं डाली। अगर हम अतिक्रमण हटाएंगे, लोगों के मकान जो अतिक्रमण की वजह से दब गये है, रोड साइड पर रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा।

श्री सभापति: विराजिए। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): दो सुझाव और देना चाहूंगा, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस शैल्टर और रोड साइड शाइनर, ये थोड़े ढंग से लगे। दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि जयपुर की खूबसूरती, जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, गोल्डन ट्रांयगल का पार्ट है। टूरिस्ट यहां भारी संख्या में आते हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मुझको एक बार महारानी गायत्री देवी जी ने बुलाकर कहा था, मैं उस समय मंत्री था, हमारे यूडीएच सेक्रेटरी थे ललित पंवार साहब, जो ये आपके होर्डिंग्स लगते हैं, इनकी हाइट एक समान हो। ऊपर से ऊंचे नीचे नहीं हो तो कम से कम शहर सुन्दर लगेगा। इतना ही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

एक नये जयपुर की आपने घोषणा की थी। उसकी क्रियान्विति के बारे में क्या हुआ? क्या नहीं हुआ। एक मेरे क्षेत्र की बात आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एक मेरे यहां मुस्लिम

मुसाफिरखाना छबड़ा में बना है। माननीय बहिन जी, स्पेशल ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे डायरेक्टर साहब भी यहां बैठे हैं। हमारे यहां बिना परमिशन के बेशकीमती जमीन पर मुस्लिम मुसाफिरखाना किसके आदेश से बना? किस अधिकारी के देखरेख में बना? मेरा आपसे निवेदन है कि बिलकुल गैर-कानूनी तरीक से बना हुआ है। सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इस पर निश्चित रूप से जिस प्रकार से मंत्री जी की आदत है, खर्रा साहब, मुझे उम्मीद है इस मुस्लिम मुसाफिरखाने पर, आपका डायरेक्टर भी बोल्ड है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर बुलडोजर चलवाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए हृदय की गहनता से...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक मिनट, आप लोगों के तो हजारों जगह बन रहे हैं। अगर सरकारी जमीन पर एक मुस्लिम मुसाफिरखाना बन गया तो क्यों दर्द होता है? मैं लिस्ट देता हूं। आप सब पर चलवाइए बुलडोजर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): परमिशन लेकर आपकी जमीन खरीद कर बनवाओ। कल आप स्टेच्यू सर्किल पर, जवाहर सर्किल पर थोड़े ही बनवा देंगे। ...(व्यवधान)... रिवर फ्रंट पर थोड़े ही बनवा देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकारी जमीन पर ...(व्यवधान)...जितनी जगह अतिक्रमण है।

श्री सभापति: अंकित नहीं हो किसी का भी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री सभापति: सदन की गरिमा का तो ध्यान रखिए। आप विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री सभापति: आपका समय प्रारम्भ हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन, बैठिए न भाई। इनको बैठाइए।

श्री सभापति: आपको पन्द्रह मिनट मिले हैं। आपका समय प्रारम्भ हो गया है। आप बोलिए, उनका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं आभार व्यक्त करता हूं, सभापति जी, आपका और मेरी पार्टी का कि मुझे इस डिमांड पर यहां बोलने का मौका दिया। कृपलानी साहब यहां नहीं है। कृपलानी साहब होते तो मैं एक शेर से उनका स्वागत करता और उनकी बात का जवाब देने

की कोशिश करता। कांग्रेस के शासन में जो हालात राजस्थान के शहरी विकास के मॉडल के रूप में जो पेश किये, वह एक इतिहास है। उस इतिहास को कायम रखने का काम, माननीय मंत्री महोदय, आपका और आपकी सरकार का है।

**Ans/rtm 14.10 2d 26.07.2024**

आप तो पहले हाउसिंग बोर्ड को भी समाप्त करना चाहते थे और कोशिश की थी कि हाउसिंग बोर्ड समाप्त हो जाए। आज हाउसिंग बोर्ड ने राजस्थान में जिस प्रकार के काम किए हैं और जयपुर में जो काम किए हैं, उसकी प्रशंसा आप और हम भी कर रहे हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण में आपके समय, इस पर कर्जा छोड़कर इसको दिवालिया बना दिया था, लेकिन आज विकास प्राधिकरण किस स्थिति में है, वह कांग्रेस शासन की देन है। भारत जोड़ों सेतु, मानसरोवर सिटी पार्क, आईपीडी टॉवर यह कांग्रेस की देन है, जो आपके सामने हैं। विधायक आवास, आप और हम उसमें रहते हैं। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हाउसिंग बोर्ड वाले ऐसा शानदार विधायक आवास बनाएंगे निर्धारित समय में। हमारी कल्पना के बाहर है। आप उसको जाकर देखिए कि कैसा विकास हुआ है। कांस्टीट्यूशन क्लब की परिकल्पना पूर्व की सरकार ने की, उसको जाकर देखिए, आगे आने वाले समय में वह आपके और हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि की चीज होगी।

आपने 10 संकल्प अपने इस बजट भाषण में दिए, उन 10 संकल्पों में कहीं भी शहरी विकास का, मॉडल का संकल्प नहीं है। आप पढ़ ले उसको। यही नहीं, आपने बजट घोषणा की, बजट घोषणा में भी दो साल के लिए आपने मात्र 1 हजार 800 करोड़ रुपये की घोषणा की है। जो आपने परिलक्षित किया है, उसका टोटल जोड़ो तो 1 हजार 800 करोड़ है और वह दो साल के लिए।

आपने अपने कार्यकाल में, जैसा कि और सदस्यों ने भी कहा, हर नगरपालिका, हर नगर परिषद, हर नगरनिगम को पूर्ववर्ती सरकार ने 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ रुपये की सड़कें दी थी जिससे उस शहर का, उस नगरपालिका का और उस जगह की सड़कों का विकास हुआ, आपने उन सड़कों के लिए अभी एक पैसा भी नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि आप उन सड़कों के लिए, जो नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद के अन्तर्गत हैं, मेहरबानी करके एप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है, उसमें यह घोषणा करें कि कहीं यह आपसे चूक हो गई, ताकि उस चूक को सुधारे और आप इस काम को करें।

मैं आपसे इस बात के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन दो सालों में बून्दी जैसी छोटी नगर परिषद के लिए करीब 200 करोड़ रुपये दिए हैं। अब के आपके बजट में, आपके प्रावधानों में बूंदी नगरपरिषद के लिए एक रुपये का भी कोई प्रावधान विशेष रूप से नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करे और बूंद नगर परिषद के लिए भी आप अपनी तरफ से बजट में प्रावधान करे।

यह सही है कि कर्मचारियों की व्यवस्था पूरे प्रदेश में बिगडी हुई है। कोई आज नहीं

बिगड़ी। काफी समय से ना कोई कर्मचारी है, ना कोई काम करने वाला है, ना अधिशासी अधिकारी है, ना कमिश्नर है। ना जाने किस ढंग से उन नगरपालिकाओं, नगर परिषद के काम चल रहे हैं, जो अपने आप में एक समस्या पैदा किए हुए हैं। जितने से भी है, उनके लिए तनख्वाह की व्यवस्था नहीं है। अगर अनुदान का  पैसा नहीं मिले, यहां से नहीं जाए तो 6-6 महीने तक सफाई कर्मचारी, नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को नगरपालिकाएं, नगर परिषद वेतन भी नहीं दे पा रही है। मेरा आपसे  अनुरोध है कि कोई ऐसी सोच बनाएं, ऐसा विचार मंथन करें जिससे नगरपालिका, नगर निगमों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और यह जो दिवालिया के कगार पर जा रही है वह रुक सके। अन्यथा आप और हम यहां कितने ही भाषण दे लें, कितनी ही बात यहां पर आप और हम कर लें, कोई भी सुधार होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। नगरपालिका और नगर निगम को आर्थिक दृष्टिकोण से हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसका कोई प्लान आपके ना तो इस बजट में है, ना आपके विचारों में है, ना आपकी सोच में है। हमको देखने को नहीं मिला। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध व प्रार्थना है कि ऐसा प्लान, जिसमें आप और हम सब  एक ही विचार के हों, मिल जुलकर काम करें। अगर नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम नहीं किया तो यह खोखली संस्था रह जाएगी, बिलकुल निकम्मी, जो इसके कर्तव्य हैं उसका निर्वहन भी नहीं कर पाएगी। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेहरबानी करके आप कोई ऐसी योजना बनाए जिससे नगरपालिका आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो सके और अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके।

यह सही है कि जो शहरी अभियान चला, पट्टों का अभियान चला, दूसरे अभियान चले, इसमें कुछ हद तक नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार की गुंजाइश है। अभियान खतम होने के बाद, जब वह सारे काम रुक जाएंगे तो वापस वही परिस्थिति पैदा हो जाएगी, यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध व प्रार्थना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। बिना एप्रूव्ड कॉलोनियां नगर परिषद, नगरपालिकाओं में बन रही हैं। उसमें मेरा एक सुझाव है, वहां उन अवैध कॉलोनियों के लिए वह लोग रजिस्ट्री करवा लेते है छोटे-छोटे प्लाट की, तो जब तक एग्रीकल्चर लैंड पर, अगर रजिस्ट्रेशन के लिए वह जाएं तो उस एग्रीकल्चर लैंड पर उसकी रजिस्ट्री जब तक ना हो जब तक नगर परिषद एनओसी ना दे। बिना एप्रूव्ड कॉलोनी के रजिस्ट्री हो जाती है, प्लाट कट जाते हैं, प्लाट कटने के बाद वह बनने लग जाते हैं। वह अवैध, अनएप्रूव्ड कॉलोनियां हो जाती हैं। नगर परिषद, नगरपालिका के सामने फिर बिजली की समस्या आ जाती है, फिर नियमन की समस्या आ जाती है। मेरा सुझाव है कि ऐसे पट्टों की रजिस्ट्री कराने के लिए, जब रजिस्ट्रार के पास जाए,तो एनओसी ले, आबादी क्षेत्र में है या एप्रूव्ड कॉलोनी है या नहीं है। अगर आप यह व्यवस्था करेंगे तो अवैधानिक, अनएप्रूव्ड कॉलोनियां बनने जा रही हैं, जब पट्टों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, उनके प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो निर्माण नहीं हो सकेगा, मेरा यह सुझाव है।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। के.डी.ए. बना, कोटा डवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। उससे हमारे बूंदी को सर्वाधिक नुकसान हुआ। 3 हजार बीघा जमीन जो कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए दी, मान्यवर, वह कोटा की नहीं है। वह टोटल जमीन बूंदी विधान सभा क्षेत्र के तालेड़ा तहसील की है। 3 हजार बीघा जमीन हमारी, आपने एमओयू कर लिया और बताया नहीं, उसमें कहीं भी बूंदी का नाम नहीं है। 3 हजार बीघा जमीन आपको दी, उसमें हमारा नाम नहीं है1 मैं चाहूंगा कि जब एयरपोर्ट हो तो उस एयरपोर्ट के नाम में बूंदी का नाम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वहां जन आंदोलन होगा। आप सुन लेना। कोटा वालों ने मिलकर, 3 हजार बीघा जमीन हमारी ले ली। 3 हजार बीघा जमीन लेकर कोटा एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन..

श्री सभापतिः कोटा- बूंदी तो एक ही चीज है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)ः आप सुना लो। कोटा एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जमीन है, जो करोड़ों-अरबों रुपयों की मिल रही है, उसमें जमीन हमारी और बूंदी के विकास में ठन-ठन पाल, मदन गोपाल। कोटा के एयरपोर्ट की जो जमीन बिकेगी उसमें बूंदी को कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें कहां-कहां खर्च होगा, वह एमओयू में लिखा हुआ है और अख़बार में प्रकाशित है। मैं चाहूंगा कि जब 3 हजार बीघा जमीन हमारी है तो हमको उस जमीन की एवज में एयरपोर्ट अथॉरिटी जो कोटा की जमीन को बेचकर पैसा लेगी उसका प्रपोर्शनेट पैसा बूंदी के विकास में खर्च होना चाहिए।

यही नहीं, 64 गांव उसमें ले लिए। सारा काम बंद हो गया। ग्राम पंचायतों को जो अधिकार थे, नगरपालिकाओं के जो अधिकार थे सब ध्वस्त हो गए, एक चबूतरी नहीं बना सकते। पंचायत एक सड़क नहीं बना सकती। लाओ के.डी.ए. की परमिशन, लाओ वहां की परमिशन, कोई पट्टा नहीं दे सकता, कोई मकान नहीं बना सकता, यह हालात है। मैं चाहूंगा कि जो अन्याय हमारे साथ उसमें हुआ है, उसको आप सुधारें और कोटा डवलमेंट अथॉरिटी एक्ट को रिपील करने का आप करें तो उसमें हमारा हित होगा।

**VPS-RTM-26.07.2024-14.20-2e**

इसके साथ ही मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जब नियमन का सवाल है तो नियमन का सवाल हमारे लिए लाभप्रद है। नगरपालिका और नगर परिषदों के लिए तो आप जो प्लान, जो योजना है, वहां हमेशा इसको अभियान के रूप में चलायें। उसको रोकने के बजाए, उन सुविधाओं को देते हुए बिना अभियान चलाते हुए भी अगर उन सब बातों को विधिवत रूप से आप चालू रखेंगे, विधिवत रूप से आप उसको चालू रखेंगे तो नगरपालिकाओं की आय में वृद्धि होगी। तो आप अभियान भले ही मत चलाओ पर उसमें जो संशोधन करना है लेकिन जो छूट है न, जो छूट एक बार अभियान में आपने दे दी, उसके पैसे को अगर आप बढ़ाओगे तो कोई पट्टे बनाने वाला आने वाला नहीं है। वह अगले साल तक आपका इंतजार करेगा कि एक महीने बाद, दो महीने बाद या तीन महीने बाद जब अभियान आयेगा जब ही हम

बनाएंगे तो जब तक नगरपालिका की जो आय के संसाधन हैं, वे नहीं होंगे।

एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी फर्जी पट्टे वाली बात आयी है। अभी धारीवालजी ने विस्तार से उस पर प्रकाश डाला कि अगर कोई फर्जी पट्टा बनता है, गलत बनता है तो सिविल कोर्ट में जाये। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): जुबेर खानजी भी बोले हैं। उन्होंने भी यह कहा है कि मेरे यहां पर फर्जी पट्टे बने हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं, उनकी अलग राय हो सकती है, मेरी अलग राय है, आपकी अलग राय है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एक साधारण परिवार के आदमी को यू.डी.एच. जैसा बड़ा डिपार्टमेंट दिया है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मोहन भागवतजी कल्पना कर रहे थे न कि आदमी पहले सुपर बनना चाहता है। देवता बनना चाहता है, देवताओं का देवता बनना चाहता है, फिर ईश्वर बनना चाहता है, तो आपमें वह भावना नहीं है। जो मोहन भागवत साहब, सरसंघ चालक ने जो कल्पना की है, आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि आदमी की यह नीयत है, पहले वह अच्छा पद लेना चाहता है, फिर देवता बनना चाहता है, फिर देवाताओं का देवता बनना चाहता है, फिर ईश्वर बनना चाहता है, फिर सुपर बनना चाहता है लेकिन आप में वह भावना नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हैं इसलिए साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने वालों की आप भावना समझते हैं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को सकारात्मक रूप से लेंगे। आपका स्टेटमेंट आता है तो मजबूती से आता है। यह कर दिया गया है, वह कर दिया गया है, यह कर दिया गया है, सात दिन में यह रिपोर्ट आ जायेगी, वहां पर ऐसा कर दिया है तो अच्छा है। जो ऐसी शिकायतें हैं, वह आप करो लेकिन मेरा आपसे यह विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि आप केवल इसी में मत उलझे रहना, आपको पांच साल बाद कोई याद नहीं करेगा। आपका यह विजन होना चाहिए कि आप राजस्थान में शहरी विकास के लिए क्या मॉडल देना चाहते हैं? कैसे आप विकास करना चाहते हैं? इस राजस्थान को किधर ले जाना चाहते हैं? आपका विजन है? अगर वह विजन है तो आप पांच साल बाद दुबारा आओ या नहीं आओ लेकिन राजस्थान की जनता आपको याद करेगी कि खर्राजी मंत्री बने थे तो एक नयी दिशा दी, नया सोच दिया, नया विजन दिया, नया काम दिया और इन लोगों के कहने से केवल मात्र पुरानी बातों को दोहरा कर, पुरानी सरकार की शिकायत कर, उनकी आलोचना कर, उनकी जांच करवाने की बात करने में ही आप उलझे रहेंगे तो, मान्यवर, कोई याद नहीं करने वाला। कोई याद नहीं करने वाला। इसलिए मेरा आपसे यह विनम्र अनुरोध है कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): दो मिनट।

श्री सभापति: नहीं, साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सभी को दिया है आपने, मुझको क्यों नहीं दे रहे हो? सभी को दिया है। मेरा आपसे यह विनम्र अनुरोध है और आखिरी में जब सारी बातें हो गयीं और यह नहीं कहना चाहते हैं तो मेरा ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39- नगरीय विकास एवं आवासन एवं मांग संख्या 40- स्वायत्त शासन पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आखिरी में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं।

श्री सभापति: आज समय की पाबंदी है, साहब। विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आज की डिमांड बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्थानीय सुशासन से जुड़ी हुई है। स्थानीय सरकारें ही एक इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं कि उस शहर का माहौल कैसा है, उसकी स्वच्छता कैसी है? ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक शेर कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अच्छा, वह एक ही बोलिएगा फिर आप। हां, आप बोलिये।

श्री सभापति: आप विराजिये। कृपया समय खराब न करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सभापति महोदय, कृपलानी जी ने जो बात कही है, उस पर एक शेर है कि- मुझ में हजार खामियां है, आलोचना करते हैं न यह पुरानी सरकार की कि-

मुझ में हजार खामियां हैं, माफ कीजिए,
और अपने आईने को भी तो आप साफ कीजिए।
आप अपना आईना तो साफ करो।

श्री सभापति: विराजिये। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): चलिये, हो गया। हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): धन्यवाद, जय हिंद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य यह जिक्र कर रहे थे और निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बी.जे.पी. के शासन काल में स्थानीय निकाय को जो मदद की, उसका उल्लेख किया पर हम कब तक मदद करते रहेंगे? क्या स्थानीय निकायों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहिए या आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए?

माननीय सभापति महोदय, हर दूसरे निकाय, नगरपालिका, नगर परिषद छह महीने में उनकी यह डिमांड हो जाती है कि हमको कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है और ऐसी स्थिति में काम अटकना, कामों का रुकना एक सामान्य सी बात हो गयी है

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले समय एक कैबिनेट मेमो भी बना था, उस कैबिनेट मेमो के तहत क्योंकि कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिलती है, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को वह 1997-98 में जो अर्जित चुंगी की आय का दस प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ, 1997-98 में स्थानीय निकायों की चुंगी से आय होती थी, उस आय में दस प्रतिशत वृद्धि हर वर्ष होती है और उसके तहत उस पर्टिकूलर स्थानीय निकाय को वह पैसा दिया जाता है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो कर्मचारियों की बढ़ोतरी भी हो रही है, नगरपालिकाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और साथ-साथ में, कभी जमाने में हमारी अजमेर की नगर परिषद हुआ करती थी, वह आज नगर निगम है, तो वहां पर जितने कर्मचारियों की फौज है, उसके हिसाब से वह पैसा काफी नहीं है कि वह कर्मचारियों की तनख्वाह में बंटे। सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह में ही बटता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कर्मचारियों की तनख्वाह भी पूरी नहीं बंट पाती है, इस दस प्रतिशत वृद्धि के साथ में भी और फिर यदि सरकार ने कोई घोषणा कर दी कि वह सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेगी तो स्थायी रूप से सफाई कर्मचारियों की भर्ती के कारण से कर्मचारियों की संख्या में और वृद्धि होती है। तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय को कि यह पुनर्भरण के पेटे के रूप में जो आप नगरपालिकाओं को, नगर निगमों को देते हैं, वह पुनर्भरण के पेटे के बजाए आप राज्य की संचित निधि से यदि कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे तो हमेशा की जो समस्या है, जो वेतन-भत्तों की समस्या है उसका समाधान हो जायेगा और समाधान होने के साथ ही नियमित रूप से कर्मचारियों को वेतन-भत्ते भी मिलेंगे। चुंगी पुनर्भरण के अनुदान के रूप में जो राशि देते हैं, उस राशि में संचित राजकोष की राशि से, इस निधि से यदि आप तनख्वाह देंगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। इतनी वित्तीय सहायता तो आप हर साल किसी न किसी नगरपालिका देते ही हैं।

एक तीसरा, नगरपालिकाओं में कई बार वेतन का भुगतान हो जाता है और फिर उसकी रिकवरी कर्मचारी से रिटायरमेंट के बाद भी करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि पे-मैनेजर से यह तनख्वाह बनेगी तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने का अंदेशा नहीं रहेगा इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि राज्य की संचित निधि से कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाये और चुंगी के पुनर्भरण के पेटे जो राशि दी जाती है, उसको रोका जाये। ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन की बात हुई। मैं चूंकि, अजमेर नगर निगम से आती हूं, आज से 20 साल पहले जब मैं नगर परिषद की चेयरमैन थी तो उस समय भी बोर्ड में एक साल में एक बार ही मीटिंग होती थी, यह आपने सही कहा है और कमेटियां उस समय भी नहीं बनी थीं। चार बोर्ड, पांच-पांच साल के चार बोर्ड मैंने देख लिये लेकिन आज तक कमेटियां नहीं बनीं और इसका खामियाजा वहां की आम जनता को उठाना पड़ता है, आम लोगों को उठाना पड़ता है। न तो काम समय पर हो पाते हैं और जब समय पर काम नहीं हो पाते हैं तो भ्रष्टाचार के कारण से लोगों को परेशानी होती है और लोगों को यह रहता है कि भ्रष्टाचार के बगैर तो हमारा काम होगा ही नहीं तो वहां पर कमेटी

भी बनाई जाए और नगर निगम की बैठकें, स्थानीय निकायों की जो बैठकें हैं, वह यह जरूरी नहीं है कि आप वित्तीय संसाधन इकट्ठा करना है या वित्तीय आपकी आवश्यकताएं हैं तब ही आप बैठक आयोजित करे, उससे पहले आयोजित नहीं करे तो उससे पहले भी आपको उनकी बैठकें आयोजित करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगी इंदौर नगर निगम का, इंदौर नगर निगम की इनकम दो हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है लेकिन हमारे यहां पर शायद जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर की इनकम भी इतनी नहीं है, तो उन्होंने कैसे यह इनकम पैदा की है, उसको ध्यान में रखकर हम भी ऐसा नवाचार यदि राजस्थान में लागू करेंगे तो हमारी नगर निगम को भी हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

**SSY/RTM/26.07.2024/14:30/2f**

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त निवेदन करना चाहूंगी कि पट्टों के बारे में बहुत लंबी-लंबी, बड़ी-बड़ी बातें हुई कि हमने 13 लाख पट्टे दिये। उन 13 लाख पट्टों में से 254 पट्टे ही ऐसे थे जो गलत पाये गये या उसकी शिकायत कर सकते हैं। कांग्रेस के शासन में मैंने कई बार यह शिकायत की। लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर में कोटड़ा के चौसाला खसरा नंबर 502 जिन्हें वर्किंग जमाबंदी में नये खसरे में 545, 546 के अनुसार जाना जाता है। जिसमें नई आधार जमाबंदी खसरा नंबर 835, 36, 37, 38 और 39 अप्रैल, 2022 से पहले तक अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम सिवाय चक एडीए के नाम दर्ज थी। जब यह नगर निगम को ट्रांसफर हुई तो इस खसरा नंबर की जो 2200 वर्ग गज जमीन है, उस जमीन को वहां से उसके 7 टुकड़े किये गये और बिना कब्जे के, फर्जी कब्जा शो करके उसके पट्टे वितरित कर दिये गये। तत्कालीन समय अखबारों में खूब छपा।

हमने कांग्रेस की सरकार में बहुत प्रयत्न किया कि यह पट्टे जो फर्जी पट्टे हुए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की बहुत बुरी तरह से गंदी बदबू आती है। मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगी कि इसकी जांच कराई जाये और जिन कर्मचारी, अधिकारियों ने सरकार की रेवेन्यू को लोस करते हुए पट्टे जारी किये, उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो और इन पट्टों को निरस्त किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त निवेदन करना चाहूंगी कि अभी निराश्रित पशुओं की बहुत बात हुई। लेकिन हमारे अजमेर नगर निगम में निराश्रित पशु नहीं हैं। वह जो पशु हैं, वह आश्रित हैं। किसी न किसी दुग्ध पालक के पशु हैं। मेरे पहाड़गंज, माखूपुरा, बालूपुरा में यह बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों में उस समाज के लोग काफी तादाद में रहते हैं जो पशु पालन का व्यवसाय करते हैं। उनकी दिक्कत यह है कि वह अपने छोटे-छोटे घरों में कैसे पशु पालन करें। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर डवलपमेंट अथॉरिटी ऐसी कोई योजना बनाये जैसी जोधपुर

और कोटा में बनी है पिछले सालों में। उस योजना में इन पशु पालकों को सस्ते भूखंड बड़ी संख्या में और बड़ी तादाद में दें ताकि वह पशु पालक वहां जाकर पशु पालन का व्यवसाय भी कर सकें, डेयरी उद्योग का संचालन भी कर सकें और डेयरी के माध्यम से अपने दुग्ध उत्पादन के कार्य को ठीक प्रकार से कर सकें। बहुत लंबे समय से अजमेर के पशु पालकों की यह मांग रही है तो मेरा मंत्री महोदय के माध्यम से निवेदन है।

माननीय मंत्री महोदय, इसके अतिरिक्त जो हमारे अजमेर की 48 कच्ची बस्तियां हैं, पट्टे तो 13 लाख वितरित कर दिये, जिन क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के जन प्रतिनिधि जीतकर आते थे उन क्षेत्रों में पट्टा वितरण के कार्य में कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर की बच्ची बस्ती पहाड़गंज, मलूसा रोड, आशा गंज, हरिजन बस्ती और फरीदाबाद में जो बरसों से लोग बसे हैं, पहाड़गंज में तो लोग पाकिस्तान से आकर बसे हैं, उस समय तत्कालीन सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के लिए 164 क्वार्टर के नाम से क्वार्टर्स आवंटित किये थे, लेकिन उन क्वार्टरों की लीज डीड आज तक नहीं हो पायी है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे 164 क्वार्टरों की लीज डीड हो।

जो 48 हमारी कच्ची बस्तियां हैं जिनमें विकास के नाम से या शासन की उदासीनता के चलते अजमेर विकास प्राधिकरण को नगर निगम को हैंड ओवर करनी चाहिए थी, लेकिन वह नगर निगम को आज तक भी हैंड ओवर नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त एक निवेदन और करना चाहूंगी कि जितनी एडीए द्वारा बसायी गयी कॉलोनियां हैं, उनको बसाने के बाद एक टाइम लिमिट में नगर निगम को हस्तांतरित करना होता है। नगर निगम को हस्तांतरित तो करना चाहती है लेकिन उसके जितने खाली प्लाट हैं, उन प्लाटों को हस्तांतरित नहीं करना चाहती और लायबिलिटी नगर निगम पर डालना चाहती है। मेरा निवेदन है कि लायबिलिटी के साथ-साथ कुछ रेवेन्यू के सोर्स, उसमें खाली भूखंड हैं, तो उन खाली भूखंडों के साथ उसको दिया जाये, ताकि उस रेवेन्य2 के द्वारा उन एरियाज की सार-संभाल, झाड़ू, सफाई का काम भी कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगी स्वच्छता के विषय में। जब स्वच्छ भारत मिशन नहीं था, नरेन्द्र मोदी जी के आने से पहले। डोर टू डोर कचरा संग्रहण करते थे, सफाई कर्मचारी खुद करते थे और ठेलों में उसको ओवरलोड करके कचरा डिपो तक लेकर जाते थे।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, मैं 2 पाइंट कहकर पूरा करूंगी। मैंने 2.24 पर बोलना शुरू किया था। अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी व्यवस्था में चूंकि सफाई कर्मचारियों को बहुत लंबी दूरी तक नहीं जाना पड़े इसलिए हर वार्ड में कचरा संग्रहण करने वाला जो कांट्रेक्टर था वह कचरा संग्रहण करता था और उसको कचरा डिपो तक लेकर जाते थे। अभी भी वही व्यवस्था

है। अब मैनुअली जो कचरा है, वह कचरा डिपो तक नहीं जाता है। अब डोर टू डोर कचरे का संग्रहण होता है। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल, डीजल की गाड़ियों से उस कचरे का संग्रहण होता है। माननीय मंत्री जी, आप बाद में बात कर लेना, हमारी बात भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मंत्री महोदय को सुन लेने दीजिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी जो व्यवस्था है कचरा संग्रहण की, चूंकि अब गाड़ियों से होता है इसलिए वह गाडियां डोर टू डोर कचरा संग्रहण करके उसी कचरा डिपो पर डालती हैं, उस वार्ड के कचरे डिपो से फिर स्वच्छता वाला जो कचरा संग्रहण का कांट्रेक्टर है वह वहां से लिफ्ट करता है और फिर कचरा डिपो तक लेकर जाता है। कचरे को वहीं से संग्रहण करके वहीं डालने का तो कोई तुक नहीं है। इसलिए कचरा डिपो जितने बने हैं, हर वार्ड में, आप 10 वार्ड या 15 वार्ड के बीच में एक कचरा डिपो बना दीजिये। परंतु हर वार्ड में जो कचरा डिपो बने हैं जिनसे अड़ोसी-पड़ोसी को समस्या रहती है, वह कचरा डिपो को समाप्त करें। मैंने कई कचरा डिपो को समाप्त करने के लिए नगर निगम को अनेकों बार निवेदन किया। लेकिन उन्होंने उनको समाप्त नहीं किया। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र उनको समाप्त किया जाये।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सिर्फ 2 पाइंट।

श्री सभापतिः आप संक्षिप्त में बात कहें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कचरा डिपो जो हमारा माखूपुरा में बना हुआ है, उस कचरा डिपो पर ठोस कचरा प्रबंधन की कोई माकूल व्यवस्था है नहीं। अभी टेम्परेरी व्यवस्था है। लेकिन वहां से आसपास का जो पानी और जमीन है, जो खेती की जमीन है, वह खराब हो चुकी है। खराब होने के कारण से किसान परेशान हैं।

श्री सभापतिः विराजें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह परेशान हैं कि हमने कचरा डिपो की जगह दी, लेकिन हमने अपनी जमीनों को खराब करने के लिए नहीं दी। इसलिए वह कचरा डिपो की जो जगह है उसको ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो। ताकि लोगों की जमीन खराब नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं मांग संख्या 39 और 40 पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी।

सभापति महोदय, 1974 में संविधान संशोधन का उद्देश्य यह था कि हमारी जो नगरीय निकाय हैं, उनको संवैधानिक दर्जा मिले और वह आत्मनिर्भर होकर के अपनी करारोपण का, अपनी खुद की व्यवस्था लागू कर सकें। उनका मुख्य स्रोत जो था वह था चुंगी। कालांतर में चुंगी समाप्त हुई और एक सिस्टम डवलप हुआ कि चुंगी का पुनर्भरण किया गया।

सभापति महोदय, तत् समय कुछ नगरपालिका, कुछ निकाय ऐसे थे जिन्होंने चुंगी

पुनर्भरण के लिए गलत तथ्य पेश किये। कुछ चोरी भी होती थी तो साइंटिफिक तरीके से उसका पुनर्भरण नहीं किया जा सका। उसी का कारण है कि आज बहुत सी नगर निकाय हैं, अपने कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको प्रोपर सेलरी भी नहीं दे पाती हैं। मेरा विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो पुनर्भरण का तरीका है, इसको एक बार दुबारा मूल्यांकन किया जाये, दुबारा इसको रि-इवेल्यूएट करें। सही मायने में जो सेलरी लग रही है, एक बार उस पुनर्भरण तक पहुंचा दें। उसके बाद में सिस्टम चलता रहेगा।

राष्ट्रीय आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा जितनी भी अनुशंषाएं की गयी, उनका अनुपालन भी नहीं हो रहा है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Theodore Roosevelt - 'This Country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a good place for all of us to live in.', हमारे रहने के लिए देश तब तक एक अच्छा स्थान नहीं हो सकता जब तक कि हम इसे सबके रहने के लिए यथोचित अच्छा स्थान नहीं बनाते।

माननीय सभापति महोदय, कैसे बनेगा? बिना अर्थ के तो बन नहीं सकता और आर्थिक स्थितियां आज बहुत सी नगरपालिकाओं की या बहुत नगर निकायों की ऐसी हैं कि वह अपने क्षेत्र के लोगों को सैलरी भी नहीं दे सकते। अपेक्षाएं लोगों की बहुत बढ़ गयी। दिनों-दिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नगरपालिकाओं पर बोझ बढ़ता चला गया। ऐसी 2 समस्याएं हो गयी नगरपालिकाओं और नगर निकायों के सामने कि एक तो फाइनेंसियल क्राइसिस में हैं, दूसरी जो इसका कॉडर था नगर निकायों का, वह एक तरह से समाप्त प्राय: हो गया। एक लंबा अरसा हो गया कि नगर निकायों में नये ढंग से भर्तियों का कोई सिस्टम तो जैसे सरकार इस बात को भूल ही गई। जब तक आप राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नई भर्तियां नहीं करेंगे।

**Spp/Rtm/26.07.2024/14:40/2g**

माननीय सभापति महोदय, आज बहुत-से नगर निकाय ऐसे हैं जिनमें UDC को ई.ओ. का चार्ज दे रखा है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि वह ई.ओ. नगरपालिका को या नगर परिषद को चला पायेगा? कोई तो सिस्टम हो और यह सिस्टम जब तक हम उसको स्ट्रेन्थन नहीं करेंगे तब तक माननीय सभापति महोदय, बड़ा मुश्किल है।

माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे निराश्रित पशुओं की, बहुत-से एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं, माननीय सभापति महोदय, जो सड़क पर निराश्रित पशु बैठा हुआ है, अचानक दो पशु लड़ पड़े, उनसे कोई एक्सीडेंट हो गया और अचानक वह काल-कलवित हो गया। सरकार के द्वारा कोई न कोई ऐसा ठोस उपाय किया जाना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, यह तो नहीं हो सकता कि हम इन सारे पशुओं को बाहर निकाल दें। लेकिन एक काम हो सकता है कि जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसके

माध्यम से हम शहर के आस-पास में कोई ऐसा स्थान चिह्नित करें जहां पर उन पशुओं को रखें और नरेगा के जो कार्मिक हैं, जो नरेगा के श्रमिक हैं, उनसे उनके चारे-पानी की व्यवस्था करें। सरकार वैसे भी गौशालाओं को अनुदान देती है। इसके माध्यम से यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से से जो आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनमें कमी आयेगी। समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से बड़ी रोक लगेगी और इससे आमजन को काफी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक ऐसे गंभीर विषय की तरफ मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के सभी उपस्थित माननीय सदस्य हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विगत सरकार ने 20 हजार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किये। वह नियुक्ति आज तक नहीं हो पायी है। चूंकि कानूनी बाध्यता है कि जो सिस्टम बना हुआ है रिजर्वेशन के हिसाब से आनुपातिक रूप में किसका क्या रिजर्वेशन होगा, लेकिन हम उन सारी संवेदनाओं को भूल गये। माननीय सभापति महोदय, यह सफाई कर्मचारी कौन है? क्या हमने इसकी कभी कल्पना की है, क्या हम कभी इस बात को अपने दिल में महसूस कर सकते हैं कि यह काम कोई स्वेच्छा से करेगा। माननीय सभापति महोदय, यह काम करने से पहले वह अपने आपको मरा हुआ महसूस करता है। लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी आर्थिक विपन्नता उसके आड़े आ रही है, उसकी अशिक्षा उसके आड़े आ रही है, उसका सामाजिक परिवेश उसके आड़े आ रहा है, फिर भी वह करने को मजबूर है। आज हम ऐसी स्थिति में रहने वाले लोगों के उस रोजगार पर भी और एक कानून का डर दिखाकर हम उस पर कब्जा करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, विगत वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों को आप एक बार देखें कि वाल्मीकि समाज के अलावा जो लोग उसमें भर्ती हुए हैं, उनकी एजूकेशन क्या है? वह साल दो साल बाद में वह अफसर बन जाता है और उसको वही काम करना पड़ता है। अभी कल मैं अख़बार में पढ़ रहा था कि वाल्मीकि समाज हड़ताल पर है और वह लोग जो दूसरी कास्टों से आये हुए हैं,  वह काम कर रहे हैं। कौनसा काम कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, कई बार जैसे हम नेता लोग सड़क के किनारे साफ जगह पर झाड़ू लेकर एक सीन क्रियेट करते हैं न फोटो खिंचाने के लिये, उस तरह का काम करते हैं। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी सब समाजों के लोग जो उसमें भर्ती हो रहे हैं, वह उस नाले में और उस गंदे सीवरेज वाली जगह पर घुसकर काम कर पायेंगे? केवल रोजगार हासिल करने के लिये हम गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह पूरा सदन साक्षी है इस बात का और यदि आप सभी साक्षी हो तो मेरी इस बात पर आप सहमति जतायें। 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तो न केवल रोजगार मिलेगा, वह पूरे शहर की सफाई नहीं करते हैं। आपके घर के सामने एक दिन कचरा पडा रह जाये तो उसमें अपने आपको उद्वेलित महसूस करने लग जाते हैं। अख़बार वाले फोटो छाप देते हैं कि फलां जगह गन्दगी हो रही है। उस गन्दगी को फैलाता कौन है? गन्दगी करने के बाद उसको साफ कौन करता है? क्या हम इतने संवदेनहीन हो गये। एक कानून का डर दिखाकर उन वाल्मीकि समाज के लोग रोजगार पा जायेंगे। कितनी उम्र होती है इनकी, कभी आपने इस बात की

कल्पना की? रोज सुबह 6 बजे उठकर जब सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, गन्दगी उठाते हैं, डस्ट उनके फेफड़ों में चली जाती है और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कभी उनके परिवारों की तरफ आपने झांका?

माननीय सभापति महोदय, हमारी मानवीय संवेदनायें मर गयीं। हम केवल अपने निजी स्वार्थ के चलते इन सारी बातों को देख रहे हैं। यह सदन की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमको सबको इस बात पर सहमत होना चाहिये कि जो रोजगार मिलेगा, परम्परागत रूप से वाल्मीकि समाज के जो लोग इच्छा से करना चाह रहे हैं, उनको मिलेगा। आज उनके घर में न शिक्षा है, न कोई आर्थिक रूप से सम्पन्न है। केवल यह कहकर कि सफाई कर्मचारी का जो रोस्टर के हिसाब से आनुपातिक रूप से रिजर्वेशन होना चाहिये, उसके हिसाब से लगेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कई बार मन इन सारी बातों को देखकर अन्दर से इतना व्यथित होता है। मैं तो आपके माध्यम से पूरे सदन को विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, हम सबको मिलकर माननीय मुख्य मंत्रीजी तक यह बात पहुंचानी चाहिये। उसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि वाल्मीकि समाज का जो परम्परागत रूप से इस काम को कर रहा है उसको प्राथमिकता होगी। केवल पाखंड करके उसमें नौकरी पा जाते हैं और उसके बाद अफसर बनकर हम बैठ जाते हैं और सड़क पर झाड़ू लगाने नहीं जाते। सफाई फिर कैसे होगी? माननीय सभापति महोदय, सफाई नहीं होती है और सफाई नहीं होने का मैन कारण यही है कि वाल्मीकि समाज की आयु कम होती जा रही है, तनख्वाह कम होती जा रही है। जो नई भर्तियां हो रही हैं, वह समाज के लोग नहीं आ रहे हैं तो सफाई करेगा कौन? हम सब जानते हैं लेकिन उस कबूतर की तरह से आंख बन्द करके बैठे हुए हैं कि मुझे तो वह बाज नहीं देख रहा है। बाज देख रहा है और बाज खा भी जायेगा। यह वक्त आ रहा है और मैं, माननीय सभापति महोदय, सदन में यह बात बहुत पीड़ा से कहता हूं कि जिस दिन वाल्मीकि समाज ने यह तय कर लिया 10 दिन के लिये भी, कि हम सफाई नहीं करेंगे, घरों के सामने कचरे का अम्बार लग जायेगा और घर से निकलना मुश्किल हो जायेगा। हम सबको इस बात पर अपनी सहमति जतानी चाहिये। यदि आप सहमत हों तो मेजें थपथपाकर आप इस बात की सहमति दीजिये। आपके हाथ क्यों रुके हुए हैं? आपकी संवेदनायें मर गयीं? माननीय मंत्री महोदय, आप भी साधारण परिवार से हैं और आदमी की विपन्नता उसको किस तरह से परेशान करती है, किस तरह से उसको मजबूर करती है, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने मेरी पीड़ा आपको बता दी। सदन अगर सहमत हो तो अपनी सहमति दे, यह मैं सदन पर छोड़ता हूं। मेरी सहमति है और मैं विनम्र अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, सरकार को चाहिये कि वह उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करे कि परम्परागत रूप से जो इस काम में लगे हुये हैं, पहले उनको प्राथमिकता मिलेगी, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): इसीलिये भर्ती में कम से कम 6

महीने प्रायोगिक परीक्षा लेने के बाद ..(व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इसकी कोई प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती। वह सारे के सारे आडम्बर और ढोंग हैं। माननीय सभापति महोदय, कोई प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती। उस मजबूर को ..(व्यवधान).. काम करता है, जो आदमी दूसरे समाजों से आता है, वह उसको 4 या 5 हजार रुपये देता है और काम उसकी जगह वह करता है और वह आदमी आराम से बैठा रहता है। वह काम नहीं करता। मैं देखता हूं। मैं अपने तर्जुबे से कह रहा हूं और अपने लोगों को देख रहा हूं, अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि जो आदमी नौकरी पा गया वह 4 या 5 हजार रुपये वाल्मीकि समाज के आदमी को देता है और वह वहां पर काम करता है। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने मन की पीड़ा आपको व्यक्त कर दी।

मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि वक्त की अपनी सीमा है। नगरपालिकाओं की, नगर निकायों की यदि आय का हमने कोई सोर्स नहीं तलाशा तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जायेगी। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे यहां आय का स्रोत नगरीय विकास कर है। उसका अपना एक सिस्टम बना हुआ है कि एक सौ गज का होगा तो वाणिज्य और 300 गज का होगा तो उस पर आवासीय और उससे बड़े होंगे तो उन पर आवासीय कर लगेगा। लेकिन आज हमारी कर की जो व्यवस्था है, उससे इतना बड़ा सिस्टम जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका हमारा उस नगरपालिका और नगर निकास से लगाव है तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आपका इसमें अध्ययन करवावें। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक यह ऐसे स्टेट हैं जहां नगरीय विकास कर नहीं है। वहां पर प्रोपर्टी टैक्स हैं। टैक्स लगे उस मधुमक्खी की तरह से लगे जो पुष्प से केवल शहद लेती है पर पुष्प को नुकसान नहीं पहुंचाती। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें भागीदारी होगी, ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन होगा, क्योंकि आज जितनी जिम्मेदारियां नगर निकायों पर पड़ रही हैं, माननीय सभापति महोदय, यह समस्या तो आज नहीं, आने वाले वक्त में सबके सामने होगी।

सीवरेज का प्लांट करीब करीब सब जगह लग रहा है और सीवरेज प्लांट के बाद में जो ट्रिटेड वाटर है, वह भी आज एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। उस पानी को आप कहां कंज्यूम करेंगे? काश्तकार उस पानी को ले नहीं रहा है। सीकर की मैं आपसे बात करूं, माननीय सभापति महोदय, करीब 20 एम.एल.डी. पानी आने वाले दो साल में हो जायेगा। अब उस पानी को यदि कोई इंडस्ट्री नहीं लेगी और कोई नहीं लेगा तो उस 20 एम.एल.डी. पानी को हम कहां स्टोर करेंगे?

**MLS/RTM/26.07.2024/14:50/2h**

एक तो मेरा सुझाव है, इसमें मैकेनाइज्ड रूप से जो सीवेज का हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, उसमें टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट का और प्रयोजन करें। अभी जो हम कर रहे हैं, वह मात्र एसटीपी का कर रहे हैं। उसमें कई तरीके के कैमिकल्स वगैरह रह जाते हैं। उसे यदि हम टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में करेंगे तो पानी की कम्पैरेटिव प्योरिटी 80 परसेंट और बढ़ जायेगी।

उस पानी को हम कहीं भी कोई प्लॉट लेकर, कोई बड़ा भू-खण्ड लेकर स्टोर करेंगे और उस पानी को काश्तकार भी आराम से लेने लग जायेगा। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जो भी आपके एसटीपी वगैरह लगें या जो लग गयी हैं, उन पर भी मेहरबानी करके यह टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट आप यदि लगवाएंगे तो निश्चित रूप से उसका हमें फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, पुरानी जो आबादी है, उसमें संकरी गलियां हैं और ज्यों ही सड़क-सड़क बनती गयी, बिजली के तार काफी नीचे आ गये हैं। अभी आपने अपने बजट में भी प्रोविजन किया है अंडरग्राउंड लाइन का, लेकिन खासतौर से उन जगहों पर यह बजट का प्रोविजन बहुत कम है। इस पर आपको विशेष बजट का प्रावधान करना पड़ेगा कि जहां-जहां तार खुले हैं और संकरी गलियां हैं और रोड के अपग्रेडेशन से तार नीचे आ गये, कई बार हादसे होते हैं वहां और कैजुल्टीज भी होती हैं, ऐसी जो भी गलियां हैं, उनमें मेहरबानी करके अंडरग्राउंड करवाएं आप।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह से नगरीय नियोजन बड़ा बेतरतीब हो रहा है, अनियोजित रूप से हो रहा है, उसके लिए आप नगर परिषद में वरिष्ठ नगर नियोजक लगाएं, क्योंकि जब तक वह पूरे सिस्टम को नहीं समझेगा, नगर का नियोजन पूरे तरीके से नहीं करेगा तो प्रॉपरली नहीं हो पायेगा।

मैंने अभी वाल्मीकि समाज की पीड़ा को व्यक्त किया, उसमें आप सबको भागीदार बनना चाहिये और जो 20 हजार रोजगार देने वाले हैं आप, उसमें विशेष रूप से एक लाइन यह लिखवानी है कि परम्परागत रूप से जो इस काम में लगे हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। आप 6 महीने, 7 महीने का जो इंटरव्यू वगैरह का कह रहे हैं, ये सारे आडम्बर हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज यूडीएच के इस कट मोशन पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यूडीएच के मंत्री महोदय का आपके माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूं। वर्षों से जिस हॉस्पिटल ने सरकार को चूना लगाकर 9-9, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बना दी और उसके लिए जो यहां पर ध्यानाकर्षण के माध्यम से मुझे प्रश्न उठाने का मौका मिला, उसके लिए मंत्री जी ने पूरे प्रशासन को लगाया और उस पर कार्रवाई हुई। पूरे के पूरे अतिक्रमणकर्ता उस हॉस्पिटल के साथ लग गये। वहां पर जिन बच्चों को डॉक्टरी के लिए भेजा था, उन्हें आन्दोलन में उतार दिया। जितने भी भूमि दलाल उनके साथ में लगे हैं, वे सब अतिक्रमी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने निर्णय लेकर ऐसे काम के लिए उन्हें उजागर किया।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, यूडीए का विस्तार जो उदयपुर में आ रहा है, मेरी एक ही प्रार्थना है कि वर्षों से आदिवासी भाइयों ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इतनी मेहनत की और अपना भरण-पोषण के लिए खेती का काम शुरू किया और खेती कर रहे हैं, हमारे पैरिफेरी एरिया में सारी की सारी जमीन को यूआईटी के खाते में

कर दिया गया। आज पैरिफेरी में विकास जीरो है। विधायक फंड का पैसा मैंने लगाया, मगर जब तक यूआईटी इसको परमिशन नहीं देती है, तब तक वास्तव में हमारा वहां पर कोई विकास नहीं हो सकता है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूडीए विस्तार होने से पहले एक तो विकास का करें, क्योंकि पहले यूआईटी थी और उसकी पैरिफेरी का काम आज भी पूरा नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ। कॉलोनियां बन गईं मगर रोड, लाइटें और नालियों जैसी आधारभूत सुविधाओं से वह आज भी वंचित है। सभापति महोदय, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि 30 नवम्बर 2011 से पहले का कोई भी प्रूफ लाओ और पट्टे ले जाओ, पूर्व सरकार ने ऐसी घोषणा की, मगर आज भी वे पट्टों के लिए वंचित हैं। जब इन्होंने पंचायत खाते में जो वास्तव में हमारी आबादी विस्तार के लिए दिया था, उसके विस्तार का आज भी कोई प्रमाण नहीं है। कुछ आराजी नम्बर जरूर दिये थे, मगर पट्टा एक भी नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे यूडीएच मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि हम पट्टे देंगे, पट्टे देंगे, पांच साल निकल गये, 6 महीने पहले उन्होंने घोषणा की कि हम पट्टे देंगे, मगर दिया कुछ नहीं। उन्हें जनता ने जवाब दे दिया, मगर यूडीएच मंत्री महोदय बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं और काम करने की इनमें रुचि भी है। यह पैरिफेरी की पूरे राजस्थान में भी तकलीफ है। इन्हें पट्टा दिलाएं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। साथ में, हमारे जो उदयपुर में एलीवेटेड रोड का दिया है, उसे भी तुरन्त प्रभाव से आप बनाकर जनता के ट्रैफिक दबाव को कम करें। इसे बनाना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, समय तो कम है, बोलना बहुत कुछ है, मगर मेरा यूडीएच मंत्री को आपके माध्यम से यह कहना है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन गयी हैं, बड़े-बड़े कॉम्प्लैक्स बन गये हैं, मगर पीएचईडी वाले उसके अन्दर पानी नहीं देते हैं। मैं पीएचईडी मंत्री महोदय को भी बताना चाहता हूं कि वहां पर कॉम्प्लैक्स में कनेक्शन किस खाते में थे। अगर नहीं दे सकते हैं तो कोई न कोई उनके लिए पानी की व्यवस्था कराएं, क्योंकि वहां पर पीने लायक पानी नहीं है। कैमिकल आ रहा है, वास्तव में पानी के अन्दर सफेद कैमिकल आ जाता है, नल चोक हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें पानी की भारी समस्या है। इसे भी करें।

यूआईटी के जो कन्वर्ट प्लान हैं, उसमें रोडों का, पूर्व सरकार ने तो यूं ही लालच दिया था, मगर मुझे विश्वास है, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो हमारी पूर्व सरकार ने पहाड़ी काट-काटकर, जो वास्तव में हमारे उदयरपुर का हरियाले राजस्थान के लिए नाम आता है, हमारा उदयपुर पहाड़ी कश्मीर कहलाता है, अगर उन पहाडियों को काटकर धराशायी कर देंगे तो हमारे वहां का जो ऐतिहासिक पर्यटन पॉइंट है, उसे भी खत्म कर देंगे, इसलिए हमारे मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो पहाड़ी काटने वाली लिस्ट है, जिसमें उन कम्पनियों का भी मेरे पास ब्योरा है, किस-किसने पहाड़ी काटी है, पूरा का पूरा मेरे पास खाका है। काला रोही, गोरेला, कोड़िया, बारड़ा, ढीकली, फेरनियों का

गुढ़ा, हाथी धरा, कविता, सीसारमा, सुखेर, रघुनाथपुरा, रेबारियों का गुढ़ा, उमयड़ा, खेड़ा कानुपर, कलड़वास, तीतरड़ी, फांदा, धोल की पाटी, नेला, बलीचा और सेठ जी की कुंडाल, ये सारी की सारी मंगरियां काट दी हैं।

अब मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार के बजट का मतलब है चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं मैं।

**mkd/rtm/26.07.2024/15:00/12j**

यूडीएच के अन्दर, इन्होंने 551.55 करोड़ रुपये चुनावी घोषणा में किया था। हमारे यूडीएच मंत्री महोदय ने पहले साल में ही 677.36 करोड़ रुपये देकर यह जाहिर कर दिया कि हमारी सरकार ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है।

सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि आप घंटी बजाने वाले हैं। मैं पूर्व सरकार पर एक कविता के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आती तो नहीं है, मगर कोशिश करता हूं:-

जो कर नहीं सके नगरों का विकास,
वो कांग्रेस खो चुकी जनता का विश्वास।
बस विकास का झुनझुना पकड़ाया,
प्रदेश की जनता ने उनको ठुकराया।
टूट चुकी जब जनता की आस,
कांग्रेस को जनता ने किया बाईपास।
तुमने नाली, सड़कों के लिए हमें तरसाया है,
इसलिए जनता ने कांग्रेस का बैंड बजाया है।
विकास के नाम पर कांग्रेस ने किया कबाड़ा,
विकास के नाम पर खोला नाथी बाई का बाड़ा।
पट्टे जिनको मिलने थे, उनको तुमने नहीं दिये,
गजब जादूगरी के कारनामे कांग्रेस ने किये।
मुफ्त मोबाइल के झांसे में कोई नहीं आया है,
चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है।
पैरीफेरी के गांवों का तुमने विनाश किया,
विकास के नाम पर पूरा सत्यानाश किया।
गली-मोहल्ले को तुमने जिले बना दिये,
विकास का पैसा लाल डायरी में छिपा लिये।
अन्नपूर्णा रसोई का नाम, इन्दिरा रसोई कर दिया,
चमचागिरी का नया इतिहास कांग्रेस ने लिख दिया।
पांच साल तक गहलोत जी, सचिन जी लड़ते रहे,
विकास की बजाय एक दूसरे से झगड़ते रहे।

तब जनता ने कांग्रेस के ताबूत में अन्तिम कील ठोकी है,
भ्रष्टाचार की बहती गंगा जनता ने रोकी है।
2011 में कांग्रेस ने पकड़ाया था झुनझुना,
लाओ कोई भी सबूत पट्टा ले जाओ अपनी आपत्ति बिना।
लेकिन फरेबी कांग्रेस के निकले असत्य सारे वादे,
गुमराह किया गरीबों को ठीक नहीं थे इनके इरादे।
प्रधान मंत्री आवास योजना में गरीब किससे बनाये, कैसे बनाये मकान,
पट्टे नहीं दिये गरीबों को, कांग्रेस है अमीरों की दुकान।
खूब बांटी रेवड़ियां कांग्रेस ने, अपने अन्तिम साल में,
लेकिन जनता नियम समझ गई, नहीं फंसी इनके जाल में।
सत्ता की लुटेरी कांग्रेस ने खूब मचाई लूट,
लेकिन कांग्रेस को ले डूबी अपने अन्दर की फूट।

धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री विद्याधर चौधरी जी।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): सभापति जी, करीबन एक महीने से सदन चल रहा है। यह बात तो सही है कि हमारे जो मंत्री जी हैं, वे स्पष्ट जवाब एवं अपनी शुद्ध बात को कहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं। कम से कम अपनी इच्छाशक्ति को मजबूती से दर्शा रहे हैं। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

अब बात आती है कि निकायों में, नगर विकास में क्या काम हो रहा है। मेरे से पहले आपको हरि मोहन जी ने सारी व्यथा सुनाई। यह सत्यता है कि स्वायत्त शासन व नगरीय विकास में हमारी नगरपालिकाओं का ढांचा बहुत छिन्न-भिन्न सा है। वहां आदमियों की कमी है। हम ठेकेदारों को ठेका देते हैं और वे ठेकेदार पांच-पांच हजार,चार-चार हजार रुपये में काम करवाते हैं। अब आप बताइये, वे क्या काम करेंगे? कैसे स्वच्छता का वातावरण बनायेंगे?

**(समयः बजे)**

**(फूलसिंह मीण, सभापति, पदासीन)**

जब 2014 में मोदी जी आये तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का एक सपना दिखाया। उस सपने को दिखाते हुए, आज सरकार को 10 साल हो गये हैं। आप यह बार-बार कहेंगे, मैं पहले ही कह देता हूं, हमारी भी सरकार थी, हमारी सरकार में भी कमियां थीं। आप उन कमियों से तो कोई न कोई तजुर्बा लो। यानी मूर्ख कोई भी हो, अगर गलती करता है, मैं मूर्ख हूं और गलती करता हूं तो उससे आप तो सबक सीखें कि इसने ये मूर्खता की थी और इसीलिए यह हश्र हुआ है।

अभी फूल सिंह जी कह रहे थे, बड़ी कविताएं पढ़ रहे थे, बड़ी रोशनी फैला रहे थे। आप इन चीजों को अपने यहां मनन कर लें। मनन कर लें तो आगे की पीढ़ी तो सुधरेगी, पीछे कोसने से कोई मतलब नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि रेनवाल नगरपालिका में एक गन्दा नाला है। जो पिछले 60-70 साल से हॉस्पिटल के बराबर से गुजरता है। उसमें मरे हुए जानवर सड़ते रहते हैं। यह पूरे शहर के अन्दर से निकलता है। यदि मंत्री जी उसके निकासी की व्यवस्था करें तो मेरे लिए एक खुशी की बात होगी।

हमारे मंत्री जी किसान वर्ग से और मजदूर वर्ग से आते हैं। इनके पिताश्री की भी एक छाप थी और इनकी स्पष्टवादिता और इनकी सच्चाई को भी मैं धन्यवाद देता हूं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपके पिताजी की भी थी।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): बिलकुल थी। यदि गलत हो तो बता दें, कोई भी सदस्य, नहीं थी। हम उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। आप उसका गलत फायदा उठाते हैं कि यह गलत बोल रहा है। मैं सही कह रहा हूं। वाल्मीकि समाज की बात अभी हरि मोहन जी ने कही थी और हमारे पारीक साहब ने कही थी। यह सच है। यदि हमने सफाई के लिए एक परिवार का जिम्मा रखा है तो उनके बच्चों का पहले ध्यान रखें, उनको पहले नौकरियां दें।

आप जो अभी भर्तियां कर रहे हैं, उनमें आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उन सर्टिफिकेट पर नहीं जाकर, यह देखें कि इस परिवार का पहले का कोई सफाई में लगा हुआ है। परिवार के दो आदमी लगे हुए हैं तो उसको भी मौका दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सच है कि यह समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। आज गन्दे नाले में कौन उतरना चाहता है? इस सदन में बैठा हुआ कोई कह सकता है कि हमारे परिवार के लोग उतर सकते हैं। आप उनकी भी सोचें।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि इस समाज के बारे में गम्भीरता से सोचें। यह जो ठेका प्रणाली है, इसको खत्म करें। आप खुद अपने यहां नौकरी पर लगाये। उनसे अच्छा काम लें।

दूसरा काम है, गन्दे पानी की निकासी। हर नगरपालिका में गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत ही खराब चल रही है।

आप एक राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी, 2024 का प्रारूप तैयार करने जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मंत्री जी को कि मंत्री जी आप एक सामान्य समाज से आते हैं, सामाजिक परिवार से आते हैं। आज यह इस पॉलिसी के तहत उन लोगों को देना चाहते हैं, जो 100 करोड़ का 1000 करोड़ का काम किया हो, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

एक किसान परिवार, जिसके पास 10 बीघा जमीन है। अगर वह अपने संसाधनों से उसको कन्वर्ट करवाना चाहता है और उसका पट्टा लेना चाहता है तो उसकी फैसिलिटी तो खत्म हो जायेगी। अगर आपने यू-वन में 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 30 हेक्टेयर करने जा रहे हैं। मंत्री जी, इस पर अच्छे से विचार करें, अच्छे से सोच के विचार करें कि हम अपने से नीचे वालों को क्यों मारना चाहते हैं?

**Bhs/Rtm/26.7.24/15.10/2k**

तो यह पॉलिसी टोटल ही अडानी अम्बानी की तरह जाने वाली है जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। अब मैं बात कह देता हूं उप मुख्य मंत्री जी वो विचार रख देता हूं आप थोड़ा नाराज मत होना क्योंकि मेरे कहने की एक शैली है। यह सदन एक-डेढ़ महीने से जो देख रहा है और मैं समझ रहा हूं क्या कि एक बार मैं बैठा हुआ था, मेरे पिताश्री ने एक बात बताई तो मेरे को वह बात आज तक भी याद है 15-20 साल पुरानी बात। जयपुर रियासत का ही मामला है। महाराज जयपुर के यहां एक लाल सिंह नाम के आदमी थे जिन पर महाराजा बड़ा विश्वास करते थे और अन्य मंत्रियों से भी ज्यादा उनको महत्व दिया जाता है और यह जिम्मा लगाया महाराज ने कि यह आदमी सही है तो सारे राज-काज के दस्तख़त करने के पॉवर लाल सिंह जी को दिये गये कि जो भी काम होंगे, दस्तखत लाल सिंह के चलेंगे, चाहे जागीर दी जाये, चाहे पट्टा दिया जाये या कोई भी काम हमारी रियासत करेगी। अब क्या था कि दुर्भाग्य से लाल सिंह अनपढ़ थे, लाल सिंह पढ़े-लिखे नहीं थे। उन्होंने देखा कि मेरे पर महाराज साहब ने बड़ी जिम्मेदारी पैदा कर दी अब मैं इस बोझ को कैसे उठाऊंगा तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। तरकीब क्या थी, देखिये, उसका बहुत गहरा असर है उसको आप साधारण बात में मत लीजिये, असर गहरा है। उन्होंने निकाला कि आने दीजिये फाइल, अब फाइल दस्तखत के लिये आई तो उन्होंने कहा हुक्म सरकार का, जिम्मेदारी बाबू की, दस्तखत लाल सिंह के। दस्तखत लाल सिंह के तो सारा काम हो गया तो यहां हमारी जो सरकार आज चली है मंत्री लोग क्या करे। यह मंत्रियों के बारे में गहन विचार करने की बात है कि हुक्म मोदी जी का, जिम्मेदारी चीफ सेक्रेट्री की और दस्तख्त भजन लाल जी के। यह ऐसी चीज चलने में कोई कामयाबी नहीं होगी इसलिये मैं तो खुद दुःखी हूं जब मेरे भाई-बन्धु चाहे इधर के हों, चाहे इधर के हों जब दुःखी होते हैं मंत्री लोग और अपनी व्यथा को सुनाते हैं तो हमारा भी ग्लानि से मन भर जाता है कि ऐसे में तो मंत्री तो क्या एम.एल.ए. भी रहना मैं तो पसन्द नहीं करूंगा अगर मेरे पर कोई जिम्मेदारी की बात ऐसी आती है तो मैं तो वह नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): किसी ने सम्पर्क किया क्या आपसे?

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): किस बात से? मैं तो मेरी बात कह रहा हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो रहा है। इनको जवाब थोड़ी देना है।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): आप गहराई को समझ नहीं रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूं और आप उस पर सवाल-जवाब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस पर मनन कीजिये। मैं इधर की या उधर की नहीं कहता, हमारी सरकार में भी कमजोरियां थी और अभी फूल सिंह जी कह रहे थे कि आपको यह कर दिया, आपकी सरकार को यह कर दिया, यह झटका दे दिया। झटके देने की बारी अब हमारी नहीं है जनता की बारी आपकी है, झटका आपको देगी।

किसान ने और मजदूर ने, जो बड़ा वटवृक्ष होता है न वह एक दिन में सूखता नहीं है उसकी जड़ें खोखली हो जाये तो भी तने पर दम होता है तो वह कई दिनों से सूखता है और किसान, मजदूर ने उसमें एसिड डाल दिया है। आपने देखा होगा अभी यह एसिड का असर आप चार सौ पार की बात कर रहे थे, ढाई सौ पार नहीं हुए, ढाई सौ पार और अबकी बार नारा देंगे आप दो सौ पार का अगर पचास पार हो जाये तो मैं यहीं बैठा हूं। ...(व्यवधान)... सुन लीजियेगा। मैं नहीं बोला। ठीक है आपकी बहुत बढ़िया बड़ाई कर दूं तो आप खुश हो जाओगे क्या?

श्री सभापति: श्री गोपाल जी शर्मा।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): यहां बड़ाई करने के लिए नहीं आये हम। आप मेरी बुराइयां करिये न। हमारे में कमी हो तो बताइये। मैं तो खुद मानता हूं कि हमारी वजह से ही ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्री गोपाल जी शर्मा, आपका समय चालू है।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): उनका भी यही हाल था।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): जय श्री राम। सावधान।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। आपका समय चालू है।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): जय श्री राम। हम देश बनायेंगे ऐसा। ...(व्यवधान)... मैं क्या करूं बेबस हूं, नहीं तो, मैं तो आपके पिताजी का प्रशंसक हूं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): साहब, मेरा समय अभी मत शुरू करिये पहले इनको बैठाइये।

श्री सभापति: शुरू हो गया आपका। उनका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): हम देश बनायेंगे ऐसा, आजादी जिसमें बसती हो। चिर शान्ति, सुमति, उन्नति, सरिता पग-पग पर आकर मिलती हो।

आदरणीय सभापति महोदय, बोलने देने के लिये बहुत-बहुत आभार। पक्ष-प्रतिपक्ष के विद्वान सदस्यों की कृपा का आकांक्षी हूं। कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): 2027 में त्रिशताब्दी समारोह हर्षोल्लास से मनाने के लिये आतुर अद्भुत महानगर जयपुर युगपुरुष लोकप्रिय प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे यशस्वी कर्मठ मुख्य मंत्री माननीय श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में नया इतिहास रचने को बेताब है। नगर नियोजन की दृष्टि से और भोम रेखा चित्र की दृष्टि से सिविल लाइंस विधान सभा क्षेत्र नव जयपुर का ऐसा हिस्सा है जो विश्व प्रसिद्ध परकोटे की

दिशा में उड़ते हुए स्वर्ण मयूर और पक्षीराज गरुड़ का दृश्य उपस्थित करता है। इसके चारों तरफ विधान सभा भवन, सचिवालय, सेन्ट्रल पार्क, गोविन्द देव जी जाने वाला मार्ग, जयपुर रेलवे स्टेशन जैसी अमूल्य रत्नावलियों की श्रृंखला है और आठ करोड़ जनता के मुख्य सेवक श्रीमान भजन लाल जी शर्मा कोहीनूर हीरे की तरह शोभा बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय, 16.28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 1 करोड़ 62 लाख 79 हजार 404 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 3.83 लाख आबादी, 2 लाख 49 हजार 637 मतदाता और राजस्थान की जनसंख्या और मतदाताओं के तुलनात्मक अध्ययन के हिसाब से 10,920 फर्जी मतदाताओं वाला यह क्षेत्र न्याय का इंतजार कर रहा है। इस क्षेत्र में 28 कच्ची बस्तियां हैं, 30 हजार आबादी रहती है। इसमें ज्यादातर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं। 15-20 हजार थड़ी-ठेले वाले हैं, इन्हें व्यवस्थित किये जाने की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि क्या ये मनुष्य नहीं हैं?

सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनको बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंका जा सकता। कच्ची बस्तियों में नारकीय जीवन जी रहे हैं। बच्चों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, नहाने को साबुन नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है। हर मौसम में सिसकते और विलखते बारसात में टांड पर खाना बनाते हैं और गर्मियों के अन्दर शाम होने का इंतजार करते हैं। एक ही कारण है कि ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, ये गरीब हैं। इनको आवश्यक सुविधायें देकर व्यवस्थित रूप से इनको बसाये जाने की जरूरत है। इनके बिना कैसा नगरीय विकास? यह थोथा है नगरीय विकास।

सभापति महोदय, कलेक्ट्रेट से राजमहल पैलेस तक चार सौ करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली एलिवेटेड रोड का भरे मन से स्वागत करता हूं इसलिये कि हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की जो बैठक हुई, किसी ने भी उस एलिवेटेड रोड का समर्थन नहीं किया। सबने कहा कि क्यों बनाई जा रही है हमको पता ही नहीं। हम लोगों को भी पता नहीं है। ऐसा ही एक नासूर कांग्रेस के शासन में जयपुर रेलवे स्टेशन से सिन्धी कैम्प तक बना हुआ ओवर ब्रिज है जो दलाली, जनता के धन के अपव्यय का अट्टहास कर रहा है। जयपुर में कांग्रेस के शासन काल से जयपुर विकास प्राधिकरण के रूप में एक ऐसा उन्मुक्त सफेद हाथी घूम रहा है जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): वो बीजेपी की सरकार में बना था ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका नम्बर आये तब बोल देना। आपका नम्बर आ रहा है अभी। बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): माननीय सभापति जी, कागजी लोगों से रक्षा करिये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपका नम्बर आयेगा, माननीय सदस्य विराजिये। आप बोल लेना।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइंस): कागजी लोगों से रक्षा करिये। ऐसा उन्मुक्त सफेद हाथी

घूम रहा है, ...

**Kas/rtm/26.07.2024/15.20/2l**

जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। इस दलदल में ईमानदार आईएएस से लेकर मेहनतकश सफाई मजदूर तक बेबस हैं। एक तो कमजोर और भ्रष्ट नगर निगम के आचार-व्यवहार और दूसरी तरफ निरंकुश जेडीए मिलकर न्याय और अमन-चैन के दुश्मन बने हुए हैं।

सभापति महोदय, मेरी विनम्र मांग है कि नगरीय विकास की दृष्टि से सिविल लाइंस के साथ विद्याधर नगर और हवा महल को केद्रीय कांवटिया अस्पताल को उन्नयन करने जैसे अर्थहीन शब्द से हटाकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाये। इसी तरह से बनीपार्क क्षेत्र में 64 कमरों का हैरिटेज गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल है, जिस पर चुनाव के नाम पर कलेक्ट्रेट ने तीन कमरे कब्जे किये हुए हैं और उस बहाने रात को आकर लड़कियों की स्कूल में नशाखोरी और ड्रग्स लेने का काम करते हैं। वहां से उन कमरों को हटाया जाये और इसको सह-शिक्षा के रूप में तीनों विषयों को लागू करते हुए क्रमोन्नत किया जाये। वहां लगी हुई सरस्वती जी की प्रतिमा निहार रही है कालेज बनाने के लिये। सिविल लाइन क्षेत्र में भू-खण्ड उपलब्ध है। यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी से मेरी प्रार्थना कि वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिये और भारत के सबसे बड़े खेल गुरु हमारे अपने, हमारे राजस्थान के झुंझुनूं जिले के, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए, सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय पदक दिलाने वाले सतपाल जैसे महाबलि के गुरु पूजनीय गुरु हनुमान के नाम पर वह जगह रखी जाये।

अधिवक्ताओं के केन्द्र के रूप में मशहूर कलेक्ट्रेट के आस-पास विशाल पार्किंग की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ताओं के बैठने के लिये कोई जगह तक नहीं है। अच्छा होगा कि कलेक्ट्रेट पार्क के नीचे भूमिगत पार्किंग बने और ऊपर 40 फीट ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगे। इससे सारे देश में एक अच्छा संदेश जायेगा।

बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, भू-माफियाओं का शिकार हो रही द्रव्यवती नदी के किनारों को उनसे मुक्त किया जाये। मेरा निवेदन है कि सुविधा, सक्रियता, सन्नद्धता की दृष्टि से सिविल लाइन क्षेत्र में भूमि की तलाश करके पत्रकारों के लिये एक बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाया जाय, जो विधान सभा और सचिवालय के निकट हो। इससे पत्रकारों की योजनाओं में शामिल भू-खंडों की मांग प्रभावित नहीं होनी चाहिये। पत्रकारों पर विचार करते समय अधिस्वीकरण का नियम लागू नहीं किया जाय, क्योंकि ज्यादातर पत्रकार गैर अधिस्वीकृत हैं।

विद्वान सभापति महोदय, सिविल लाइन में 127 उपेक्षित और उजड़े हुए पार्क, 5 दुर्दशा का शिकार श्मशान, 3 अतिक्रमण करते कब्रिस्तान, 5 अभावग्रस्त सामुदायिक केन्द्र, 32 गंदे और दूषित सार्वजनिक शौचालय और खुले में खड़े होकर नजर आने वाले 102 मूत्रालय हैं। यह हमारे अब तक के नगरीय विकास की तस्वीर है, जिस पर अपराधों से घिरे हुए एक व्यक्ति की एक हजार शिला पट्टिकाएं लगी हुई हैं। फर्जी पट्टे लेने के नाम पर उनके परिवार के ऊपर

एफआईआर दर्ज है। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या लोकतंत्र में यह संभव है?

आदरणीय सभापति महोदय, इस क्षेत्र में नियमों के खिलाफ बहुमंजिला परिसरों की इतनी भरमार है कि पूर्व उप राष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने दर्द भरे शब्दों में कहा था कि सिविल लाइन की सुरक्षा खतरे में है। यह दर्द भरी दास्तान अंधी गली की ओर लेकर जाती है, जिसके जिम्मेदार गुलाबी नगरी को नोचने, खसोटने और चीर हरण में जुड़े कतिपय भेड़िये हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।

श्री सभापति: 30 सैकण्ड में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): दो मिनट, यह बस दो-तीन पेज हैं।

श्री सभापति: 30 सैकण्ड।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे याद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 सितम्बर, 1996 को तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री, कांग्रेसी नगरीय विकास मंत्री और आईएएस कमिश्नर सहित जेडीए के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिये सीधे-सीधे दोषी ठहराया था। यह दास्तान आजादी से शुरू होती है।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): एक मिनट। मेरे को कभी समय मत दीजिए, मेरे सिविल लाइन से जुड़ा हुआ विषय है, एक मिनट।

यह दास्तान आजादी से शुरू होती है और तब की घटनाओं के बारे में तत्कालीन महारानी गायत्री देवी ने 'मेरी स्मृतियों' के पेज नंबर 150 पर लिखा है, 'निजी कंपनियों के साथ अनुबंध होते ही उन्हीं कंपनियों को ठेके मिलते हैं, जो सम्बन्धित मंत्री को सबसे अधिक रिश्वत देता है।' गायत्री देवी जी लिख रही है, 'एक बार भारी वर्षा बांध टूट गया। गेट खोल देने पर समस्या का निराकरण हो जाता, लेकिन उस समय बांध का प्रभारी सिनेमाघर में पिक्चर देख रहा था।'

श्री सभापति: श्री समरजीत सिंह जी।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सभापति महोदय, सब खतम, सिर्फ ये हैं। माननीय सभापति महोदय, यह वह जयपुर है, हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री कोई भी नहीं जानते थे।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय, मैं कह रहा हूं कि मुझे कभी समय मत दीजिएगा। 24 फरवरी, 1902 को जयपुर दर्शन करके लौटे महात्मा गांधी ने 4 मार्च, 1902 को गोपाल कृष्ण गोखले को पत्र में लिखा था जयपुर अद्भुत जगह है।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, हमारी तरफ से ऐसे कोई बोलता है तो माइक बंद हो जाता है और उनके माइक चालू हैं, आप बंद करवाइए।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आपको पूरा समय दे दिया। समरजीत सिंह जी।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, मांग संख्या 39, 40…

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 000

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): अंकित ही नहीं हो रहा, इसको टेबल कर दो अब।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 000

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है। आपको पूरा समय दिया है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 000

श्री सभापतिः आधा मिनट में समाप्त कीजिए। प्लीज, आप बैठिए।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): मेरा समय नहीं जाना चाहिये।

श्री सभापतिः नहीं जायेगा आपका।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 24 फरवरी, 1902 को जयपुर दर्शन करके लौटे महात्मा गांधी ने 4 मार्च, 1902 को गोपाल कृष्ण गोखले को पत्र में लिखा 'जयपुर अद्भुत जगह है। कलकत्ता के म्यूजियम से अलबर्ट म्यूजियम की इमारत बहुत अच्छी है और उसका कला विभाग स्वतः अध्ययन की चीज है।' मेरी मांग है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के आह्वान को समर्थन दिया जाना चाहिये। गुलामी की मानसिकता बदली जाये। मैं मांग करता हूं कि आजादी के आंदोलन से जयपुर को अलग रखने वाले मिर्जा ईस्माइल के नाम को बदल कर भगवान गोविंद देव मार्ग, एयरपोर्ट को भैरोंसिंह शेखावत मार्ग और रामगंज को प्रभु रामगंज मार्ग किया जाये। इसके साथ ही मेरा यह विनम्र निवेदन है कि भारत जोड़ो सेतु को बदल कर विकसित भारत सेतु होना चाहिये, धन्यवाद।

श्री सभापतिः दोनों ही दलों के माननीय सदस्य, आज करीब 53 तो दोनों दलों के हैं और निर्दलीय सहित 60 वक्ता बोलने वाले हैं। अगर समय पर आप क्लोज नहीं करोगे तो यह कितनी देर तक चलेगा? जो बात आपको लास्ट में बोलनी है, उसको पहले बोल दो। मैं दो मिनट पहले घंटी बजाऊंगा। आपस में बात करने से ही टाइम बरबाद होता है। प्लीज सहयोग करें, क्योंकि समय का अभाव है। माननीय समरजीत सिंह जी, आपका समय चालू हो रहा है।

**msk/rtm/26.07.2024/1530/2m**

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, डिमांड 39, 40 नगरीय विकास और स्वायत्त शासन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम डिमांड पर चर्चा करते हैं तो सरकार भी डिमांड पर हमसे समर्थन या मांग पास कराने आती है। इसलिए आती है कि जनहित के जो कार्य हैं, जनहित के जो सुझाव हैं, जो स्कीमें आप लेकर आये हैं, उन्हें सदन के मार्फत पास कराया जाये। हम लोगों को भी अपने विचार कटौती प्रस्ताव के मार्फत और सभी तरह से डिस्कशन के मार्फत देना चाहिए। ताकि सरकार उन पर अमल करे, विचार करे।

मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल पूरे देश में डबल इंजन की सरकार की बातें चलती हैं और राजस्थान में विशेष तौर पर चलती है। राजस्थान को केन्द्र का फायदा मिले, बजट के

द्वारा। बचपन से हम डबल इंजन.. सभापति महोदय, आपको ध्यान है। हम बचपन में देखते थे कि जब एक इंजन फेल हो जाता था तो पीछे डबल इंजन लगाया जा सके ताकि मालगाड़ी आगे खिसक सके। हमारा तो अनुभव यह है, फिर भी आप समझते हैं कि दो इंजन लगाने से ताकत आयेगी तो अच्छा लगाइये और इसको चलाइये। आपके पास पांच साल हैं। इसमें हम पॉजिटिव डिस्कशन के साथ अच्छे सुझावों के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जिम्मेदारी हाउस की है। इसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा होती है। आप लोगों को हमारे सुझाव लेने चाहिए, उनको आगे अमल में लाने चाहिए। आज चर्चा में अनुभवी धारीवाल साहब, कृपलानी जी, सभी ने अपनी बातें कहीं, जिन्होंने लोकल बॉडीज को संभाल रखा है। एक बात सामने आयी, काफी डिटेल्ड डिस्कशन भी हुए कि पट्टे गलत दे दिये, सही दे दिये। मैं धारीवाल साहब से सहमत हूं कि जो काम करेगा, उससे गलत और सही भी होगा। गलत है तो आप उस पर फैसला करिये। अगर आप काम को लेकर ही बैठ जायेंगे तो राजस्थान की जनता का विकास कैसे होगा?

मुझे एक उदाहरण अभी बैठे-बैठे याद आ रहा था कि कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट पर आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले के दरमियान एक बात बाहर आयी कि सीसीटीवी कैमरे की फाइल कागजों में दबी हुई पड़ी रही। किसलिए पड़ी रही? क्योंकि कोई अधिकारी उस पर निर्णय नहीं करना चाहता था। रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। इस राजस्थान का विकास करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है तो जोखिम उठाइये। फैसला कीजिये, अधिकारियों को भी छूट दीजिये और जनप्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल करिये। मैंने देखा है, अभी गोपाल जी भी फ्लाइओवर की बात कह रहे थे। बाबू सिंह जी नहीं बैठे हैं। जोधपुर में बी जे एस में भी फ्लाइऑवर बना। बिना सोचे-समझे बन जाते हैं। जोधपुर के अन्दर एच बना दिया, वह उतरेगा कहां, जायेगा कहां, यह पता नहीं चलता है। दिखने को तो बाहर बहुत अच्छा दिख रहा है, पर अन्तर जाते हुए, संकरी गलियों के अन्दर घुसना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस तरह के फैसलों में, खाली अधिकारियों की और मंत्री की नहीं, सारे जनप्रतिनिधि, जो उस इलाके से जीतकर आते हैं, उनके सुझाव लेने चाहिए और उस पर क्रिएटिव डिसीजन होना चाहिए। आपने आज इस बजट में भी काफी बातें की हैं। कई फ्लाइऑवर की बात की है, एलिवेटेड रोड्स की बात की है, जो वक्त की जरूरत है और हमें इनको बनाना चाहिए। मेरा जोर देकर कहना है कि जो एम.पीज. हैं, एम.एल.एज. हैं, वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप सुझाव लीजिये और फिर फैसला कीजिये, जिससे वे फैसले सही होंगे। जनप्रतिनिधि 25-30 साल से जो सड़कों पर धूल फांकते हुए आते हैं, वह जनता का अनुभव होता है। वह जनता की सलाह होती है। उस सलाह से अगर काम होंगे तो इस तरह के गलत फैसले कभी नहीं होंगे।

मेरा आपसे कहना है कि वैसे तो यूडीएच में ग्रामीण परिवेश से मंत्री जी आ रहे हैं। गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी होता है। लोग किस उम्मीद से आते हैं? कि हम शहर में जायेंगे, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ायेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लाइट होगी, बिजली

होगी, पानी होगा। अगर हम वही सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो इसमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रह जायेगी। उसके लिए मैं पुनः कहूंगा कि फिर जनप्रतिनिधियों की सलाह होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि नगरपालिकाओं की मीटिंगें बुलायी नहीं जाती हैं। आपके जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जाती है। कांग्रेस सरकार ने डायरेक्ट इलेक्शन किये थे, आप वापस उसकी पुरानी प्रथा पर आये हैं, चलो कोई बात नहीं। परन्तु, जो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, उनको भी आपको एक ताकत देनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि स्थानीय निकायों को अधिकार नहीं हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ईओ की ए.सी.आर. भरने, मूल्यांकन करने की पॉवर चेयरमैन को दी जानी चाहिए, ताकि कुछ ताकत रहे, कुछ वजूद तो रहे, वरना उसकी कोई पूछ ही नहीं होती है। इसी तरह से कई फाइलें हैं, फार्महाउस की है। सारी फाइलें भू-परिवर्तन के लिए जयपुर आती हैं। क्या हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं कर सकते कि लॉकल बॉडीज नीचे के स्तर पर समय की बचत हो। लोगों की फाइलें नहीं अटकें। गलत फैसला होगा तो ऊपर रिव्यू हो सकता है। यह मेरा आपको सुझाव है। निकाय स्तर पर आपने ईओज को अनलिमिटेड पॉवर दे दी, चेयरमैन परचेज की पॉवर वगैरह में नहीं है। आपको इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। लोकल बॉडीज को, जो मैंने आपको निवेदन किया है कि डी-सेंट्रलाइज करके नीचे तक पॉवर देनी चाहिए।

हमारे यहां भीनमाल में मास्टरप्लान का काम पिछले साल से चल रहा है। अभी जो मास्टर प्लान इन्होंने तैयार किया है, उसमें जो पिछला था, उसका कॉपी-पेस्ट कर दिया। उसके अन्दर भी सबसे बड़ी चीज क्या चल रही है कि उसके अन्दर कुछ भी चेंजेज करने के लिए सीधा एसटीपी जोधपुर के पास सम्बन्धित जगह के लोगों को बुलाया जाता है और उसमें क्या नहीं होता है, वह आप और हम सब जानते हैं, उसके बाद में उससे चेंजेज हो रहे हैं। इस चीज पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। भीनमाल के मास्टर प्लान की पुनः जांच करके जो कॉलोनीज पहले से रेगुलराइज हो चुकी हैं, उनको पैरीफेरी से बाहर रख दिया। इसमें इंटेंशन क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। नगरपालिका में और स्वायत्त शासन विभाग में जिस तरह का चल रहा है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मास्टर प्लान में मेरी मांग है कि भीनमाल बहुत कंजेस्टेड सिटी हो गया है, पिछली सरकार ने तो वहां पर फ्लाई ओवर बना दिया। हमारे यहां जसवन्तपुरा रोड है, वहां शहर के बीच में रेलवे है, वहां अंडरब्रिज बने, रिंग रोड बने, ताकि जो बाहर का ट्रैफिक है, सब निकल जाये।

एक सबसे बड़ी चीज है कि नगरपालिकाओं से लैंड अलॉट की जाती है अस्पतालों के लिए, सिनेमा हॉलों के लिए, भीनमाल में तो बहुत पहले एक सिनेमा हॉल के जमीन अलॉट हुई। मैंने तो अभी तक वहां सिनेमा हॉल नहीं देखा है, सुना है कि उसको कमर्शियल परपज के लिए बेच दिया गया। इन चीजों को भी देखना चाहिए। स्टेडियम, बहुत ही सुन्दर स्टेडियम, 1980 में वहां क्रिकेट स्टेडियम बना। रणजी ट्रॉफी का मैच भी हुआ। बॉम्बे के एक सेठ ने उसमें पैसा लगाया, अब सेठ साहब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका अनुबन्ध भी खत्म हो गया। मेरा सुझाव है कि उसको नगरपालिका को सुपुर्द कर, कमेटी बनाकर, ताकि

हम विधायक कोष से भी उसमें पैसा दे सकें, उसका विकास कर सकें, युवाओं को उसका फायदा मिल सके। इस तरह के जो अलॉटमेंट, हॉस्पिटलों को दिये गये। इतने हॉस्पिटलों को लैंड अलॉट कर दी गयी। गवर्नमेंट का कुछ तो कंट्रोल उसमें होना चाहिए। ताकि आम जन को उससे सुविधा मिल सके। एक और, जो आज पानी की लाइनें बिछ रही हैं। उससे पूरे शहर को खोद दिया गया है। अब दो विभागों के बीच में वे सड़कें टूटी पड़ी हैं।

श्री सभापति: आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): बस खतम ही कर रहा हूं। यह कहा जाता है कि वह ठेकेदार ठीक करेगा या वह विभाग ठीक करेगा। इस चीज का भी कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि जनता का क्या कसूर है? जनता को तो आपको सुविधाएं देनी चाहिए। रोडें ठीक हों, बिजली पानी सब ठीक हो। मंत्री जी बाहर थे, मैं आपको अन्त में यही कहना चाह रहा हूं कि आप ग्रामीण परिवेश से आये हैं। सौभाग्य है कि शहरों को भी सुधारने का अवसर है। आप ऐसी सुविधा दें, ताकि लोग इन शहरों में जाकर रहें। एक अच्छे वातावरण में रहें, उन्हें भी लगे कि आपका जो आजकल स्वच्छ भारत का नारा है, वह वास्तव में स्वच्छ दिखे, यह मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अजय सिंह।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39-नगरीय विकास एवं आवासन व मांग संख्या 40-स्वायत्त शासन पर चर्चा है। मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं। समय देने के लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर आवासीय कॉलोनियां बसाने के लिए कृषि भूमि को अवाप्त किया जाता है। अवाप्ति के पश्चात खातेदारों को मुआवजा दिया जाता है।

**mdp/rtm/26.07.2024/15:40/2n**

अभी सरकार के द्वारा घोषणा की गयी है, वर्तमान सरकार के द्वारा, जिन प्रकरणों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है या भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा देने का आदेश हो चुका है, उसमें 15 प्रतिशत की जगह अब 25 प्रतिशत विकसित भूमि उसी स्थान पर अथवा उसी राजस्व ग्राम में दी जायेगी। ये बहुत अच्छी घोषणा है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सांगानेर तहसील के ग्राम सुखालपुरा, देवरी, मांग्यावास, झालाना चौड़, बलरामपुरा एवं मानपुरा की कृषि भूमियों को मानसरोवर योजना के लिए अवाप्त किया गया था। 30 नवम्बर, 1982 एवं 2 जनवरी, 1990 को इसका अवार्ड जारी किया गया, लेकिन इतना समय होने के बाद भी अभी तक 40 वर्षों के बाद भी खातेदारों को मुआवजा नहीं दिया गया। मेरा आपसे आग्रह है कि इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए।

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गत सरकार के समय 24 सितम्बर, 2020 को एक परिपत्र जारी करके यह स्पष्ट किया गया कि यदि खातेदार या

उसके वारिसान द्वारा अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अंतिम क्रेता को अगर रजिस्टर्ड करा दी गयी है तो विकसित भूमि का आवंटन किया जायेगा। इसके बाद में 1 जून, 2022 को फिर एक परिपत्र सरकार के द्वारा जारी किया गया कि भूमि अवाप्ति के अंतर्गत अवार्ड के पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि क्रय की जा चुकी है, उसमें अंतिम क्रेता को विकसित भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। जेडीए इस तरह के काम कर रहा है। जेडीए ने खूब आवंटन कर दिए हैं। पश्चातवर्ती जो क्रेता होता है, उसके हक में वह आवंटन करता है भूमि का। मेरा आपसे आग्रह है कि जो मूल खातेदार हैं, उन्हें भी आप विकसित भूमि का आवंटन करें। जिन्होंने रजिस्टर्ड डाक्यूमेंट से, उनके वारिसान ने उसको बेच दिया है, उनको भी विकसित भूमि का आवंटन करें। जो मुआवजा मिलना है, ये आवासन मंडल विभाग के द्वारा किया जायेगा। मेरा इसमें भी आपसे आग्रह है कि 40-30 वर्षों के बाद भी खातेदारों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आप इसको देखें। अच्छे अधिकारी वहां लगाएं। विशेषकर जो भूमि शाखा है, उसको आप देखें कि लंबे समय से जो भी अधिकारी, कर्मचारी वहां पर हैं, उनको हटाकर अच्छे अधिकारी, कर्मचारी लगाएं। इसका समय सीमा में निस्तारण करें।

माननीय मंत्री महोदय के मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे डेगाना नगरपालिका अभी बनी है, लेकिन वहां कार्यालय भवन नहीं है। इसके लिए 2 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने का श्रम करें। मेरे डेगाना शहर में उसकी जो भौगोलिक स्थिती है, जो टोपोग्राफी है, उसका लेवल एक समान नहीं है। वहां पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। विशेष रूप से जो रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास रेलवे लाइन के आसपास बहुत अधिक पानी भर जाता है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि डेगाना शहर के गंदे पानी की निकासी हेतु पंपिंग एवं गंदे पानी के ट्रीटमेंट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और इसके लिए पृथक से 6 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाए।

माननीय मंत्री महोदय, डेगाना शहर में गत सरकार के समय पानी की पाइप लाइनें बिछाई गयी और सभी सड़कों को तोड़ दिया गया। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि टूटी हुई सड़कों के लिए 15 करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत करने का श्रम करें। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब डेगाना नगरपालिका बनी तो नगर पालिका के आसपास के जो भी उसके क्षेत्राधिकार के गांव थे, उनकी सभी सरकारी भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज हो गयी, उनकी खातेदारी। उनमें से कुछ खसरा नंबरों पर आबादी बसी हुई थी। वह आबादी तीस-चालीस साल से बसी हुई थी। उनके पास बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, लेकिन जब पट्टे की बात आयी तो जमाबंदी में उस खसरा नंबर में उसकी किस्म गोचर बता रखी थी। इस कारण से आज तक उनको पट्टे नहीं मिले। ये प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं की समस्या है। मैं इसके बारे में मंत्री जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जेडीए ने हजारों पट्टे चरागाह भूमि पर दे दिए हैं। जब जेडीए दे सकता है, जयपुर विकास प्राधिकरण हजारों पट्टे चरागाह भूमि पर दे सकता है तो एक छोटी नगरपालिका क्यों नहीं दे सकती? छोटा

कस्बा होने से, छोटी नगरपालिका होने से अधिकारी डरते हैं पट्टा जारी करने से। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका कोई न कोई परिपत्र निकाल कर आप स्पष्ट करें कि क्यों नहीं दिए जा सकते वहां पर पट्टे? या तो जमीन के बदले जमीन लें, जब शहर में हैं, उसका शहरीकरण ही हो गया, नगरपालिका बन गयी, अलग से गौशालाएं हैं, उनके पास में समुचित भूमि है तो इसका आप जरूर निस्तारण करवाए।

माननीय मंत्री जी के मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि डेगाना में नगरपालिका में मास्टर प्लान बनाया गया था, गत सरकार के समय। उसमें बड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। कुछ लोगों को लाभ देने के लिए उसको बना दिया गया है। अभी लागू नहीं हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसका सर्वे करवाया जाए। सर्वे व जांच करवाकर उसके बाद में उसको लागू करें ताकि कोई जन आंदोलन न हो और हमारा डेगाना विकास की ओर अग्रसर हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री सुरेश जी मोदी।

**सूचना**

**हनुमानगढ़ की मटोरिया वाली ढाणी गौशाला में गायों की मृत्यु**

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में मटोरिया वाली ढाणी गौशाला में रात्रि 6 बजे से लेकर अब तक 28 गायें मर चुकी हैं। कोई पानी में जहर मिला गया। इस कारण 28 गायें मर चुकी हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर अवगत करवा रहा हूं। कृपया कार्यवाही करवाएं।

श्री सभापतिः श्री सुरेश जी मोदी।

**मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन व**

**मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर विचार**

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, समय की सीमा को देखते हुए मैं सबसे पहले अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। सबसे बड़ी समस्या मेरे यहां की रेलवे के अंडरपास की है। रेलवे ने जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया तो उस समय हमारे यहां जो चालू रेलवे क्रांसिग नंबर 76 था, उसके ऊपर आरओबी का निर्माण करके उस फाटक को बंद कर दिया। नीम का थाना शहर की आबादी रेलवे लाइन से दोनों तरफ है। दोनों तरफ बसी है, दोनों तरफ बंटी है। रेलवे लाइन के पश्चिम दिशा में लगभग 15 गांव भी हैं, जो नीमकाथाना के साथ लगते हुए हैं। उन सबके सामने एक बड़ी समस्या हो गयी। जिन लोगों के पास वाहन है, वह तो ओवर ब्रिज के ऊपर से जाकर निकल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पैदल निकलना होता है, जिन लोगों के पास छोटे साधन हैं, उनको एक बहुत बड़ी समस्या हो गयी है। ऐसे लोग रेलवे लाइन को पार करके आने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी।

सन 2022 में राज्य सरकार को अवगत कराने पर उन्होंने समस्या को गंभीर मानते हुए डबल बॉक्स अंडरपास बनाने की सहमति प्रदान की। इस बाबत भूमि अवाप्ति के लिए 3.85

करोड़ रुपये स्वीकृत किए। अब समस्या यह है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी कहता है कि पूर्ण मुआवजा राशि मेरे पास जमा कराए नगर पालिका। नगरपालिका ने रूडसिको को लिखा कि ये जो राशि है यह भूमि अवाप्ति अधिकारी को जमीनों का अवार्ड जारी करने के लिए दी जाए। रूडसिको कहता है कि पहले एसडीएम अवार्ड जारी करे, हम रकम इसके बाद देंगे। एसडीओ ने नियम दिखाएं हैं और नियमों का हवाला देते हुए रूडसिको को लिखा है कि पहले आपको राशि देनी पड़ेगी, इसके बाद हम अवार्ड जारी करेंगे। दो विभागों के, दो अधिकारियों के इसी पत्राचार में, इस झगड़े में जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आरयूआईडीपी, रूडसिको को अवार्ड पारित करने के लिए राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी को भेजने के लिए निर्देशित करें, जिससे इस समस्या का अंत हो सके और लोगों को राहत मिल सके।

दूसरी एक जो सबसे बड़ी समस्या है, वह मास्टर प्लान की है। नीमकाथाना का मास्टर प्लान 2012 में स्वीकृत किया गया। अब वह मास्टर प्लान जाने किस दफ्तर में बैठकर बनाया गया, वास्तविकताओं से बिलकुल परे। जहां मकान बने हुए हैं, वहां चरागाह भूमि दिखाई हुई है। जहां श्मशान है, वहां स्कूल दिखाया गया है और जहां स्कूल है, वहां अस्पताल बताया गया है। इस तरह का बिलकुल त्रुटिपूर्ण मास्टर प्लान बनाया गया है। बिना नगर पालिका मंडल की स्वीकृति के उसको लागू भी कर दिया। यानी मंडल की स्वीकृति, नगर पालिका की स्वीकृति मास्टर प्लान के लिए नहीं ली गयी। 2017 में इसको संशोधित करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति ली गयी और वह अनुमति होने के बाद मास्टर प्लान रिवाइज करके टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। तब से आज तक वह संशोधित मास्टर प्लान टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया।

**Ans/rtm 15.50 2o 26.07.2024**

अब नीमकाथाना जिला बन गया। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट कहता है कि आप नये सिरे से दूसरा मास्टर प्लान बनाओ, ज़िले के हिसाब से बनाओ, उसमे ज़िले के कहां कार्यालय बनेंगे, कहां दूसरे विभाग आएंगे, इन सबका हवाला देते हुए दूसरा मास्टर प्लान बनाओ। हमने दूसरा मास्टर प्लान भी संशोधित करके पेश कर दिया, लेकिन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा। इस मास्टर प्लान के एप्रूव्ड नहीं होने की वजह से, नगरपालिका के सारे काम रूके हुए हैं। पट्टे वगैरह, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है।

पूर्व सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली। अभी सदन में इसके बारे में बहुत चर्चा हुई। मेरा भी आपसे निवेदन है कि शीघ्र भर्ती प्रक्रिया निर्देशित करे, जिससे वह भर्ती चालू की जा सके और नगर की सफाई का इंतजाम किया जा सके।

मंत्री महोदय, नीम का थाना जो नगर परिषद बन चुकी है, उसमें केवल एक एलडीसी कार्यरत है। बाकी सारे कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। पूरी नगर परिषद में एक एलडीसी कार्य कर रहा है। हमारे यहां एक नेता जी है, जो जनता को फिल्म और ट्रेलर

दिखाने का काम कर रहे हैं, उनकी अनुशंसा पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आप भले ही किसी की भी अनुशंसा पर ट्रांसफर करो लेकिन कम से कम उसकी एवज में दूसरा कर्मचारी तो लगाओ। उनसे पूछकर ही लगाओ लेकिन लगाओ तो सही, ताकि जनता जाए तो लगे कि खाली कुर्सियां नहीं है, सरकार काम कर रही है, कर्मचारी बैठे हैं। हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। नगरपालिका में अगर कोई जाएगा तो उसको लगेगा कि सरकार बिलकुल काम नहीं कर रही।

प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो छूट दी गई थी, मेरा आपसे निवेदन है कि वह छूट आगे भी चालू रखी जाए। वह छूट बहुत लाभप्रद थी, उनका फायदा जनता को काफी मिला, तो वह योजना वापस चालू की जाए।

नीमकाथाना, जिला मुख्यालय और यहां पर नगर परिषद कार्यरत है, परन्तु सीवरेज की योजना यहां स्वीकृत नहीं की जा रही है। जबकि काफी समय पूर्व इसकी डीपीआर बन चुकी है। श्रीमाधोपुर और खेतड़ी में सीवर योजना स्वीकृत करके उसका कार्य प्रक्रियाधीन है। क्या कारण है कि नीम का थाना बड़ी जगह होते हुए भी सीवरेज स्वीकृत नहीं हुई और श्रीमाधोपुर व खेतड़ी में स्वीकृत हुई। शायद यह कारण हो सकता है कि वहां दोनों जगह बीजेपी के विधायक है और नीम का थाना में कांग्रेस का विधायक है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह की सोच के तहत काम नहीं करे। आवश्यकतानुसार सभी क्षेत्रों को बिना भेदभाव के बजट दिया जाना चाहिए।

नीमकाथाना जिला मुख्यालय पर कोई नेचर पार्क नहीं है, जिसकी महती आवश्यकता है। आज के युग में, खासतौर से ऑक्सीजन व स्वच्छ हवा की सभी को आवश्यकता है। इसलिए नीम का थाना में नेचर पार्क का जो प्रस्ताव दिया हुआ है, उसकी स्वीकृति प्रदान करे।

मंत्री महोदय, समय गतिशील है। ईश्वर ने आपको मौका दिया है। आप नीमकाथाना ज़िले के इकलौते मंत्री है। ज़िले के लिए कोई ऐसा काम करे जिससे जनता आपको याद रखे, आपका नाम अमर हो सके, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करे। ट्रेलर और पिक्चर दिखाने वालों के चक्कर में ना पड़े। सही को सही और गलत को गलत के रूप में देखे।

भर्ती के मामले में भी सदन में चर्चा हुई। मैं उसका समर्थन करता हूं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वही लोग सफाई का काम करते हैं। बाकी लोगों को अगर आप भर्ती दे देंगे तो वह फिर भर्ती होते ही आपसे टेबल-कुर्सी की मांग करेंगे। वह कहेंगे कि हमको टेबल-कुर्सी का काम दिया जाए। वह गंदे नाले में और गटर में उतरने का काम नहीं करेंगे। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझे। ...(व्यवधान)... अगर हमने गलत किया है तो आप उसको ठीक करिए। शुरूआत किसी ने भी थी, हम इस बहस पर नहीं जा रहे। हमने कोई गलती की तो उसको आप सुधारिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसको ठीक करिए।

आज के प्रचलित नियमों के अन्दर अधिकांश अधिकार ई.ओ. को दिए हुए हैं। चेयरमैन को नाकारा करके एक तरफ बिठा दिया गया है। सारे जन प्रतिनिधियों को। ना वार्ड मैम्बर की कोई सुनता है, ना चेयरमैन की कोई सुनता है, सारी फाइलें निपटाने का अधिकार ई.ओ. को दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि लोकतंत्र के इस जमाने में, जन प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुना गया है, उसको अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि सही ढंग से काम हो सके। नगर का विकास सही ढंग से हो सके और जनता की मंशा व आवश्यकता के अनुरूप हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा जी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। आज स्वायत्त शासन, आवासन, नगरीय विकास पर चर्चा का अवसर है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे देश में क्रांतिकारी बदलाव नजर आता है, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार का तो धन्यवाद दूंगा ही क्योंकि केन्द्र सरकार शहरों व क़स्बों की योजनाबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नमामी गंगे, अमृत जल योजना जैसी योजनाओं को लेकर शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्धता के साथ काम किया। 2047 में विकसित राष्ट्र बने हमारे शहर, हमारे क़स्बे विकसित हो सके, इस सोच के साथ केन्द्र सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से, जैसा मैं सुन रहा था, पक्ष ही नहीं हमारे विपक्ष के साथी भी हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे और सभी अपेक्षा कर रहे थे कि जिस बुलंदी के साथ, जिन इरादों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से जो काम पांच साल में कांग्रेस सरकार, माननीय धारीवाल साहब कह रहे थे उनके काम तो मैं बताऊंगा लेकिन पूर्ण विश्वास है कि आने वाले पांच वर्षों में राजस्थान का कायाकल्प करने के लिए हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी, हमारे मुख्य मंत्री भजनलाल जी पूरी संकल्पबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ रहे हैं कि 2047 से पहले हम हमारे देश को कैसे विकसित राष्ट्र बनाए। किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उस सुदृढ़ ढाँचे को लेकर योजनाबद्ध रूप से काम कर रहे हैं। जबकि पांच साल, हो सकता है आपने 10 लाख पट्टे बांटे हो, हो सकता है आपने बहुत सारी चीज की हो लेकिन उन पट्टों का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए था उनसे ज्यादा उन दलालों को मिला, जिनके माध्यम से वह पट्टे बने। उन दलालों की जरूर चाँदी हो गई। उन दलालों ने किनकी चाँदी करी यह तो राम ही जाने। यह सत्य है जो फर्जी पट्टे या जिस तरीके से पट्टे दिए गए, बेचारा गरीब आदमी पूरी फार्मेलिटी करके पट्टे के लिए दर-दर घुमता रहा, वह बेचारा 10 लाख लोगों में शामिल नहीं हो पाया। मंत्री महोदय, आज भी एक लंबी फेहरिस्त आपको बता सकता हूं, आज पट्टों के हकदार थे लेकिन

वह उस हक से वंचित रह गए। निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। आप पूरी गंभीरता से इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करुंगा। मैं आपको कोटा शहर के विषय में आपको बताऊं।

**VPS-RTM-26.07.2024-16.00-2p**

हमारे पूर्व स्वायत्त शासन मंत्रीजी अभी यहां पर नहीं हैं। कोटा शहर के ये हालात रहे हैं कि 2022 में 444 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, बेतरतीब विकास, अव्यवस्थाएं हैं, पूरी सड़कें खुदी पड़ी रहीं, बजरी पड़ी रही, गिट्टी पड़ी रही, लोगबाग गिरते रहे, पड़ते रहे, एक्सीडेंट के शिकार होते रहे और 2021 में 365 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, 75 लोग 2021 में अकारण काल के ग्रास में चले गये, 2022 में 111 चले गये। इस प्रकार 186 लोगों से भी अधिक की जान आपके विकास की बलि चढ़ी हैं और न जाने कितनी महिलाएं विधवा हुई हैं, कितने वृद्ध बेसहारा हुए हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गये, सिर्फ बेतरतीब और जल्दी, जल्दी के कारण, उसमें कोई व्यवस्था नहीं और कोई मैनेजमेंट नहीं।

आपने रिवर फ्रंट बनाया, हम मानते हैं कि आपने रिवर फ्रंट बनाया पर आपने कोटा नगर विकास न्यास जो 1400 करोड़ रुपये सालाना आय कमाने वाली संस्था थी, उसको आज आप कंगाली की हालत में लेकर आ गये। वह 750 करोड़ रुपये के कर्जे के नीचे आज है। जो ठेकेदार हैं उनको भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं आपने पूरी लैंड बैंक आज की तारीख में कोटा की समाप्त कर दी। इक्का-दुक्का प्लाट आपने छोड़े होंगे, नहीं तो आपने तो नाला तक नहीं छोड़ा, आपने कोना नहीं छोड़ा क्योंकि आपके एक सपना था कि मैं रिवर फ्रंट, ऑक्सीजोन बनाऊंगा और यह काम मुझे कैसे भी पांच साल में पूरे करने हैं। आपने एक सिग्नल फ्री रोड बनाया। इसके अलावा आपने यह नहीं देखा कि जो वार्ड है, वे वार्ड मूलभूत समस्याओं के लिए पांच साल तक तरसते रहे। शहरवासी तरसते रहे। वे एक छोटी सी नाली बनवाने के लिए, छोटा सा काम भी करवाने के लिए परेशान होते रहे। वार्डों के आपने विभाजन कर दिये। आपने नगर निगम सीमाओं के भी विभाजन कर दिये और पक्षपात आपने इतना किया कि आपने सारे अधिकारी भी एक जगह ही लगा दिये। दूसरी जगह पर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकारी ही नहीं, सफाई कर्मी ही नहीं और यहां तक कि जो मेला हमेशा भरवाते हुए आये थे, हमारे कोटा का गौरवशाली दशहरा मेला, उसका भी अध्यक्ष आपने कोटा उत्तर को बना दिया। आपकी ही इन सारी चीजों से खफा होकर कोटा दक्षिण का जो कांग्रेस का, आप यह खुद ही बता रहे थे, वे महापौर भारतीय जनता पार्टी में आ गये। सिर्फ आपकी नीतियों के खिलाफ होकर, आपकी नीतियों से नाराज होकर वे भारतीय जनता पार्टी में आ गये और जिस तरीके से आपने पार्षद बढ़ा दिये, सीमांकन कर दिये और हो सकता है कि आपने दोनों बोर्ड बनवा लिये हों, लेकिन आपने कोटा की जनता को इतना निराश किया है, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि वे पूरे पांच साल तक नाली पटान, सड़क, पार्कों के रख-रखाव के लिए तरसते रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे माननीय मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, जो पार्षद चुनाव जीतकर आते हैं, वे अपनी पहचान के लिए भी तरसते रहे कि मेरा नाम यह है, मैं उस वार्ड का पार्षद हूं। 65 पार्षदों से आपने 150 पार्षद कर दिये। कोई काम किसी भी पार्षद के नहीं हो पाये। न उनको कोई मानदेय ही बढ़ाया, केवल एक करोड़ रुपया पूरे पांच साल में एक पार्षद को दिये और उसमें भी जो हारा हुआ कांग्रेस का पार्षद है, पचास लाख रुपये के काम वह करवायेगा। ऐसी आपने सीमाएं रखी हैं, ऐसे आपने नियम बनाये हैं। मैं तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आपसे यही निवेदन करूंगा कि उस पार्षद को सेवा करने के लिए, उसके मानदेय, उसका बजट और उसके अधिकार उसको प्रदत्त किये जाये। आज हमारे नगर निगम में जब महापौर हमारे आ चुके हैं तो निश्चित रूप से अब जो समितियां बनी हुई हैं उन्हें आप तुरंत भंग करें क्योंकि अब उनका कोई औचित्य ही नहीं रह गया जब कांग्रेस के महापौर ही भारतीय जनता पार्टी में आ गये।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि सीवरेज में इतना खुला भ्रष्टाचार है, माननीय मंत्री महोदय, कि संवेदक और अधिकारी मिलकर पूरे शहर का सत्यानाश कर रहे हैं। बिना किसी वाटर लेवल के, बिना किसी योजना के, बिना किसी नॉर्म्स के, कुछ नहीं, न कोई टेक्निकल उनके पास गाइड लाइन्स है, सीधे आये, रोड खोदी और रोड खोदकर सीवरेज लाइन डाली और उसके जो चैम्बर होते हैं, वे ऊपर डाल दिये, नीचे डाल दिये, पांच साल तक वे खुदे पड़े रहते हैं और उसके पास वहां पर पानी भरता रहता है तो कोटा में इसीलिए डेंगू के रोगी होते हैं। हालात यह कर देते हैं कि लोगबाग दुर्घटनाओं में ग्रस्त होकर अपने हाथ-पैर तुड़वाते हैं। खुला भ्रष्टाचार का खेल, यह जो सीवरेज का काम है, इसमें मैं यह समझता हूं कि आपके रहते इसमें बहुत निगरानी करने की आवश्यकता है और बहुत ही गम्भीर प्लानिंग की इसमें आवश्यकता है।

रिवर फ्रंट आपने बनाया, बहुत तालियां बजवाते हो। रिवर फ्रंट तो आपने बनवा दिया, पर 1550 करोड़ रुपये, साढ़े पन्द्रह सौ करोड़ रुपये सिर्फ एक भू-भाग में डाउन-स्ट्रीम में आपने खर्च कर दिये। 1550 करोड़ रुपये में तो आप एक विजन से काम करते, बिना पक्षपात के काम करते, एक विधान सभा क्षेत्र से हटकर काम करते और आप अहमदाबाद की साबरमती नदी के रिवर फ्रंट को देखकर आते तो निश्चित रूप से कोटा में लाखों पर्यटक आते, पूरी चम्बल नदी को आप रिवर फ्रंट का स्वरूप दे सकते थे। हालात अब यह है कि अप-स्ट्रीम पर इतने अच्छे-अच्छे दर्शनीय स्थल हैं, मनोहर स्थल है, कोटा की चम्बल नदी इतनी अच्छी है कि जिसमें गड़रिया महादेव, गेपरनाथजी, भितरिया कुंड, चम्बल गार्डन, गोविंद देवजी, गोदावरी धाम, मोजी बाबा की गुफा ऐसे स्थान हैं और नीचे चले जाओ डाउन-स्ट्रीम में आगे तो केशोरायपाटनजी का बहुत ही धार्मिक तीर्थ स्थल है, जैन सम्प्रदाय का बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल है। रोप-वे की वहां पर जरूरत थी, कोई क्रूज वगैरह चलाते तो निश्चित रूप से कोटा का भला होता, वहां पर हमारी नदी और अच्छी बनती और पर्यटन का शहर बनता पर आपने इस ओर बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया।

आप यह कह रहे थे कि कोटा शहर में एयरपोर्ट बना है। एयरपोर्ट के लिए आपने यह कहा कि इस जगह पर पुराना एयरपोर्ट नहीं चाहिए। वह के.डी.ए. बेच रही है तो आप वहां पर मिनी सचिवालय बनाते तो आपने वह क्यों नहीं बनाया? आपने 128 एकड जमीन आईएल की बेच दी और उस 128 एकड जमीन में आपने भूखंड काटकर बेच दिये। उस समय भी आप मिनी सचिवालय नहीं बना पाये और उसके बाद आपने हमेशा एयरपोर्ट को लेकर रुकावट ही रुकावट की। अभी तक तो वहां पर हवाई जहाज ही उड़ने लगता अगर आप चाहते तो परंतु आपने फ्री होल्ड जमीन दी नहीं। आपने कोटा को सिर्फ यह रिवर फ्रंट दे दिया और उसके अलावा जिस तरीके से हालांकि, मैं धारीवालजी का सम्मान भी करता हूं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, अभी बोलने के लिए भी खूब समय दिया गया उनको तो मैं हर प्रकार से उनका सम्मान करता हूं, उनके अन्दर गुण भी है लेकिन इस कार्यकाल में उनको पूरी तरीके से भ्रमित किया गया और खुला लूट का खेल कोटा में चला है और उनके जो एडवाइजर थे उन्होंने भी टेक्निकली गलत सलाह दी। जहां पर फिजिबिलिटी भी नहीं थी, वे काम भी कर दिये। हमारे जितने भी अंडर ब्रिज, फ्लाई ओवर बने, उनकी राह सुगम की जगह दुर्गम कर दी। वहां पर यह स्थिति है कि लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा और मैं अन्त में बस एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

माननीय मंत्रीजी, हमारा यह विजन है, हम आपके सहयोग से और जनता के सुझावों को लेकर हम हमारे मोहल्लों को स्मार्ट मोहल्ला बनाना चाहते हैं। वहां पर हर प्रकार की सुविधा, नाली-पटान, रोड, नालियों के काम जो वर्षो से नहीं हुए, लोगों के मकानों में सीलन आ गयी, वे सीलन से खराब हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति हम लाना चाहते हैं कि घर से बाहर निकलते ही ऑक्सीजोन हो, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 पार्क है तो उसमें ऑक्सीजोन, हर पार्क को स्मार्ट पार्क हम बनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए जिम बनाना चाहते हैं। वहां पर बच्चों के लिए ओपन जिम लगें, झूले हों और हर प्रकार के खेल के मैदान हों, ऐसे हमारे स्मार्ट वार्ड हमारे हों, इस परिकल्पना के साथ हम आपके साथ आपका सहयोग चाहते हुए चलना चाहते हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, विराजिये। श्री मनोज कुमार।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्रीजी, लास्ट में एक बात और कह रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, मैं यह बहुत ही काम की बात कह रहा हूं।

**(समय 16.09 बजे)**

**(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)**

जिस तरीके से रोड बारबार टूटती है, नगर निगम और यू.आई.टी. इस रोड को बनाते हैं, सी.सी. रोड बनाते हैं, आपके डामर रोड बनाते हैं पर होता क्या है कि कभी पी.एच.ई.डी. आती है तो वह तोड़ देती है, कभी आर.यू.आई.डी.पी. आती है, वह तोड़ देती है, कभी गैस

अथोरिटी ऑफ इंडिया अपनी गैस लाइन, पाइप लाइन डालने के लिए तोड़ देती है तो इस तरीके से यह तोड़-फोड़ का खेल पूरे पांच साल चलता है और बर्बादी होती है तो जनता के पैसे की होती है।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): आप बैठिये। आप तो सभापति पैनल में भी हो, आप ही ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है पर उसकी निष्क्रियता के कारण वहां पर तालमेल नहीं बैठ पाता है और यही कारण है कि आज तक यह कमेटी सक्सेस नहीं हुई।

**SSY/RTM/26.07.2024/16:10/2q**

मैं आपसे कहूंगा कि पैसों की बर्बादी रोकने के लिए, लोगों के समय की बर्बादी रोकने के लिए इस कॉर्डिनेशन कमेटी को आप सक्रिय करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। बजट पर मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

बजट के बाद थोड़ी निराशा मुझे ही नहीं, सभी उन शहरवासियों को हुई, जब बजट के बाद में उन्हें पता चला कि इस बजट में शहरों के विकास के लिए कुछ दिया नहीं गया। हर बजट के बाद में उम्मीद रहती थी कि इस बार 5 करोड़ सड़कों के मिलेंगे, 7 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे।

पिछली बार 10-10 करोड़ नगर निकायों को सड़कों के लिए दिये, पर इस बार जब कुछ भी नहीं मिला तो तमाम शहरवासियों को निराशा हुई कि इन आने वाले एक साल में बहुत सी उम्मीदें थी लोगों की कि हमारे वार्डों की सड़कें बनायेंगे। हमारे मुख्य मार्ग बनेंगे। जो एक विकास की धारा शहरों में बह रही थी, कहीं न कहीं उसमें ठहराव आया है।

शहरी नरेगा जिसको बड़े पैमाने पर चालू किया गया, जिसका आगे विस्तार होना चाहिए था, उसको कटौती करके आधा कर दिया। इससे एक निराशा का माहौल शहरी लोगों में विशेष तौर से हुआ है। दूसरा, चुनाव के बाद जब काम चल रहे थे या जो शुरू होने थे, अचानक सिर्फ इसलिए रुक गये कि उनको रिव्यु के नाम पर सब फाइलों को मंगा लिया गया। जिनके टेंडर हो गये उनको भी एक बार रोक दिया गया। वर्क ऑर्डर हो गये, उनको भी काम चालू करने के लिए नहीं दिया गया।

सुजानगढ़ नगर परिषद का 80 करोड़ रुपये की ड्रेनेज परियोजना पिछले बजट में स्वीकृत हुई थी। 25 करोड़ रुपये उसमें से पिछले बजट में मंजूर होकर टेंडर आमंत्रित कर दिये गये। जिसको खुलने की स्वीकृति मंत्री महोदय के यहां लंबे समय से पड़ी हुई है। ऐसे ही और भी बहुत से काम हैं। उनकी अब आप प्राथमिकता से स्वीकृतियां निकालें। अब आचार संहिता भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है। समय भी खूब हो गया। 7-8 महीने हो गये। रिव्यु शायद मेरे ख्याल से सब हो गये होंगे। अब उन टेंडरों को खोलने की आप

स्वीकृति दें ताकि काम हो सके। समय पर काम हो सकें।

आपने रिव्यु के नाम पर सफाई के जो टेंडर होते हैं, जो ट्रेक्टरों के, ऑटो ट्रिपर के, कर्मचारियों के जो संविदा पर लग रहे हैं, उनको भी रोक दिया गया। पिछले 6 महीने से जिस तरह से दुर्दशा सफाई के मामले में हुई है कि ना ट्रेक्टर, ना ऑटो ट्रिपर चल पा रहे थे क्योंकि वह टेंडर रिन्यु हुए नहीं। दुबारा रिव्यु के कारण रोके गये। अब 6 महीने जो हुई और आगे से ऐसा न हो। कम से कम सफाई का जो मामला होता है, उसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं थी। यह तो रुटीन की प्रक्रिया थी। इसको रोकने का कोई काम ही नहीं था। लोगों को पिछले 6-7 महीनों में जिस तरह से परेशानी हुई है, आगे ऐसी परेशानी नहीं हो।

नगर परिषदों, नगरपालिकाओं में स्टाफ की कमी है। एक कारण तो यह भी हो गया कि जो नगरपालिकाएं हैं, बहुत सारी अभी नई बनी हैं। उनमें भी स्टाफ लग गया। उस वजह से जो कमी हुई है, उसकी पूर्ति के लिए अब जरूरी है कि इनकी भर्ती यथाशीघ्र की जाये। पूर्व में भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एक-एक बाबू से नगरपालिकाएं चल रही हैं। लगभग सब जगह यही है। सब जगह स्टाफ आधा हो गया और तोड़कर उन जगह भेज दिया गया जो नई नगरपालिकाएं बनी हैं। इसलिए जब तक स्टाफ नया नहीं लगेगा, विशेष तौर से ईओ और आयुक्त, उनकी भर्ती नहीं होगी, तब तक सुचारु रूप से जो प्रक्रिया है, वह नहीं हो पायेगी। इसलिए जरूरी है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाये।

इसके अतिरिक्त नगर परिषद सुजानगढ़ की एक-दो मांगें हैं। जिसकी अपेक्षा वहां के लोग कर रहे हैं। एक ऑडिटोरियम की लंबे समय से मांग की जा रही है। अगर आने वाले समय में वह स्वीकृत हो जाती है तो वहां के लोगों को बड़ा लाभ होगा।

इसके अलावा बहुत सी बातें पूर्व में माननीय सदस्यों ने की जिसमें सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात की। वास्तव में, मेरे ख्याल से जितने भी यहां 200 आदमी बैठे हैं, सब की एक ही मंशा है कि इसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले।

आपने खड़े होकर माननीय पारीक जी की बात का जवाब देते हुए कानूनी अड़चन की बात कही। कानून बनाने वाले भी कौन हैं? या तो संसद बनाती है या विधान सभा कानून बनाती है। विधान सभा में अपन लोग सारे बैठे हैं। कौन मना कर रहा है आपको कानून बदलने से? आप बिल लाओ, पास कराओ। जो भी अड़चन है, उस अड़चन को दूर करो। यह जो भर्ती हो रही है उस भर्ती में चाहे 20 हजार की करो, 25 हजार की करो, 30 हजार की भर्ती निकाली है उसमें करो। उसमें शत-प्रतिशत वाल्मीकि समाज को आप शामिल करने का उसमें प्रावधान रखो। तभी सफाई व्यवस्था समय पर हो पायेगी। तभी यह व्यवस्था सुधर पायेगी। दूसरा आदमी यह काम कर नहीं पायेगा।

पहले से भी लगे हुए हैं लोग, वह सिर्फ बाबू का काम करते हैं। ऑफिस में काम करते हैं और कोई ईओ, आयुक्त अगर कोशिश करता है उनसे काम करवाने की, भिजवाने की तो ऑफिस में भी काम नहीं होता, साइड पर भी काम नहीं करते। दूसरे किसी वाल्मीकि समाज

के लड़के को पकड़ लेते हैं, उससे काम करवा लेते हैं और शाम को 100-200 रुपये देकर विदा कर देते हैं। महीने में 10-15 दिन उससे काम करा लेते हैं। अगर काम इन्हीं लोगों को करना है तो क्यों नहीं पूरी प्राथमिकता देकर इसमें करावें।

अध्यक्ष महोदय, पट्टों की बात हुई। पट्टे बनने का अभियान रुक गया। लेकिन जो कुछ फाइलें अभी पड़ी हुई हैं, उनको एक विशेष टार्गेट देकर, अभियान करके जल्द से जल्द उनका भी निस्तारण करायें। अगर बनती हैं तो ठीक हैं, नहीं तो उनको डम्प करें। ताकि जिन लोगों की फाइलें पड़ी हैं, उनका निस्तारण हो सके। लंबे समय से वे रुकी पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री ताराचन्द जी।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): एक यह जो सड़कें तोड़ते हैं, टेलीफोन वाले या फाइबर कैबिल वाले, वह कैबिल तोड़कर उसका मुआवजा नगरपालिका को या तो एक फीट का काटकर पैसा दे देते हैं ...(व्यवधान)... पैसे देते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): जबकि वह सड़क पूरी डैमेज हो जाती है। खराब हो जाती है ...(व्यवधान)... आपका धन्यवाद।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्वायत्त शासन विभाग की मांग 39 और 40 पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि प्रश्नकाल के अन्दर मेरा तारांकित प्रश्न अंतिम था। उसका जवाब देना था। अब आप मेरा 2 मिनट का समय बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष: उसका समय तय है। आप संक्षिप्त कर लो।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार बनी और राज्यपाल का अभिभाषण था, मैं पहली बार चुनकर आया और उस समय पहली बार बात कही थी, उसको फिर दोहरा रहा हूं कि सरकार बदलकर जनता ने अपना काम कर दिया। लेकिन अब हमारी सरकार का दायित्व है कि जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए व्यवस्थाएं बदलनी हैं।

व्यवस्था बदलने के लिए जैसे सभी वक्ताओं ने एक बात कही, भ्रष्टाचार के, बेईमानी के कई मामले आये। सबका विश्वास हमारे यूडीएच मंत्री खर्रा साहब के प्रति है। मैं उदयपुर शहर के 2-3 ऐसे मुद्दे आपके समक्ष रख रहा हूं, जिसका आप गहराई से अध्ययन करके, सख्ती से कार्यवाही करेंगे ऐसा विश्वास है।

उदयपुर शहर के नगर निगम में तत्कालीन आयुक्त यूआईटी के स्वामित्व की, आधिपत्य की पांदडियों की मादड़ी स्थित आराजी नंबर 1163 रेलवे पटरी से 30 फीट के अन्दर की भूमि का आवंटन 3 अलग-अलग पट्टों में उसके व्यावसायिक निर्माण की अनुमति जारी कर दी। जबकि उक्त भूमि नगर निगम की नहीं होकर यूडीएच की थी। उक्त नगर निगम आयुक्त द्वारा भूमि आवंटन की पत्रावली पर रेलवे पटरी के 38 फीट अन्दर होने के कारण आवंटित नहीं कर सकने के बाबत अपनी रिपोर्ट के अन्दर लिखकर दिया है। जिसकी पत्रावली मेरे पास

मौजूद है। जो मैं आपको दूंगा। उसके बावजूद भी उस भूमि पर रेलवे अंडरब्रिज प्रस्तावित है। 150 फीट रोड प्रस्तावित है। नियमों के विपरीत माननीय उच्च न्यायालय जो 2012 से यूआईटी उस मुद्दे पर लड़ रही थी और अभी 20.02.2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अतिक्रमी माना। उसके बावजूद भी नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त ने उस जमीन को भूमि दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए मात्र 135934 रुपये में 4115 फीट भूमि आवंटित कर दी। कॉमर्शियल है। उदयपुर में एक बाथरूम की जमीन नहीं मिल सकती है। इतनी बड़ी भूमि घोटाले के बाद उसकी रिपोर्ट जांच के लिए कलेक्टर को भेज दी। वह ठंडे बस्ते में डाल दी। जबकि रेलवे की दोहरी लाइन की स्वीकृति अभी हाल में जारी हुई है। उसकी प्रतिलिपि भी मेरे वक्तव्य के बाद मैं आपको दूंगा।

**Spp/Rtm/26.07.2024/16:20/3a**

आप अध्ययन करावें और अध्ययन करने के बाद सायंकाल जब आपका अन्तिम उदबोधन होवे, उसमें कुछ न कुछ कार्यवाही का आश्वासन देवें।

दूसरा भूमि घोटाला 272 प्लॉट का है। इतना बड़ा घोटाला है कि जिसके अन्दर कम से कम 500 करोड़ का घोटाला निकलेगा। 49 प्लॉट उदयपुर के अन्दर 1 करोड़ से कम कोई प्लॉट नहीं मिल सकता। 50 प्लॉट निरस्त किये हैं। दिनांक 01.01.2024 को तत्कालीन नगर विकास प्रन्यास द्वारा उदयपुर नगर परिषद, नगर निगम को 30 योजनाएं सशर्त तात्कालिक जिला कलेक्टर के आदेश से योजनाएं ब्लू प्रिंट तैयार कर स्थानान्तरित की गयीं। उक्त 30 योजनाओं में खाली भूखण्डों की निरस्त पत्रावली व अन्य पत्रावलियां नगर निगम उदयपुर को हस्तान्तरित की गयीं। नगर विकास प्रन्यास द्वारा उक्त योजना में जो प्लॉट विक्रय किये गये, उन प्लॉटों की राशि जमा होने पर ही नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटी को रसीद दी गयी। पर नगर विकास प्रन्यास के रजिस्टर में आवंटन रसीद का इन्द्राज नहीं है। जब तक उस आवंटी की रसीद इन्द्राज नहीं होगी, वह वैध नहीं है। कुछ प्लॉटों का नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटन किया गया, लेकिन आवंटन आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उक्त प्लॉटों का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। लेकिन उन प्लॉटों की पत्रावलियां भी नगर निगम ने हस्तान्तरित नहीं की है। उक्त योजना के खाली प्लॉट, कोर्नर प्लॉट यू आई टी द्वारा निरस्त किये गये आवंटन के सभी पत्रावलियों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी तात्कालिक आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ को होने के पश्चात् खुद भूमाफियाओं से मिलीभगत करके उनके अपने अधीनस्थ अधिकारी एवं भूखण्ड घोटालों में भ्रष्टाचार होने पर हमारे आयुक्त और महापौर नगर निगम उदयपुर द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गयी। जांच समिति ने मीटिंग के पश्चात् आनन-फानन में बेचकर, जिसमें पार्षदों की, तीन पार्षद थे, तीन अधिकारी थे, केवल अधिकारियों की रिपोर्ट पर दस्तखत कराकर उक्त पत्रावलियों में 316 पत्रावलियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। 40 भूखण्डों को संदिग्ध माना है जिसकी जांच रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको देता हूं। वह अधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त हैं। उदयपुर को जांच हेतु कहा लेकिन

आश्चर्यजनक रूप से इस सम्बन्ध में कोई नगर निगम प्रन्यास को नहीं लिया। उन्होंने लिखा कि 40 संदिग्ध हैं। यू आई टी जांच करेगी। लेकिन जब मैंने यू आई टी से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई लिखित में नहीं आया है, न हमको पूछा है। उक्त भूखण्ड को गड़बड़झाला मानते हुए नगर निगम के अधिकारी को नोटिस दिये गये। उन सब भूखण्डों की एफ आई आर दर्ज है। एस ओ जी द्वारा जांच पिछले डेढ़-दो साल से पेंडिंग हैं। लेकिन एकमात्र तीन-चार अधिकारी, बहुत छोटे थे, उनको 16 सी सी ए का नोटिस दे दिया गया। जबकि इसके अन्दर जो मुख्य आयुक्त होता है नगर परिषद का, जिसने 22 भूखण्ड एक ही दिन में, मैं आपको सूची दे रहा हूं, 49 प्लॉट अभी जो रद्द किये हैं,अभी भाजपा सरकार आने के बाद, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं। उसमें से एक भी नोटिस आज तक नहीं दिया है। एफ आई आर दर्ज हुए साल-डेढ़ साल हो गया है, उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। एस ओ जी ने जांच की, आज तक कुछ हुआ नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगा रखा है, उसका अगर उत्तर आया तो आपको यह सब जांच कमेटियों की पत्रावली सरकारी डोकुमेंट, जो रिकार्ड है, वह मेरे पास मौजूद हैं। अन्त में, मैं एक बात कहूंगा कि आप कोई न कोई ठोस कदम उठाकर भ्रष्टाचारियों को जेल के कठघरे में नहीं पहुंचायेंगे तो यह शासन और व्यवस्था, अपनी सरकार बनना फिर कोई मायना नहीं रखेगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं जैसाकि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता माननीय सदस्य फूलसिंहजी ने एक बात कही थी कि उदयपुर में 43 पहाडियां, उदयपुर शहर का महत्व और सुन्दरता में जितना योगदान तालाबों का है, उतना ही योगदान पहाडियों का है। लेकिन उन 43 पहाडियों में से 21 पहाडियां जिनको अधिकारियों की मिलीभगत से काट दिया गया है। सरकार से अपेक्षा है, वहां पर कभी मशीन जब्त करते हैं, कभी कुछ पैसा ले लेते हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि पहाड़ों के लिये कोई न कोई नियमावली बनाकर इनको रक्षित किया जाये। ऐसी अपेक्षा है और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस सदन में इसके बारे में उत्तर देंगे। धन्यवाद। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रियंका चौधरी। आप शुरू करिये।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने के लिये समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा को देखते हुए मैं जल्दी से अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहूंगी। मैं माननीय मंत्रीजी का थोड़ा-सा ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बाड़मेर शहर आधा पहाड़ी पर बसा है और उसके बाद मिट्टी के अन्दर नीचे मेट है तो इस वजह से हमारी जो मुख्य समस्या है, वह वाटर लॉगिंग की समस्या है। एक तरफ तो बाड़मेर शहर पानी की किल्लत से जूझता है कि पीने का पानी भी नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ प्रोपर ड्रेनेज नहीं होने से और प्रोपर सीवरेज की व्यवस्था नहीं होने से वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है। अगर दो फीट भी कोई जमीन खोदता है अपनी नींव डालने के लिये, तो भी जमीन में से पानी ऊपर आने लगता है। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि बाड़मेर शहर के लिये ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करवाने के लिये आप

बजट का प्रावधान करें और जो नालों का स्वाभाविक पानी का जो निकलने का रास्ता है, उन रास्तों पर नये नालों का निर्माण करवायें और अगर अतिक्रमण हो रखा है तो उस अतिक्रमण को हटाने का कष्ट करवायें।

हमारे यहां 55 वार्ड हैं, उनमें से केवल 19 वार्डों में ही अभी तक सीवर सिस्टम का काम हुआ है। मेरी यह भी मांग रहेगी कि बाड़मेर का सीवर सिस्टम जल्दी से जल्दी पूर्ण करायें क्योंकि पिछले 10 साल से यह कार्य चल रहा है, लेकिन अभी जनता को कोई राहत नहीं मिली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन था कि यह सीवर प्रोपर्टी कनेक्शन होते हैं तो इसमें लाइन बिछाने का काम एक ठेकेदार को दिया जाता है और यह प्रोपर्टी कनेक्शन करने का काम दूसरे ठेकेदार को दिया जाता है और इस वजह से वह काम अच्छे तरीके से सम्पूर्ण नहीं हो पाता तो एक ही ठेकेदार को यह दोनों काम दिये जायें ताकि काम अच्छी तरह से पूर्ण हो सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में एक एस टी पी है जो अभी 10 एम एल डी की क्षमता पर कार्य कर रहा है, लेकिन मैं मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाहूंगी कि वह जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वह बिलकुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा और पूरे शहर का गंदा पानी जब वहां पर आता है तो आसपास के जो किसान हैं वहां पर पम्प लगाकर वहां से पाइप डालकर और अपने खेतों में पानी ले रहे हैं। बिना साफ किये हुए पानी से वे खेतों में खेती कर रहे हैं और वहां पर जीरा उगा रहे हैं, वहां बाजरी उगा रहे हैं तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह खतरा सभी के स्वास्थ्य के लिये है। मेरी मांग यह है कि उस एस टी पी को तुरन्त सही करवाया जावे और उसकी कैपेसिटी बढ़वायी जाये और जो भी दोषी कर्मचारी हैं, क्योंकि उनकी इजाजत के बिना तो कोई पानी ले नहीं सकता, तो उनके खिलाफ भी तुरन्त कार्यवाही करवायी जाये।

माननीय सभापति महोदय, कचरा निस्तारण की बहुत बुरी स्थिति है क्योंकि 15 साल पहले गेहूं रोड के ऊपर एक कचरा निस्तारण पाइंट तय किया गया था। एक छोटा-सा कमरा बनाया गया और युवाओं को यह कहा गया कि आपको रोजगार भी देंगे, मशीन लगवायेंगे, लेकिन आज के दिन यह स्थिति है कि वहां पर न तो कोई बाउंड्रीवॉल है, न वहां पर कोई और सुविधा है। इस वजह से वहां का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और वहां के आसपास के जो ग्रामीणजन हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या है। अभी पिछले साल डी एम एफ टी फण्ड से 67 लाख की एक ट्रोमल मशीन लगायी थी पूर्व विधायक महोदय ने और बहुत सुर्खियां और वाहवाही भी बटोरी थी, लेकिन आज के दिन वह काम नहीं कर रही तो मेरी मांग रहेगी कि गेहूं रोड पर जो कचरा निस्तारण केन्द्र है, उस कचरा निस्तारण संयंत्र को तत्काल प्रारम्भ करवाया जाये। मृत पशुओं के निस्तारण के लिये कोई जमीन चिह्नित नहीं की गयी है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो पशु मर जाते हैं तो उनका कहां निस्तारण करना है। कोई जगह चिह्नित नहीं है, यह कार्य भी करवाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बॉयोवेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको लेकर भी अभी तक कोई योजना नहीं बनी है तो उस पर भी ध्यान देने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराना बस स्टेण्ड है, अभी नया बस स्टेण्ड तो शिफ्ट हो गया लेकिन पुराने बस स्टेण्ड के लिये कोई योजना नगर परिषद ने अभी तक नहीं बनायी है तो उस बस स्टेण्ड पर एक शॉपिंग कॉम्पलेक्स पार्किंग सुविधा के साथ बनवाने का कष्ट करावें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कहा था कि 20 हजार पट्टे जारी किये हैं, लेकिन बाड़मेर नगर परिषद के लिये पूर्व विधायक ने भी इसी सदन में कहा था और मुझे शर्म आती है यह कहते हुए, उन्होंने कहा था कि सबसे भ्रष्ट अगर कोई नगर परिषद है तो वह बाड़मेर की है। मैं आपसे मांग करती हूं कि उन पट्टों की जांच की जाये, क्योंकि पत्रावली नहीं है। पत्रावलियां गायब हैं। जो पहले की फाइल्स थीं, वह जला दी गयीं। अभी कोई फाइल मांगने जाये तो कोई फाइल वहां कार्यालय में मिलती नहीं हैं। अधिकारी है वह दो घंटे से ज्यादा नगर परिषद में कोई बैठता नहीं है।

अंतिम एक बात और कहूंगी कि सरकार भी बदल गयी, मंत्री भी बदल गये, मुख्य मंत्रीजी भी बदल गये, अब नगरपरिषद के अन्दर जो विधिक सलाहकार है, वह भी अब जल्द से जल्द बदलवायें, क्योंकि इससे सरकार को ही नुकसान है और आम जनता की जो सुनवाई होनी चाहिये, वह नहीं हो पा रही है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद।

**MLS/RTM/26.07.2024/16:30/3b**

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन कागजी।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 39, 40 पर बोलने के लिए अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार का यह बजट पिछले 6 साल में सबसे कमजोर जयपुर के लिए साबित हुआ। इस बजट में जयपुर के नगर निगम (हैरिटेज), नगर निगम (ग्रेटर) और जेडीए को कुछ भी नहीं दिया गया है। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की बात की गयी, डीपीआर बनाने की बात की गयी, उसका अमलीजामा कब तक होगा, यह बात अलग है, लेकिन आपके द्वारा मैं मंत्री जी को 3-4 गम्भीर समस्याएं, जो जयपुर में इन दिनों चल रही हैं, के बारे में अवगत कराना चाहता हूं।

सबसे पहली बात, सभी सम्मानित सदस्यों ने मंत्री जी, आपसे आग्रह किया है कि सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्तियां होनी हैं, उसकी एक समस्या है, उसमें यह बात आपकी बिलकुल सही है कि कानूनन अड़चन है उसमें, लेकिन हमारी तत्कालीन सरकार ने एक रास्ता निकाला था कि उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में नियुक्तियां दी जाएं। एक्सपीरियंस के लिए भी दो-तीन महीने के लिए वह आदमी अधिकारियों की देख-रेख में काम करे। उसके

बाद उसकी नियुक्ति हो। यह स्वाभाविक था, जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, अगर वह काम करता होता तो निश्चित रूप से उस नौकरी में आता, लेकिन आपने अभी जैसा बताया कि संवैधानिक और कानूनी अड़चन है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जगह इंटरव्यू की बात की है। इंटरव्यू में मैं नहीं समझता कि आप 30 हजार नौकरियां इसमें दे पाएंगे।

30 हजार नौकरियों में से सफाई कर्मचारियों के हाथ में 10 हजार या 12 हजार नौकरियों से ज्यादा नहीं आएंगी। जैसा सभी सम्मानित साथियों ने कहा, नौकरी हर आदमी को चाहिये, नौकरी लेने के बाद क्या वह यह काम कर पायेगा, यह हम सबके लिए एक शोचनीय प्रश्न है। मेरा आपसे निवेदन हे कि सभी पक्ष-विपक्ष के साथी मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें, कोई बिल या एक्ट लाएं ताकि उसमें जो काम कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को नौकरी मिले। दूसरी बात, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय जयपुर की चहारदीवारी के लिए जो गन्दी गलियां हैं, उनके लिए हमने 25 करोड़ रुपये की एक बजट घोषणा की थी, उसका काम शुरू हुआ था, लेकिन मैं बड़े दु:ख के साथ में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वे 25 करोड़ की शहर की चारदिवारी की गलियां थीं, उसमें तकरीबन 7200 गलियों की सफाई होनी थी और उनका पुनर्निर्माण होना था। उसमें से सिर्फ 7 परसेंट काम हुआ और 2 करोड़ रुपये के काम के बाद में आज तक वह बजट किसी काम में नहीं आया है।

उस वक्त भी मैंने बहुत भाग-दौड़ की। डीएलबी डायरेक्टर से मिला, मंत्री से मिला और किसी भी तरह से प्रयास करके यह पैसा हमने नाबार्ड से लिया था। आज भी वह पैसा निगम के पास है। पिछले दिनों देखने को भी मिला कि इसमें सिर्फ कुछ ही गलियों के लिए दुबारा टैंडर वापस किये गये हैं। जो इसकी मूल बजट घोषणा थी कि यह सारा पैसा चारदिवारी में खर्च होना चाहिये था, वह नहीं हो रहा है। दूसरी, एक बहुत बड़ी परियोजना हमने पिछले दिनों आचार संहिता से पहले शुरू की थी 271 करोड़ की सीवरेज के बारे में। जिस तरह से कोटा से आने वाले सम्मानित साथी संदीप शर्मा जी ने बताया कि कोटा में एक बड़ी योजना सीवरेज के लिए शुरू की गयी, हमारे यहां जयपुर में किशनपोल विधान सभा क्षेत्र, हवामहल विधान सभा क्षेत्र और आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में कुल-मिलाकर तकरीबन 7500 करोड़ रुपये की सीवरेज लाइनों को रीहैबिलिटेट करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए दिये गये थे।

मंत्री जी, देखने को यह मिला कि 1.5 महीने की आचार संहिता विधान सभा में लगी, 1.5 महीने की आचार संहिता लोक सभा में लगी, फिर उसके बाद में आपका एक आदेश आया कि कुछ समय के लिए आपने सारे काम रोक दिये थे। आज ताज्जुब करेंगे, मेरे पास जो रिकॉर्ड है और जो मेरी नॉलेज में आया है, तकरीबन 43 किलोमीटर की सड़कें, जो लाइन हैं, वो अकेले किशनपोल में डालने की बातें कर रहे हैं। 43 किलोमीटर किसको कहते हैं। 43 किलोमीटर का मतलब हो गया 43 हजार मीटर। यह कैसे सम्भव है कि 4 महीने में यह

लाइन डाल देंगे। उसका बिल पास होने की प्रक्रिया चल रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसे आप बहुत गम्भीरता से लें। कमोबेश, तीनों विधान सभा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है।

गोपाल शर्मा जी ने कल एक बात की थी। अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चूंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, 02.05.2024 को एसीबी ने आयुक्त स्थानीय निकाय एवं स्वायत्त शासन विभाग को एक चिट्ठी लिखी है कि इसमें आप मेयर के खिलाफ प्रॉसीक्यूशन सैंक्शन दें। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया गया है। उसमें कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति की मनाही हेतु विस्तृत आदेश, स्पीकिंग ऑर्डर देने की व्यवस्था है।

परिपत्र दिनांक 31.12.1996 और 19.04.2007 के राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट दिये हुए हैं कि अभियोजन स्वीकृति पर विचार करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित लोक सेवक को सुनवाई का मौका देना, उससे अभ्यावेदन प्राप्त करना एवं उस पर विचार करना तथा किसी प्रकार की समानान्तर जांच करना विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी प्रॉसीक्यूशन सैंक्शन दें। पक्ष-विपक्ष सारे पार्षद परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर संज्ञान लें। +++

श्री अध्यक्षः कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री जोगेश्वर गर्ग।

## समिति प्रतिवेदन

## कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 6)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2024 को मध्याह्न पश्चात् 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 2024 से शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त, 2024 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाये:-

| | |
|---|---|
| मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 2024 | 1. गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 - पर विचार एवं पारण।<br>2. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर - के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार। |
| बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 | 1. राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबन्ध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 - पर विचार एवं पारण।<br>2. लोकायुक्त राजस्थान - के वार्षिक प्रतिवेदन पर |

| | |
|---|---|
| | विचार। |
| गुरुवार, दिनांक 01 अगस्त, 2024 | राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार। |
| शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त, 2024 | राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार। |

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

**(स्वीकृत)**

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

श्री संजीव कुमार।

**अनुदान की मांग**

**मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन एवं**

**मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर विचार**

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 39 - नगर विकास एवं आवासन व मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा चल रही है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं समय-सीमा से बन्धा होने के कारण बिना किसी भूमिका के ही अपने भादरा नगरपालिका क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**mkd/rtm/26.07.2024/16:40/3c**

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मंत्रियों को भी देख लें। सारी सीटें खाली पड़ी हैं। आप तो बैठ हैं, आपके लिए थोड़े ही कह रहा हूं। जो नहीं बैठ हैं, उनके लिए कह रहा हूं। आपके अलावा पूरी कुर्सियां खाली हैं। आपके अलावा अगल-बगल में पूरा मैदान खाली पडा है।

श्री अध्यक्षः हमेशा रोटेशन में पांच-पांच लोग ही बैठते हैं।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा में सीवरेज प्रोजेक्ट के काम को चालू हुए करीब सात-आठ वर्ष हो गये हैं, अभी तक काम आधा-अधूरा है। इसके साथ ही साथ सीवरेज निर्माण के काम में भारी अनियमितताएं हुई हैं, भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसके निर्माण में अमानक व घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हालात यह है कि शहर के अन्दर जगह-जगह चैम्बर धंस गये हैं, पाइपें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं, न कोई लेवल का ध्यान रखा गया, न क्वालिटी का ध्यान रखा गया। पूरे शहर में गन्दे पानी से बड़ी भारी अव्यवस्था बनी हुई है। लोगों के घर और दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं, सड़कें तोड़ दी गई हैं।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सीवरेज

का सरकार के लेवल पर हाइड्रा टेस्ट करवायें। जो एसटीपी बने हुए हैं, उनकी भी जांच करवायें। इस पूरे सीवरेज प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर भादरा शहर की जनता को आप राहत प्रदान करने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ भादरा शहर में जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम में पानी की निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस वजह से भी शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के बाद चार घंटे तक बारिश का पानी शहर में खड़ा रहता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ड्रेनेज निर्माण के लिए राज्य सरकार के स्तर पर इसकी डीपीआर तैयार करवाकर, इसके लिए बजट आवंटित करने का काम करें।

नगरपालिका ने अपने लेवल पर एक डीपीआर बनाई है और जिस फर्म को इसका ठेका दिया गया है। उसने आज तक धरातल पर कोई काम नहीं किया है। उसका भी ठेका निरस्त कर उस फर्म को आप ब्लैक लिस्ट करने का काम करें, ताकि इस ड्रेनेज की समस्या का भी समाधान हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भादरा शहर की नगरपालिका का जो क्षेत्र है, विगत पांच वर्षों में वहां भूखण्डों और आवासों के पट्टे बनाये गये, जो पट्टे वितरित किये गये, उसमें बड़ी भारी अनियमितताएं हुई हैं, बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

मैं कह सकता हूं कि नगरपालिका भादरा क्षेत्र में मास्टर प्लॉन में जो भूमि ओसीएफ और खाली स्थान हेतु आरक्षित थी। मास्टर प्लान के हिसाब से, मास्टर प्लान की बुक में बिन्दु संख्या 5.5/3 के अनुसार उस स्थान पर केवल अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस थाना, पुस्तकालय, युवा केन्द्र, वाचनालय और रंगमंच इस तरह की चीजों के लिए आरक्षित थी, लेकिन मास्टर प्लान के बिलकुल विपरीत जाकर गैर कानूनी तरीके से तत्कालीन जनप्रतिनिधि ने अपने प्रभाव पिछली सरकार के समय दिखाते हुए किसान भवन के नाम से गैर कानूनी तरीके से उसका पट्टा बनवा लिया, जबकि वह किसान भवन न किसी किसान के काम आ रहा है, उस किसान भवन में न किसी तरह की किसान की गतिविधियां हो रही हैं, केवल और केवल एक राजनीतिक कार्यालय के रूप में उस किसान भवन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस पूरे पट्टा प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये। इसके साथ-साथ जो पट्टों की अनियिमतताओं की बात भादरा नगरपालिका की कर रहा हूं। मुख्य मंत्री जन आवास योजना के तहत लॉर्ड कृष्णा कॉलोनी में भूखण्ड का आवंटन गलत तरीके से किया गया। भूमाफियाओं के द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम से कई प्लाट आवंटित करवा लिये गये। नगरपालिका की खुद की भूमि पर क्लॉथ मार्केट में भूमाफियाओं की मिलीभगत से अवैध पट्टे बनवाये गये। इसके साथ-साथ

मास्टर प्लॉन में खुले मैदान और पार्क के लिए जो भूमि आरक्षित थी, उसको अवैध तरीके से 90ए करवाकर उसके पट्टे जारी करवा लिये। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में बिना भू-उपयोग परिवर्तन कर भूमाफियाओं द्वारा अवैध आवासीय कॉलोनियां वहां विकसित कर दी गईं। इसके साथ-साथ सुओ मोटो कार्यवाही के तहत भी अवैध तरीके से पालिका के पक्ष में इंतकाल चढ़ाया गया, जिस पर आज तक कोई आबादी विकसित नहीं हुई।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भादरा नगरपालिका क्षेत्र में, जो अवैध पट्टे बनाये गये और पट्टा वितरण में जो भारी भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितताएं हुईं, उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर आप जनता को राहत प्रदान करने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भादरा शहर में पिछले पांच वर्षों के दौरान विकास कार्यों में भी बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई हैं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जहां तक काम का सवाल है, कई जगह या तो काम पूर्ण नहीं करवाया गया है, करोड़ों रुपये की निविदाएं जारी की गईं, कार्य पूर्ण हो चुका, परन्तु धरातल पर या तो वह काम ही नहीं है या केवल उसकी औपचारिकताएं ही पूरी करवाई गईं। इसमें तकनीकी अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये का राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया गया तो इसकी भी उच्च स्तरीय जांच करवाये जाने की आवश्यकता है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)।

मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भादरा नगरपालिका क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या, शहर के समीप जो राजकीय महाविद्यालय बना हुआ है, उसके नजदीक राजपुरा राजस्व गांव के नजदीक अव्यवस्थित तरीके से नगरपालिका द्वारा वहां कचरा डाला जाता है, जिससे जनता और स्टूडेंट्स को भी भारी परेशानी होती है। मेरा निवेदन है कि कचरा संग्रहण एवं परिवहन की उचित व्यवस्था करवाकर जनता को आप राहत प्रदान करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री यूनुस खान।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन की मांग पर बोलने का मौका दिया। मैं समय की बाध्यता को देखते हुए, आज सीधे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करना उचित समझूंगा, बाकी समय बचेगा तो मैं और कोई बात करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की तरफ से अभी दूसरे मंत्री महोदय जी नोट कर रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि मोदी जी बार-बार अमृतकाल की चर्चा करते हैं। हम उनके अमृतकाल की योजनाओं का भी स्वागत करते हैं। अमृतकाल में डीडवाना को जो पैसा मिला। मेरे से पहले जितने भी वक्ता बोलें, विशेष रूप से सत्ता पक्ष के, क्योंकि ये पक्ष तो पिछली बार सत्ता में खुद था, इसलिए ईओ, नगरपालिका चैयरमेन इनके अधिकार क्षेत्र में थे तो जितनी भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, वे इधर से ही आ रही हैं।

मंत्री जी, इधर से जरूर सुनेंगे। मैं भ्रष्टाचार के सात नमूने बताऊंगा। अमृतकाल का जो पैसा आया, हमारे सिंगी तालाब जीर्णोद्वार और कचोलिया तालाब का। उसकी जो डीपीआर थी, उसके विरूद्ध काम हुआ। पर्ची की जो बात की जाती है, पर्ची सरकार, पर्ची सरकार, यह वास्तव में कहीं देखना हो तो यह पिछले पांच वर्षों में डीडवाना में चला। एक घर से पर्ची आती थी, वह पर्ची ईओ को जाती, उसी को ठेका मिलता, ईओ को पर्ची जाती, उसी को सफाई का काम मिलता। ईओ को पर्ची जाती, यानी वास्तव में पर्ची का अगर किसी ने दुरुपयोग किया है तो तत्कालीन विधायक डीडवाना ने किया। यदि उसकी अगर जांच हो गई तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि उसमें इतनी जबर्दस्त कार्यवाही होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हां-हां, आपने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका अधिनियम, 2009 की बात करूंगा। उसमें लिखा है कि नगरपालिका की सामान्य साधारण बैठक 60 दिनों के भीतर एक बार हो जानी चाहिए। पिछले दो साल से कोई बैठक नहीं हुई, सिर्फ पर्ची से काम हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे..।

श्री अध्यक्षः यहां भी पर्ची है। यहां भी पर्ची से काम होता है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): आईडीएसएमटी में एक आठ करोड़ 56 लाख का काम शुरू किया, 10 साल पूरे हो गये हैं। उस पैसे का जिस तरह से उपयोग किया गया। एक काम जो टाउन हॉल बन रहा है, वह अधूरा पडा है। उस पैसे को दूसरी ओर डायवर्जन कर दिया गया और किस तरह से उसका दुरुपयोग हुआ। सीवरेज परियोजना- फर्स्ट और सैकंड दोनों में, ओ एंड एम का काम जिन कम्पनियों के पास था, वे भी काम नहीं कर रही हैं। उनको डीपीआर में जो अलाइंमेंट उनको बताया गया था, उसके अनुसार भी काम नहीं हुआ।

**Bhs/Rtm/26.7.24/16.50/3d**

तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि हमारा पशु मेला जो था डीडवाना का बहुत प्रसिद्ध पशु मेला था उसमें आज सारा सीवरेज का पानी जाकर के गिर रहा है इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर कार्यवाही करें। जहां पत्रावलियां गायब हुई हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक डीडवाना की बात नहीं है यहां से भी खूब आवाज आई कि जो पहले पट्टे काटे गये और पट्टे काटने के बाद में उनकी पत्रावलियां गायब हुई और जिस तरीके से पत्रावलियां गायब हुईं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कहते हुए कि नगरपालिका चैयरमेन ने अपने नाम से आठ 891,848,800-800 गज के पट्टे ले लिये और आज उनकी पत्रावलियां नहीं मिल रही हैं और मंत्री जी के मुंह से हम रोज सुन रहे हैं कि हम पत्रावलियां ढूंढ लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि हर नगरपालिका में एफ.आई.आर. करवाइये और उन पत्रावलियों को जरूर आप ढूंढ करके उन पर कार्यवाहियां करवाइये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अतुल रहमान वर्सेज सरकार में जो पायतन की जमीनें थी उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा उस पर भी इन्होंने एक बस स्टेंड बना डाला। उस बस स्टेंड

पर दुकानें बेच दी लगभग 14 करोड़ की, पैसा कलेक्ट कर लिया और वह पैसा आज नगरपालिका के खाते में नहीं है उस पैसे को भी बांट करके खा गए तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो अब्दुल रहमान वर्सेज सरकार में जो वॉयलेशन हुआ उसके बाद में यह बस स्टैण्ड बना और अभी सरकार की तरफ से एक सर्कुलर आया कि जिन नगरपालिकाओं में या नगर निकायों में पैसा बाकी है वो नया टेंडर नहीं दे, उसका भी उल्लंघन करके अभी 14 करोड़ रुपये बाकी पडा है, अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए बिना पैसे उनके पास न कोई बजटहै न कोई शेष है उसके बाद में भी उन्होंने वो लगा दिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि चाहे कचरा निस्तारण की बात हो, चाहे कोई और हो तो मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि सारे विषय मैं लिख करके माननीय मंत्री जी को दे दूंगा। मंत्री जी इस पर कार्यवाही करा दें, यही मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपके माध्यम से यह कह रहा हूं कि आज की तारीख में तीस प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है और शहरीकरण आज की तारीख में विकास का पर्याय बन चुका है और जयपुर में प्रसिद्ध है कि नगर नियोजन जहां की परम्परा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो पुराना जयपुर देख लीजिये। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, सूरजपोल आदि और उसके बाद जो जयपुर बसा उसको आप देख लीजिये किस तरीके से वॉयलेशन हुआ है और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पिछले कार्यकाल में जिसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगाया गया था उसको ईमानदार कहते थे उस ईमानदार व्यक्ति की जांच करवा लो एक लाख से ज्यादा वॉयलेशन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है और अभी भी जिनको लगाया गया है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्य मंत्रियों को क्या हो गया कि अपने ही रिश्तेदारों को लगा कर इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगाते हैं, उनके माध्यम से क्या करवाना चाहते हैं मेरे आज तक समझ में नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि अगर वास्तव में शहरों का सही विकास करना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें। अभी मैं इनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। इनका वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ रहा था। (समय समाप्ति सूचक घंटी।)

बस एक लाइन लास्ट बोलूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि दूसरे पेज पर ही इन्होंने लिखा है कि 240 नगरीय निकाय हैं, कोई कमी निकालना मेरा उद्देश्य नहीं है और जबकि उसी पेज पर दूसरी लाइन लिख रहे हैं 282 तो पहले यह तय कर लें कि इनके प्रतिवेदन में कौन दस्तखत करता है। इनके प्रतिवेदन कौन पेश करता है क्योंकि हमारी गलती इतनी ही है कि हम पढ़ करके आते हैं, तैयारी करके आते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे, एक घंटे की और आप उसको पांच मिनट में समअप करवाते हो। इसलिये हमारा निवेदन है...।

श्री अध्यक्षः सक्षम लोग अपनी महत्वपूर्ण बात पांच मिनट में भी पूरी कर लेते हैं।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): कर दी हमने तो आपको। कर दी, अगर जांच हो जायेगी तो सब सामने आ जायेगा और जो मैंने मुख्य बात कही है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की वो मेरे आज

तक समझ में नहीं आया। मैं भी जयपुर में रह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, चालीस साल से कि यह जयपुर किस तरीके से बेतहाशा बस रहा है सब देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यह सरकार इस पर कार्यवाही जरूर करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप पुरी।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। आदिकाल से ही हमारे देवादिदेव विश्वकर्मा भगवान द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे पूर्वज नगर, शहर, ग्राम आदि का निर्माण करते रहे हैं जिसमें प्रकृति, प्राणि, पर्यावरण सबको ध्यान में रख करके बसावट की जाती थी। गोचर, ओरण, कुए, बावड़ी, तालाब सबको सुव्यवस्थित करके दिया जाता था, जिसका उदाहरण अभी मेरे से पहले माननीय विधायक महोदय ने रखा। जयपुर की बनावट को देखिये आप कितनी सुन्दर है। जयपुर की तरह ही कई ऐसे शहर हैं जो हम सबके लिए ऐतिहासिक धरोहर है और आज विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं मेरे पोकरण विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा और पोकरण विधान सभा क्षेत्र में पोकरण नगरपालिका आजादी से पहले 1936 में बसी है। ऐतिहासिक नगरी पोकरण, परमाणु नगरी पोकरण, धार्मिक नगरी पोकरण, बाबा रामदेव जी की देवनगरी पोकरण परन्तु वह आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वह पुरानी बसी हुई नगरी है। दुनिया भर के लोग पर्यटक के रूप यहां देखने के लिए आते हैं। रामदेवरा दर्शन करने के लिए आते हैं। पोकरण का दर्शन करने आते हैं परन्तु पोकरण के अन्दर प्रवेश करते हैं तो उनको दु:ख और पीड़ा होती है कि इतनी ऐतिहासिक नगरी आज उसका कोई विकास नहीं है इसलिये आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि उसको एक आदर्श नगरपालिका के रूप में आप उसका खाका बनायें जिससे आने वाले पर्यटकों के लिए भी सुविधा हो और आम  नागरिक के लिए भी सुविधा हो। उन मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए विशेष रूप से पैकेज बना करके पोकरण को ध्यान में रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पोकरण निश्चय ही हम सबके लिए प्रवेश द्वार भी है, परमाणु नगरी है। जैसलमेर जाने वाले पर्यटक भी वहां रुकते हैं और आते और जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पोकरण के अन्दर पिछली बार पिछली सरकार ने पच्चीस करोड़ रुपये ट्रीटमेंट प्लांट के लिए स्वीकृत किये थे परन्तु वो व्यवस्थित नहीं होने के कारण नहीं लगे उसका मूल कारण था कि पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था हेतु एस.टी.पी. प्लांट नहीं होने के कारण शहर का गन्दा पानी जगह-जगह इकट्ठा हो रहा है और इसके लिए भोमाराम माली बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एपीसी नम्बर 81/2022 माननीय एनटीजी न्यायालय बैंच भोपाल द्वारा नगरपालिका के विरुद्ध 65 लाख रुपये की शास्ति लगाई गई है। नगरपालिका पोकरण की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसके कारण पैनल्टी की राशि जमा नहीं कराने में सक्षम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नगरपालिका के क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था ही सुचारु रूप

से समाधान नहीं हो पायेगा तो माननीय न्यायालय द्वारा शास्ति लगाई गई अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण का यह नगरपालिका का बहुत गम्भीर विषय है और इसको आप तुरन्त ही निस्तारण करने के लिए आप कदम उठाएं। चूंकि पिछली सरकार ने पच्चीस करोड़ रुपये की स्वीकृति की थी परन्तु उसमें एक टेक्निकल त्रुटि लिखी गई है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पच्चीस करोड़ रुपये पोकरण नगरपालिका लिखा। पोकरण शहर लिखा परन्तु कार्यस्थल रामदेवरा लिख दिया, जो कि पोकरण नगरपालिका से दस किलोमीटर दूर है और वहां लिख दिया। इसलिये इसका संशोधन करके पुनः पोकरण नगरपालिका लिखा जाए, जिसके कारण वह पैसा लग करके इस व्यवस्था को सुचारु किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पोकरण नगरपालिका का जो सांचा और ढांचा है, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है पुरानी नगरी है और उस पुरानी नगरी में जो पुरानी बसावट है उसकी सड़कें तीस-चालीस साल पुरानी, पाइप लाइनें तीस-चालीस साल पुरानी, सीवरेज उस समय का डाला हुआ, लाइट के तार और खंबे उस समय के लटके पड़े हैं इसलिये मैं पुनः आग्रह करूंगा कि पोकरण ऐतिहासिक नगरी को ध्यान में रखते हुए आदर्श नगरपालिका के पैमाने में लेकर के ये सारी मानवीय व्यवस्थाएं सुचारु रूप से की जाये। कुछ मूलभूत सुविधायें मैं मानता हूं कि सभी नगरपालिकाओं में होनी चाहिये और एक पैमाना है वो सभी नगरपालिकाओं को देना चाहिये न कि पोकरण नगरपालिका को, जिसमें टाउन हॉल अनिवार्य है। सभी नगरपालिकाओं में एक टाउन हॉल होना चाहिये और उसी के साथ में नगरपालिका में सुव्यवस्थित सार्वजनिक पार्क जिसमें व्यायामशाला और ओपन जिम भी होनी चाहिये इसकी मांग मैं पोकरण नगरपालिका में भी करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ सबकी मांग आई है कि पोकरण नगरपालिका हो चाहे और नगरपालिका हो, सुचारु चलाने के लिए वहां कर्मचारी होने आवश्यक हैं। मेरी पोकरण नगरपालिका में दो जे.इएन. और एक ए.इएन. की पोस्ट है, तीनों खाली पड़ी है और कर्मचारियों की भी भारी कमी है इसलिये इसको जब तक सुचारु नहीं करेंगे तब तक पूरी नहीं होगी। अतः मूलभूत सुविधाएं, बस स्टेंड का सौन्दर्यीकरण, सीसीटीवी कैमरे, भीतरी शहर और बाहर के शहर में अभी जो विस्तार हुआ है सड़कों का निर्माण हो। पोकरण एक परमाणु नगरी भी है और रामदेवरा के पास में होने के कारण दर्शनार्थी आते हैं तो उनके लिए सार्वजनिक निर्माण करके कुछ व्यवस्थाएं उनके रुकने की, सार्वजनिक शौचालय आदि बनाने की व्यवस्था, इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के लिए। हमारे वहां तालाब है, अभी तालाब की बात आई, नदी-नाले की आई। मेरे से पहले भी कहा तालाबों की जमीन और नदी-नालों की जमीन पर भयंकर अतिक्रमण हुआ है। इनका सौन्दर्यीकरण करने के लिए उनको सुचारु रूप से खाली किया जाए और मैं पुनः आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हमारा आने वाला भविष्य, आने वाले जो भी शहर बसें उनमें प्रकृति, पर्यावरण, जीव, प्राणि, सबको ध्यान में रखते हुए उसी विश्वकर्मा भगवान के उस वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम नगरीय विकास

करेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं अन्यथा बढ़ती आबादी, शहरों की तरफ आकर्षण ....

**Kas/rtm/26.07.2024/17.00/3e**

हम सबको कहीं न कहीं इतना परेशान कर देगा जिससे, सारी परेशानियों का समाधान नहीं होगा। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब में मैं आशा करता हूं कि मैंने जो मांग रखी है, पोकरण को आदर्श नगर पालिका घोषित करके ट्रीटमेंट प्लांट के लिये जो 25 करोड रुपये पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकृत किये थे, उनको सुचारु रूप से लगाने की व्यवस्था करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन, मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हम सभी विधायकों को पूर्व मुख्य मंत्री, पूर्व यूडीएच मंत्री और पूर्व विधान सभा अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिये कि विधान सभा के सामने ही अच्छे आवास बनाकर हम लोगों को दिये है। हम वहां दोपहर में आराम से खाना खाकर आराम से सो रहे हैं और वापस आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की थी। वर्ष 2022-23 में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों द्वारा काम मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया था। 2023-24 में 100 दिवस रोजगार को 125 दिवस का रोजगार किया गया। प्रधान मंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस तरह की योजना को पूरे देश में लागू करने की बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में 70 किलोमीटर सड़क फतेहपुर नगर परिषद में बनी थी। 45 किलोमीटर सड़क नगरपालिका रामगढ में बनी थी। फतेहपुर में 94 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज का कार्य सेंक्शन हुआ था, वह तैयार हो गया। नेचर पार्क के लिये 20.52 करोड़ रुपये सेंक्शन किये थे, ड्रेनेज के लिये 16.46 करोड़ रुपये सेंक्शन किये थे और नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया था। एसटीपी की पाइप लाइन के लिये 6.46 करोड़ रुपये सेंक्शन किये थे। इसी तरह रामगढ़ में भी गंदे पानी की निकासी हेतु 5 करोड़ सेंक्शन किये थे, यह सब कार्य चालू हैं। पार्क का बजट दिया था 1.8 करोड़ रुपये, वह पार्क रामगढ़ में बनकर तैयार है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रामगढ़ और फतेहपुर, दोनों शहरों में नगरपालिकाओं में एईएन, एक्सईएन, जेईएन, बाबू के रिक्त पदों को भरने की कृपा करें। आप भले ही हटा दो, आपको किसी ने लिख कर दिया होगा, मंत्री जी आप सज्जन आदमी हो और आपने हटा तो दिया लेकिन वापस नहीं लगाया, इसलिए वहां नगरपालिका और नगर परिषद का काम

अवरुद्ध हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर वापस स्टाफ लगाया जाये।

दूसरा, नगरपालिका, नगर परिषदों में जो टेंडरों पर रोक लगा रखी है, उसको हटाया जाये।

श्री अध्यक्षः यह मंत्री जी सज्जन हैं, बाकी क्या दुर्जन हैं?

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): यह मेरे सीकर जिले के हैं।

श्री अध्यक्षः सभी सज्जन हैं।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): हम सौभाग्यशाली हैं कि यूडीएच मंत्री पहली बार शेखावाटी को मिला है। ...(व्यवधान)... फतेहपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य और हैं कालीचरण जी सराफ, हम दोनों एक शहर के ही हैं। ...(व्यवधान)... बिलकुल भरवा दिया। बाहर से मेरे पास मैसेज आया कि उस पर एक्शन लिया गया है। मंत्री वही होता है, जो माननीय सदस्य गलत काम के लिये कहे तो उस पर एक्शन लें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय जी को कि उस बात पर एक्शन हुआ है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक सेकण्ड आपका टाइम लूंगा। आज दूसरी बार मौका है, आज सुबह ही रोहित जी का दिल बदला था और अब हाकम भाई का भी दिल बदल रहा है। धीरे-धीरे हमारे प्रति इनका पूरा दिल बदल रहा है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अच्छे काम को अच्छा कहेंगे। मंत्री महोदय, अच्छा काम करोगे, अच्छा जवाब दोगे, तो अच्छी बात कहेंगे। ...(व्यवधान)... मेरा समय खा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आपका समय पूरा हो रहा है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फतेहपुर शहर में एक बावड़ी बनी हुई है, दुनिया का सातवां अजूबा उसे कहते हैं। चाहे सरकार हमारी हो, या आपकी हो, उस बावड़ी की अनदेखी की वजह से वह बावड़ी आज दुर्लभ होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कइयों के जीर्णोद्धार के लिये बजट स्वीकृत किया है, मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनको भी कहता कि दुनिया के सातवें अजूबे को वापस लाने के लिये उस पर भी ध्यान दिया जाये।

एक, नेचर पार्क का काम चल रहा है। मंत्री महोदय, आप फतेहपुर जाते रहते हो, कभी नेचर पार्क का भी विजिट करो। उस नेचर पार्क में मूलभूत सुविधाएं, जैसे ओपन जिम, उसमें एक झील है, उस झील को पत्थरों से पेचिस करने का कार्य, इनकी भी स्वीकृति देने की मेहरबानी करें।

एक, जब हम फतेहपुर में हाई-वे से प्रवेश करते हैं, वह सड़क बहुत टूटी-फूटी पड़ी है। पूर्व माननीय मंत्री यूनुस जी बैठे हैं, 2014 में यह फतेहपुर में उस सड़क की सेंक्शन करके आये थे, लेकिन वह सड़क जिस फर्म ने बनाई थी, वह सही नहीं बनी थी, वह फर्म बंद हो गई, ब्लैक लिस्ट हो गई, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक हमारी सड़क नहीं बनी। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि उस सड़क के लिये भी आप बजट आवंटन करें। उस पर दोनों पुलिस थाने हैं, एसडीएम ऑफिस है, जेल है, एसडीएम का बंगला है, हॉस्पिटल है, नगरपालिका है, पंचायत है, सारे गवर्नमेंट के ऑफिस उसी सड़क पर हैं।

मंत्री महोदय, आप गुरु पूर्णिमा के दिन फतेहपुर गये थे। वहां शहर में सारनाथ जी का 600-700 साल पुराना मन्दिर है। नवाब जलाल खां का बनाया हुआ मन्दिर है। गढ़ बनाने से पहले नवाब ने वह मन्दिर बनाया था। उस मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये बजट की व्यवस्था करें। आप कल गये थे, आपने देखा होगा कि हमने वहां पानी निकासी के लिये तो ड्रेनेज बना दी, लेकिन जो पानी वहां इकट्ठा होता है, उसके साथ जो कचरा आता है, वह कचरा बहुत ज्यादा परेशान करता है। अभी सावन चल रहा है, तकरीबन 200-250 लोग वहां सावन में आते हैं। उन्होंने आज ही कहा था कि मंत्री जी से निवेदन करके उसकी कोई व्यवस्था करा दें। सामने गायों के चरने के लिये हमने पिछले साल में एक टिन शैड बनाया है। वहां जो पानी के साथ कचरा आता है, उसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान देना।

अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सीवरेज का पानी ट्रीट करके उसको कहां निस्तारण करोगे, उसकी व्यवस्था के लिये 2013-14 में सेंक्शन हुई थी, उस समय नहीं किया, मेरा आपसे निवेदन है कि उसके निस्तारण की भी कोई व्यवस्था करें। उसका निस्तारण यह है कि वहां से पानी ट्रीटमेंट होकर वापस बीड में आ जाये। बीड़ बहुत बड़ा है, उसमें गायें भी रहती हैं। ट्रीट होने के बाद उसमें उस पानी को काम में लिया जाये तो उस बीड में पानी काम में लिया जा सकता है और जो पार्क बनाया है, उस पार्क में वह पानी दे दिया जाये तो भी वह पानी वहां यूटिलाइज हो सकता है।

**(समयः बजे)**

**(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)**

एक रामगढ़ शहर में जब हम प्रवेश करते हैं तो वह सड़क भी टूटी-फूटी है, उसके लिये भी आप थोड़ी व्यवस्था करें। रामगढ़ नगर पालिका को सी क्लास से बी क्लास में कर दीजिए। वहां बहुत बड़ा शहर हो गया, सेठों का शहर है, बहुत सारे पर्यटक वहां घूमने के लिये आते हैं। रामगढ़ में सीवरेज का पिछली बार हुआ था, माननीय मंत्री महोदय, सिर्फ एक आदमी की वजह से उसने पाइप लाइन रोक रखी है। वह पाइप लाइन जब बीड़ में लेकर जाते हैं, एक आदमी उस पाइप लाइन को रोककर बैठा है, उसकी वजह से पूरी सीवरेज का काम फैल हो रहा है। जिस तरह से आज आपने प्रश्न के जवाब में एक्शन लिया था, उसी तरह एक्शन लेकर उसको पूरा कराएं। सीवरेज में करीब 17-18 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और उसके बाद भी वह सीवरेज काम में नहीं आ रही है, सिर्फ एक आदमी की वजह से कि वह पाइप लाइन नहीं जाने दे रहा है। आप प्रशासन को कह कर उस पाइप लाइन को डलवा दीजिए तो शहर की समस्या खतम हो जायेगी।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री अतुल भंसाली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सफाई कर्मी आप वाल्मीकि लेने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान की मांग 39 एवं 40 की चर्चा में सम्मिलित होने का

अवसर दिया, धन्यवाद। मैं सीधा अपनी बात पर आता हूं। जब भी नगरीय विकास और डवलपमेंट की चर्चा होती है तो सभी सदस्य एक ही बात कहते हैं कि कोटा को बहुत दिया, जयपुर को खूब दिया, जोधपुर को खूब दिया। मैं उस जोधपुर शहर से ही आता हूं, वहां का विधायक हूं और जब यह बात सुनता हूं तो आंखों में आंसू होते हैं और खून के घूंट पीता हूं, क्योंकि जोधपुर में तीन विधान सभाएं हैं, सरदारपुरा, जोधपुर शहर और जोधपुर सूरसागर।

**msk/rtm/26.07.2024/1710/3f**

चूंकि पिछले तीन बार से, विपक्ष में कांग्रेस के मुख्य मंत्री जोधपुर से ही हैं, वे जोधपुर बोलते हैं, लेकिन वे सरदारपुरा से हैं। जितनी भी घोषणाएं की गयीं और जितने भी काम हुए, वे सभी सारे काम सरदारपुरा विधान सभा में हुए, जोधपुर में नहीं हुए। हर कोई कहता है कि जोधपुर में खूब काम हुआ, हमारे यहां भी करवायें।

जोधपुर की जो वास्तविक समस्या है, मैं सीधे उसके ऊपर आता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय और इनके जो अधिकारी बैठे हैं, उनको भी इंगित करूंगा, क्योंकि मैं वास्तविक समस्या के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। जब भी कोई भवन का नक्शा पास किया जाता है, उसमें पार्किंग न होने पर ईसीयू के चार्जेज लिए जाते हैं और बहुत भारी मात्रा में चार्जेज हैं। एक-एक बिल्डिंग में दस लाख, बीस लाख, चालीस लाख, पचास लाख। इस राशि की वसूली ईसीयू के माध्यम से की जाती है। ईसीयू का प्रावधान है कि वह राशि नयी पार्किंग डवलप के लिए यूज़ करनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ईसीयू के रुपयों का नगर निगम और जेडीए ने क्या उपयोग किया, उसकी जानकारी सदन पटल पर रखें।

इसी तरह से फायर सेस। हर भवन निर्माण की अनुमति के साथ में बड़ी मात्रा में फायर सेस की वसूली की जाती है और सेस वह होता है, जिस चीज के वह लगाया जाए, वह सेस उस काम में आना चाहिए। ईसीयू भी वैसा ही है। फायर सेस के अन्दर जेडीए और नगर निगम ने अभी तक कितनी राशि वसूली है और क्या उस सेस का फायर फाइटिंग इक्यूपीमेंट और उनको डवलप करने के लिए एवं अपग्रेडेशन के लिए काम हुआ है? उसकी जानकारी भी सदन पटल पर रखें एवं आगे ध्यान रखें।

तीसरा, एक चीज कॉमन है। जब हम मैथेमेटिक्स पढ़ते थे ब्रेकिट के बाहर कॉमन फैक्टर निकाल देते थे। जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, चाहे 282 हों या 242, एक कॉमन फैक्टर बाहर निकलता है, वह नगर पालिका के अन्दर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना नीचे से चालू होता कि सबसे पहले टू-बाई-टू की समस्या आती है। जब मैं विधायक बनकर लोगों के बीच में जाता था, पार्षद को पूछता था कि आदमी क्यों नहीं है तो, साहब, टू-बाई-टू की तकलीफ है। समझ में नहीं आया कि यह टू-बाई-टू क्या है? सभी विधायकगणों को तो मालूम है कि यह टू-बाई-टू का क्या ईश्यू है। माननीय मंत्री महोदय, उसका भी संज्ञान लें। जितने लोग वार्ड में सफाई के लिए आवंटित हुए हैं, कम से कम उतने लोग उस वार्ड की सफाई जरूर करें।

हमारे जोधपुर में नगर निगम को, पिछली सरकार की दूरदर्शिता, ऐसा नहीं लगे कि जोधपुर में भी हम हार गये, इसलिए नगर निगम को दो क्षेत्रों, उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित कर दिया गया। संसाधन एक, बिल्डिंग वही, संसाधन वही, 65 वार्ड के 160 वार्ड कर दिये। सारे संसाधन, अधिकारी तितर-बितर हो गये। बैठने को कमरे नहीं हैं, पार्किंग में बैठ रहे हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

साहब, आठ मिनट दिये हैं, अभी तीन मिनट हुए हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके इन निगमों को एक करने का काम करें।

एक मुख्य बिन्दु नगर पालिका मर्जी आये जब, कोई कम्प्लेन आये तो किसी भी तरह से बिल्डिंग सीज करते हैं। उस बिल्डिंग को सीज करके वापस खोलने का अधिकार किसके पास है? क्योंकि पिछले पांच साल के अन्दर यह एक धंधा बन गया था कि जोधपुर में बिल्डिंग सीज होती थी और जयपुर खुलने के लिए फाइल आती थी। यहां व्यवहार होता था, बिल्डिंग खुल जाती थी। अनुपालना कुछ नहीं होती थी। साठ दिन में अनुपालना का नोटिस देकर एक पेपर भेजते थे, बिल्डिंग खुल जाती थी। आप उसकी भी जानकारी ले लें कि ऐसी बिल्डिंगों में वापस अनुपालना कितनी हुई है?

हमारे यहां आरयूआईडीपी में वही रोना है कि सरदारपुरा, जोधपुर शहर और सूरसागर, तीनों विधान सभाओं में अलग-अलग आरयूआईडीपी के कार्य संपादित करने के लिए टेण्डर हुए, पर बीच में ही सरदारपुरा, शहर और सूरसागर से लगभग आधे काम स्थानांतरित हो गये और वे भी बिना कोई रोक-टोक और बिना कोई प्रक्रिया को करते हुए, उसके लिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उसकी एसओजी से जांच करायी जाये। इसमें हमने ऑलरेडी लेटर दिया हुआ है।

हमारे जोधपुर के अन्दर सरस्वती नगर, ओम कॉलोनी, प्रजापत कॉलोनी, घांची कॉलोनी, बासनी गांव, लुहार कॉलोनी, जेडीए से मानजी के हत्थे एयरपोर्ट से शिफ्ट किये हुए प्लाट खसरा नंबर 734 राजस्थान आवासन मण्डल, इन सब में अभी तक सरकार पट्टे नहीं दे पा रही है, जबकि इनकी कार्यवाही लगभग 90 परसेंट पूर्ण हो चुकी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उनमें भी जल्दी से जल्दी पट्टे दिलायें।

सबसे बड़ा मुद्दा, लूणी, सरदारशहर और सूरसागर की बाउंड्री है। वह गांव है, यह शहर है। तो पेरिफेरी के माध्यम से दूसरे सदस्यों न जो पेरिफेरी का मुद्दा उठाया है। वे पेरिफेरी वाले लोग लावारिस हो गये हैं। ऐसे कम से कम 16 गांव हैं और हजारों की संख्या में नागरिक हैं, जो इन सुविधाओं से वंचित हैं। उसके बाद में, मैं एक ही बात कहूंगा। माननीय पारीक साहब की बात से मैं भी सहमत हूं कि एक विशेष समुदाय वाल्मीकि समाज को ही इस भर्ती का लाभ दिया, क्योंकि बाकी बातें सबने कर लीं, इस बात से मैं भी सहमत हूं और वह भी मेरी एक मांग रहेगी। अंत में, एक विशेष समुदाय को एक ही अड्रेस से 25 पट्टे दिये गये, उनको निरस्त करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 39-नगरीय विकास एवं आवासन, मांग संख्या-40 स्वायत्त शासन पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, उनका सबसे प्राथमिक काम शहर, कस्बे को साफ-सुथरा करने का होता है। इसके लिए मैं वाल्मीकि समाज के तमाम सफाई कर्मियों का बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद इस सदन से देना चाहता हूं कि करोड़ों लोग जो रोजाना गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, उसकी साफ-सफाई करने का काम हमारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी करते हैं और कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज के कर्मियों ने निभायी थी। जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि सफाई कर्मियों की भर्ती पूर्ण की जाए और उसमें वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए, अन्य किसी को इस भर्ती के अन्दर योग्य नहीं माना जाए, क्योंकि यही वह समाज है जो सफाई करने का काम करता है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो, उन सबका पूरा फोकस बड़े-बड़े महानगरों पर, बड़े-बड़े शहरों पर रहता है, छोटे कस्बों में जो ग्रामीण बसते हैं, उन छोटे कस्बों की तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता। आज जो छोटी नगर पालिकाएं हैं, उनकी हालत बहुत दयनीय है। आज उसमें कोई कर्मचारी नहीं है। तीन-तीन, चार-चार नगर पालिकाओं का चार्ज एक-एक अधिशासी अधिकारी के पास होता है। यूडीसी नहीं है, एलडीसी नहीं है, सफाई कर्मियों की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि अन्य भर्तियां भी करके, जहां नगर पालिकाओं में रिक्त पद हैं, उनमें कर्मचारी लगाने का काम करें।

दूसरा, आज किसी भी नगर पालिका को संसाधन खरीदने की आवश्यकता होती है। उनके निजी फंड होने के बावजूद भी उन्हें अनुमति नहीं होती कि वे सफाई के संसाधन खरीद सके। उनको बार-बार पत्राचार डीएलबी में करना पड़ता है और उन्हें अनुमति नहीं मिल पाती है। इसलिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे नगर पालिका में भी जेसीबी मशीन, सफाई करने की मशीन की, ऑटोटिप्रर की आवश्यकता है। नगर पालिका के अन्दर फंड भी है। आप तो मात्र अनुमति दें, जिससे कि नगर पालिका अपने बजट से इन सफाई संसाधनों की पूर्ति कर सके, खरीद कर सके, जिससे कि शहर में सफाई व्यवस्था हो।

मेरे नोहर के अन्दर पुराना सोनड़ी बस अड्डा है। सिंधी बाजार मार्केट में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। मैं स्वयं नगर पालिका का चेयरमैन था। तब हमने पाइपलाइन डालने की व्यवस्था की थी, लेकिन वह व्यवस्था समुचित, सही रूप से काम नहीं कर पायी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छे इंजीनियरों से एक अच्छी व्यवस्था की जाये। उसकी एक पूरी कार्य प्रणाली बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि व्यापारियों और ग्रामीणों को राहत मिल सके।

माननीय मंत्री महोदय, हमारा लंबे समय से प्रयास चल रहा है कि आज जो आपराधिक

घटनाएं घट रही हैं, चोरी की घटनाएं घट रही हैं, उस पर हम नियंत्रण लगायें। इसलिए पूरे नोहर शहर के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगायें, लेकिन इसकी बीएसआर रेट तय नहीं है। कोई कैमरा 500 का है, 400 का है, 1000 का है, 1500 का है। यह तय नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उसकी टेण्डर प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। इसलिए भी मेरा, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इस टेण्डर प्रक्रिया को करवाने के लिए बजट नगर पालिका के अन्दर उपलब्ध है, कैसे टेण्डर प्रक्रिया से कैमरे लगें, आप यह व्यवस्था करवायें।

हमारे यहां कॉलोनाइजरों ने 20-30 साल पहले कॉलोनियां काट दीं, प्लाट बेच दिये, आज उसमें आबादी बस चुकी है, मकान बन चुके हैं, लेकिन उसमें पानी के कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। चाहे नगर पालिका व्यवस्था करे, चाहे पीएचईडी विभाग व्यवस्था करे, वहां पर जो आबादी बसी हुई है, उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, एक बहुत बड़े मुद्दे के लिए विशेष तौर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो आपका और राजस्व विभाग का दोनों का है। मेरे नोहर के अन्दर एक खसरा 67 नंबर और 66 नंबर, जो कि 5.91 हेक्टेयर भूमि पर है। पिछले 25 वर्षों से 300 घरों की आबादी बसी हुई है। सड़कों का निर्माण हो चुका है। बिजली, पानी के कनेक्शन कर दिये गये हैं, लेकिन एक राजनीतिक संरक्षण की वजह से एक भ्रष्टाचार करते हुए इसी बारहवें महीने के अन्दर उसको खातेदारी में दर्ज करवा दिया गया। जबकि 30 वर्ष पहले उन्होंने बेचान कर दी थी और कुछ ग्रामीण पट्टे भी बन गये थे। उस पर लोन भी हो चुका था। अब वह नगर पालिका की पेरिफेरी में आ चुकी है।

**mdp/rtm/26.07.2024/17:20/3g**

उसका पिछले हफ्ते तहसीलदार जी ने मौका देखा, पटवारी ने मौका देखा, गिरदावर ने मौका देखा, (समय समाप्ति सूचक घंटी) स्पष्ट शब्दों में इन्होंने रिपोर्ट की कि आबादी बसी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, सात मिनट तो कम से कम दीजिए आप। +++ आज मैं आपकी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आज मैं मेरी समस्याएं ही बता रहा हूं। दो मिनट आप मुझे ज्यादा मौका दें, जिससे माननीय मंत्री महोदय को मैं समस्याएं बता सकूं।

श्री सभापतिः दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): ये मेरा, मंत्री महोदय, आपसे विशेष व्यक्तिगत अनुरोध है कि इसकी आप जांच बैठाएं। कमेटी द्वारा जांच कराएं। राजस्व विभाग व आपके द्वारा उसकी सुओमोटो कार्यवाही करते हुए, उसकी खातेदारी निरस्त की जाए।

महोदय, सबने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं स्वयं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जांच कीजिए। कमेटी बैठाइए, अगर मैं भी भ्रष्टाचार के अन्दर आता हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्यवाही कीजिए। लेकिन राजनीतिक द्वेषता से बार-बार अगर जांच कराई जाती है। किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है या हम यह देखें कि हमारे किसी रिश्तेदार को हम

चैयरमेन बना देंगे तो मौजूदा चैयरमेन को हटाने की कार्यवाही जो की जा रही है, यह निंदनीय है, गलत है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर गबन हुआ है तो आप कार्यवाही कीजिए। कार्यवाही सिर्फ जन प्रतिनिधियों पर नहीं बल्कि पहले उसकी जिम्मेवारी ईओ की होती है, वहां के जेईएन की होती है, वहां के एलडीसी, बाबू की होती है कि वह फाइल तैयार करते हैं। आज तक अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होती। सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना के चलते वहां कांग्रेस की सरकार आ गयी तो बीजेपी वालों को हटा दिया, बीजेपी की सरकार आ गयी तो कांग्रेस वालों को हटा दिया, लेकिन उससे पहले उन अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए जिसने कोई गलत पट्टा, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। जाने-अनजाने में कोई चैयरमेन नया होता है, हो सकता है उससे गलतीवश बन गया हो, जाने-अनजाने में बन गया हो। यह नहीं कि उस पट्टे की वजह से उस चैयरमेन को निष्कासित किया जाए। आप उन अधिकारियों पर कार्यवाही कीजिए, क्योंकि अधिकारियों को तो पूरे नियमों का ज्ञान होता है, नियमों की जानकारी होती है। चैयरमेन जो बनता है, शायद उसको पूरे नियमों की जानकारी न हो, राजनीतिक द्वेष भावना के चलते जो जांचें करवाई जा रही हैं, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे निर्माण कार्य की हो, चाहे चैयरमेन की हो, चाहे पार्षदों की हो, मंत्री महोदय ये मैं आपसे विशेष कहना चाहूंगा, क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने आपकी तारीफ की है। राजनीतिक द्वेष भावना से किसी को प्रताड़ित न किया जाए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने गबन किया है और उस पर आरोप सही साबित हो रहे हैं तो आप उसको निष्कासित भी कीजिए, उसको जेल भेजने का काम भी आप करें। आप विशेष तौर से इन चीजों पर ध्यान देंगे। आपका बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री लालाराम।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मांग संख्या 40 और 39 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। शाहपुरा विधान सभा जो रियासतों के समय की बसावट है, कम से कम 200-250 साल पुरानी इमारतें भी वहां पर हैं। किले बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, लेकिन आज वहां पर उनकी किसी भी प्रकार की देखरेख नहीं हो रही है। शाहपुरा क्रांतिकारियों की धरती रही है, तपस्वियों की भूमि रही है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष ने भी वहां पर अपनी तपस्या की है, अपना समय बिताया है। शाहपुरा अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय की व्यास पीठ भी है, जहां पर पूरे देश के लोग आते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शाहपुरा के अन्दर एक पीवनिया तालाब है, उस तालाब के मध्य एक पुरानी इमारत बनी हुई है, तालाब भरने के बाद में उस इमारत के अन्दर जाना मुश्किल है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस भवन तक पहुंचने के लिए तालाब के बीच में अगर पुल बना दिया जाए तो वह पर्यटक स्थान घोषित हो सकता है और शाहपुरा की जनता को रोजगार मिल सकता है। शाहपुरा में पूर्व में जो मास्टर प्लान बना, उस मास्टर प्लान में कई प्रकार की खामियां रहीं। वर्तमान में

अभी शाहपुरा जिला बन गया है। जिले के हिसाब से जो मास्टर प्लान होना चाहिए, उस प्रकार से वहां पर विकास के कई कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। मास्टर प्लान में कई क्षेत्र अकारण ही कॉमर्शियल बता दिये गये हैं तथा कई क्षेत्र आरक्षित दर्शा दिये गये हैं। इस कारण नगर परिषद न तो निर्माण स्वीकृति दे पा रही है और न ही वहां होने वाले निर्माण को रोक पा रही है, क्योंकि वहां के भूखण्डों के मालिकों के पास स्वामित्व दस्तावेज तो है, परंतु मास्टर प्लान की गड़बड़ी के कारण यह परेशानी हो रही है।

नगर परिषद की पेरिफेरी के अन्दर जो जमीन आती है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर आवासीय कॉलोनियां भू-माफियाओं के द्वारा काटी जा रही हैं। भारी मात्रा में राजस्व की चोरी हो रही है। अधिकारियों के द्वारा वहां पर अनदेखी की जा रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्व की चोरी करने वाले ऐसे भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कीजिए और जो अधिकारी वहां पर 177 की कार्यवाही करके नोटिस दे रहे हैं और नोटिस देने के बाद वापस उसका सेटलमेंट कर देते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करवाने की कृपा करें। ऐसे आजादी के आंदोलन में, सांस्कृतिक व शिक्षा तथा धार्मिक क्षेत्र में अपना अहम स्थान रखने वाले शाहपुरा नगर परिषद क्षेत्र में विकास का खाका खींचने के लिए सरकार की ओर से कई विकास कार्यों को कराया जाना जरूरी है। शाहपुरा को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। सबसे पहले टाउन हॉल का निर्माण, आर्ट गैलेरी का निर्माण, वाणिज्य गतिविधियों के संचालन के लिए स्ट्रीट मार्केट का निर्माण जरूरी है। शहर का सौन्दर्यीकरण भी होना बहुत जरूरी है।

सभापति जी, शाहपुरा जिला घोषित होने के बाद नगर पालिका से नगर परिषद बनने के बाद स्टाफ की कमी है। स्टाफ का जो मापदंड होता है, उस मापदंड पर नगर परिषद नहीं चल रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शाहपुरा जिला मुख्यालय पर नगर पालिका को क्रमोन्नत करने के बाद वहां पर स्टाफ की बहुत कमी है। कनिष्ठ अभियंता लम्बे समय से मेडिकल लीव पर है। निर्माण शाखा का कार्य संविदा पर लगे कार्मिक संचालित कर रहे हैं। नगर परिषद में स्टाफ लगाया जाना अनिवार्य हो गया है। नगर परिषद में अग्निशमन वाहन तो सरकार की ओर से है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है, इसको संचालित करने वाला कोई नहीं है। एक भी कार्मिक वहां पर उपलब्ध नहीं है और अग्निशमन वहां पर खड़ी रहती है। सफाई कर्मचारियों का संचालन भी व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसी प्रकार आवासीय मंडल द्वारा जो दो कॉलोनियां बनायी गयी हैं, उसमें एक की लाटरी निकाल कर वह कॉलोनी डवलप हो गयी है, उसके बावजूद भी वहां पर न तो लाइट लगी है, न सड़कें बनी हैं और किसी प्रकार की सुविधा भी नहीं है। इसकी भी जांच करवाकर वहां पर सुविधा दी जाए। इसी प्रकार जो जिला मुख्यालय बना है, जिला मुख्यालय बनने के एक साल होने के बाद भी अभी तक नगर नियोजन की दिशा में नगर परिषद और जिला प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जिला मुख्यालय पर लगभग 50 बड़े कार्यालय व मिनी

सचिवालय के लिए अभी तक न तो भूमि आवंटित की गयी है, न ही भूमि आरक्षित की गयी है। इस कार्य को प्राथमिकता से करवाने के लिए राज्य सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री अशोक कुमार।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने हमें बजट अनुदान मांग संख्या 39 व 40 पर समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद व आभार। सर्वप्रथम तो हम माननीय मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बजट में भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी का कि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान भीलवाड़ावासियों की तकलीफ को समझा और गांधी सागर के सौन्दर्यीकरण हेतु बजट की उपलब्धता का ध्यान रखने का आश्वासन दिया, इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद व आभार।

**Ans/rtm 17.30 3h 26.07.2024**

माननीय वरिष्ठ सदस्या अनिता जी भदेल का जो सुझाव है कि हमें अपनी निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए, उसका मैं समर्थन करते हुए मेरा सुझाव है कि जिस तरह केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी द्वारा सारे एन.एच. को एक रोल मॉडल के रूप में बनाया और साथ ही उससे आर्थिक अर्जन भी किया गया यह विकासशीलता और मैनेजमेंट को दर्शता है। उसी तरह हमें सभी नगरीय निकायों को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिए, ताकि उनके साथ-साथ शहर का भी विकास हो सके।

माननीय सभापति जी, आपके द्वारा मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि देश की जीडीपी में टैक्सटाइल की अहम भूमिका है, जिसमे भीलवाड़ा का अहम योगदान है। इस हेतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं की आप भीलवाडा को कोटा और उदयपुर की तर्ज पर विकसित करे। माननीय, भीलवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, अभी वर्तमान में एक ही अजमेर पुलिया हैं, वह भी काफ़ी वर्ष पूर्व निर्मित है। मेरे द्वारा अपने बजट पूर्व प्रस्ताव में भी यह निवेदन किया था। आज पुनः वही निवेदन करता हूं कि भीलवाड़ा हेतु आप एक एलिवेटेड रोड और एक आर.ओ.बी. की घोषणा करें, जिससे की भीलवाडा में ट्रैफ़िक की समस्या से आम लोगों को निजात मिल सके।

भीलवाड़ा शहर के मध्य नेहरू तलाई नाम से एक जलाशय है, शहर के मध्य होने के कारण यह शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, मगर अभी यह अपनी सुंदरता खोते जा रहा है, इस हेतु मेरा मंत्री जी से विशेष निवेदन है की उक्त नेहरू तलाई के सौंदर्यीकरण हेतु एक विशेष परियोजना स्वीकृत करें, जिससे इसकी पुरानी रौनक और बढ़ेगी।

भीलवाड़ा में वर्तमान में लगभग 280 पार्क हैं पर पार्कों की हालत बहुत खराब है। मेरा यह सुझाव है की उक्त पार्कों को सबसे पहले, जिस कॉलोनी में स्थित है वहां की कॉलोनी की

विकास समिति को रख रखाव हेतु दिया जाये, जिससे इनके सौंदर्यीकरण का कार्य अच्छी तरह से किया जा सकेगा।

भीलवाड़ा में जहां एक ओर पुरानी सभ्यता व संस्कृति का आइना लिए हुए पुराना भीलवाड़ा है, जहां पर सकड़ी गलियों और रोड सकड़ा होने के कारण आवागमन में बहुत परेशानी रहती है और इन सकडी गलियों में जो विद्युत तार जा रहे हैं, उसके कारण कभी भी हादसा होने की आशंका रहती है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि भीलवाडा कि विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाए, जिसकी शुरुआत पुराने भीलवाड़ा से होते हुए शहर के मध्य और फिर सम्पूर्ण भीलवाडा को लिया जाये ।

आये दिन नगरीय विकास संस्थाओ में भ्रष्टाचार की ख़बरें आती रहती है। इस हेतु मेरा यह सुझाव है कि सभी नगरीय विकास संस्थाओं पर हर छह माह में ऑडिट की जाए और उनके द्वारा किये गये कार्यों की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि किसी भी घोटाले को रचने से पूर्व ही रोका जा सके।

नगरीय निकायों में पट्टे की समस्या भी आम हो गयी है। अधिकारी सरकार शहर के संग जैसे अभियान का इंतजार करते रहते है कि कब सरकार उक्त अभियान चलाये और पट्टे देवें। भीलवाडा में भी योजनान्तर्गत और गैर योजनान्तर्गत क्षेत्रों के पट्टे व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहे हैं। भीलवाडा स्थित कॉलोनी जैसे आर के कॉलोनी, आर सी व्यास और कच्ची बस्ती आदि कॉलोनी और बस्ती में लोगों द्वारा कई वर्षो से पट्टे हेतु स्थानीय निकायों के चक्कर लगा रहे है। मेरा मंत्री जी को निवेदन है की अगर यह प्रक्रिया हमेशा सतत चले तो व्यक्ति बिना मानसिक परेशानी के पट्टे बनवा पाएगा ।

भीलवाड़ा एक विकासशील शहर है, जहां पर कचरे की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। भीलवाडा में कचरा निस्तारण हेतु कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में जो कीर खेडा स्थित जो डम्पिंग यार्ड है, उसकी प्रोसेसिंग क्षमता मात्र 140 मैट्रिक टन है, उसके अनुपात में प्रतिदिन भीलवाड़ा में 180-200 मैट्रिक टन कचरा उठता है। यह स्थिति विगत एक वर्ष से अधिक की है, जिस कारण कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। शहर में कचरे का ढेर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण आये दिन कचरा जलने की शिकायत के कारण वहाँ पर रहने वाले क्षेत्रवासियों और पास में स्थित मेडिकल कॉलेज के छात्रों और अध्यापकों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता को बढाया जाना अति आवश्यक है।

आज बहुत सी स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कचरे से आमदनी उत्पन्न की जा रही है, जो की शहर से उठने वाले कचरे का उपयोग कर आय अर्जन कर रही है। वर्तमान में भीलवाडा में जो प्रोसेसिंग यूनिट है,उसका कचरे द्वारा कोई आय अर्जन नहीं की जा रही है। अगर एक आय अर्जन संस्था वाली प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाती है, तो यह कचरे की समस्या के साथ निजी आय में भी बढ़ोतरी करेगा।

इसी के साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा, भीलवाड़ा में कचरे को एकीकृत करने के

लिए अन्य शहरों जैसे कॉम्प्रेस यूनिट नहीं है। भीलवाडा दो भागों में बंटा हुआ है। अगर भीलवाडा शहर हेतु दो कॉम्प्रेस यूनिट स्थापित की जाती है, तो मेरा यह मानना है कि कचरे की समस्या का 80 परसेंट हल हो जाएगा। यह न केवल भीलवाड़ा की सुंदरता को बढ़ाएगा, अपितु यह भीलवाडा शहरवासियों को भी कचरे की समस्या से आज़ादी देगा।

आज जल, मानव जीवन व उद्योग हेतु वरदान है। अगर आपके पास पर्याप्त जल है तो आपके शहर में उद्योग धंधों के साथ-साथ शहर का भी विकास होगा। वर्तमान में भीलवाड़ा में एस.टी.पी. प्लांट से 30 एम.एल.टी. जल शुद्ध कर व्यर्थ ही नदियों में बहाया जा रहा है, जिसका कारण मात्र यह है कि नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई भी अनुबंध नहीं किया गया। अगर परिषद् कम रेट में भी स्थानीय बड़ी इकाइयों या हिंदुस्तान जिंक जैसी इकाइयों को भी पानी की सप्लाई करे, तो यह बहुत बड़ा आय अर्जन का स्त्रोत बन सकता है।

भीलवाडा शहर में भी अन्य शहरों के समान बेसहारा गोवंश का सड़कों पर बैठने की समस्या है। चुनाव के परिणाम के बाद से अभी तक 700 गोवंश तो परिषद् द्वारा पकड़े जा चुके है और आगे भी पकड़ने के लिए तैयार है। पर मुख्य समस्या है भीलवाडा में अभी केवल एक गौ शाला काईन हाउस स्थित है, जिसकी क्षमता भी लगभग 1000 गोवंश की है, जिसकी तुलना में अभी हज़ार से अधिक गोवंश रखे गए है। अगर भीलवाडा में एक और गौ शाला खोलने की घोषणा की जाये तो, सड़कों पर बैठे बेसहारा गोवंश की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

न्यास की ज़मीनों पर भी अतिक्रमण की खबरें आम हैं। यह अतिक्रमण एक परेशानी का सबब बनती जा रहा है। मेरे विचार से अतिक्रमण शुरू होने के समय ही अगर अतिक्रमण निरोधक दल द्वारा या संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा, अगर तत्काल उसको हटा दिया जाता है, तो अतिक्रमियों द्वारा तार फेसिंग, बाउण्ड्री वॉल, मकान निर्माण आदि करने का मौका नहीं मिलेगा और इससे सार्वजनिक हित की भूमियां सुरक्षित रहेंगी तथा आमजन को अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी।

इसी के साथ मेरा सरकार से अनुरोध है कि अतिक्रमण जनहित को प्रभावित करता है, ऐसे कार्य को तत्काल रोकने के लिए प्रत्येक मुख्यालय पर अतिक्रमण निरोधक दल टास्क फोर्स का गठन हो, जो क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को चिह्नित कर तत्काल उसको रोकने व हटाने की कार्यवाही करे, ताकि अतिक्रमण पर अंकुश लग सके।

साथ ही सीवरेज की प्रोबलम भी है, तो आप सीवरेज का भी देखिएगा, सर। हम वाल्मीकि समाज को नमन भी करते हैं, उनको पहले प्रथम स्थान दिया जाए। धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः विनोद कुमार।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज कारगिल शहीद दिवस के मौक़े पर मैं सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हनुमागढ़ ज़िले के 21 अक्टूबर, 2022 को मेजर

विकास भांभू शहीद हो गए थे। हमारे सब प्रतिनिधियों ने, चाहे हनुमानगढ़ के विधायक जी हों, नोहर से हों, भादरा से हों, संगरिया और पीलीबंगा, जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनकी भावनाएं थी, मुख्य मंत्री जी को भी अवगत करवाया, उन्होंने भी हां की। कलक्टर साहब से अनुमोदन प्राप्त हो जाए कि जो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, उसका नाम अमर शहीद विकास भांभू के नाम से किया जाए। क्योंकि उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र, सेना मैडल जैसा सम्मान मिला। जब उनकी शहादत हुई उससे पहले एक स्टाफ ऑफ कॉलेज की परीक्षा हुई। वह खुद का रिजल्ट तो नहीं देख पाए, लेकिन भारत वर्ष में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज कारगिल शहीद दिवस है, इसकी आप घोषणा करे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत रहेगा और आज के दिन विकास भांभू जी अमर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

सभापति महोदय, स्वायत्त शासन पर डीएलबी के बारे में हमारे मंत्री जी की काफी प्रशंसा हुई। डीएलबी का जो नाम था, देवो, लेवो और भागो, यह एक सच्चाई लगी। हम तो पंचायती राज में रहे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो हालात हैं, क्योंकि मीटिंग्स नहीं होती। जब तीन-तीन महीने में एकाध मीटिंग हो जाए, सब एमएलएज बैठे हैं, मुझे लगता है कि किसी को पता ही नहीं है कि उसमें हो क्या रहा है। अच्छी मीटिंग हो, मंत्री जी कलक्टर को पाबंद करे तो हो सकता है इसमें सुधार हो पाए।

पूर्व की सरकार में हमारे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में गोलूवाला को नगरपालिका बनाया गया था। सरकार के नोर्म्स है, वहां उप तहसील भी है, वहां एईएन ऑफिस भी है, पुलिस थाना भी है, व्यापार मण्डल, व्यापारियों का भी आना-जाना काफी है, कॉटन फैक्टरी भी है, मुझे नहीं लगता है कि जो नोर्म्स हैं वह पूरे नहीं करती। दो ग्राम पंचायतों को जोड़कर बनाई गई थी। एक सरपंच ने स्टे ले लिया। सरपंच के इलेक्शन के भी अब 3-4 महीने रहे हैं। मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका लोगों की, आमजन की भावना भी है कि गोलूवाला नगरपालिका की जाए।

आग लगने की वजह से गोलूवाला के दो-तीन भाई आज एसएमएस में एडमिट है। आगजनी की घटना हुई अग्निशमन यंत्र नहीं था, तो मैं उसकी भी मांग करना चाहूंगा कि अग्निशमन यंत्र दिया जाए।

पीलीबंगा, रावसर के अन्दर, हर एक शहर के अन्दर पानी निकासी की सबसे बड़ी परेशानी है, उसके लिए एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। हमने भी सरपंच रहते हुए काम किया नगरपालिका में भी काम देख रहे हैं। पहले रोड़ बना दी जाती है, फिर पाइप डालने के लिए उस रोड को उखाड़ा जाता है, फिर सड़क बनाई जाती है।

**VPS-RTM-26.07.2024-17.40-3j**

अगर आप रोड बना रहे हो तो पहले ही जलदाय विभाग से एन.ओ.सी. ली जाये कि पाइप लाइन डाली गयी है कि नहीं। पहले पाइप लाइन डालते हो, फिर रोड उखाड़ते हो और

फिर पाइप डालते हो तो इससे हमारी सरकार का खर्चा भी बेवजह होता है तो ऐसा मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। पीलीबंगा के अन्दर सबसे बड़ी एक प्रमुख समस्या हमारे वर्षों से चली आ रही है कि हमारे वहां पर तहबाजारी बसी हुई है, पहले हमारे वहां पर कृषि उपज मण्डी समिति की, व्यापार मंडल की दुकानें थीं और आज वह भयंकर स्थिति के अन्दर है, वहां पर सफाई भी नहीं रह पाती है और जोधपुर हाई कोर्ट के अन्दर यह मामला विचाराधीन है। अगर सरकार थोड़ा ध्यान देकर उस स्टे को खारिज करवा कर या अपने पक्ष में लेकर गरीबों को एक कियोस्क टाइप जगह दी जाये तो उनको निजात मिल सके।

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्दर बहुत से पट्टे बांटे गये लेकिन रावतसर मंडी के अन्दर पूर्व में चालीस सालों से लोग बसे हुए हैं और मण्डी विस्तार की जो जगह थी, उसमें मेला ग्राउंड या अन्य चीजें दर्शायी गयी हैं लेकिन आज वहां पर बसावट काफी हो गयी है, तो मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि पट्टे बनाने की अनुमति दी जाये। और पीलीबंगा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की हरेक नगरपालिका को साधन खरीदने के लिए मंत्री महोदय के पास फाइलें आयी हुई हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे जे.सी.बी. हो या अन्य सामान हो, वह फाइलें आपके पास पड़ी हैं अगर आप परमिशन देंगे तो नगरपालिकाओं के पास पैसा पडा है, जिससे वे खरीद लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक ध्यान मंत्री महोदय का दिलाना चाहूंगा कि जो 15वें वित्त आयोग के पैसे हैं, पूरे राजस्थान की बहुत सी नगरपालिकाओं को जो नगरीय कर जमा करवाना था, अधिकारियों की वजह से वह पैसा अपना आ नहीं पाया है। राजस्थान की जितनी भी नगरपालिका है, उनका आप सर्वे करवाकर पता कीजिए कि अपना जो पैसा था वह अधिकारियों की गलती की वजह से आ नहीं पाया। आने वाले समय के अन्दर वे विकास के कार्य कहां से करवाएंगे तो इस पर भी आप ध्यान दें, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। और जो कॉलोनियां अवैध रूप से कट रही हैं, उन पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि नगरपालिका कॉलोनियां तो काट देती हैं पर जब सुविधाएं देने की बात आती है तो यहां पर सदन में जो सारे लोग बैठे हैं, वे सारे कहते हैं सड़कें बनाओ, पाइप लाइन डालो तो वह डाल नहीं पाते हैं, तो उससे पहले ही कॉलोनी को एप्रूव्ड सही तरीके से करके, कानून बनाकर सख्ती से उस पर काम किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया और मैं मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका पीलीबंगा और रावतसर का विशेष ध्यान रखें। बहुत से प्रस्ताव आपके पास आये हैं, उनको भी करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द वर्मा।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, मेरे को मांग संख्या 39 एवं 40 के ऊपर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

पिछली सरकार ने जिस तरीके से खाली खजाने के साथ लंगड़ी वित्त व्यवस्था सौंपी, इस

बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी द्वारा वह सारी व्यवस्थाएं संजीवनी काम करेगी। सुबह से यहां पर जितने भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की, पूर्ववर्ती सरकार के बहुत सारे कारनामे इन कागजों में हैं पर मैं उन पर नहीं जाऊंगा मगर जिस तरह से पूर्व के यू.डी.एच. मंत्री ने जो बात यहां पर रखी थी, उसके बारे में कहना चाहूंगा। नियम विरुद्ध बनाये गये चम्बल रिवर फ्रंट के घोटाले, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने भी नियम विरुद्ध बताया था, उसी के लिए मैं सुबह से यहां पर बैठा-बैठा यह लाइनें लिख रहा था और मैं अकसर बोलता भी हूं-

चम्बल के तट पर भीड़ है, घड़ियाल है उसकी धाराओं में,
यह सजे-धरे से पत्थर कहते हैं दर्द किनारों में,
कुछ दबी हुई यह परतें इनमें, कुछ जोड़ जतन का हिस्सा है,
कुछ हेरा-फेरी, कुछ लेन-देन, इसमें काली दाल का किस्सा है।
घाट सजे शिखर पर, ध्वज पहने कौन कहेगा कि वैभव दर्शन ठीक नहीं,
कुछ बची दरारें कहती हैं, निर्माता की नीयत ठीक नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विपक्ष के साथियों से यह कहना है कि जिस तरीके से और जिस विभाग का जो पैसा था और वह राजस्थान की जनता के लिए लगने चाहिए था।

यहां पर सुबह से बहुत सारी चर्चाएं आईं, बहुत सारी चर्चाएं आईं, शान्ती धारीवालजी ने जिस तरीके की बात बढ़ाई और मैं यह कहना चाहूंगा, यहां पर विपक्ष के नेता भी बैठे हैं कि जितना भी जो आवासन मण्डल का, जे.डी.ए. का जो पैसा था, जितना भी पैसा था, वह कहां पर गया? एक नम्बर, दो नम्बर बनने के चक्कर में? क्योंकि मैं एक नम्बर का मंत्री हूं तो मैं बचाऊंगा, यह सदन और राजस्थान की जनता लाल डायरी का किस्सा भी नहीं भूली है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अब कहा है वह?

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): लाल डायरी आयी थी और यह पूरा यू.डी.एच. का पैसा उस लाल डायरी के कारनामे छिपाने के अन्दर चला गया और राजस्थान की जनता रोती रही। विगत सरकार के जो कारनामे हुए, जे.डी.ए. में भ्रष्टाचार हो रहा था। खुद पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने कहा कि जे.डी.ए. के अन्दर कोई अफसर लगना चाहता है क्या? तो सभी अफसरों ने मना किया कि भ्रष्टाचार जैसी जगह पर हम नहीं लगना चाहते, तो ऐसी पोजीशन थी आपकी सरकार की।

माननीय सभापति महोदय, मेरे को पता है कि सात ही मिनट का टाइम है तो मैं सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी जो अभी योजनाएं बनीं, मैं सीधा मांग के ऊपर आऊंगा। हमारे मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं तो मेरा सीधा-सीधा मांग पर फोकस रहेगा कि जिस तरीके से ग्राम सिरोली और दांतली के अन्दर जो इकोलॉजिक जोन के अंतर्गत आवासन मण्डल द्वारा हमारी अवाप्ति की जो कार्यवाही की है, उक्त भूमि को डी-एक्वायर किया जाये। इंदिरा गांधी नगर विस्तार हेतु अवाप्त भूमि में प्रस्तावित किसानों को शिविर लगाकर पट्टे और मुआवजा दिया जाये। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा वर्ष 2007 में ग्राम दांतली,

गोविंदपुरा में अवाप्त की गयी भूमि के काश्तकारों को पट्टे और मुआवजा दिया जाये। हमारी पूर्ववर्ती सरकार जो वर्ष 2013 से 2018 के अन्दर माननीय वसुन्धराजी की सरकार थी, उस सरकार के अन्दर गोनेर जगदीश महाराज के लिए 150 करोड़ रुपये का अनाउंस हुआ था, 150 करोड़ रुपये का, जिसमें दांतली आर.ओ.बी., सीतापुरा आर.ओ.बी. बना था, उस 150 करोड़ रुपये की योजना को पिछली सरकार ने डम्प किया है तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से आज इस मांग के माध्यम से यह भी निवेदन है कि जगदीश महाराज, गोनेर आस्था की नगरी है, उस 150 करोड़ रुपये की योजना को वापस से चालू किया जाये।

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेंट्रल स्पाइन योजना के अंतर्गत अवाप्त की गयी भूमि के खातेदारों को मुआवजा दिया जाये। काफी लम्बे समय से यह प्रकरण चल रहा है और किसान जे.डी.ए. में, सरकार में, काफी जगह पर घूम-घूमकर बड़े दु:खी हो गये हैं, तो सेंट्रल स्पाइन योजन की जो कीमती जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हो रखा है, उससे भी कब्जे से उनको मुक्त किया जाये, उन पर कार्यवाही की जाये।

एक शहरी क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रहेगी कि नंदपुरी चौराहा से जगतपुरा तक जो 80 फीट रोड स्वीकृत है, पी.टी. सर्वे भी हो चुका है मगर एक छोटी सी वहां पर बीच सड़क के अन्दर एक मस्जिद आ रही है, पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय वह काम रुका था, लाखों लोग उस अतिक्रमण से परेशान हैं और बड़ी दिक्कत आती है। मैं किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा मगर यह काम होता है तो कम से कम पूरे जयपुर का एक आवागमन बहुत अच्छे तरीके से चालू होगा।

रिंग रोड जो पूर्ववर्ती सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी और 47 किलोमीटर की रिंग रोड बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आती है। रिंग रोड के अन्दर जो प्रभावित किसान थे, उनको मुआवजा और पट्टे दिये जायें।

स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) जो पिछली सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, अबकी बार भी सरकार ने यह कहा कि हमारी सरकार इस काम के लिए प्रतिबद्ध है कि हम चार से पांच लाख नौकरियां देंगे, तो मैं दावे के साथ में यह कह सकता हूं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जितनी भी कम्पनीज हैं, उनके अन्दर पढ़ा-लिखा युवा आज भी नौकरी कर रहा है और आने वाले समय के अन्दर अगर हम इसको अच्छी तरीके से और वहां के किसानों को और अच्छी तरह से संवारने का काम करेंगे तो एक बहुत अच्छी राहत महसूस वे लोग करेंगे।

हमारे यहां पर जो नव सृजित नगरपालिका थी, जो विकास के मामले के अन्दर कहीं न कहीं पिछड़ गयी थीं तो उन नगरपालिकाओं को पांच करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाये और मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि विगत सरकार में बगरू नगरपालिका द्वारा जो अवैध पट्टे जारी किये थे, सरकारी भूमि के ऊपर पट्टे जारी किये गये थे तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि नगरपालिका के पट्टा संख्या 2058/01.08.2022 की शिकायत दो साल से विभाग में लम्बित है, अपने चहेते लोगों

को लाभ देने के लिए इन लोगों के द्वारा जे.डी.ए. की जमीन के ऊपर जो पट्टे जारी किये हैं, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्यवाही करें और विशेषकर जो राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2024 में निजी खातेदार किसान को शामिल कर इस पॉलिसी का सरलीकरण करने का काम करें।

टाउनशिप पॉलिसी, 2024 यू-1 के अन्दर न्यूनतम एरिया पांच हजार मीटर का नियमन करवाने का भी प्रावधान सरकार करे। टाउनशिप पॉलिसी, 2024 यू-2 में चालीस हैक्टेयर भूमि के ऊपर 80 फीट रोड का भी प्रावधान सरकार करे। टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में यू-2 में दस हैक्टेयर जो 80 फीट के ऊपर जो प्रावधान है, उस पर भी माननीय मंत्री महोदय गौर फरमाये। ड्राफ्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2024 को निरस्तीकरण करके टाउनशिप पॉलिसी, 2010 को यथावत रखे और यह जितनी भी पॉलिसीज हैं, इनमें सबसे बड़ी भूमिका अगर रहे तो वह किसान की रहे।

**SSY/RTM/26.07.2024/17:50/3k**

जिसकी जमीन है उस किसान की प्राथमिकता रहे। अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा कि कठिन समय है, यह कठिन समय कट जायेगा। मगर आप तो कठिन निर्णय लेकर जो पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे हैं, वह जनता के सामने सदन के पटल पर रखें। आपने मुझे मांग पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेशराज बंसल।

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 39 नगरीय विकास व मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन विभाग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 31 मार्च, 2024 को प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि नहीं बढ़ाई गयी है, उस अवधि को कृपया बढ़ाने का निर्णय लेवें। नगर परिषद, नगर निकायों के चुनाव सिर पर हैं। आम जनता को प्रशासन शहरों के संग अभियान से बहुत फायदा हुआ था। लोगों को खूब पट्टे मिले थे। इस कारण से मेरा विशेष अनुरोध है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि बढ़ाई जाये।

इसके अलावा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो पिछले 30-35 वर्ष पूर्व सेक्टर काटे गये थे विभिन्न शहरों में, मेरे हनुमानगढ़ शहर में भी सेक्टर काटे गये थे, उन सेक्टरों में वर्तमान में नगरपालिका विकास कार्य करती है, सफाई कार्य भी नगरपालिका करती है। लेकिन राजस्थान आवासन मंडल के पास किसी प्रकार का स्टाफ, कर्मचारी नहीं हैं। स्टाफ नहीं होने के कारण आम जनता के काम वहां हो नहीं पाते हैं। लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं।

मेरा निवेदन है कि स्वायत्त शासन विभाग जो बंद पत्रावलियां हैं, वह नगर परिषद को

देना चाहता है। लेकिन जो उस सेक्टर की परिसंपत्तियां हैं, जो चालू फाइलें हैं, वह नहीं देना चाहता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह नगर परिषद को अगर पूरे सेक्टर तबदील कर दें और पत्रावलियां उनको दे दें तो आम जनता को राहत मिलेगी और नगर परिषद में उनके कार्य हो सकेंगे।

इसके अलावा नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए पिछले एक साल से फॉर्म भरे हुए पैंडिंग पड़े हैं, उन सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी करवायी जाये। विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के जो परंपरागत कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाये। यह मेरा यूडीएच मिनिस्टर से आपके माध्यम से अनुरोध है।

इसके अलावा नगर परिषद व नगरपालिकाओं की हालत दयनीय है। जो राज्य सरकार के द्वारा चुंगी पुनर्भरण राशि दी जाती है, वह बिलकुल ही ऊंट के मुंह में जीरा है। इससे नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों की सैलरी तक पूरी नहीं होती। सफाई कर्मचारियों की सैलरी पूरी नहीं होती। जिस कारण से सफाई कर्मी कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया जो पुनर्भरण राशि है, इसको बढ़ाया जाये।

इसके अलावा नगर परिषद में जो सीवरेज के कार्य आरयूआईडीपी या रूडसिको के द्वारा कराये जाते हैं, उनमें भी कोई विशेष प्रगति नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उस पर ध्यान देवें।

हनुमानगढ़ में आरयूआईडीपी की 281 करोड़ रुपये की योजना फाइल में पड़ी है, उस पर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान देवें। आज आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा। एक सेकण्ड। समय बढ़ा दें।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटा बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटा बढ़ाया जाये?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय दो घंटा बढ़ाया गया।

**अनुदान की मांग**

**मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन व**

**मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन विभाग पर विचार**

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39 और 40 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

सबसे पहले, मंत्री महोदय, अक्रॉस दी पार्टी लाइन मैं आपसे एक विनती करता हूं कि यहां सभी सदस्यों ने एक ही बात कही है कि सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के

ही होने चाहिए। आप अक्रॉस दी पार्टी लाइन एक मीटिंग बुला लो, उसमें डिसाइड कर लो कि यही हमें करना है। यह मेरे ख्याल से आपके लिए भी सिर दर्द खत्म हो जायेगा। सबके लिए सिर दर्द खत्म हो जायेगा कि वाल्मीकि समाज को ही हमें भर्ती करना है। मेरे हिसाब से यह आप कर लें तो सबके लिए अच्छा रहेगा।

दूसरी चीज, कुशलगढ़ से हमारी विधायक आई हुई हैं। आप ही के पार्षद, 15 पार्षद आज इनसे सुबह मिले थे। वहां एक आपके चैयरमैन हैं, बीजेपी के चैयरमैन हैं बबलू माडिया, उनकी इनक्वायरी की गई। इनक्वायरी में जांच अधिकारी ने उनको दोषी पाया। आपके सेक्रेटरी लेवल तक वह फाइल जा चुकी है। अप्रूव हो चुकी है। आज भी इनसे मिले हैं। इन्होंने मुझसे आज रिकवेस्ट किया कि इसको जोर-शोर से आपके बीच में उठा दूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि फाइल आपके ऑफिस में है, कृपया इसका संज्ञान लेते हुए इन लोगों को न्याय दिलायें। कुशलगढ़ की जनता को न्याय दिलायें। यह आपसे विनती करता हूं।

मैं अब आपसे विनती कर रहा हूं कि आज हम बात करते हैं कि नगरपालिकाओं को किस तरह से हम सुदृढ़ बनायें। आज जयपुर में आपके 2-2 नगर निगम हैं। नगर निगमों के पास पैसा नहीं है। आपने क्या रोड मैप सोचा है कि किस तरह से इनको सुदृढ़ बनायें? आज यूडी टैक्स का सरलीकरण क्यों नहीं कर देते हैं? महाराष्ट्र में देखो ना, आपको जितना पैसा चाहिए, एक-एक नगर निगम के पास, बीएमसी के पास बजट कितना है? जितना आपकी स्टेट का है उससे आधा बजट बीएमसी के पास है। कहां से पैसा आ रहा है? यूडी टैक्स से ही पैसा आ रहा है। उसका आप सरलीकरण कर दो। इतना डिफिक्लट बना रखा है, मंत्री महोदय, एक मेरे जैसा पढ़ा-लिखा आदमी भी, इस सदन का एक भी एमएलए अपना यूडी टैक्स खुद नहीं भर सकता है। जो कैलकुलेट करके लाते हैं, क्या करते हैं? 6 साल का एक साथ निकालकर लाये, 50 परसेंट आपको रिबेट दिया। फिर एक सरकार ने निकाला कि इसमें 75 परसेंट रिबेट दे दो। अब दे दो। आप उसका एक तरीका निकाल दो। जिन-जिन नगरपालिकाओं में आपको लेना है, तो उनकी माली हालत ठीक होगी। उनको तनख्वाह देने में आराम मिलेगा। यह सब हम कर सकते हैं।

दूसरी चीज, आज आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिकमंड किया है, उसमें से आपने हजार करोड़ स्लैस कर दिये। यह मत करो। यह तो एक ऐसी वैधानिक बॉडी है जिसने दे दिया और रिपोर्ट मांग ली, आप हजार करोड़ कम कैसे कर सकते हो?

दूसरा, हमने यह माना था कि जो फिफ्टीन्थ फाइनेंस कमीशन है, जब हमें एफआरबीएम लिमिट में उन्होंने छूट दी थी कि हम 3 से साढ़े 3 परसेंट अपनी एफआरबीएम लिमिट करें, तो उन्होंने एक छूट दी थी कि आपकी हर नगरपालिका को यूडी टैक्स लेना पड़ेगा। लेकिन अज्ञानता की वजह से कई चैयरमैनों ने यूडी टैक्स नहीं लिया और उनके पैसे अटक गये। अब कई चैयरमैनों ने यूडी टैक्स लेना शुरू कर दिया है।

मैं आपसे इतनी सी विनती करता हूं कि यह मेरी अकेली नगरपालिका, धौलपुर या किसी

का नहीं है, यह सब नगरपालिकाओं का है। करीब 60 नगरपालिकाओं का फिफ्टीन्थ पे कमीशन का पैसा अटका हुआ है। आप अपने लोकल बॉडीज वालों को बोलो कि एक सर्कूलर निकाल दें, उनसे संज्ञान ले लें कि किसने कितना किया है, तो कम से कम 30-40 का तो पैसा रिलीज हो जायेगा। इससे आप ही को फायदा होने वाला है। आप ही की सरकार का फायदा है। कम से कम उन नगरपालिकाओं को यह फायदा मिल जायेगा कि उनका जो एक-एक, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया अटका हुआ है, वह उनको मिल जाये।

पिछली सरकार ने नाबार्ड से लोन लिया। रोड बनाने के लिए लोन लिया, उसमें से आपने 45 परसेंट पैसा हमारे को दे दिया, अभी भी 55 परसेंट पैसा बाकी है। वह तो नाबार्ड का लोन है, वह क्यों ट्रेजरीज ने रोक रखा है? वह तो दिलवा दो। वह बुरा लगता है, आप लोगों को यह कहने, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन फैक्ट यह है कि 6 महीने से पेमेंट नहीं हो रहे हैं, ट्रेजरीज बंद हैं। यह आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। लेकिन 6 महीने से पेमेंट नहीं हो रहे हैं। पेमेंट नहीं होंगे तो ठेकेदार काम करना बंद कर देंगे। उसमें आप और हम दोनों की बदनामी है। यह आप इसको एनश्योर कर सकते हो कि पेमेंट डाल दो। नाबार्ड का पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। भले ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा यूज कर लिया हो, लेकिन कम से कम 10-10, 20-20 परसेंट कुछ तो रिलीज करें जिससे उनको पेमेंट हो जाये और रोड बनना शुरू हो जायें।

दूसरा, आपका जेडीए, बात हुई कि जेडीए बहुत काम कर रहा है। नये मंत्री जी आये हैं, हम सोच रहे थे कि कुछ चमत्कार हो जायेगा। नये मंत्री बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कुछ चमत्कार कर देंगे। मंत्री जी, जब आप जवाब दें तो मुझे बतायें कि 8 महीनों में कितने कैम्पस आपने लगाये? कितने खातेदारी, सोसायटी के, कितने जेडीए पट्टे आप लोगों ने दिये? जो मैं आपको कह रहा था, आपको उस दिन बुरा लग रहा था। मैंने जब आपसे वह क्वेश्चन किया था कि जिन्होंने एप्लाई कर दिया है, पट्टों के लिए जिन्होंने एप्लाई कर दिया है उनको हम समानता का मौका दें। ऑफलाइन और ऑनलाइन हम उनको दे दें। इससे कम से कम आपके रहते हुए उन लोगों को, ऐसे एक लाख लोग नहीं हैं, ऐसे 4 लाख लोग हैं जिनको आप पट्टा दे दोगे तो उनकी दुआएं आप पाओगे। दुआएं मिलने से उम्र ही बढ़ती है। आज कह रहे थे ना स्पीकर साहब 100 माइनस 81, 19 साल के। 3 मिनट और बोलूंगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

**Spp/Rtm/26.07.2024/18:00/3l**

मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपने जयपुर में घोषणाएं तो बहुत कर दीं कि हम एलीवेटेड रोड बनायेंगे, आई पी डी टॉवर को यह करेंगे, यह करेंगे। आपने घोषणाएं बहुत अच्छी की हैं और अच्छी हैं। नई सरकार आती है, अपना-अपना उनका प्लान होता है, उनकी सोच होती है कि क्या-क्या करना है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपने क्या घोषणा की, उस पर मुझे नहीं जाना है। मेरा उसमें आपको कहना यह है कि आपके पास रिसोर्स कहां हैं? यह

खर्च करने के लिये आपके पास पैसा कहां है? आप मेट्रो की बात कर रहे हो, मेट्रो का आप पैसा कहां से लाओगे? या तो आप जमीन बेचोगे या आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि यह रेवेन्यू मैं यहां से लेकर आऊंगा और वह करूंगा।

अभी आपके बगरू से आने वाले विधायक ने बोला कि जे डी ए से पैसा कोटा चला गया। कोटा कहीं से पैसा नहीं गया। कोटा की यू आई टी ने पैसा कमाया, ज्ञान लो और वही अपने को मॉडल करना पड़ेगा। जहां का पैसा है, वहीं से पैसा इकट्ठा हो और वही खर्च हो। आज कोटा एक ऐसा शहर है, राजस्थान में जहां एक बार भी आपको रेड लाइट क्रोस नहीं करनी पड़ती है। सीधे आप पास जाते हो। बुराई-भलाई करना वह आपका काम है, करना लेकिन जो फैक्ट है, वह फैक्ट है।

एक चीज और कहना चाह रहा हूं जयपुर में अतिक्रमण बहुत हो रहे हैं। आज भी पेपर में हैं। कोई प्राचीन बावड़ी है। आज पत्रिका और भास्कर दोनों में हैं। प्राचीन बावड़ी नष्ट और बसाई जा रही अवैध कालोनी, आपके जमाने में तो ऐसा नहीं हो। ऐसा आपके जमाने में तो नहीं हो। इतना सा और कह रहा हूं स्टॉफ की, पूरे राजस्थान में स्टॉफ अवेलेबल नहीं है। न ए.ईएन. है, न जे.ईएन. हैं, ना बाबू है, जो भी आपकी सरकार ने कहा 4 लाख नौकरियां देंगे तो कम से कम अपन विज्ञापन निकालें। नई भर्ती के लिये विज्ञापन निकालें जिससे नई नगरपालिकाओं में भर्ती हो और काम शुरू हो जाये। एक चीज और जे डी ए के लिये आपने कहा था कि हम नई भर्ती करेंगे। अब जे डी ए में कल-परसों एड आता है कि आप जितना भर्ती कर रहे हो, सिर्फ ठेका प्रथा पर कर रहे हो। आप सिर्फ ठेके पर लोगों को लोगे, जे डी ए पर यदि आप ठेके पर लोगे..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप बैठिये। श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 एवं मांग संख्या 40 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बिराजिये, आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि आज मेरे से पूर्व बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यह चर्चा की है कि सारा पैसा कोटा गया। अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य रोहित बौहरा जी भी कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र से यू आई टी ने पैसा खर्च किया, वह कोटा में ही खर्च किया गया, उधर से पैसे आये। मैं आपको बताना चाहती हूं आपके माध्यम से मंत्रीजी से, कि मेरा जो क्षेत्र है वह लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र है, वह भी कोटा जिले में पड़ता है। परन्तु माननीय मंत्रीजी यह जरूर देखें कि जो यू आई टी का पैसा कहां से कोटा जिले में कौनसे विधान सभा क्षेत्र से यू आई टी ने कलेक्ट किया और क्या उसी रेशो में उस विधान सभा क्षेत्र में खर्च किया गया या सिर्फ एक विशेष विधान सभा क्षेत्र में खर्च किया गया और हमारी विधान सभा क्षेत्र में पक्षपात किया गया और नजरअंदाज किया गया।

आपने जैसे देखा होगा कि पिछली सरकार ने परिसीमन के नाते अलग अलग वार्ड

बनाये। कोई छोटे बनाये, ज्यादा छोटे बने और कई बड़े बने। मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहती हूं कि वह कोटा आये थे तब भी इस विषय पर चर्चा हुई थी आपने छोटे-बड़े वार्ड तो बना दिये, परन्तु जो आपने हूपर की व्यवस्था की है पर वार्ड के लिये और सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की है, वह उसके अनुसार नहीं की गयी है। छोटे वार्ड में भी उतने ही हूपर हैं जितने बड़े वार्ड में हैं और उतने ही सफाई कर्मचारी बड़े वार्ड में हैं, जितने छोटे में हैं। अब ऐसे वार्ड हैं जिनमें 6 हजार वोट होंगे या 12 हजार होंगे। अब वह कैसे तीन हूपर 12 हजार के वार्ड में भी सफाई करेंगे और 6 हजार के लिये भी वही करेंगे। यह माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी इसको जरूर दिखवायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुये जल्दी से अपने क्षेत्र की बात कर रही हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी जिनके ले आउट प्लान पास हो चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि जिन कॉलोनियों के ले-आउट प्लान पास होने के उपरांत भी पट्टे जारी नहीं किये गये हैं ऐसी कॉलोनियों में नियमित शिविर लगाकर या कोई कैम्प लगाकर वहां पट्टे देने का आप काम करें। ऐसे ही लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं, जिनको काश्तकार द्वारा कृषि भूमि बेचकर बसावट की गयी है। अब वहां थोड़ा क्षेत्रवासियों को समझने में इसमें प्रॉब्लम आ रही है या अधिकारी उनको घुमा रहे हैं। वहां भी एक कैम्प लगाकर पट्टे देने का काम करें ताकि जनता को राहत मिले। पट्टे की बात करते हुये एक मेरे क्षेत्र में श्रीराम नगर कॉलोनी है और 1980 और 1982 के बीच में वहां पर पट्टे दिये गये हैं। परंतु उसके बाद अब उनको कहा जा रहा है कि आप डूब क्षेत्र में हो और मेरी जो जानकारी है 1982 के बाद तो वह वहां ना तो डूबे हैं, न कुछ हुआ है परंतु इस कारण उनको पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। इसका भी आप ध्यान रखें और उनको पट्टे दिये जायें।

माननीय सभापति महोदय, एक दूसरी समस्या जो आती है कि अब के डी ए बन गया है, उनके द्वारा नगर निगम को बहुत सारी कॉलोनियां हैण्डओवर की गयी हैं परंतु जो उन्होंने बेचकर पैसा प्राप्त किया है, वह पैसा नगर निगम को नहीं दिया जा रहा है। अब वह नगर निगम कहता है कि हमारे पास कोई आय नहीं है और पैसे की कमी की वजह से हम यहां कोई भी विकास कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी जो समस्या आ रही है मेरे क्षेत्र में, वह यह है कि बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं और भूखंडों पर बिना स्वीकृति के निर्माण किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि ऐसे निर्माण के डी ए द्वारा लगातार चिह्नित करने की आवश्यकता है और नियम विरूद्ध किये जा रहे अवैध निर्माण को रोका जाये तथा एक ऐसा टास्क फोर्स बनाया जाये कि जहां जो ले-आउट प्लान पास हुआ है, उसी के तहत निर्माण किया जा रहा है या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, एक और जो हमारे यहां समस्या आ रही है रोटेदा से सोगरिया रोड पर एक रेल फाटक पर रास्ता पड़ता है और जब वहां से पश्चिमी रेलवे की ट्रेन

गुजरती है तो एक घंटा पहले वह फाटक बन्द कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग रखती हूं यहां एक आर ओ बी बनाया जाये ताकि जनता को इसमें राहत मिले।

ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में जगपुरा में एक तरफ तो नाला बना दिया गया है और यह बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है परन्तु दूसरी तरफ नाला नहीं बनने के कारण पूरे उस एरिया के घरों में पानी भर जाता है और समस्या आती है तो आपसे यह मांग रखती हूं कि दूसरी तरफ भी नाले का निर्माण किया जाये।

एक और जो समस्या आती है वह है सभी विभागों में कोआर्डिनेशन की कमी की वजह से कभी तो RUIDP खोद देता है, कभी पानी वाले खोद देते हैं और जो नई सड़कें बनी हैं, उनको बस तीन महीने बाद ही खोदा जा रहा है। मेरा आपसे विशेषकर आग्रह है कि आप एक ऐसा आदेश जारी करें कि सबसे पहले या तो सीवरेज वाले खतम करें या पानी वाले अपना कार्य करें, उसी के बाद रोड का निर्माण हो। नहीं तो इसमें पैसे की भी बर्बादी होती है।

पूर्ववर्ती सरकार ने जनता की तो कुछ सुनी नहीं, मुझे नहीं लगता यह किसी ने रिवर फ्रंट की मांग की। एयरपोर्ट की जो मांग थी, उस पर ध्यान नहीं दिया और रिवर फ्रंट बना दिया।

माननीय सभापति महोदय, एक अजूबा फ्लाई ओवर है हमारे क्षेत्र में, जिसको आई डोंट नो भूल भूलैया बोलें या क्या बोलें, क्योंकि आप उसके ऊपर चढ़ते हो और वापस वहीं उतर जाते हो। शायद इसमें कोई इंजीनियरिंग फाल्ट है या टैक्नीकल प्रॉब्लम है, इसको दिखवाया जाये और इसको तोड़ा जाये।

माननीय सभापति महोदय, एक और समस्या जो आती है बेसहारा पशुओं की। हम जब मांग करते हैं कि इनकी कोई व्यवस्था की जाये तो मुझे कहा जाता है कि केवल गाय बेसहारा होती है और उनको हम उठाकर ले जायेंगे पर भैंस को नहीं, तो क्या भैंस पशु की श्रेणी में नहीं आती है? इनके लिये भी आप क्लियरली आदेश जारी करें। दूसरा रेजीडेंशियल एरियाज में कॉमर्शियल एक्टिविटीज होने के कारण वहां के क्षेत्रवासियों को पार्किंग की बहुत असुविधा होती है। मैं आपके द्वारा, माननीय सभापति महोदय, विशेषकर हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले मंत्रीजी ने बहुत ही सौतेला व्यवहार मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ किया। आपके द्वारा मैं मांग करती हूं कि आप मेरे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र को थोड़ा लाड देकर ध्यान रखें ताकि वहां की जनता को राहत मिले। धन्यवाद। जयहिन्द।

**MLS/RTM/26.07.2024/18:10/3m**

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय पारीक साहब के ध्यान में लाना चाह रहा हूं, हमारी माननीय सदस्या ने एक्स्टेम्पोर बोला है, एक बार भी कागज पढ़कर नहीं बोला है, इस बात पर आपको तालियां बजानी चाहिये।

श्री सभापति: श्री सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए

मुख्य बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भरतपुर को एनसीआर रीजन से हटवाने की कार्यवाही की जाये। पता नहीं किन कारणों से भरतपुर को एनसीआर क्षेत्र में शामिल कर लिया गया? अलवर वाले भी डिमांड करते हैं, भरतपुर वाले भी डिमांड करते हैं और ताज्जुब होता है मथुरा एनसीआर रीजन में नहीं है और शायद एनसीआर बोर्ड में इसका डिसीजन भी हो चुका है, राज्य सरकार पहल करके भरतपुर, अलवर जो रीजन जुड़े हुए हैं, किसानों को और आम आदमियों को बहुत परेशानी होती है और एक पैसे का फायदा भरतपुर, अलवर रीजन को हुआ नहीं है।

अभी कोटा से आने वाली विधायक महोदया बात कर रही थीं, मैं बिलकुल कहना चाहूंगा कि को-ऑर्डिनेशन नहीं है। अब आप देखिये, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, भारत सरकार ने एक संशोधन करके, जियो या जो भी टैलीकॉम कम्पनियां आ रही हैं, उन्हें नगर निगम या जेडीए से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। इसे भी थोड़ा देखें। वे मनचाहे जहां खम्भे लगा जाते हैं, लाइन खोद देते हैं और नयी सड़कों को खोदकर चले जाते हैं।

तीसरा, मैं कहना चाहूंगा, नगरपालिकाओं में भी, नगर निगमों में भी या डवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं, सभी जगह जन प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व है। यूआईटी एक ऐसी जगह है, जहां पिछले दस वर्षों से, चाहे हमारी सरकार रही, चाहे आपकी पहले सरकार थी, यूआईटीज का गठन नहीं हो पाता। न तो स्थानीय विधायक की कोई भूमिका होती है, न एमपी की कोई भूमिका होती है और अधिकारी, प्रशासक जो लगते हैं, वे मनचाहे तरीके से काम करते हैं और बदनाम सरकार होती है। माननीय मंत्री जी, मैं भी आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब पट्टों की बात चलती है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन पट्टा देने के लिए कौन जिम्मेदार है। आप जानते हैं, जो पब्लिक गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, जो फाइल मंत्री के पास आती है, उससे पहले सैक्रेटरी टू द मिनिस्टर, वह रैस्पॉन्सिबल है। उसे वही फाइल रखनी चाहिये, जिन्हें पास किया जा सकता है।

हां, मंत्री जिम्मेदार होगा, अगर वह सैक्रेटरी की रिकमंडेशन को ओवररूल करता है तो मंत्री फंसता है। अगर वह ओवररूल नहीं करता है, अगर वह लिख रहा है, ''Submitted for approval'' तो मैं समझता हूं जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है। इस चीज को हम समझते नहीं हैं। जब इस पक्ष में आते हैं तो इनकी आलोचना करेंगे। हम इधर आ जाएंगे तो हमारी आलोचना हो जायेगी, लेकिन इस चीज को पहचानने की जरूरत है कि मंत्री की जिम्मेदारी तब होती है, जब वह प्रपोजल को ओवररूल करता है। तब मंत्री जिम्मेदार है। अगर एज प्रपोज्ड करके लिख रहा है तो पूरी एग्जीक्यूटिव मशीनरी की जिम्मेदारी होती है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। यूआईटी में भी इस तरह का प्रावधान करें, संशोधन करें कि वहां जन प्रतिनिधियों की भूमिका हो, अदरवाइज जो प्रशासक आता है, डेढ़-दो साल के लिए आता है और पूरे शहर को उसे भुगतना पड़ता है।

तीसरा, मैं कहना चाहूंगा, भरतपुर के सन्दर्भ में बात करना चाहूंगा। एक तो मैं आपसे

अनुरोध करूंगा कि भरतपुर की एक 15-20 साल पुरानी स्कीम है, 13 नम्बर स्कीम। अभी तक किसानों को भूमि के बदले भूमि नहीं मिल पायी है। आधे पट्टे मिल चुके हैं, आधे नहीं हुए हैं। उसकी आप जांच करवाकर कार्रवाई करवा दें। इसी के तहत कच्चे परकोटे, पूर्व सरकार ने ''प्रशासन शहरों के संग'' और ''प्रशासन गांवों के संग'', मेरा आपसे अनुरोध है, इस अभियान को चालू करिये। इसमें सरकार का कोई नहीं है, कौन की सरकार क्या है, आम आदमी को बहुत फायदा मिला है। अगर गलती करेंगे तो जो भी गलती करेगा, वह जिम्मेदार होगी। उसकी जांच करवाइये, उसे सज़ा दिलवाइये, लेकिन यह जरूरी है।

एक मैं बात कहना चाहूंगा, यूआईटी क्षेत्रों में बाकायदा ट्रस्ट के नियमों में प्रावधान है कि गैर अनुमोदित स्कीम्स में भी जेडीए काम करवा सकती है, लेकिन यूआईटीज में जो प्रशासक लगे हुए हैं, वे काम नहीं कर पाते। वहां लाखों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं। आप निर्देश दें। मैंने ट्रस्ट के नियम पढ़ लिये और भरतपुर में मैंने काम करवाया, उसमें क्लीयर लिखा हुआ है, ''गैर अनुमोदित योजनाओं में भी यूआईटी काम करवा सकती है'', लेकिन उनकी दादागीरी चलती है, वे काम करवाते नहीं हैं, जन प्रतिनिधि उन पर कोई होता नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, इसे भी देख लें।

एक और बात कहना चाहूंगा, सफाईकर्मी, जो सब लोगों की भावना है, मेरी भी उसमें भावना यही है कि इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, वहां भी आपको स्पेशल रिट लगानी पड़े तो करें। विशेष कार्य की प्रकृति को मानते हुए उनके लिए इसे प्राथमिकता से आरक्षित करना चाहिये। एक बात कहना चाहूंगा, अनुदान, यूडी टैक्स की बात की गयी, बिलकुल मैं रोहित बौहरा जी की बात का समर्थन करता हूं, भारत सरकार ने भी संशोधन कर दिये हैं कि अब जो लोकल बॉडीज को जो रैवेन्यू दी जायेगी, वह आपकी रैवून्यू के आधार पर ही दी जायेगी। तो यूडी टैक्स तो कम्पल्सरी है। उसमें जो सिस्टम है, क्या कर रही है, कई जगह तो टैंडर करके दूसरी एजेंसीज को भी दे दिया है। वे मनमर्जी से भेज देते हैं। आदमी परेशान होता है और उसमें फिर कम भी हो जाता है। इसका थोड़ा सा सरलीकरण कर दें। सैल्फ असैसमेंट वाला सिस्टम कर दें और ग्रांट ही नहीं, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन है, उसके अनुसार करें।

थोड़ा सा अगर नगरपालिकाओं को सुधारना चाहते हैं तो आपको अनुदान की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। एक भरतपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है सुजानगंगा, आपने घोषणा की है डीपीआर की, सुजानगंगा नहर एक बहुत बड़ी झील है, भरतपुर की लाइफलाइन है वह। उस पर स्पेशल ध्यान देकर उस काम को करवा दिया जाये। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट में एक जिला अधिकारी जो अभी आये हैं, पिछले तीन कलक्टर आकर चले गये, आईआईटीज की कितनी टीमों ने अध्ययन कर लिया, दुबारा रिव्यू मांगा है, मैंने आज मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आप खुद विजिट कर लें, फिर आप तय कर लीजियेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री जाकिर हुसैन।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश की ¼ जनसंख्या शहरी आवास करती है और शहरी आवास करने वाला हर एक व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है, हमारे शहर में सौंदर्यकरण के नाम से पैसा मिलेगा, विकास होगा, सड़कों के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन जब 10 जुलाई को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसके अन्दर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं थी जो कोई भी नगरपालिका या नगर परिषद् बोल सके कि हमें बहुत कुछ दिया गया।

**(समयः बजे)**

**(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)**

हमारी पूर्ववर्ती सरकार जो थी, हर बजट भाषण में, हर विधान सभा क्षेत्र में, हर नगर परिषद् में 10-10 करोड़ रुपये देना, उससे अगले साल 7-7 करोड़ रुपये देना, नयी-नयी नगरपालिकाओं को 3-3 करोड़ रुपये देना, हर बजट भाषण में हर विधान सभा क्षेत्र को करोड़ों रुपये का अनुदान दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो बजट भाषण हुआ, उसमें आपने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा कि प्रत्येक नगरपालिका या नगर परिषद् को इतने-इतने पैसे देने की घोषणा करते हैं।

पिछले एक साल से जितनी भी प्रदेश की नगर परिषद्, नगरपालिका या जो कुछ भी हैं, पूरा-पूरा काम और विकास ठप पडा है, क्योंकि 7-8 महीनों से आपकी सरकार बन गयी और सरकार बनने से पूर्व 3 महीने चुनावों में चले गये। न तो कोई नगरपालिका के पास बजट आ रहा है, न विकास हो रहा है। नगरपालिकाओं की हालत ऐसी बन चुकी है, कोई चैम्बर लाइट का भी बोलें तो ईओ सीधा यही कहता है, साहब बजट नहीं आया, आप तो डीएलबी से बजट दिला दें, मैं आपके चैम्बर सही करा दूंगा या लाइटें दिलवा दूंगा। छोटे-छोटे काम हैं जो आज वहां पर वंचित पड़े हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे मकराना में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्व में 10-10 करोड़ रुपये की सड़कें दी थीं, वे सड़कें चुनाव से पहले की अधूरी पड़ी हैं। आज भी वे सड़कें अधूरी पड़ी हैं। आज आपका मौका है, उन सड़कों का निर्माण वापस आप चालू कराएं।

उन पर आधा पैसा खर्च हो रखा है। बारिश में उनकी व्यवस्था खराब हो रही है। आने वाला चुनाव नगरपालिकाओं का आ रहा है। आप काम करेंगे तो हो सकता है जनता वापस आपको चुने, लेकिन आप काम तो करें, काम तो आप करते नहीं हैं। पिछली सरकार ने जो काम किये, उसकी टांग खिंचाई करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अधूरी सड़कों को आप पूरा करवाएं, क्योंकि सरकार का आधा पैसा खर्च हुआ पडा है, इससे पहले कि बारिश में उन सड़कों की हालत और खराब हो, बाकी पैसा भी खर्च हो जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभी सदस्यों की मांग है और वाजिब मांग है कि कर्मचारियों की जो भर्ती आ रही है, उसमें आप वाल्मीकि समाज को ही इस भर्ती में मौका दें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक हमारा जो पैराफेरी का एरिया है, जो हाई कोर्ट ने भी दिया है, उसे इसमें जोड़ा जाये जो जूसरी ग्राम पंचायत में लगता है।

**mkd/rtm/26.07.2024/18:20/3n**

भाखरों की ढाणी कालानाड़ा, शिव मंदिर मालियों की ढाणी, शिव मंदिर गुर्जरों की ढाणी, अमर सिंह का जाव, शिव बस्ती मालियों की ढाणी, पानी की टंकी, राजपूतों की ढाणी, मेधवालों की ढाणी, पलाड़ा रोड, मालियों की ढाणी पलाड़ा रोड़, आमना कॉलोनी, गली नम्बर 5 व 6, गरीब नवाज कॉलोनी, गली नं. 3 व 4, आदर्श नगर, आदर्श नगर गली नम्बर 1 व 2 उत्तरी व दक्षिणी भाग, आनन्द नगर, सरगम सिनेमा, वसुन्धरा नगर, बजरंग कॉलोनी, मकराना पब्लिक स्कूल, करणी कॉलोनी, देशवाली ढाणी, मुरावतियों की ढाणी, हरिजन बस्ती डूंगरी, लुहारपुरा, राजोरा बास, ओम कॉलोनी, विठ्ठल विहार कॉलोनी, मेघवालों की ढाणी, भाटीपुरा (नेमीचन्द माली आटा चक्की का पूर्वी क्षेत्र), नामर्देव कॉलोनी, गिवारिया कॉलोनी, भाटीपुरा ऐसी कॉलोनियों को परिसीमन के अन्दर जोड़ा जाये।

मकराना नगर परिषद और बोरावड नगरपालिका को आप सुदृढीकरण के नाम से पैसा दें। 2022-23 के अन्दर एक डीपीआर ड्रेनेज के लिए, गन्दे पानी निकासी के लिए 2 करोड़ 2 लाख रुपये मकराना नगर परिषद ने खर्च कर दिये।

इसके लिए बार-बार डीएलबी को लेटर लिखने के बावजूद भी यह पैसा नगरपालिका के अन्दर नहीं आ रहा है। इसके लिए भी करें। बोरावड़, जो नई नगरपालिका बनी है। उसमें न तो कोई ईओ की पोस्ट है, अतिरिक्त चार्ज दे रखा है, ईओ वहां आते नहीं हैं, सिर्फ सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार जमादार है तो वहां पर कोई भी काम नहीं हो रहा है।

वहां पर गणेश एंटरप्राइजेज द्वारा आटो टीपर को कचरे के टेम्पो का ठेका दे रखा है। वह ठेका 14 टेम्पो चलाने का है, वह मात्र 5 ही टेम्पो चलाता है।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): एक मिनट, वहां पर एक सीवरेज पूर्व में हो गई थी। उस प्रोजेक्ट का कार्य खुशी इंफ्रा एटरप्राइजेज, हैदराबाद को दिया गया था। खुशी इंफ्रा एटरप्राइजेज, हैदराबाद ने वह कार्य लोकल कम्पनी को दे दिया, जो वहां पर कोई काम नहीं करती है और खाली बिल उठाने का काम करते हैं। सफाई का सीवरेज का कोई भी काम नहीं हो रहा है।

श्री सभापतिः हो गया साहब। विराजिये। सबका समय फिक्स है। श्री महेन्द्र पाल मीना।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 39 और 40 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से बहुत-

बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार के पहले पूर्ण बजट 2024-25 में विधान सभा मुख्यालय जमवारामगढ़ को नगरपालिका गठित करने की ऐतिहासिक सौगात दी है। बजट सत्र के दौरान ही स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग ने नगरपालिका गठन करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इस ऐतिहासिक सौगात के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री महोदया व माननीय नगरीय विकास मंत्री जी का सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जमवारामगढ़ में नगरपालिका गठित होने से मुख्यालय पर शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी। जिससे जमवारगढ़ से पलायन रुक सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान अर्पित करना चाहता हूं कि जमवारामगढ़ के विकास के लिए अस्सी के दशक के प्रारम्भ में जेडीए का गठन किया गया था और जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों को जेडीए में शामिल किया गया। जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा जेडीए में शामिल है, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जेडीए ने विकास कार्यों की दृष्टि से जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए घोर अन्याय किया है। जिससे जयपुर नगर निगम से सटे मात्र 13 किलोमीटर दूर जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का जेडीए का हिस्सा होने के बाद भी विकास के नाम पर तरस रहा है।

जयपुर शहर से तीस चालीस किलोमीटर के दूर के हिस्से जगतपुरा, गोनेर, शिवदासपुरा, मोहनपुरा, फागी, अजमेर रोड, टोंक रोड व सीकर रोड पर जेडीए ने मास्टर प्लान में शामिल सेक्टर रोडे बना दी गई हैं और सेक्टर रोडे बन रही हैं, लेकिन जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सेक्टर रोडे बनाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय, सेक्टर रोडे तो छोडिए, जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जेडीए अच्छी एवं गुणात्मक सडकें भी नहीं बना रहा है। सवाल यह उठता है कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जब जेडीए को विकास कार्य करवाने ही नहीं हैं तो फिर जेडीए क्षेत्र में हमारी पंचायतों को शामिल करने का क्या फायदा है?

सभापति महोदय, जेडीए ने जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सडवा जयपुर से लेकर रामगढ़ बांध तक दो किलोमीटर पहले तक फोर लेन सड़क वर्ष 2016 में करीब 70 करोड़ की लागत से स्वीकृत की थी। जो आज भी अधूरी है। जेडीए ने एक मीटर के लम्बे व चौड़े मीडियम की साइज भी घटा दी। जेडीए ने सडवा से लेकर रामगढ़ बाध तक के आधे हिस्से में रोड लाइटें लगाई हैं, आधा किस्सा बिना रोड लाइट के अधूरा पड़ा है।

सभापति महोदय, फोर लेन के मापदंड के अनुसार न पटरी बनायी गई और ना ही नालियां बनाई गई हैं। फोर लेन सडक के दोनों और जो वर्षों पुराने पेड़ थे, उनको काट दिया गया है लेकिन पौधारोपण नहीं किया गया और ना ही बस यात्रियों के लिए सुविधा की गई।

न बस स्टॉप पर यात्री के लिए शेड बनाए गए है। दो पुलिया का काम आज भी अधूरा पड़ा है।

सभापति महोदय, मेरी मांग है कि फोर लेन सडक की कमियों, खामियों को दुबारा सुधारकर उनका सर्वे करके मापदंडों के अनुसार बनायी जाये। जिससे दुर्घटनाओ से बचा जा सके।

सभापति महोदय, जेडीए ने 1997 में नारदपुरा में जेडीए कॉलोनी बसायी थी। जेडीए कॉलोनी बनाकर उसको भूल गया। नारदपुरा जेडीए कॉलोनी में केवल 4 प्रतिशत लोगों को पट्टे मिले हैं। 96 प्रतिशत भूखंड धारकों को 27 वर्ष बाद भी पट्टे नहीं मिले हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सभी भूखंड धारकों को शिविर लगाकर पट्टे दिए जाए। जेडीए कॉलोनी में बड़ी संख्या में भूखंड खाली पड़े हैं। जिन पर अवैध कब्जों की भी जानकारी सामने आई है। नारदपुरा जेडीए कॉलोनी में पीने का पानी भी नसीब नहीं है। जेडीए की सारी सडकें व नालियां जर्जर व कचरे से भरी पड़ी हैं।

श्री सभापतिः दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हैं। पीने का पानी भी एक बार आता है। न साधनों की व्यवस्था है, न सामुदायिक भवन है, न परिवहन की सुविधा है, रोड लाइट नहीं हैं। कॉलोनी में बुनियादी जरूरतें स्कूल, अस्पताल व पार्क की सुविधा नहीं है।

सभापति महोदय, जेडीए ने जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में केवल मात्र जमीनों का लैंड बनाकर छोड़ दिया है। जेडीए क्षेत्र में शामिल लांगडियावास ग्राम पंचायत के मथुरादास गांव में नगर निगम हैरिटेज व ग्रेटर ने डम्पिंग यार्ड यानी कचरागाह बना रखा है। जहां रोजाना सैंकड़ों ट्रक कचरे के आते हैं। नगर निगम ने डम्पिंग यार्ड बना दिया गया है और वहां की आबोहवा खराब हो गयी है। इसलिए सभापति महोदय, वहां पर बदबू आती है। कचरा प्लांट बना दिया, लेकिन सैकड़ों बीघा भूमि आवंटित करने के बाद भी वहां पर कोई किसी प्रकार की जन सुविधा नहीं की गई है।

सभापति महोदय, जेडीए ने चैनपुरा में ऐतिहासिक ढूंढ नदी के किनारे चैनपुरा आरएसी से सटे हिस्से में कारकस प्लांट खोलने के लिए नगर निगम को जमीन आवंटित की थी। जयपुर नगर निगम क्षेत्र से बूचड़खाने हटाकर चैनपुरा में कारकस प्लांट के समीप बूचडखाना खोलने के लिए जेडीए ने जमीन आवंटित कर दी। जिसमें जयपुर शहर के सारे मृत पशुओं का निस्तारण कारकस प्लांट में किया जा रहा है। जिससे आसपास के इलाके में तेज बदबू रहती है। बूचड़खाने का सारा वेस्ट ऐतिहासिक ढूंढ नदी में बहकर जा रहा है। जिससे ढूंढ नदी दूषित हो रही है तथा यह वेस्ट बहकर कानोता बांध में जा रहा है।

सभापति महोदय, कारकस प्लांट व बूचड़खाना हटाने की मांग को लेकर कई बड़े आंदोलन हुए हैं। नगर निगम, जयपुर ने बूचडखाना व कारकस प्लांट को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया है। जमवारामगढ़ क्षेत्रवासियों की मांग है कि चैनपुरा आरएसी के जवानों व क्षेत्रवासियों

के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर दोनों प्लांटों को बन्द किया जाये।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जमवारामगढ़ कस्बा और भानपुर कलां को सेटेलाइट के रूप में लिया था, लेकिन आज भी वहां कनेक्टिविटी की कमी है।

श्री सभापतिः श्री भीमराज भाटी।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ): सभापति महोदय, जमवारागढ़ क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र इकॉलोजिकल जोन में शामिल है, जिसके चलते मुख्यालय पर किस प्रकार का विकास नहीं हुआ।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री भीमराज भाटी।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मांग संख्या 39 व 40 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मंत्री महोदय झाबर सिंह जी खर्रा साहब को, वे एक दिन पाली गये थे। वहां एक भ्रष्टाचारी था, उसको तुरन्त उसी दिन समझ में आते ही, उसी दिन एपीओ कर दिया। इसलिए लिए मैं इनका आभारी हूं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। यही रियल जीरो टोलरेंस है। आपको समझ में आ जाये और आप उस दिन एक्शन ले लें तो यही जीरो टोलरेंस है।

इसके अलावा मैं अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने पूरे सदन के सदस्यों की भावना सुनी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में मेहरबानी करके हंडरेड परसेंट सफाई कर्मचारियों को भी, कोई भी कानूनी बाधा आपको आ रही है, उस बाधा को हटाकर और हिम्मत करे, ये याद करेंगे आपको, हरिजनों को जिमाणा भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, आप उनको नौकरी देंगे तो वे जिन्दगी भर आपके लिए दुआ करेंगे, याद करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय बागडिया में एक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड थी, जो 1959 में कलेक्टर ने खसरा नम्बर 288, रकबा 482, 452 बीघा और 18 बिस्वा आवंटित की गई थी, उस भूमि को आज तक भी वह उन भाट समाज के लोगों के पास है, भाट समाज आज भी वहां पर खेती कर रहा है पर उस जमीन को अभी कुछ समय पहले यूआईटी को आवंटित कर दिया गया।

**Bhs/Rtm/26.7.24/18.30/3o**

जबकि आज भी उन पर करीब चार सौ से ज्यादा परिवारों का कब्जा है वो उस पर काश्त कर रहे हैं तो इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन काश्तकारों के नाम से नियमन करने की व्यवस्था करावें।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह एक हजरत धर्मपुरा बापजी की दरगाह है, नूरानी

बापजी की दरगाह, उस मस्जिद को पट्टा देने के लिए सारे कागजात यहां आये हुए हैं डी.एल.बी. में, वो डेढ़ साल से यहां कागजात अटके पड़े हैं उनका कुछ काम नहीं हुआ, पट्टा नहीं दिया गया जबकि हजरत बाबा नूरानी मस्जिद पर उनका ही कब्जा है और उनका ही निर्माण किया हुआ है।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नगर परिषद में और नगरपालिका में जो पैंडिंग पट्टों की फाइल है उन पट्टों के वितरण की व्यवस्था करावें। एक और निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, कि नगर परिषद और नगरपालिकाओं में आपने सारे कार्यों पर रोक लगा रखी है कि अगर पैसा है तो काम का वर्क ऑर्डर दो नहीं तो नहीं दो, उस वजह से सारा विकास रुक गया है और विकास ठप हो गया पूरा।

सभापति महोदय, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय की नॉलेज में लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, पाली में सेशन कोर्ट के बाहर एक जगह है। भामाशाह ने वो प्याऊ बनवाई थी श्मशान घाट पर आने-जाने वाले रास्ते पर, उस प्याऊ पर लोग श्मशान से शव दहन करके वापस आकर पानी वगैरह पीते थे और विश्राम करते थे। उस जगह को नगर परिषद ने होटल करके किसी को नीलामी करके लीज पर दे दिया। उस नीलामी में भी तीन ही लोग आये। एक मियां, एक बीबी और एक तीसरा आदमी और रिंग बना कर उन्होंने उस होटल को लीज पर ले लिया और जिस आदमी के नाम पर लीज छूटी उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है उसने उस लीज को सबलेट कर दिया और सबलेट करके जिस आदमी के नाम से सबलेट किया उसके खिलाफ पुलिस के कई कैसेज चल रहे हैं उसको सबलेट कर दिया और सबलेट ही नहीं किया सबलेट करने के बाद नगर परिषद के जो सभापति थे जो 2028 तक थे ही नहीं, 2028 अभी आना है वो खत्म हो गये, वो हट भी गये, खत्म हो गया उनका टर्म भी लेकिन उन्होंने अपने टर्म में बिना किसी के प्रस्ताव के और बिना किसी की अनुमति के 2028 तक उसको एक्सटेंड कर दिया तो यह क्या तरीका है? भामाशाह ने प्याऊ दी, भामाशाह ने म्युनिसिपैलिटी को दी और म्युनिसिपैलिटी ने उस रेस्टोरेंट को लीज पर दे दिया और लीज पर देकर लीज को सबलेट कर दिया किसी तीसरे आदमी को दे दिया और जो पुलिस के केस चल रहे हैं उनके खिलाफ उन लोगों को दे दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि सीवरेज का सबने बोला है, सीवरेज की स्थिति इतनी खराब है हमारे शहर में कि अब वो जो सीवरेज की लाइनों के ऊपर ढक्कन बने हुए हैं वो सड़क से आधा-आधा फीट ऊपर हैं और रात को स्कूटर से या गाड़ी से कोई जाता है तो एक्सीडेंट होता है और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और ...

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री भीम राज भाटी (पाली): एक सेकंड, साहब। निवेदन करता हूं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कि रोहट बहुत बड़ा कस्बा है उस रोहट कस्बे को मेहरबानी करके उस पंचायत को नगरपालिका में ले लें, नगरपालिका घोषित कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री जेठानन्द व्यास।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मां भारती के चरणों में नमन। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने की अनुमति दी है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

'न गलत करते हैं, न गलत सहते हम। बुरे इसलिये हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते हैं।' मैं आपको बता दूं कि बीकानेर क्षेत्र का मैं हूं, बीकानेर नगर निगम की स्थिति पिछले पांच वर्षों में ऐसी कर दी है कि सबकी नारकीय स्थिति हो गई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और पिछली सरकार ने समितियां भंग कर दी यानी इतना किया कि वह बोर्ड काम नहीं कर सके।

दूसरा, वहां के जो नेता हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उनके कहने से अगर किसी कमिश्नर ने काम नहीं किया है तो पांच साल में 11 कमिश्नरों का इन्होंने तबादला कर दिया। इस प्रकार वहां पर इन्होंने काम किया। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा जो सीवरेज का काम किया गया वह भी मिलीभगत से हुआ। आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ और यहां तक की 21.11.2023 को यानी इनका जो लगाया हुआ ऑफिसर था और मंत्री जी के कहने से उन्होंने हस्तांतरित भी कर लिया, पेमेंट भी कर दिया और पूरा बीकानेर उससे जूझ रहा है उस गन्दगी से जूझ रहा है यह इनके पांच साल के कारनामे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास जिसमें इन्होंने पांच साल में अध्यक्ष भी नहीं बैठाया, वहां भी स्थिति यही रही, जो सचिव इनके कहने से काम नहीं करता था उनका तुरन्त ट्रांसफर कर देना। यहां तक कि एक मुक्ता प्रसाद नगर है वहां पर आवासन मण्डल की जमीन है। खसरा नम्बर 159 जो रेलवे के उत्तर की तरफ है और दक्षिण की तरफ जो आवासन मण्डल की जमीन थी उन्होंने खसरा नम्बर 159 वहां फिट करके और गलत तरीके से यू.आई.टी. ने 90 बी से उनको देकर गलत तरीके से उन्होंने वहां कॉलोनी काटनी शुरू कर दी। उस पर उनका पूरा कब्जा उन्होंने कर लिया। आवासन मण्डल की जमीन पर और भी कब्जा कर रखा है। आवासन मण्डल की स्थिति यह कर दी इन्होंने कि वह यानी नेताओं के बापों की हो गई वो चाहे जैसे करने लगे वहां। इस प्रकार की स्थिति है।

सभापति महोदय, आवासन मण्डल में जो भर्ती हुई उसमें भी इन्होंने अनियमितता की। उसका भी अभी कुछ दिन पहले अख़बार में छपा था। मैंने मंत्री जी को उसकी कॉपी सुपुर्द कर दी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं यू.आई.टी. क्षेत्र की स्थिति बहुत नाजुक है वहां पर इतने गलत तरीके से पट्टे काटे गये और फर्जी कॉलोनियां बसाई गई हैं। यह स्थिति है वहां पर।

मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मेरी जो मांग है कि मेरे निगम का क्षेत्र है वहां पर सुलभ शौचालय जो अभी बनाने थे वो और ज्यादा चाहिये और बीकानेर की जो यू.आई.टी. है उसको बीकानेर डवलपमेंट ऑथोरिटी के रूप में क्रमोन्नत किया जाए। यू.आई.टी. की मूलभूत सुविधाओं हेतु अलग से बजट दिया जाए। नगर विकास न्यास, बीकानेर में 2013 में जो

कांग्रेस के राज में 13 हजार पट्टे बने थे, उनमें अधिकतर पट्टे फर्जी बने उसकी जांच सी.बी.आई. में चल रही है लेकिन पिछली सरकार के पांच वर्षों में इन्होंने कुछ ऐसे जो नेताओं के प्रभाव से उनको एन.ओ.सी. दे दी। सामान्य आदमी जब जाता है एन.ओ.सी. लेने तो यह कहते हैं कि सी.बी.आई की जांच चल रही है पट्टों की और इसी प्रकार उन नेताओं के प्रभाव में या उनके समर्थकों ने उन पट्टों पर प्राइवेट बैंकों से लोन लिया और वो कुर्क हो गए इस प्रकार धांधली की गई है। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि 2013 के पट्टों की जो जांच चल रही है उसकी शीघ्र जांच करायें और जो सही लोग हैं जो सही जिनके पट्टे बने, उनको एन.ओ.सी. मिले यह मेरा निवेदन है। भारत माता की जय।

श्री सभापतिः श्रीमती इन्द्रा।

**शासकीय वक्तव्य**

**राजगढ़ (चूरू) में दिनांक 23.07.2024 की दुर्घटना में मृतका के सम्बन्ध में विवरण**

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, एक इन्फोर्मेशन देनी है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक दिन एक विषय उठाया था जिसकी इन्फोर्मेशन देनी है। दिनांक 23.7.2024 के वक्त 4.00 पी.एम. पर +++ निवासी राजगढ़ जिला चूरू ने उपस्थित मोर्चरी रूम होकर एक रिपोर्ट पेश की कि एक अज्ञात वाहन ने मेरी +++ को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मज़मून रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 327/2024 धारा 106(1)281 भारतीय न्याय संहिता, 2023 पुलिस थाना राजगढ़ में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश अंतिम संस्कार हेतु वारिसान को सुपुर्द की गई। घटनास्थल के आस-पास लगे सी.सी.टी.वी. को चैक कर टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन चालक व वाहन की पहचान कर ट्रक चालक को दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिसने दुर्घटना अपनी गाड़ी से होना स्वीकार किया है।

**Kas/rtm/26.07.2024/18.40/3p**

मृतका के शव को मृतका के वारिसान द्वारा पोस्टमॉर्टम के पश्चात अपने घर पर ले जाकर शव को रख लिया व अन्तिम संस्कार नहीं किया। लगभग 100 स्वामी समाज के व्यक्तियों ने मृतका +++ की डैड बाडी मृतका के घर के पास एक बाड़े (चार दीवारी सहित खाली प्लॉट) में डीप फ्रिज में रखकर मुलजिम की गिरफ्तारी करने व सही अनुसंधान करने को लेकर मृतका +++ के घर के आगे एकत्रित होकर धरना प्रारम्भ किया गया। परिवारजन हत्या व बलात्कार का प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगे। मृतका के परिवारजन से वार्ता की गई एवं सहमति के बाद समझौता हुआ। जिसके क्रम में मृतका के पिता द्वारा पृथक से एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार एक संदिग्ध लड़का व उसके अन्य साथियों ने मिल कर मेरी बच्ची की रेप कर हत्या कर दी।

उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण स. 332 दिनांक 26.07.2024 जुर्म धारा 70(1), 103(1),

238,3(5) वी.एन.एस. 2023 पुलिस थाना राजगढ में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

उक्त सम्बन्ध में दिनांक 26.07.2024 को पुलिस थाना राजगढ़ का घेराव किया जाना प्रस्तावित है और उक्त धरना स्थल पर बैठे व्यक्तियों को थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ व एवं उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार समझाईश की जा रही है। धरना स्थल पर अभी भी 80-90 व्यक्ति मौजूद हैं। पुलिस द्वारा उपरोक्त वाहन का पता लगवाया जाकर डिटेन किया जा चूका है तथा घटना के दौरान उक्त वाहन पर चालक के सम्बन्ध  में पूछताछ व अनुसंधान जारी है।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा।

**अनुदान की मांग**

**मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन व**

**मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर विचार**

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सभापति महोदय, आपके और मेरी पार्टी के माध्यम से जो मुझे समय मिला, उसके लिये हृदय से आभार। सबसे पहले तो हम सभी विधायकों को पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का और माननीय यूडीएच मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिये, जिन्होंने आपको रहने के लिये अच्छे फ्लैट बनाकर दिये और कांस्टीट्युशन क्लब बनाकर दिया जो सभी के लिये एक सपना था। +++ मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय अशोक गहलोत जी को और माननीय यूडीएच मंत्री जी को, जिन्होंने मेरी विधान सभा में दो-दो नगरपालिकाएं बनाईं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही मेरी विधान सभा में नगरपालिका बनी, कुछ लोगों को लगा कि नरेगा चलेगा नहीं, लेकिन तुरंत ही रोजगार गारंटी का कार्य चालू किया, जिससे सभी को राहत मिली। कांग्रेस सरकार की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रधान मंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी इस योजना को पूरे देश में लागू करने की सलाह दी।

आप सबको मालूम है कि पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की यह सोच थी कि राजस्थान में कोई भी भूखा नहीं सोये और इंदिरा रसोई संचालित की। सभी जगह इंदिरा रसोई चालू करने का कार्य उन्होंने किया। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे ही आचार संहिता लगी मेरी विधान सभा में जो तीन इंदिरा रसाई चालू थीं, वह आज तक बंद पड़ी हैं। आप नाम भले ही बदल दो, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, उन रसोइयों को चालू करवा दो ताकि जो लोग सुबह-शाम खाना खा रहे थे, वह दुबारा से चालू हो जाये तो उनको इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। बामनवास तो ऐसा कस्बा है जहां होटल-ढ़ाबा भी नहीं है। वहां वह रसाई बहुत कारगर साबित हो रही थी, जिसमें रोज सैंकड़ों लोग खाना खाते थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बामनवास कस्बे में नगरपालिका बनाने का एक और भी उद्देश्य था कि वहां आग लग जाती थी तो दमकल दूर से आती थी। अभी कुछ दिन पहले दो महिलाएं झुलसी, लेकिन वहां एक घंटे तक दमकल

नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कुछ कर्मचारियों की कमी थी। मैं चाहूंगी कि इसकी जांच भी करवाई जाये, क्योंकि पांच मिनट के रास्ते को वह एक घंटे में भी तय नहीं कर पाये। बामनवास में पीपलाई से मेहंदीपुर बालाजी का एक हाई वे बना हुआ है, लेकिन कस्बे में ठेकेदार ने नाली निर्माण नहीं किया, जिससे बामनवास कस्बे में पानी भरता है और अव्यवस्था हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वहां नगरपालिका के माध्यम से नाली निर्माण कराया जाये, क्योंकि बरसात में वहां हॉस्पिटल तक पानी भर जाता है। बौली में चरागाह भूमि को सीधा नगरपालिका में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे उसकी किस्म तो बदली नहीं और पूरी की पूरी नगरपालिका में कन्वर्ट हो गई, तो वह किसी काम की नहीं है, न राजस्व की है और न ही इधर की है। दोनों उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे और न ही उसको किसी काम में ले पा रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस तरह से कॉलोनियां बसी हुई हैं, उसको भी रेगुलराइज किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरा टाइम बचा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कल मैंने पर्ची के माध्यम से मांग उठाई और कहा कि दोनों नगरपालिकाओं में, बामनवास और बौली में, बौली का भी बामनवास में ही काउंट हो रहा है, बौली की विशेष शिकायत नहीं है, लेकिन बामनवास में जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, जीरो टोलरेंस की बात करने वाली सरकार, आज उन घोटालों की कार्यवाही नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है, तो मैं यही मानूंगी कि आप लोगों की सहमति भी इसमें है, अगर आप उसकी जांच नहीं कराते हो तो। मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि उनकी सख्ती से जांच कराई जाये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

सत्ता पक्ष के लोग राम मन्दिर की बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि भगवान राम सच्चे हैं, उन्होंने सबक सिखा दिया, अयोध्या सहित बहुत सारे धार्मिक स्थानों पर आपको हरा दिया। इससे आपको समझ जाना चाहिये कि बार-बार राम जी का नाम नहीं लेकर, मुद्दों की बात की जाये और इस सदन में जिस काम के लिये हम लोग आये हैं, उस काम की यहां बात की जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, आप नई टाउनशिप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगी कि इससे बड़े बिल्डरों को फायदा होगा, छोटे लोगों को नुकसान होगा और बड़े बिल्डरों की मोनोपॉली इसमें चलेगी। इसके बारे में भी दुबारा से विचार किया जाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बामनवास में जो हाई-वे हैं, वहां गौशाला बनी हुई है। नगरपालिकाओं में भी ऐसी स्कीम है कि हम छोटी-छोटी गौशालाएं खोल सकते हैं। बामनवास में बहुत सारी चरागाह भूमि है, वहां पर गौशाला खोलने के लिये मैं अनुरोध करना चाहूंगी, धन्यवाद।

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए। श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर

बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो जिस तरह से मंत्री महोदय सदन में जवाब देते हैं कि घोटालों की हम जांच करेंगे, मेरी नगर पालिका में जो 50-60 करोड़ के घोटाले हुए हैं, मैं उन्हीं की बात करना चाहूंगा, अगर उनकी ही आप जांच करा देंगे तो हमारा विकास परवान चढ़ जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे राजगढ़ में 3-4 गंदे पानी की डिग्गियां हैं। उन डिग्गियों में से पिछले तीन वर्षों से एक दिन भी पानी का निकास नहीं हुआ। अभी बरसात हुई, उसमें मेरे पूरे राजगढ में, महाराणा प्रताप चौक में, नेहरू बाल मन्दिर डिग्गी और कच्चाजोड़ा, जिसकी दीवार गिरे तीन वर्ष हो गये, नगरपालिका ने पैसे उठा लिये, लेकिन दीवार का आज तक निर्माण नहीं किया।

दूसरा, नगरपालिका राजगढ़ में गत वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों व खरीद कार्यों की एवज में विभिन्न ठेकेदारों और फर्मों के 7-8 करोड़ रुपये नगरपालिका में बकाया चल रहे हैं। नगरपालिका नियमानुसार एक रुपये का कार्य भी तभी कराया जाता है, जब लेखा शाखा बजट की उपलब्धता होने की रिपोर्ट करती है। ऐसी रिपोर्ट के बाद ही कार्य का वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। जब बजट होने की रिपोर्ट पर कार्य करवाया गया तो बजट कहां गया? माननीय सभापति महोदय, आरटीपीपी रूल, 2013 के रूल 24 में एक लाख रुपये तक के एक वित्तीय वर्ष में, अधिकतम पांच लाख रुपये तक का कार्य कोटेशन के रूप में करवाये जा सकते हैं। रूल 25 में एक अवसर पर 50 हजार से कम, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में कुल तीन लाख रुपये तक की खरीद की जा सकती है। नगरपालिका राजगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूल 24 और 25 के अंतर्गत 3-4 करोड़ रुपये का बजट बिना किसी नियम की पालना करते हुए लगा दिया, जो कि जांच का विषय है।

**msk/rtm/26.07.2024/1850/3q**

सभापति महोदय, नगरपालिका, राजगढ़ में गत पांच वर्षों में टेण्डर जारी किये बिना ही करोड़ों के कार्य करवा लिए गये, जिनका एसपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकाशन किया जाना आवश्यक था, वह भी नहीं किया गया, जो कि जांच का विषय है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) सभापति महोदय, एक-दो मिनट में। नगरपालिका राजगढ़ में करीब 1155 लाख रुपये की लागत राशि के 94 कार्यों की निविदा क्रमांक 7345-49, 7353-59, दिनांक 22.02.2023 को जारी की गयी। उक्त निविदाओं में करोड़ों रुपये के ऐसे निर्माण कार्य शामिल किये गये, जो कार्य मुख्य मंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत पीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्व में कराये जा चुके थे। सरकार टीम गठित करके इनकी जांच कराये।

सभापति महोदय, नगरपालिका में 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से सौर ऊर्जा रोड लाइट, 1 करोड़ 50 लाख की लागत से 6 प्रवेश द्वार, 1 करोड़ 25 लाख की लागत से शहर के प्राचीन पार्कों का नवीनीकरण, 1 करोड़ 50 लाख की लागत से विभिन्न समाज के सामुदायिक भवनों का नवीनीकरण, सब में जमकर लूट और भ्रष्टाचार हुआ है और कार्य नहीं

हुए हैं। सभापति महोदय, इन सभी कार्यों की जांच कराने की मैं मंशा रखता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में निकाय के नियमित अभियंता के हस्ताक्षर से बजट दिया जाता है। पिछले दस दिन पूर्व नियमित अभियंता की पोस्टिंग हुई है, उससे पहले नियमित अभियंता नहीं होने के पर भी पैसे उठाये और गबन कर लिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम इतना-सा कहता हूं। मैं नगरपालिका की दो मांग करता हूं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट। मेरे नगरपालिका क्षेत्र में, पूरे राजस्थान की बात है। पार्षदों का मानदेय बढ़ाया जाये और पार्षदों का अपनी तरह कोटा भी निर्धारित किया जाये, ताकि अपने क्षेत्र में पार्टी की द्वेषता से वंचित पार्षद अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें, इसलिए उनका कोटा निर्धारित किया जाये। मेरे यहां आरयूआईडीपी की स्कीम 2016 में, इसी सदन में, पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने चतुर्थ फेज में शामिल किया था। आज तक उसका कोई कार्य नहीं हुआ है, इसलिए उसको भी आगे बढ़ाया जाये। नगरपालिका भवन बहुत जर्जर स्थिति में है। भवन निर्माण की मांग करता हूं और जो पट्टे पत्रावलियां पैंडिंग हैं, मंत्री महोदय, आप उन सारी पत्रावालियों का, आपकी आचार संहिता से पहले की जितनी हैं, उन सबके पट्टे जारी करने का काम करें।

श्री सभापतिः विराजें। श्री राधेश्याम बैरवा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, एक लाइन में मैं अपनी बात पूरी करता हूं। सभापति महोदय, सबसे बड़ा घोटाला, 28.06.2023 की नगरपालिका की सभा की मीटिंग हुई। उसमें अध्यक्ष की अनुमति से अंतिम लास्ट जो बात थी, 3/4 सदस्य, अगर अनुमत करें तो अन्य सदस्यों को कार्यों में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा मुझे मांग संख्या 39 और 40, नगरीय आवास तथा स्वायत्त शासन के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट में बारां शहर के नलका रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की घोषणा के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इससे क्षेत्र में ट्रैफिक का आवागमन सुगम होगा। माननीय, यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि बारां जिले को जिला बने हुए 33 वर्ष से अधिक हो गये हैं, लेकिन आज भी बारां की स्थिति जस की तस है। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बारां नगर परिषद में विगत 15 वर्षों से कांग्रेस का बोर्ड है। इन 15 वर्षों में करोड़ों-अरबों रुपये खर्च किये गये। पिछले 5 वर्षों में 355 करोड़ के आसपास खर्च किये गये। यह नगर परिषद द्वारा कराया गया है, लेकिन आप शहर में घूमेंगे तो शायद ही आपको जमीन पर कोई काम नजर आयेगा। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नगर परिषद द्वारा बनायी

गयी सड़कें पूरी होने से पहले ही टूटने लगती हैं। माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि बारां नगर परिषद के भ्रष्टाचार की जांच करवायें और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।

माननीय, बारां शहर डूब क्षेत्र है। जिससे कुछ समय की बारिश में ही मुख्य चौराहे सहित विभिन्न कॉलोनियों में जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। जिससे आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दिया जाए। मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय से अनुरोध है कि बारां व अन्य छोटे शहरों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार हो एवं उसके अनुरूप विकास को गति मिले। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2006 में 11 गावों को नगर परिषद में शामिल किया गया था, लेकिन ये सभी गांव अभी तक मूल सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे गांवों के लिए अलग से बजट दिया, ताकि वहां का आम जन भी शहरी सुविधाओं का लाभ ले सके। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा के दूसरे क्षेत्र अटरू को वर्ष 2020-21 में नगर पालिका घोषित कर दिया, परन्तु यह आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अटरू नगर पालिका के अन्दर आने वाला गायत्री नगर वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यहां वर्षों से बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर विचार किया जाये तथा नियम बनाकर लोगों को पट्टे दिये जाएं। साथ ही, इस क्षेत्र में पर्यटक स्थल बुद्ध सागर तालाब को विकसित करने, सड़कों के निर्माण, मुक्ति धाम निर्माण, बस स्टेण्ड, बाइपास आदि पर भी ध्यान दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, अटरू क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र आता है, वह पूरी तरह से कच्चा क्षेत्र है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसके लिए अलग से बजट दिलाकर अटरू और बारां नगर परिषद के विकास में भागीदार बने। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39, 40 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सभी पक्ष-विपक्ष के साथियों की बातें सुनीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये रोज बोलते हैं, बाकी को मौका ही नहीं देते हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मंत्री जी, सबको मौका मिल रहा है, आप ऐसे आरोप न लगायें। मंत्री जी, मेरे पुराने साथी हैं। मेरा समय खराब मत करो। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा।

श्री सभापति: संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से

एक निवेदन रहेगा कि मेरी टोडाभीम नगरपालिका आजादी से पहले की नगर पालिका है। उसमें पिछले छह महीने से कोई भी ईओ, ए.ईएन. नहीं है, सब पोस्ट खाली पड़ी हैं। बाबुओं के द्वारा वह चलायी जा रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि उसमें जल्दी से जल्दी ईओ और अन्य कर्मचारियों के पदों को भरने की कृपा करें। इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहूंगा कि टोडाभीम नगर पालिका में एक बाइपास का निर्माण हुआ है। वह किसानों के खेतों में से होकर निकाला है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि किसानों को उनकी जमीनों का उचित मुआवजा दिलाया जाये। मैं जब भी जाता हूं तो लोग इस तरह की मांग करते हैं कि साहब हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह भी आप कृपा करें।

एक निवेदन यह रहेगा कि वहां कचरे की समस्या है। वैसे टोडाभीम का बहुत गौरवशाली इतिहास है। टोडाभीम नगर पालिका पहाड़ों के चारों तरफ बसी हुई है। वहां सुंदरता खत्म हो रही है और जो कचरा डिपो हर वार्ड में बने हुए हैं, उनको वहां से हटाया जाये। कचरा डिपो के आसपास जो दो-चार घरों में रहते हैं, वे दुर्गंध से परेशान रहते हैं, इस व्यवस्था में आप परिवर्तन करेंगे, इस तरह का मेरा आपसे आग्रह रहेगा। एक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आगरा रोड पर जब हम जाते हैं तो यहां से बस्सी तक बहुत भारी ट्रैफिक की समस्या रहती है। यह ट्रैफिक समस्या दूर करने के लिए इंदिरा गांधी नगर से बस्सी तक सीधा 200 फीट का रोड पहले 2022-23 में सेंक्शन हो गया था। आज तक उसका काम चालू नहीं हो रहा है। अगर आप उसका काम चालू करा देंगे तो आगरा रोड की जो ट्रैफिक की समस्या है, वह कम हो जायेगी। मेरा एक सुझाव यह भी रहेगा। मेरा एक निवेदन है कि जो इंदिरा रसोई चल रही है, उसको आप सुचारु रूप से चलायेंगे। हम जो सफाईकर्मियों की भर्ती कर रहे हैं, सफाईकर्मियों की भर्ती में महात्मा गांधी ने वाल्मीकियों को हरिजन का नाम दिया है, उनका उस पर अधिकार है। उनको ही उसमें लेना चाहिए। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज के लोगों को 100 परसेंट भर्ती में शामिल करेंगे, और लोगों को नहीं करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री ताराचन्द।

**mdp/rtm/26.07.2024/19:00/4a**

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 'प्रशासन शहरो के संग अभियान, 2021', पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का खेल खेलने के लिए एवं अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन शहरों के संग, 2021 कार्यक्रम चलाया गया। इसमें प्रतिदिन नये-नये आदेश जारी किये गये। डीएलबी जाओ और अपनी इच्छा का अधिकारी ले आइए और अपनी इच्छा के हिसाब से काम चलाओ। ऐसा किया गया। इसी तर्ज पर इन आदेशों का फायदा उठाकर नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ ने हजारों की संख्या में फर्जी पट्टे जारी

कर दिए।

माननीय सभापति महोदय, नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ में अनेकों पट्टे तो खाली राजकीय भूमि पर, खाली पड़ी भूमि पर, जहां पर कोई चारदीवारी नहीं,कोई घर नहीं, खाली खेत पड़ा है, उस पर पांच-पांच हजार वर्गमीटर के पट्टे सफेद राजकीय भूमि पर जारी किये गये, जिस पर न रहवास, न ही किसी का मालिकाना हक था। उसे केवल 500 रुपये में पट्टा जारी कर करोड़ों रुपये की भूमि खुर्द-बुर्द कर दी गयी। मेरी सरकार से मांग है कि नगर पालिका श्री डूंगरगढ़ के रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर उसकी जांच की जाए। ऐसी आशंका है कि हजारों फाइलें रिकॉर्ड से गायब हैं। मैंने एक बार मंत्री महोदय को आशंका भी जाहिर की थी कि आप किसी को लगाकर रिकॉर्ड सीज करवा दीजिए, किंतु उनको भनक लग गयी और उन्होंने वहां से हजारों फाइलें गायब कर दीं।

सभापति महोदय, एकल पट्टा, मजे की बात है कि जब नगर पालिका चैयरमेन साइन नहीं करता है तो एकल हस्ताक्षरों से पट्टे बने। हमारे तय बाजार के अन्दर दुकानें हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में है। मिलीभगत करके बहुत कम पैसे पर उनका पट्टा जारी कर दिया। नगर पालिका को नुकसान पहुंचाया गया। पट्टों की जांच कर रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाई गई, परंतु दोषियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ में मिलीभगत कर शहरों की सैकड़ों बीघा भूमि के पट्टे अपने चहेतों के नाम जारी कर दिए। इस पूरे प्रकरण में नगर पालिका के अधिकारी/कर्मचारी शामिल थे। उन पर आज की तारीख तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जारी पट्टों की जांच की जाए तथा फर्जी बने पट्टों को निरस्त किया जावे एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही जारी किये गये पट्टों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पट्टे जारी करने का जो अभियान चलाया गया, जिसमें तरह-तरह के आदेश जारी किये। अपने चहेतों को लाभ दिलाया गया एवं सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। मेरी सरकार से मांग है कि पट्टों से सम्बन्धित एकल मॉडल कानून बने एवं उसमें केवल वर्ष की कट ऑफ डेट एवं पट्टा जारी करने की दरों में जरूरत अनुसार बदलाव होना चाहिए। डूंगरगढ़ शहरी आबादी एक लाख के लगभग की है। वहां टनों कचरा प्रतिदिन सृजित होता है, परंतु इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होने के कारण कचरा लोगों के घरों में सड़ा रहता है, जिससे भयंकर बीमारियां फैलती हैं। नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ के पास न तो जेइएन है, न एइएन है, न कोई स्टॉफ है। यदि यह व्यवस्था कर भी दी जाए तो नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ पर लगभग 10 करोड़ रुपये की देनदारी है अर्थात बिना बजट के ही पूर्ववर्ती सरकार ने, अधिकारियों, कर्मचारियों ने करोड़ों रुपये के टेंडर लगाकर नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। अब सरकार ने आदेश जारी किये कि यदि नगर पालिका के पास स्वयं की आय, आर्थिक संसाधन बजट है तो ही निविदा जारी करे अन्यथा नहीं।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि वह दस करोड़ रुपये की देनदारी तो उससे दस साल में भी पूरी नहीं होगी तो क्या नगर पालिका दस साल तक कचरा ही नहीं उठायेगी। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप नगर पालिका को बजट देकर सफाई की व्यवस्था कराने की व्यवस्था करावें। मेरी मांग है कि राज्य सरकारें ऐसी नगर पालिकाओं को विशेष बजट देकर सशक्त करे। उस आदेश में अनिवार्य प्रवृत्ति की निविदा जारी करने की शिथिलता प्रदान की जाए।

श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका की जनसंख्या लगभग 1 लाख होने से उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। शहर कटोरानुमा बसा हुआ है। शहर में मल एवं जल निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई है। नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी जा रहा है। नालियों का पानी जिसमें सेफ्टी टैंक का अपशिष्ट भी शामिल है, लोगों के घरों एवं सड़कों पर पड़ा रहता है, जिससे गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समस्या के निस्तारण हेतु डूंगरगढ़ शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए एक विशेष बजट जारी किये जाने की मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसके लिए केन्द्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत विशेष पैकेज बनाया जावे।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री मनीष।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ में 373 स्वीकृत पदों में से केवल 96 पद ही भरे हैं। 96 पदों पर ही सफाई कर्मचारी है, बाकी 331 पद खाली हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन पदों को भरा जाए।

श्री सभापतिः श्री मनीष यादव। विराजिए।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): एक ही मिनट। एक मिनट।

श्री सभापतिः आप विराजिए। बैठिए आप।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 एवं 40 पर आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा कर रह हैं। सरकार का, माननीय मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नगर पालिका हो, नगर निकाय, नगर परिषद या कोई भी ऐसा निकाय हो जिसको हम ग्राम पंचायत से नगर पालिका में क्रमोन्नत करते हैं, नगर पालिका से नगर परिषद बनाते हैं। सरकार की और आमजन की, क्योंकि सरकार की मंशा उसके पीछे होती है कि उस क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए और निश्चित रूप से लोगों की भी आशा रहती है कि अब शहरीकरण होने के बाद हमारे काम आसान होंगे। हमें अच्छे-से सुना जाएगा, सहूलियत होगी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी रहती हैं कि गरीब व्यक्ति जो वास्तव में पट्टों के लिए परेशान रहता है। आए दिन अधिकारियों के चक्कर काटता रहता है।

उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता और हर बात में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भले ही शाहपुरा नगर पालिका हो, भले ही मनोहरपुर नगर पालिका हो, वहां की तो बात करना चाहता हूं, लेकिन सब जगह की जो भारी समस्या है, आज आम आदमी जो सामान्य व्यक्ति है, उसको सुनने वाला उन नगर पालिकाओं में कोई नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पट्टों को लेकर लोगों में जो चर्चा का विषय बना रहता है, गरीब आदमी को अधिकारी सही तरीके से सुनते नहीं है। उसको परेशानी उठानी पड़ती है। बड़ी घालमेल के बाद अगर उसको पट्टा जारी किया जाता है तो आर्थिक रूप से उस आदमी का शोषण किया जाता है।

सभापति जी, मैं यह बात इसलिए उठाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार नगर निकायों में सबसे ज्यादा है। किसी की भी सरकार हो, हमेशा नगर पालिकाएं, नगर निकाय, जिनको काम करना चाहिए, उनमें अधिकारी जिस तरीके से, चाहे वह क्लर्क से लेकर अधिकारियों की ऐसी स्थिति है कि गरीब आदमी सबसे ज्यादा परेशानी उठाता है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में मनोहरपुर की बात करना चाहूंगा। वहां पर नगर पालिका का 2022 के आसपास गठन हुआ। वहां पर पुरानी आबादी बसी थी, अभी तक 90-ए नहीं हो पायी, जिसकी वजह से लोग पट्टों के लिए परेशान है। मेरे वहां पर अभी नगर पालिका शाहपुरा को नगर परिषद क्रमोन्नत किया गया, जिससे आबादी और पूरा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसका परिसीमन करवायें। एक सबसे बड़ी समस्या उसके लिए सीवर लाइन होनी चाहिए। बहुत आवश्यक है कि सीवर लाइन हो।

दूसरी बड़ी समस्या हमारे विधान सभा क्षेत्र में दोनों जो नगर परिषद, शाहपुरा और मनोहरपुर, आज से पहले सफाई की व्यवस्था का जो काम था, आज से चार-पांच साल पहले मनोहरपुर में दो तीन लाख रुपये का, जब ग्राम पंचायत थी, दो तीन लाख रुपये का महीने का खर्चा था। आज अगर पता किया जाए तो सफाई व्यवस्था को लेकर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। चालीस-पचास लाख रुपये महीने का खर्चा हो रहा है। शाहपुरा की भी ऐसी स्थिति है कि पिछले पांच वर्षों में दस गुना ज्यादा पैसा सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जा रहा है। उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं, क्योंकि बड़ी घालमेल के बाद पूरे कर्मचारी, नगर पालिका का स्टॉफ, जो आम आदमी, गरीब आदमी सफाई व्यवस्था में लगा रहता है, उसको पैसा नहीं मिलता, उसका इंसेटिव नहीं मिलता, वह बार-बार हड़ताल पर जाता है। सफाई व्यवस्था के नाम पर जो घोटाले मेरे मनोहरपुर और शाहपुरा नगर पालिका में हो रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सफाई व्यवस्था के नाम पर बहुत बड़ा घालमेल हमारी नगर पालिकाओं में हो रहा है।

सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति जो सरकार करना चाह रही है, उसमें हरिजन समाज को प्राथमिकता हो। ऐसा समाज है जिसने सही तरीके से इस व्यवस्था को, मैं तो कहूंगा कि सब जगह संभाले रखा है। आये दिन उनको अपनी तनख्वाह के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, हडताल करनी पड़ती है, जिससे आमजन परेशान रहता है। कई बार हम देखते हैं कि अगर

कोई पाइप लाइन नगर पालिका क्षेत्र में डालनी है, सड़क पहले बन जाती है, फिर पाइप लाइन डाली जाती है, सड़क उखाड़ दी जाती है। मेरा निवेदन है कि व्यवस्थित काम नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में होना चाहिए, जो बिलकुल नजर नहीं आता, इससे आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है।

**Ans/rtm 19.10 4b 26.07.2024**

मोटे तौर पर एन.एच. 48 पर मेरा शाहपुरा व मनोहरपुर स्थापित है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा):नगरपालिका हाईवे पर बड़ी-बड़ी लाइटें लगाती है। जबकि एनएचआई ने लाइटें लगा रखी है। हाईमास्क लाइटें हैं, उनके नाम पर भी बड़ा घोटाला चल रहा है। मेरी दोनों नगरपालिकाओं के घोटालों की जांच की जाए। आम जनता प्रताड़ित और परेशानी रहती है, उनको राहत दिलाई जाए। बहुत-बहुत धन्ययवाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन, मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पर आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में छोटी-छोटी बातें है। कपासन नगरपालिका। कपासन विधान सभा में दो नगरपालिका है। एक तो पुराने समय से चली आ रही है। वहां वर्षो से पद होने के बाद भी पदस्थापन नहीं है। एईएन उधार का, जेईएन उधार का, एलडीसी, यूडीसी सब उधार के चल रहे हैं। यह उधार की नगरपालिका होने के कारण वहां पर डवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। पिछली सरकार ने साल-डेढ साल पहले, मेरे यहां आकोला में आकोला नगरपालिका बना दी ग्राम पंचायत को हटाकर। जिस दिन से ग्रामपंचायत हटी, उस दिन से निर्माण कार्य बंद हुए, जो आज तक चालू नहीं हुए। मेरा आग्रह है वहां एईएन, जेईएन, एलडीसी, यूडीसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सारे के सारे पद खाली पड़े हैं और विकास का काम ठप्प हो गया। यहां तक कि सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था सारी ठप्प पड़ी हुई है।

यहां तक कि एक अभिशाप और हो गया। ग्राम पंचायत थी तो एग्रीकल्चर के कनेक्शन के लिए 15 हजार का डिमांड आता था, अब सवा लाख का डिमांड आने लग गया। पूरी की पूरी नगरपालिका में काश्तकार रहते हैं, उनके गले की एक घंटी बन गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करो, ऐसा उपाया करो कि एग्रीकल्चर की बिजली की डिमांड है, वह नगरपालिका होने से पहले यदि डिमांड जमा है तो उनके पुराने एग्रीकल्चर के ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार ही उसकी डिमांड जारी करने का काम करे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं में अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन की बिना जानकारी के अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। यदि अतिक्रमण की कोई शिकायत भी कर दें तो नगरपालिका के कर्मचारी शिकायतकर्ता के पीछे पड़ जाते हैं और उसी को गलत ठहरा देते हैं। हालात यह हो जाते हैं कि शिकायतकर्ता का कोई भी काम अगर नगरपालिका में हो तो

उसको अटकाने, भटकाने, लटकाने का काम करके, उस व्यक्ति को डिमॉर्लाइज करने का काम करते हैं।

बार-बार कई लोगों ने कहा, इस डीएलबी का नाम, देओ लेओ और भागो। मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा इस अभिशाप भरे नाम को बदलने का काम करेंगे तो ठीक रहेगा। यहां के निदेशालय की बात करूँ। नगरपालिकाओं में होता ही है, यहां के निदेशालयों की स्थिति ऐसी है कि निदेशालय में किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी तो उस शिकायतकर्ता के पीछे लोग लग जाएंगे।(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-तीन मिनट और लूंगा। सर्तकता विभाग की हालत तो ऐसी है कि वहां पर भी लेओ देओ का काम चलता है। समापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि अवैध निर्माण की शिकायत एक व्यक्ति द्वारा नगरपालिका में की गई, नगरपालिका ने इस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की, फिर डीडीआर के कार्यालय में शिकायत की गई, फिर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब निदेशालय स्तर पर शिकायत की गई, तब ही सभी प्रकार के सबूत दिए गए, तब जाकर निदेशालय में आदेश दिए गए। मैं सदन की मेज़ पर रखना चाहूंगा कि आदेश क्रमांक 17/72 दिनांक 25.05.2022 और आदेश क्रमांक 19/85 दिनांक 17.08.2023 को यह शिकायत की है। इन आदेशों की पालना में नगरपालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि अवैध निर्माण को वैध ठहराने का काम किया गया। निदेशालय ने आदेशों की पालना नहीं होने के सम्बन्ध में कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की, उनको भी बचाना काम किया गया।

मैं एक बात और संज्ञान में लाना चाहूंगा। मेरे व मेरे व्यक्ति को, मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति को निदेशालय में भेजा डीएलबी में, कि हमने शिकायत की उसका क्या हुआ, 15 फरवरी, 2024, वह तारीख है। वहां भेजने पर शिकायतकर्ता पर ध्यान रखा गया और उसकी फोटो कैमरे में देखी गई और यहां के डीएलबी के डायरेक्टर ने स्वयं को उसने बुलाया कि आप यहां क्यों आए। उसको चैम्बर बुलाया और डांटा व फटकारा और कहा कि आप शिकायतकर्ता हो, यहां आने की क्या जरूरत है। मुझे तो ऐसा लगा कि उसको धमकी देकर यह कहा कि आज के बाद आप इस कार्यालय में नहीं आओगे। मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि डायरेक्टर को आपने सेवा के लिए बिठाया है या उसको लीज पर दे दिया, जो उसकी मर्जी आए वह करेगा। जिसको चाहेगा बुलाएगा, नहीं चाहेगा उसको नहीं बुलाएगा। मौखिक आदेश देकर, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने निदेशक डीएलबी को निदेशालय लीज पर तो नहीं दे रखा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक-दो सैकण्ड और। मैं मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा, मुझे आश्वासन देवें कि मैंने जो आदेश क्रमांक17/72 दिनांक 25.05.2022 और आदेश क्रमांक 19/85 दिनांक 17.08.2023 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी मुझे दें। मैं सदन की पटल पर यह रखूंगा।

एक निवेदन और करूंगा। लक्ष्मणगढ़ के अन्दर पिछले तीन-चार पहले अनुसूचित जाति की दो बीघा जमीन पर जो शहर के मध्य है, उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। अनुसूचित जाति की जमीन है, भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया। मैंने डीएलबी के अधिकारियों से सम्पर्क किया, यहां तक कि धारीवाल जी मंत्री महोदय को कहा, उन्होंने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): उस की जमीन पर अवैध निर्माण कराकर कब्जा करने का काम किया।

श्री सभापतिः श्री भगवाना राम। श्रीमती अनीता जाटव।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं यह टेबल करना चाहता हूं। आप परमीशन दे। सभापति महोदय, मैं यह आदेश की कॉपी टेबलकर दूं?

श्री सभापतिः श्रीमती अनीता जाटव।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): नमस्कार। सभापति महोदय, जी आपने हमें मांग संख्या 39 व 40, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। शहर के हिण्डौन के जलसेन, जच्चा की बाबडी, प्रहलाद कुण्ड खरेटा के सौन्दर्यकरण के लिये लगभग 5 करोड़ की राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी, जिसे लीपापोती कर राशि को ठिकाने लगा दिया गया। कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं है। जलसेन के अंदर बनाये पार्क, प्रहलाद कुण्ड मे बनाया फुटपाथ व अन्य कार्य एवं जच्चा बाबडी पूर्व के कार्यों को वर्तमान का पेपरों मे दिखाकर राशि का गवन किया है। निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय जी, दूसरा, सीवरेज लाईन का कार्य गुणवत्ता पूर्ण व नियमानुसार नहीं किया गया है। सीवरेज लाईन बंद पडी है। इसी वजह से मार्केट में बहुत गंदगी है। मार्केटवासी दुःखी व परेशान हैं। इसलिए सीवरेज लाईन की राशि को ठिकाने लगाया जा रहा है, उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाये।

शहर के पुराने तांगा स्टैण्ड की नीलामी- भू-माफियाओं के लिये नगर परिषद, हिण्डौन ने सितम्बर 2023 मे प्रेस नोट के माध्यम से नीलामी कार्यवाही की गई, जो नियम विरुद्ध है। शहर के तांगा स्टैण्ड की नीलामी नही होनी चाहिए। बाजार मे पार्किंग नहीं है, इसलिए स्टैण्ड बनाना होगा। नीलामी के कारणों की जांच की जाये। साथ ही क्रय विक्रय सहकारी समिति की सरकारी जमीन के कुछ हिस्से को महेश होटल वाले के नाम पट्टा जारी किया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाये। किन नियमों से सरकारी जमीन होटल मालिक के नाम पट्टा जारी किया है।

जेजेएम जल जीवन मिशन के तहत, नल कनेक्शन की पाईप लाईन शहर की कई कॉलोनियों मे अभी तक पाईप लाईन नही डाली गई है और भुगतान हो गया है, इसकी उच्च

स्तरीय जांच कराई जाये।

सफाई कर्मचारी वेतन भुगतान। हिण्डौन नगर परिषद द्वारा सफाई ठेका कर्मियों को 10 माह से वेतन का भुगतान नही किया गया। नगर परिषद किन कारणों से 32 करोड़ के घाटे में है, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाये। एक बडा घोटाला सामने आयेगा कि फर्जी तरीके से भुगतान किन-किन को किया जा रहा है, उस की भी जांच की जाए।

सभापति महोदय जी, जमीन घोटाले में शहर की कई जगह, सरकारी ज़मीनों को आबादी में लेकर अपने लोगों के नाम किया गया है, जिसके लिए जिम्मेदार कौन-कौन होगा। बुथाना रोड मित्तल दाल मिल के पास बेशकीमती जमीन है, जो कि भूतपूर्व सैनिक अस्पताल जमीन के पास आवंटित है। उस जमीन में से ही नगर परिषद हिण्डौन के किन-किन व्यक्तियों को, किस नियम से, भूमि आवंटन की गई है और आवंटन के तुरन्त बाद ही होटल का निर्माण कार्य जारी किया गया है। उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाये। दोषी अधिकारी एवं कार्मिक व व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये।

**VPS-RTM-26.07.2024-19.20-4c**

माननीय सभापति महोदय, हिन्डौन नगर परिषद द्वारा 2020 से अब तक किन-किन को आवासीय पट्टे जारी किये गये हैं, इसकी जांच उच्चस्तरीय स्तर पर कराई जाये क्योंकि पट्टों की पत्रावली में दस्तावेज नियमानुसार पूरे नहीं होते हुए भी भारी रकम लेकर पट्टे जारी किये गये हैं और होटल गर्वित को सात मंजिल बनाने की अनुमति हिन्डौन में किस नियम के तहत जारी की गयी है और होटल बनवाया गया है? यदि होटल सात मंजिल नियमों के तहत नहीं है तो तय सीमा से ऊपरी मंजिलों को कब तक ध्वस्त किया जायेगा? यह भी अवगत करवाने की कृपा करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम-राम सा।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 - नगरीय विकास एवं आवासन एवं मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चला, उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने जो पट्टे बनाये, उनमें अधिकतर पट्टे उन चाहने वाले लोगों के बना दिये, उन प्रभावशाली व्यक्तियों के बना दिये हैं? गरीब परिवारों को पट्टे नहीं दिये गये हैं और उनको पट्टे नहीं मिले हैं। भवानीमंडी मेरे नगरपालिका है, कई दिनों से वहां पर गाडुलिया लोहार रहते हैं और गरीब साटिया परिवार भी रहते हैं पर कई दिनों से वे पट्टे की मांग कर रहे हैं तो उन गरीब परिवारों को अभी तक भी पट्टे नहीं मिले हैं और गरीब कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी पट्टे नहीं मिले हैं।

पूर्व में आवासन मंडल द्वारा भवानीमंडी में घरौंदा योजना के माध्यम से मकान बनाये

गये थे। मैंने पिछली बार भी विधान सभा में यह क्वेश्चन लगाया था। यह प्रश्न लगाया था तो उस प्रश्न का मुझे यह उत्तर मिला था कि जिन व्यक्तियों के नाम पर पट्टे हैं, उनका मौके पर मकान नहीं मिला तो दूसरे प्रभावशाली व्यक्तियों को उसको वे मकान दे दिये गये हैं तो इसकी जांच की जाये और उन गरीब व्यक्तियों को जिनके नाम मकान आवंटित हुए हैं, उन लोगों को मकान दिलाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भवानीमंडी में कांग्रेस सरकार के समय बहुत बड़ा घपला हुआ है क्योंकि भवानीमंडी में पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार की जमीन की हेराफेरी की है, झालावाड़ में महाराजा ने जमीन दान में दे दी करीबन सत्तर वर्ष पूर्व, वह जमीन नगरपालिका ने एक व्यक्ति के नाम पर कर दी। महाराजा ने भवानीमंडी में जयपुरिया ऑयल मिल लगाने हेतु दान में की थी लेकिन आज दिन तक न तो कोई ऑयल मिल लगी और न ही कोई कम्पनी खुली तो भूमि स्वतः ही सरकारी हो जानी चाहिए थी। पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा भू-माफियाओं ने भवानी आनंद लिमिटेड कम्पनी के नाम पर एक कम्पनी बनाकर, जिसका खसरा संख्या है 276, रकबा है 43.85 हैक्टेयर मतलब, 176 बीघा भूमि भवानीमंडी में स्थित है जो भवानी आनंद लिमिटेड के नाम दर्ज रिकार्ड में कर दी गयी है। यह भूमि, दिनांक 16.01.2023 को इसका नामांतरण खुला है और नगरपालिका ने 90-ए और 90-बी करके इसमें पट्टे भी जारी कर दिये हैं तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि यह भूमि पहले सेलिंग में चली गयी और सेलिंग के बाद में इसको भवानी आनंद लिमिटेड के नाम पर की गयी और उसके बाद में कोटा के एक व्यक्ति के नाम पर इसका नामांतरण हुआ और एक व्यक्ति के नाम पर इस जमीन का नामांतरण खोलकर उस व्यक्ति के नाम पर यह जमीन चढ़ा दी गयी। यह बेशकीमती जमीन है और इस प्रकार की इस भूमि की जांच की जाये तो जो पट्टे जारी हुए हैं, वे भी निरस्त किये जाये। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि उक्त भूमि राजकीय भूमि है, इस राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द नहीं किया जाये। एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच करवायी जाये, यह बहुत ही गम्भीर समस्या है, इसका तुरंत समाधान करवाया जाये।

इसी प्रकार से खसरा नम्बर 358 और खसरा नम्बर 372, भवानीमंडी में भूमि जयपुरिया ब्रदर्स के नाम से भी महाराजा ने दान में दी थी यह जमीन, इस जमीन को नियम विरुद्ध पट्टे काटकर पट्टे वितरण किये गये एवं जयपुरिया ब्रदर्स की भूमि आनंद कॉटन मिल के नाम से है। जयपुरिया ब्रदर्स की भूमि को नगरपालिका द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं तो इसकी भी उच्चस्तरीय जांच करवायी जाये ताकि शहर के बीच में जो जमीन पड़ी है, अरबों-खरबों की जमीन है, कांग्रेस सरकार के हमारे पूर्व मंत्रीजी और यहां के अधिकारी, इनकी मिलीभगत से इस बेशकीमती जमीन को इन्होंने एक के नाम पर कर दी है तो इसकी उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाये, ताकि इस जमीन को वापस सरकार के नाम की जाये। भविष्य में भवानीमंडी में जिला बनने की सम्भावना है, वहां पर जमीन नहीं

है और यह सरकारी भूमि है तो इस प्रकार से अगर आप किसी एक व्यक्ति के नाम कर देते हैं तो यह बिलकुल गलत तरीके से हुई है तो मैं आपसे यह मांग करता हूं इस पर कार्यवाही की जाये। मैंने इसका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लगाया है तो, माननीय मंत्री महोदय, आप निश्चित रूप से कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा 2022 में 16 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जिसमें नाले बनाने का काम करना था, उसमें से 25 परसेंट काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका काम भी जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये और नगरपालिका में अभी जो भर्ती निकल रही है, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों की ही उसमें भर्ती कराई जाये, ताकि वे लोग उसमें काम करेंगे। यह जो पुरानी भर्ती जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने निकाली है, इसको निरस्त करके नये सिरे से यह भर्ती निकाली जाये, क्योंकि इसमें कई फर्जीवाड़े की और भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं इस भर्ती को पुनः हमारी सरकार करे। धन्यवाद।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री ललित यादव।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका और मेरी पार्टी के नेता का धन्यवाद करता हूं।

सर, टाइम तो मेरा सात मिनट तो होगा न?

श्री सभापतिः पांच मिनट।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अशोक गहलोतजी को और पूर्व यू.डी.एच. मंत्री साहब को कि उन्होंने बहुत शानदार यहां पर रहने के लिए आवास बनाकर दिये विधायकों के लिए। इस बात को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोग कह रहे हैं। जीवारामजी तो एक दिन बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बहुत ही शानदार बनाकर दिये हैं, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं सबसे पहले शुरूआत करूं उससे पहले हमारे एक साथी कैलाश वर्मा जी एक बात कह रहे थे लाल डायरी की। अभी थोड़े दिनों में वसुन्धराजी पीली डायरी लाएंगे और किरोड़ी लालजी काली डायरी लाएंगे, जब उसकी भी चर्चा आप लोग करना जोर से, अब लाल डायरी की चर्चा मत करो। उन दोनों की चर्चा भी बाद में आप करना।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि-

हाथों में सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए,
हे खुदा, हे परवरदिगार हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए।
तुम रखो यह पीले मफलर और खाकी निकरें,
हम लोग हैं पुराने, हमें पगड़ी वही पुरानी चाहिए, हमें तिरंगा वही पुराना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में इंदिरा रसाई चालू करने का काम किया

था और आज बहरोड़ में जो हालात बनी है, छह महीने से तीन इंदिरा रसोई बंद पड़ी है, जिनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है, गरीब की कोई परवाह नहीं कर रहा है इस बात की। मैंने उसके लिए एक क्वेश्चन भी लगाया है, लेकिन सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहती है इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप वह काम करायें।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 75 वर्ष बाद मुण्डावर में दो नगरपालिका बनने का काम हुआ। मुण्डावर केवल ग्राम पंचायत था, पिछली सरकार में वह नगरपालिका बना, नीमराना बना। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुण्डावर को एक दिशा में बढ़ा दिया गया अगर आप लोग उस पर काम करने का मन रखते हो तो उसको भी चारों तरफ बढ़ाने का काम किया जाये, जिसमें हमारे बलवास, नांगल रानियां, सबलगढ़, उघाड़ी जैसे गांव हैं, वे भी उसमें जुड़ जायें और नगरपालिका बनने के बाद में आज अभी यह सरकार बनी तो बनने के तुरंत बाद नगरपालिका के शुल्क लेना शुरू हो गये। सुविधा मिलना तो शुरू ही नहीं हुई है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि उस शुल्क को तब तक रोक दिया जाये जब तक इसमें सारी सुविधाएं मिलना शुरू नहीं हो जायें।

**SSY/RTM/26.07.2024/19:30/4d**

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में शाहजहांपुर एक बड़ा कस्बा है। करीब 25 हजार की जनसंख्या वहां रहती है। वहां सीएचसी है। एनएच-8 पर वह कस्बा लगता है। पीडब्ल्युडी का डाकघर है। 50 से ज्यादा निजी स्कूल हैं। राजकीय विद्यालय हैं। बालिका विद्यालय हैं। आरटीओ ऑफिस है। बिजलीघर कार्यालय है। डाकघर है। पशु चिकित्सालय है। रीको औद्योगिक जोन है। मेरा निवेदन है कि सरकार बड़ा मन दिखाकर के शाहजहांपुर को भी नगरपालिका बनाने का काम करे। जिससे हमें वह लाभ मिल सके।

मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद हम लोग उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि हम लोग उनको भी सेवानिवृत्ति के बाद में मेडिकल सुविधा देने का काम करें।

नन्दी गो शालाएं जिनका हमें अनुदान देना चाहिए, हम लोग केवल गाय पर दे रहे हैं। वह शहर में ही घूम रहे हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरह से खराब होती हैं। आये दिन दुर्घटनाएं होती है। पेयजल की व्यवस्था को भी हमें ठीक करना चाहिए।

मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में मुण्डावर हैडक्वार्टर जो नगरपालिका बना है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कोई दूर से योजना बनाकर के उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। सीसीटीवी लगाने की आवश्यकता है। 33 केवी की लाइनें जो वार्डो से जा रही हैं, उनको हटाने की आवश्यकता है।

पृथ्वीराज नगर में जिस प्रकार से, शहरों में यह जो सोसायटियां बनी हैं, एक ही आदमी को 3-3, 4-4 पट्टे ये लोग बांट रहे हैं, उन पर भी हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: विराजें।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं तो मेरी बात ही कह रहा हूं। बीजेपी के खिलाफ कहां बोल रहा हूं? मेरी बात कह रहा हूं।

आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग केवल यहां बैठकर, भाषण देकर चले जायें, उतना पूरा काम नहीं है। जो कोई बात कहे, सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने आपसे निवेदन किया है उन पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। मैं आपको धन्यवाद देता, लेकिन जब बजट पढ़ा गया, मैंने सुना, मुण्डावर का जिक्र एक बार भी नहीं किया।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): आपकी बदले की भावना, आपकी बदले की यह सोच ठीक नहीं है। इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापतिः श्री रामस्वरूप लाम्बा। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): 000

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39 और 40 नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन, मैं सबसे पहले अपने माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो 23 जुलाई को बजट पेश किया, उसमें प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना फेज 2 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ की लागत से 1 करोड़ गरीब व मध्यम वर्ग परिवारों को पक्के मकान बनाने की जो घोषणा की, उसका स्वागत करते हैं। अगले 5 वर्ष में इस योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की केन्द्रीय सहायता राशि राज्य सरकारों को देने की घोषणा स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे मुख्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान सरकार के बजट में अपने 10 प्रमुख संकल्पों में सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास का भी संकल्प लिया है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों हेतु तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरी विधान सभा नसीराबाद, जो एक सैन्य छावनी है और रक्षा मंत्रालय के अधीन है, हाल ही में नसीराबाद छावनी को नगरपालिका नसीराबाद में विलय करने की कार्यवाही चल रही है। आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो विभाग की बैठकें हो रही हैं, 25.06.2024 को आयोजित वीसी की बैठक में कार्यवाही विवरण के सन्दर्भ में नसीराबाद केन्टोनमेंट बोर्ड से सिविल क्षेत्र को अलग किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित संभावनाओं के क्रम में लेख है कि बैठक की कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 8 में अवगत कराया गया है कि छावनी परिषद नसीराबाद की अधिसूचित नागरिक

क्षेत्र में निवासरत आम जन के मकान, भूखंडों का स्वामित्व रक्षा मंत्रालय के अधीन रहेगा।

इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे आम नागरिक हैं, यदि स्वामित्व रक्षा मंत्रालय के अधीन रहेगा तो आज बैंकों से हम ऋण लेते हैं, शहरी क्षेत्रों में कोई भी मकान बनाते हैं तो उनको उन सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।

श्री सभापतिः इसको रख दो बिना देखो बोलो।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि किसानों की जमीनें भी उस नगरपालिका क्षेत्र में अभी छावनी परिषद के माध्यम से आ रही है। उनमें भी हमारे जो किसान हैं, उनको भी रक्षा मंत्रालय के अधीन कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे कनेक्शन की हो, चाहे और भी कई सुविधाएं, जो राजस्थान सरकार की हों, चाहे भारत सरकार की हो, उन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

उन किसानों को भी यह सुविधा मिले, इसके लिए अवगत कराना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों को भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये। रक्षा मंत्रालय के लिए किसान भी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने पूरा वादा किया है कि अगर रक्षा मंत्रालय के लिए जरूरत होगी तो हम सबसे आगे मिलेंगे। लेकिन जो काम में नहीं आ रही हैं, उन क्षेत्रों को राज्य सरकार के अधीन लिया जाये। जिससे आने वाले समय में किसानों को भी फायदा मिले, आम जनता को मिले। जो मूलभूत आवश्यकताएं नसीराबाद शहर में सीवरेज लाइनों की है, सड़कों की है, पानी की लाइनों की है, यह सभी सुविधाएं डवलप हों। आने वाले समय में विकास कार्य हों। जो 6 हजार से अधिक परिवार उस नसीराबाद छावनी क्षेत्र में रह रहे हैं। उनको भी नगरपालिका में शामिल करके नगरपालिका की जो सुविधाएं हैं, उनसे उनको जोड़ा जाये।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अभी रक्षा मंत्रालय में और भी कई जगह हुई हैं, जैसे अहमदनगर, वाराणसी, आगरा आदि क्षेत्रों में जो प्रणाली अपनाई गई है, उस आधार पर मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाये। राज्य सरकार के अधीन जो यह प्रक्रिया चल रही है, उसको पूरा किया जाये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इस बजट में जो वन स्टेट वन इलेक्शन की जो घोषणा की है, उसका भी बहुत स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से परिसीमन पिछली बार हुए हैं, नगरीय क्षेत्रों में हुए हों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हों, उनका पुनः परिसीमन करके उस ढांचे को सुदृढ़ करने का काम हमारी राज्य सरकार करेगी। राजनीतिक तौर पर तुष्टिकरण के लिए जो वार्ड बनाये गये हैं, उन वार्डों को वापस सही तरीके से परिसीमन किया जाये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 39 और 40 पर

मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी का कि उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करके शहरों के अन्दर जो बेरोजगार है, उनको रोजगार देने का काम किया। इसकी बड़ाई प्रधान मंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना को पूरे देश में लागू किये जाने की जरूरत है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्दर 15.08.2009 से कट ऑफ बढ़ाकर 31.12.2021 की गई। लेकिन आज उसके बाद भी सर्वे करने की जरूरत है। जो कच्ची बस्तियां हैं, उनको नियमित करने के लिए नया सर्वे किया जाये और नये सर्वे की जो लिस्ट है, उसको सार्वजनिक किया जाये, ताकि लोगों को इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके।

सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर पट्टों के लिए जो फाइलें लगी हुई हैं, उनका निस्तारण करने की जरूरत है। मैं मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा कि सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर वार्ड नंबर 3 और 26 में कुछ लोगों ने, जहां 35-40 सालों से लोग बसे हुए हैं, जहां बिजली के, पानी के कनेक्शन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी तरीके से खातेदारी लाकर के उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा अभियान चलाये जाने के बावजूद भी उनको पट्टे नहीं मिले हैं।

मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सूरतगढ़ वह जगह है, जहां जमीनों के टायर लगते हैं। दूसरी जगह से जमीनें आकर के वहां फिट होती हैं। इस तरह से जो सूरतगढ़ के अन्दर हो रहा है, फर्जी तरीके से जो हो रहा है, उस पर जांच करने की विशेष तौर से जरूरत है। ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

सूरतगढ़ में धार्मिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं तक की जमीनों पर बिना किसी पूर्व नोटिस के पीला पंजा चलाया जा रहा है। जहां अभी थोड़े ही दिन पहले उधम सिंह धर्मशाला की जमीन पर चलाया गया। इससे सूरतगढ़ में काफी आक्रोश फैला। जबकि निजी तौर पर जो भू माफिया हैं, वे बड़ी-बड़ी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है।

मैं मंत्री जी का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सूरतगढ़ में श्री गुरुद्वारा सिंह सभा जिसको 1996 में अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव, मंडी विकास समिति, हनुमानगढ़ द्वारा यह आदेश दिया गया और कहा गया कि आपकी राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 131694, दिनांक 15.01.1996 के द्वारा 40 वर्ग गज में आवंटित की जा चुकी है और आपसे चालान संख्या 1095 दिनांक 27.02.1996 के द्वारा 313568 रुपये भी आपसे जमा करवाये जा चुके हैं।

**Spp/Rtm/26.07.2024/19:40/4e**

लेकिन इसके बावजूद इस जमीन को आज तक पट्टा नहीं दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सूरतगढ़ नगरपालिका का जो अध्यक्ष का पद है, वह पिछले 8 महीने से लगभग खाली है। आपने 19 फरवरी, 2024 को आदेश निकाला था, उस पर उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है और उसके बाद आज पूरे के पूरे विकास कार्य, सफाई कार्य सारे कार्य ठप पड़े हैं। जिस नगरपालिका अध्यक्ष को आपने बनाया, उसी के खिलाफ आपके ही पूर्व विधायक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। ऐसी कौनसी वाशिंग मशीन है जिसने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वह सारा का सारा पाप धुल गया।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगरपालिका सूरतगढ़ को नगर परिषद का दर्जा दिया जाये। जैतसर कस्बा, जो बहुत बड़ा कस्बा है, उसको नगरपालिका का दर्जा दिया जावे। मैं आपसे एक मांग यह भी करना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर जो पी.एच.ई.डी. विभाग है, वह निजीकरण के विरोध के अन्दर पूरे प्रदेश के कर्मचारी हैं, वह लामबन्द हो रहे हैं। वह सारे के सारे पी.एच.ई.डी. विभाग को RWSSC को हस्तान्तरित करने का प्रावधान बजट में किया है, तो उसको भी रोका जावे, ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके और जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको पट्टे जारी करने का काम भी नगरपालिका सूरतगढ़ के अन्दर किया जावे ताकि सूरतगढ़ के लोगों को इस बात का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। जय भीम। जय संविधान।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन एवं मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो नगरीय व्यवस्था एवं सुदृढ़ विकास की जो परिकल्पना की है, उसके अन्तर्गत हमारी सरकार द्वारा इस बजट में राजस्थान रीजनल एण्ड अरबन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बजट में एक घोषणा हुई है और उस घोषणा के अनुसार ही हमारी सरकार ने कैसे धरातल पर आये, उसी अनुरूप हमारी सरकार ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में अशोक जी गहलोत को जादूगर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक छड़ी घुमाई और यह जिले लो, यह जिले ले लो, करते रहे और उसी अनुरूप हमारे भीम में भी एक नगरपालिका की घोषणा करवायी। वह घोषणा केवल नाममात्र की थी। न कुछ ई.ओ. लगे, न कहीं कर्मचारियों की स्वीकृति हुई। केवल थोथी घोषणा साबित हुई। आपके माध्यम से मैं हमारी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने तो केवल एक पिटारा खोलकर आओ, पाओ, खाओ और जाओ। इस पैटर्न पर इन्होंने काम

किया। लेकिन अब यह जिम्मेदारी हमारी हो गयी है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भीम विधान सभा क्षेत्र में जो नवसृजित नगरपालिका हुई है, उसके लिये 10 करोड़ की घोषणा हमारी सरकार ने की है, उसके लिये तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि नवसृजित नगरपालिका है इसमें 10 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। मेरी नगरपालिका काफी बड़ी है और करीब 22 लाख की पापुलेशन है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी उक्त पालिका में 40 लाख की और घोषणा मैं कराना चाहता हूं ताकि हमारे क्षेत्र में कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिये जिसमें हमारे यहां एक बस स्टैण्ड बना हुआ है, बस स्टैण्ड पर भी अतिक्रमण कर रखा है। माननीय मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक आधुनिक बस स्टैण्ड बनेगा तो आम जनता के लिये एक सुविधाजनक काम हो जायेगा। पूर्व सरकार के भू-माफियाओं द्वारा बस स्टैण्ड पर एक महिला शौचालय पर अतिक्रमण कर रखा था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं तत्काल उस अतिक्रमण को हटाकर वहां एक आधुनिक शौचालय का निर्माण कराया जाये।

नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले लोगों के प्रात: भ्रमण के लिये एक जगह मेरे पास है, करीबन 25 बीघा, वहां पर एक पार्क की स्थापना की जाये। नवसृजित नगरपालिका भीम की परिधि में वार्ड सीमांकन किया जाये। नवसृजित नगरपालिका भीम की परिधि में ग्राम नन्दावत, जो ग्राम पंचायत टोबी में आता है, क्योंकि उसी में सभी सरकारी भवन है, वहीं पर सभी सरकारी मंत्र चल रहा है, अगर उसे परिसीमन में जोड़ा जाये तो एक बहुत अच्छी समस्या का समाधान हो जायेगा।

दूसरा, नवसृजित नगरपालिका में सभी संसाधन, जिसमें फायर ब्रिगेड चाहिये, ऑटो टीपर, जगह-जगह कचरा संग्रहण करने का बॉक्स, सी.सी कैमरे और कंभाली कुंये पर, जो नेशनल हाईवे से टच होता है, वहां सबसे बड़ी पानी की समस्या है। वहां पर पूरे भीम का पानी इकट्ठा होता है। वहां पर प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से वहां पर अभी बारिश हो रही है, तो हाईवे भी अवरूद्ध हो जाता है तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विशेष पैकेज देकर उस ड्रेनेज सिस्टम को प्रोपर किया जाये ताकि हाइवे का पानी भी कभी अवरूद्ध नहीं होगा और शहर में भी पानी अवरुद्ध नहीं होगा। इसके लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें।

इसके साथ-साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पुरानी नगरपालिका है। गत सरकार के समय में अधिशाषी अधिकारी कृष्ण गोपाल के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराने का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह अधिशाषी भ्रष्टाचार का इतना एक्सपर्ट है कि पूर्ववर्ती सरकार के विधायकों ने या उनके नुमाइंदों ने तीन-तीन जगह पर उनको अधिशाषी अभियन्ता बनाया। जिसमें गंगापुर, आमेट और देवगढ़, और तीनों ही जगह भ्रष्टाचार का ऐसा आंतक मचाया कि पूरी नगरपालिका के लोग परेशान हो गये और लास्ट में मजबूर होकर उसको भ्रष्टाचार विभाग के

माध्यम से 16.5.2023 को आमेट नगरपालिका में कृषि भूमि रूपान्तरण की पत्रावली की नक्शे प्लान की कॉपी लेने की एवज में दो लाख रुपये रिश्वत मांगी और रंगे हाथों ए सी बी द्वारा उसको ट्रेप किया गया। राजस्थान सरकार नगरपालिका नियम अन्तर्गत ए सी बी द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार होने के 48 घंटे पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर लोक सेवक को तुरंत निलम्बन के आदेश हैं। परंतु पूर्व सरकार की मेहरबानी के चलते निदेशालय स्तर के अधिकारियों द्वारा इस भ्रष्ट लोक सेवक के साथ मिलकर माननीय न्यायालय से केस की मोनिटरिंग व कमजोर पैरवी एवं जवाबदावा पेश करने के विलम्ब पर लोक सेवक को संरक्षण प्राप्त हुआ।

श्री सभापतिः विराजें माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, अभी तो कुछ बाकी रह गया। अभी मेरा एक भ्रष्टाचार की बात और है और इस पर जांच करायी जाये। दूसरा, राजस्थान आवासन मण्डल की मैं बात करना चाहता हूं। कोरोना काल के बाद राजस्थान सरकार द्वारा 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाया गया जिसमें पूरे राजस्थान में समस्त नगरपालिका, नगर निकाय एवं आवासन मण्डल में सभी आवंटियों को ब्याज व शास्ति पेनल्टी में शत-प्रतिशत में छूट प्रदान की गयी। जिसके कारण सभी को राहत मिली। राजस्थान आवासन मण्डल में भी पूरे राजस्थान में 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के तहत एकमुश्त पैसा जमा कराने पर ब्याज के साथ पेनल्टी में छूट प्रदान की गयी। उक्त आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 2022 है, परंतु राजस्थान आवासन मण्डल के वृत थर्ड मालवीय नगर, जवाहर नगर और जवाहर सर्कल के कार्यालय में सिर्फ सांसदों एवं विधायकों को आवंटित आवास में छूट के तहत आवेदन करने पर एक भी आवास पर छूट प्रदान नहीं की गयी। जबकि एकमुश्त पैसा जमा कराने पर छूट का प्रावधान था व पूरे राजस्थान में छूट दी गयी। उक्त वृत थर्ड मालवीय नगर, जवाहर नगर और जवाहर सर्कल के कार्यालय में वर्तमान सम्पदा प्रबन्धक एवं अनुभाग अधिकारी द्वारा आवंटियों को गुमराह किया जाता है व मिलीभगत कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया जाता है।

श्री सभापतिः आ गया, अब विराजें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): परंतु विधायक एवं सांसदों के द्वारा आवेदन पर तकरार किया जाता है और उनको कोई छूट नहीं दी जाती है। अतः, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जे डी ए, स्थानीय निकाय और नगर परिषद के कर्मचारियों के लिये स्थानान्तरण की नीति लागू की जाये, जो सी वी सी गाइड लाइन के अनुसार हो, ताकि भ्रष्टाचार करने वालों पर अंकुश लग सके और न ही आने वाले भविष्य में ऐसी हिम्मत कर सकें। धन्यवाद।

**MLS/RTM/26.07.2024/19:50/4f**

श्री सभापतिः डॉ. शिखा मील बराला।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सदन को नमस्कार। सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने चोमू नगरपालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया। उसी के साथ मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अभी भी पदों का सृजन नहीं हो पाया है, कृपया वे इसका संज्ञान लें। लम्बे समय से चोमू में एक मुख्य मांग है कि हमें सीवरेज लाइन का प्रावधान दिया जाये। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें। हजारों टन कचरा प्रतिमाह जयपुर स्थित सेवापुरा कचरा प्रसंस्करण स्थल पर जाता है। निवेदन है कि ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए हमें 8 बीघा जमीन आवण्टित की जाये और साथ ही, गारबेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रस्ताव भी भेजा जाये।

जेडीए द्वारा शहर के सौंदर्यकरण के लिए शहर में पार्कों को विकसित किया जाये। चोमू में पेयजल एक गम्भीर समस्या है। अभी तक अमृत 2.0 योजना में चोमू को शामिल नहीं किया गया है। मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस पर जरूर विचार करें और हमारी पानी की समस्या का निराकरण करें। घरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने पर भी सब्सिडी दिये जाने की योजना बनायी जानी चाहिये। हमारे शहर में बहुत सारे वॉर्डों में पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गन्दा पानी इकट्ठा होने से लोगों को बदबू और मौसमी बीमारियां, जैसे- डेंगू, मलेरिया का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों का चिह्नीकरण कर समुचित व्यवस्था की जाये।

नगर परिषद् में अभी जो पोस्टेड इंजीनियर्स, कर्मचारी हैं और जो अभी से पहले ईओज थे, उनकी हालत यह है कि उन्हें फील्ड में जाने का समय ही नहीं है, ताकि वे जनता की समस्याओं को समझें, चिह्नित करें और उनका निराकरण करें। फिलहाल स्थानीय राजनीतिक दबाव में सिर्फ एक ही कशमकश में रहते हैं कि किस तरह से अपनी नौकरी को, पोस्टिंग को बचाएं। इसकी वजह से जनता के रोजमर्रा के बहुत सारे कार्य द्वेषपूर्ण राजनीति के शिकार हो रहे हैं। 3 दिसम्बर को चुनाव परिणाम आने के बाद में 10 दिन के अन्दर भेदभावपूर्ण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी और छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, ठेले वाला, छोटी दुकान वाला, सभी वर्ग इससे परेशान थे, सभी लोगों की रोजी-रोटी पर हमला किया गया।

बहुत सारे सदस्यों ने वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही, मैं भी उसका समर्थन करती हूं और मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से उनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। इनकी कुछ हजार की नौकरी होती है, जैसे-तैसे वे अपना खर्चा चलाते हैं, ऐसे में उनका नियमित भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, इसे आप संज्ञान में लें। विगत दो साल से हमारे चोमू नगरपालिका में ईओ की कुर्सी का जो किस्सा है, वह काफी चर्चित है। विगत दो साल में कम से कम दस ईओ वहां पर आते-जाते रहे हैं। फिलहाल मई, 2024 में इससे पहले जो ईओ थे शुभम गुप्ता जी, उन्हें एपीओ किया गया और फिर लोकल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कारण

शायद एपीओ का ऑर्डर वापस निरस्त कर दिया गया। हालांकि, हाई कोर्ट से फिर इस ऑर्डर पर स्टे भी आ गया।

उसके बाद एक महीने तक यह पद खाली रहा और विगत डेढ़ महीने से अतिरिक्त कार्यभार देकर काम चलाया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेशों के विपरीत दो बार अतिरिक्त कार्यभार में अभिवृद्धि भी की गयी। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इसे आप गम्भीरता से संज्ञान में लें। ईओ, जिनसे जनता भी परेशान थी, लगातार उनकी कम्प्लेंट्स आती रहीं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसे भी आप जरा देखें। विगत 8 वर्षों में पालिका क्षेत्र में राजकीय भवन, जैसे- तहसील, थाना, एसडीएम ऑफिस, स्कूल में पालिका कोष से निर्माण किये गये, जबकि यह कार्य सम्बन्धित संस्था की निर्माण शाखा या पीडब्ल्यूडी से किये जाने थे। आपके माध्यम से मेरा विभाग से निवेदन है कि ऐसे सभी कार्यों का विस्तृत विवरण टेबल किया जाये।

चूंकि चोमू का कुछ क्षेत्र जेडीए के अन्तर्गत भी आता है, हम यहां से जब चोमू पहुंचते हैं तो सीकर रोड पर हमें बीआरटीएस कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है। यह कॉरिडोर बसों के फास्ट मूवमेंट के लिए बनाया गया था, पर फिलहाल वह सिर्फ दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है, ट्रैफिक कंजेशन का कारण बन रहा है। एमपी और दिल्ली ने जब बीआरटीएस कॉरिडोर्स हटा दिये तो हम लोग इस पर विचार क्यों नहीं करते? जेडीए एक बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़े विकास कार्य हैं, बड़े फंड्स हैं, पर वहां की वर्किंग एफिशिएंसी खाली पड़े पदों की वजह से बहुत कम है। अगर वर्किंग एफिशिएंसी कम है तो रैवेन्यू जनरेशन कैसे होगा? मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत सारी एडिशनल कमिश्नर, एनफोर्समेंट विंग में ईओ, ईआई के पद, अरबन टाउन प्लानिंग में एटीबीज के पद, जो एक्सईएन एसई में प्रमोट हुए थे, उनके पद और क्लैरिकल स्टाफ जो सिर्फ 25 परसेंट स्ट्रैन्थ पर काम कर रहा है, उनके पदों पर लोगों को लाने के लिए एक टाइम बाउंड कार्ययोजना बनायी जाये।

बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए जेडीए में बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं, उनके कार्य नहीं हो पाते हैं और कहीं न कहीं अंडरस्टाफ्ड होने की वजह से लोगों को भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ रहा है कि पहले किसका कार्य हो, पहले किसका कार्य हो। इसे आप संज्ञान में लें। इसी तरह से जेडीए के पास अथाह जमीन है, पर उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जगह-जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, क्या मंत्रालय जमीनों की जियो टैगिंग का विचार रखता है और उसकी मंथली रिपोर्ट का विचार रखता है? जोधपुर में हमारे पास राजस्थान सरकार का रिमोट सैंसिंग ऑफिस है, जिसमें इसरो के सैटेलाइट्स द्वारा सभी इमेजेज उपलब्ध हैं। इस तकनीक को अगर हम काम में लेते हैं और जियो टैगिंग करते हैं तो हम काफी हद तक अतिक्रमण की समस्या से पार पा सकते हैं।

अतिक्रमण हो जाते हैं, लोग भवन निर्माण कर लेते हैं, बहुत साल निकल जाते हैं, फिर कोई शिकायत होने पर हम वहां बुल्डोजर पहुंचाते हैं। इससे जनता की भावनाएं भी आहत होती हैं। लोगों का सरकारी सिस्टम पर विश्वास भी कम होता है और लॉ एंड ऑर्डर की

सिचुएशन भी बनती है। ऐसे कार्यों को हम नयी टैक्नोलॉजीज को काम में लेकर काफी कम कर सकते हैं। आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द। जय संविधान।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाये?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

श्री हरलाल सहारण।

**अनुदान की मांग**

**मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन एवं**

**मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर विचार**

श्री हरलाल सहारण (चूरू): सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि केन्द्रीय बजट 2024-25 में शहरी आवास योजना के अन्तर्गत 10 लाख करोड़ रुपये की लागत से 1 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाने की घोषणा की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

**(समय: बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

इस बार बजट 2024-25 में प्रमुख शहरी विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना के संकल्प के अन्तर्गत राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए तमाम सुविधाएं हेतु कार्य करने का प्लान बनाया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं, कुछ समझ में कम आ रहा है। अभी मेरे सामने सीनियर लोग तो हैं नहीं। हमें बार-बार कह रहे हैं, नये आदमी सीख लें, पर इन्हें यह पता नहीं है, आप तो मुझसे भी सीनियर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, सभापति महोदय, मगर डोटासरा जी और धारीवाल जी, कुछ लोग यहां से घर चले गये। डोटासरा जी को पता नहीं है, जब वे प्रधान थे तो मैं भी प्रधान था। मैं तीन सदनों से ऊपर चौथे सदन में आया हूं। मैंने सोचा, यहां कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे बड़े भाई पूसाराम जी बैठे हैं, पर यहां आने पर तो मुझे दिख रहा है कि सारे गुणगान कुछ नहीं किया, इसके किये जा रहे हैं।

जब आपके सामने यह बात रख रहे हैं, सीख लें, सीख लें आप, सुबह देखा होगा,

सभापति महोदय, कहने के बाद भी 10 मिनट तक कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बैठ नहीं रहे थे। ये सिखाने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, मेरी समझ के पार है। सभापति महोदय, मैं चूरू नगरपालिका की बात करूंगा। सभापति महोदय, मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चूरू नगर परिषद् में पिछले 5 बरस में एक बार 25 करोड़ रुपये दिये थे और उनमें दो बैलों की जोड़ी करके यहां कर दो, यहां कर दो, कोई सड़क बना दी, कोई पाइप लाइन नहीं डाली, 4 लाख की आबादी वाला शहर चूरू डूब रहा है, इन्हें परवाह नहीं थी।

अफसोस की बात तो यह है, चोमू से आने वाली माननीय सदस्या बोल रही थीं कि मेरे यहां से 10 ईओ ट्रांसफर हो गये। मुझे तो कहने में शर्म आ रही है कि जब चुरू में चार साल में 17 आयुक्त चेंज हुए, अफसोस की बात है। उसके बाद विकास की बात कर रहे हैं। हर बार जादू की छड़ी वाले मुख्य मंत्री जी की बात कर रहे हैं कि यह कर दिया, वह कर दिया।

**mkd/rtm/26.07.2024/20:00/4g**

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय यहां से अच्छे इंजीनियर भेजकर तखमीना बनवाये। चूरू शहर डूब रहा है, इसका बजट भी दें और चूरू शहर का तखमीना बनाकर जौहरी सागर से पम्प आउट करके अलग से गादसर गेणानी में पानी पड़ता है, वहां 200 बीघा में पानी पड़ेगा, उसके कोई असर नहीं होगा। अलग कहीं ले जाकर किसानों को पानी दिया जाये, ऐसी स्कीम बनायी जाये। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि गादसर गेणानी में पिछले दो तीन महीने पहले एक पाल टूटी और कम से कम पचास किसानों को नुकसान हो गया और कलेक्टर को भी कह दिया। मंत्री महोदय, आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि उन 50 किसानों को मुआवजा कैसे दें, जिस ठेकेदार ने वह काम किया, उससे उनको मुआवजा दिलवाया जाये।

सभापति महोदय, राज्य सरकार के बजट 2024-25 में शहरों में बिजली, सड़क, साफ-सफाई की सुनिश्चित व्यवस्था की, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 18 हजार 500 करोड़ की राशि 40 शहरों में चूरू शहर को भी जोड़ा गया। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चूरू शहर में मेरे कहने से 200 करोड़ की रिंग रोड, 2 अंडरब्रिज दिये हैं। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज गांवों से शहर की ओर रोजगार की तलाश में आ रहे लोग मकान के लिए तरस रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने यह काम किया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। मैं मांग करूंगा कि चूरू में भी यह काम किया जाये।

मैं मांग करता हूं कि हमारे चूरू में कचरा व गन्दगी साफ करने के लिए 650 करोड़ की राशि का प्रावधान किया, उसे चूरू में भी दिया जाये।

सभापति महोदय, राज्य सरकार के ऐतिहासिक बजट घोषणा का मैं स्वागत करता हूं।

पिछली कांग्रेस सरकार के समय स्थानीय निकाय के चुनाव, आप देख रहे हो, एक तरफ तीन हजार का वार्ड है, एक तरफ छह सौ का वार्ड है। मेरे से पहले काफी सीनियर सदस्यों ने भी कहा था कि जयपुर को, जोधपुर को, कोटा को दो-दो जगह करके, इन नगरपालिकाओं को, नगर परिषदों को, पंचायतों के चुनाव में जिस तरह एक साल चलाया, इससे इस राजस्थान का भट्ठा बिठा दिया। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि आप आने वाले समय में एक साथ चुनाव करायें और पुनर्गठन कराकर यह कार्य किया जाये।

सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने कहा है कि नगर परिषद में 10 करोड़ रुपये दे रहे हैं। 10 करोड़ रुपये की बिना प्रावधान के सड़क बना दी, ठेकेदार रो रहे हैं, आठ महीने हो गये, न कोई प्रावधान था, वे ठेकेदार काम कर रहे हैं, वे रो रहे हैं। मैं कहूंगा..।

श्री सभापतिः श्रीमती शिमला देवी। विराजिये, अंकित नहीं होगा।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): 000

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सबसे पहले मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र, जिसे पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री गहलोत जी ने जिला बनाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जिला बनने के बाद अनूपगढ़ क्षेत्र जो हमारा नगरपालिका था, वह नगरपरिषद बन गया। नगर परिषद में लगभग 50 हजार की आबादी है। सर, वहां सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। हमारे वहां बड़ी ही चरमराई हुई व्यवस्था है। हमारा जो प्रेम नगर है, उसका आठ नम्बर वार्ड है।

मैंने अभी बैठकर वास्तविक स्थिति मंत्री जी को फोन के माध्यम से वीडियो दिखाई, फोन में फोटो दिखाई। पूरी 50 हजार की जनसंख्या है, पूरा का पूरा पानी उस 8 नम्बर वार्ड के अन्दर इकट्ठा हो रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं कि वहां हमारा सबसे गरीब तबका बैठा है। वहां पर डेली मजदूरी करने वाला, ठेले वाला, जो डेली कमाकर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके टाइम पास करता है, उसका घर पांच-सात-दस फीट पर ही घर है और इस साइड में वहां गन्दे पानी का गड्ढा बना हुआ है।

मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि वहां की जनता नारकीय जीवन जी रही है। 8 नम्बर वार्ड में जो गन्दा पानी का गड्ढा बना हुआ है, वहां सारा पानी स्टोर होता है, इसको शहर से बाहर करने की व्यवस्था करें और पांच हजार की जनसंख्या वहां वार्ड पीड़ित है, उस वार्ड 8 को नारकीय जीवन से बाहर निकालिये। वहां की जनता को एक स्वच्छ वातावरण दीजिये।

सर, इसके साथ नगर परिषद के अन्दर से बीकानेर रोड निकलता है, उसके दोनों साइड में जो नाले बने हुए हैं, वे बारिश के अन्दर इतने भर जाते हैं कि सारा का सारा पानी सड़क पर आ जाता है, जबकि सड़क के पर हमारे कलेक्टर ऑफिस है, एडीएम, एसडीएम, तहसील,

हमारा बस स्टैंड आता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसके साथ-साथ हमारी जो नगर परिषद है, वर्ष 2011-12 में एक योजना थी, एकीकृत आवासन और स्लम विकास कार्यक्रम, मंत्री जी, इस तरफ आप जरूर ध्यान दीजिये। इसके अन्दर 17 करोड़ का बजट था। राज्य सरकार के द्वारा कच्ची बस्ती के तीन, चार, पांच, छह वार्ड थे, उसके अन्दर 522 मकान बनाये जाने प्रस्तावित थे, उन वार्डों में सड़क, सीवरेज, ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर टैंक व सामुदायिक भवन बनाये जाने थे, लेकिन आज तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना है, जिसके कारण जो सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, वह काम में नहीं आई है, वह जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है।

इसी योजना के तहत वाटर वर्क्स के अन्दर ओवर हैड टैंक बना था, वह अभी पीएचईडी विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है। वहां कर्मचारियों की मनमानी रहती है। पेयजल की सप्लाई प्रोपर तरीके से नहीं होती है। हमारी नगर परिषद है, उसमें पचास हजार की आबादी है। वहां पर पेयजल की बहुत किल्लत रहती है तो आप वहां पानी के टैंक की अतिरिक्त व्यवस्था करें, हमारे वाटर टैंक बनाये जाये।

इसके साथ-साथ नगर परिषद के हिसाब से जो कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियां हैं, और उसके आस-पास आती है, उसके अन्दर बाहरी विकास शुल्क है, नगरीय विकास शुल्क है और नगर परिषद के पट्टे थे, नगर परिषद के हिसाब से राशि ली गई थी, लेकिन इन कॉलोनीवासियों को न पानी, न लाइट कोई सुविधा नहीं दी जा रही है।

इसके साथ-साथ मेरा घड़साना क्षेत्र है। जब 2011 के अन्दर जनगणना हुई थी तो गंगानगर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी, वहां 21 हजार 160 लोग थे। अभी पीछे पंचायतों का परिसीमन हुआ, इस घड़साना मंडी को दो पंचायतों में बांट दिया गया। सर, मैं वहां पर नगर पालिका की मांग करती हूं, क्योंकि वह एरिया डिजर्व करता है। हमारे वहां उपखण्ड कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, एसीजेएम, एमजीएम, एडीजे कोर्ट है, पंचायत समिति है, बहुत बड़ी धान मंडी है। अभी सर्वदलीय लोगों ने, व्यापार मंडल ने, जितनी भी यूनियन हैं, कल एक महापंचायत की और उस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि 29 तारीख को वे उपखण्ड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना लगायेंगे।

मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बॉर्डर का है। जनता की जरूरत है, क्योंकि जब बारिश आती है और नालियों की साफ-सफाई और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सर, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को कुछ न कुछ दिया है तो मैं पूरी आशा और उम्मीद करती हूं, मेरी ये दो मांगे पूरी करेंगे। आप हमें निराश नहीं करेंगे। मेरी घड़साना की जनता को आप नगरपालिका का दर्जा देकर, उनका मान और सम्मान रखेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कंवरलाल।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नगरपालिका, नगर निगम इन संस्थाओं में सभी सदस्यों ने मांग की है कि नियम सरल बनने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मकान बनाता है और मकान बनाते समय वह एक बार तो नगरपालिका में जाता ही है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती है। वह चक्कर काट-काटकर थक जाता है। वह अपने हिसाब से, अपने नक्शे के हिसाब से, अपने हिसाब से रोड छोड़कर वह मकान बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है। उससे सरकार का नुकसान भी होता है और रोड भी जितनी छूटनी चाहिए है, उतनी नहीं छूटती है।

सरकार में जो पैसा जमा होना चाहिए, वह पैसा भी जमा नहीं हो पाता है। नगरपालिका पैसे के लिए तरसती रहती है। जितनी भी छोटी नगरपालिकाएं हैं, उनमें पेमेंट देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आज भी नगरपालिका, बारां में समय पर पैसे नहीं देने की वजह से, जो कर्मचारी हैं, टंकी पर चढ़ते हुए नजर आते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि मंत्री जी पट्टा बनाने के नियम को सुगम और सरल करेंगे।

जो कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है और कॉलोनी काटकर अपना पैसा लेकर रफा-दफा हो जाता है। वह न तो रोड बनाता है, न सीवरेज की लाइन डालता है, न ही वहां लाइट के पोल खड़े करता है। आपसे निवेदन है कि इसको कठोरता से लेते हुए कॉलोनाइजर्स को सख्त करें और नियमानुसार पूरी कार्यवाही करें।

**Bhs/Rtm/26.7.24/20.10/4h**

नगरपालिका अंता में सीसवाली रोड पर आर.ओ.बी. की मैं मांग करता हूं। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपने सबका लिखा है मेरे विधान सभा क्षेत्र अंता में आर.ओ.बी. का भी आप लिख लें और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप अपने जवाब के समय मुझे भी निराश नहीं करेंगे। आप बहुत शानदार, जानदार और प्रभावी मंत्री हैं। आपसे मेरा निवेदन है अपील है कि आप पेन उठा कर कृपया लिख लें, आपको याद रहेगा।

सभापति महोदय, मैं हमारे विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं। माननीय अशोक गहलोत जी को गोभक्त भी कह रहे थे, विकास पुरुष भी कह रहे थे, उनके दो मंत्रियों का कारनामा आपको बता कर मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। लैंड फॉर लैंड कैबिनेट मंत्री बारां के जो अंता के हैं लैंड फॉर लैंड के बदले उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि मेडिकल कॉलेज खुलने की जब बात आई बारां में तो उन्होंने सबसे पहले आदेश निकाला शाहबाद का और मेडिकल कॉलेज जहां सच में खोलना था वहां सस्ते दाम पर जमीन खरीद ली तीस-चालीस बीघा और उसके बाद फिर लैटर बदलाया कि मेलखेड़ी रोड पर बारां के पास मेडिकल कॉलेज बनना चाहिये और उसके बदले नियम बनाया। शांति धारीवाल जी जो कैबिनेट मंत्री थे, दोनों ने मिल कर नियम बनाया कि लैंड फॉर लैंड की जगह दस गुना जमीन दी जायेगी। 27 बीघा

जमीन के बदले 270 बीघा जमीन, माननीय मेरे साथी विधायक ललित जी के क्षेत्र में 270 बीघा जमीन लैंड फॉर लैंड की जगह ले ली और आप और हम सब देखते रह गये। ऐसा बिजनेस का प्लान, जितने भी सदस्य बैठे हैं किसी के दिमाग में आया ही नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

दूसरा कारनामा पूर्व कैबिनेट मंत्री जो कोटा से आते हैं साढ़े पन्द्रह सौ करोड़ का चम्बल रीवर फ्रंट प्रोजेक्ट बना कर नदी में बहा दिया। अभी नदी में बाढ़ आ जाये, उस डैम का गेट खुल जाए तो अभी ऑडिट हो जायेगी समझ में आ जायेगा वह पत्थर कहां गये और उनके खुद के आदमकद की मूर्तियां लगा दीं। मैं यह कहता हूं कि इतना सारा पैसा अगर छोटी नगरपालिका को दिया जाता तो नगरपालिका चमचमाती हो जाती और माननीय अशोक गहलोत जी को याद करती, आपको याद करती। किसी भी संस्था को एक बार में एक ही प्लॉट अलॉट किया जाता है ऐसा नगरपालिका में है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं लेकिन पूरे राजस्थान में यह अंजुमन कमेटी को मदरसे के नाम पर दो-दो, तीन-तीन बार जमीनें अलॉटमेंट हुई है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसकी जांच करके और यह जो अवैध तरीके से दो-दो, तीन-तीन बार जो जमीनें आवंटित हुई हैं उसको निरस्त करने की आप कार्यवाही करेंगे। बारां में भी है, अंता में भी है, मांगरोल में भी है, सीसवाली में भी है, पूरे राजस्थान की नगरपालिकाओं में शहरों में है सबको जांच करके निरस्त करने की कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहता हूं कि स्कूल के पास, भीड़भाड़ वाले इलाके में और मन्दिर के पास जो मीट-मछली की दुकानें ओपन में खुली रहती हैं और सब लोगों को बहुत बड़ी परेशानी आती है, आप इस नियम को और कठोर बना कर भीड़ वाले स्थान पर, स्कूल के स्थान पर, भगवान के मन्दिर के आसपास और ऐसे स्थानों पर जो दुकानें खुली हैं उनको बन्द करने की कार्यवाही करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री सोहन लाल नायक।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का समय दिया, आपके और हमारे नेता, प्रतिपक्ष का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी दो नगरपालिकाएं हैं श्री विजय नगर और रायसिंह नगर जहां गन्दे पानी की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। जो गन्दे पानी का एरिया था उसको नगरपालिका ने जैसे-जैसे एन्क्रोचमेंट करते गये, कब्जा करते गये, प्लॉट काट दिये। अब जो जगह है मेरा आपसे निवेदन है मंत्री जी, सदन के माध्यम से उस जगह को अच्छी डिग्गी बना कर और उस पानी को वहां से किया जाए और हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उस पानी को कीमतों में लेने को तैयार हैं, अगर वो पानी किसानों को दिया जायेगा तो उसका अपने को रेवेन्यू भी मिलेगा। मेरा आपसे

यह निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि नगरपालिका विजय नगर में पचास साल पुरानी जलदाय विभाग की एक डिग्गी है जबकि पचास साल में इतनी आबादी बढ़ गई है कि तीन-चार वार्ड ऐसे हैं जहां आज तक पानी की कोई पाइप नहीं डली और न ही वहां पानी पहुंच रहा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस जलदाय विभाग की जो स्कीम है इसको बढ़ा कर वर्तमान जनंसख्या के आधार पर करवायी जाए। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कि मेरे नगरपालिका रायसिंह नगर और विजय नगर में दो आर.ओ.बी. की बहुत आवश्यकता है एक तो रायसिंह नगर में 11टी का फाटक और विजय नगर 28जीबी फाटक। इससे आये दिन शहर के अन्दर भीड़ हो जाती है, लम्बी-लम्बी कतारें लग जाती हैं जिससे क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को कि अनूपगढ़ जिला नया बना है वहां प्राइवेट कॉलोनाइजर लोगों की जमीनें ले-ले कर पट्टे काट रहे हैं, कॉलोनियां बना रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की एक स्कीम नये जिले की होते हुए अगर वहां प्रोजेक्ट तैयार करके दिया जाए तो उस क्षेत्र के लोग लूट से बच सकेंगे।

इसके अलावा मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि पिछले तीन-चार दिनों से मेरी नगरपालिका रायसिंह नगर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इस वजह से सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रशासक को कह कर वहां के एस.डी.एम. या ई.ओ. को कह कर उनसे समझौता करके किसी भी तरह भी यह सफाई व्यवस्था करवाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़े मुद्दे की बात मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सफाई कर्मचारियों के परिवारजन को जो मृत राज्य कर्मचारी कोटे के तहत अनुकम्पात्मक नौकरी हेतु डी.एल.बी. में बहुत फाइलें पेंडिंग है और वो लोग हैंड टू माउथ होते हैं। दो-दो साल से फाइलें वहीं पड़ी हैं, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप उन फाइलों का जल्दी निपटारा करा कर और सफाई कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी दें और मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपसे निवेदन किया कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में उन्हीं को लिया जाए। मेरे विजय नगर ब्लॉक में, माननीय मंत्री जी, पिछली भर्ती के अन्दर सामान्य ओ.बी.सी. जाति के लोग भर्ती किए गए थे, वो आज या तो एस.डी.एम. ऑफिस में काम कर रहे हैं या ज्युडिशियरी के यहां काम कर रहे हैं या किसी अन्य ऑफिस में काम कर रहे हैं, सफाई में कोई काम नहीं कर रहा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको सफाई कर्मचारियों के साथ काम करवाया जाए।

आपने समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 नगरीय विकास एवं आवासन व स्वायत्त शासन पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उप मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि इस बजट घोषणा में मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। बजट घोषणा के अन्तर्गत सोजत शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में चालीस शहरों में सोजत का भी नाम है। सोजत रोड को नगरपालिका बनाये जाने की भी घोषणा की गई एवं नगरपालिका सोजत में उप जिला चिकित्सालय को चिकित्सालय में भी क्रमोन्नत किया गया।

सभापति महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में एक नगरपालिका सोजत शहर में संचालित है। सोजत नगरपालिका आजादी से पूर्व से संचालित है। सोजत नगरपालिका बोर्ड का गठन 1915 में किया गया। देश आजाद होने के बाद 1951 में राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया। 55 हजार की आबादी में नगरपालिका वर्तमान में इतनी पुरानी होने के साथ बढ़ती आबादी के अनुसार विकास की दृष्टि से बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जनता को यह उम्मीद इस लोक कल्याणकारी भाजपा सरकार से है।

माननीय सभापति महोदय जी, विगत सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 के बजट घोषणा में सोजत शहर में गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवरेज लाइन बिछाये जाने की घोषणा की गई थी। इस सीवरेज लाइन हेतु 132 करोड़ 42 लाख की डी.पी.आर. तैयार करके राज्य सरकार को भिजवाई गई।

**Kas/rtm/26.07.2024/20.20/4j**

राज्य सरकार ने बजट कम करने हेतु लिखा तब संशोधित डीपीआर 95 करोड़ 18 लाख की तैयार की जाकर पुनः भिजवायी गयी, लेकिन आज दिनांक तक इस कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन का यह महत्वपूर्ण कार्य इतने वर्षों से कागजों में ही अटका हुआ है, इसे संज्ञान में लाया जाकर वित्तीय स्वीकृति जारी करवायें।

सभापति महोदय,  वर्तमान समय में नगरपालिकाओं में नीलामी प्रक्रिया ई निविदा के माध्यम से की जा रही है। इससे नगरपालिकाओं की आय में कमी आई है। ई नीलामी प्रक्रिया के स्थान पर भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार खुली बोली उच्च अधिकारियों की देखरेख में करवायी जाए तो नीलामी में प्रतिस्पर्धा होने से आय में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में जिन नगरपालिकाओं की निजी आय विभाग के तय मापदंड अनुसार नहीं है, उन सभी नगरपालिकाओं को टाईड फंड, अनटाईड फंड जारी नहीं किया जा रहा है। सोजत नगरपालिका की स्थिति भी यही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस संबंध  में पुनर्विचार किया जाकर न्यायोचित निर्णय लिया जाए।

सभापति महोदय, नगरपालिका द्वारा पेयजल पाइप लाइन विस्तार एवं पेयजल से जुडे अन्य विकास कार्य नहीं करवाये जाते हैं। अनटाइड फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा पीएचईडी विभाग को पेयजल कार्य हेतु हस्तान्तरण कर दिया जाता है। इस कारण शहर वासियों एवं नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले आसपास के बैरों पर रहने वाली आबादी के लिए पेयजल की समस्या बनी रहती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल संबंधी कार्य हेतु नगरपालिकाओं को अधिकार दिये जाएं, ताकि संबंधित पार्षद अपने वार्ड में पेयजल संबंधी समस्याओं का निस्तारण करवा सकें।

सभापति महोदय, नगरपालिकाओं में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता कार्यरत होने पर भी क्षेत्र में विकास कार्य करवाये जाने हेतु कार्यकारी ऐजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग को रखा जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास पहले से ही विभागीय कार्यों का भार रहता है और नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों का भार अतिरिक्त डाल दिया जाता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि निर्माण कार्यों हेतु नगरपालिकाओं में पदस्थापित सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं की जिम्मेदारी तय करते हुए समस्त निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी ऐजेंसी नगरपालिका ही रखा जाए।

सभापति महोदय, नगरपालिकाओं को चुंगी कर से आय होती थी, इसे 1998 में समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर निकायों के विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि सरकार से दी जाने लगी। वेतन, भत्ते, समर्पित अवकाश राशि, मंहगाई भत्ता की बढ़ोतरी, नवीन सफाई कर्मचारी भर्ती, सेवानिवृत्ति के दौरान परिलाभ इत्यादि के समस्त व्यय सरकार द्वारा दी जाने वाली इस अनुदान राशि से निर्वहन करने में नगरपालिकाओं को काफी कठिनाई हो रही है। इस अनुदान राशि को बढाये जाने पर भी सरकार को चिंतन करना चाहिए और गंदगी व कचरा सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु शहर की बढती आबादी की आनुपातिक प्रणाली के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

शहर के ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं अन्तिम निस्तारण हेतु नगरपालिकाओं में व्यवस्थित व्यवस्था हो। नगरपालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी हेतु बने नालों की सफाई समय पर सुनिश्चित हो, ताकि बारिश के समय कच्ची बस्तियों में पानी भरने की समस्या ना हो।

माननीय सभापति महोदय, सोजत की पहचान विश्व प्रसिद्ध मेहँदी के साथ सन् 1460 में राव जोधा के पुत्र निंबा जी के द्वारा निर्मित ऐतिहासिक दुर्ग के कारण भी है। सोजत के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा यह दुर्ग जीर्ण-शीर्ण होकर अपनी पहचान खोता जा रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण एवं पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से इस दुर्ग के सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत किये जाने की मांग आपके माध्यम से मैं सरकार से करना चाहूंगी। एक हमारे वहां टाउनहॉल का भी निर्माण हो जाये और बस स्टेंड का सौंदर्यीकरण हो जाये तो वहां के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित आजादी से पूर्व गठित सोजत नगर पालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किये जाने हेतु सरकार से आग्रह करती हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित रायपुर ग्राम पंचायत पूर्व में नगरपालिका रही है। विगत कांग्रेस सरकार के द्वारा रायपुर ग्राम पंचायत से आबादी के हिसाब से छोटी ग्राम पंचायतों को नगरपालिका बना दिया गया, लेकिन राजनीतिक द्वेषता की भावना से रायपुर को वंचित रखा गया। मेरा सरकार से पुनः आग्रह है कि रायपुर ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाया जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

श्री सभापतिः श्री प्रशांत शर्मा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय,

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा, विराजिए आप। अंकित नहीं होगा, विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे निर्वाचन क्षेत्र आमेर का बहुत बड़ा भू-भाग जेडीए व जयपुर नगर निगम हेरिटेज की सीमा में आता है। इसमें चरागाह, सिवायचक व अन्य कई किस्मों की भूमि अब जेडीए में निहित है, किन्तु जेडीए व राजस्व विभाग के मध्य समन्वय के अभाव में ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार ग्रेजिंग लैंड सम्बन्धी अनेक समस्याएं आती हैं। इसका निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापतिः आप जाकर अध्यक्ष जी से बात कीजिए। अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप। माननीय सदस्य, विराजिए, आसन पैरों पर, विराजिए, विराजिए।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): ...(व्यवधान)...ग्राम क्षेत्र जो जेडीए परिक्षेत्र में आते हैं तथा पूर्व से वहां श्मशान या कब्रिस्तान के लिये कोई भू-भाग उपयोग में आ रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापतिः आसन आपको हाइजैक करने की इजाजत नहीं देता, विराजिए। प्लीज सहयोग करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कुछ अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): इन्द्राज कर लें ...(व्यवधान)... जिससे बाद में किसी प्रकार के अतिक्रमण आदि कॉम्प्लीकेशंस न हो तथा उन्हें विकसित किया जा सके।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापतिः गंभीर बात तो यह है कि आप आसन का आदेश नहीं मान रहे हैं। आसन आपसे अपेक्षा रखता है कि आप सहयोग करेंगे।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): ...(व्यवधान)... पूर्व में ही भूमि चिह्नित करवा ली जाये। इस हेतु कई ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जेडीए में विचाराधीन है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापतिः आपकी बीमारी का इलाज आसन के पास नहीं है, मुख्य मंत्री के पास है।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): ...(व्यवधान)... कि जहां पूर्व सामुदायिक भवन, पार्क आदि बने हुए हैं, उन्हें नियमन कर निशुल्क पट्टे आवंटित किये जाये।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपकी बीमारी का इलाज आसन के पास नहीं है, मुख्य मंत्री के पास है, उनसे जाकर शिकायत कीजिए आप। आपका इलाज मेरे पास नहीं है, मुख्य मंत्री के पास है, वह करेंगे आपका इलाज। विराजिए आप, अंकित नहीं होगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापतिः फिर मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप सचेतक को बुलाइए, मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जावता में भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से वर्षों पूर्व विधायक कोष व जन सहयोग से बने सामुदायिक भवन को अभी तक जेडीए का निशुल्क पट्टा नहीं मिला।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, इस तरह की कोई बात है तो माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोसेडिंग देखेंगे और उसको विलोपित कर देंगे। प्लीज विराजिए, सहयोग करें, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। अभी मुखबंद करके डिमांड पारित करनी हैं, रात के 11-12 बजेंगे। प्लीज आप सहयोग कीजिए, विराजिए आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापतिः माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोसेडिंग देख लेंगे, यदि कुछ असंसदीय है तो उसे विलोपित कर दिया जायेगा। प्लीज सहयोग करें। विराजिए, विराजिए आप।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): हमारे यहां विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से लगती हुई पंचायत अखेपुरा अपने सृजन के कई वर्षों बाद भी जेडीए पट्टे के अभाव में भवन रहित है। निशुल्क पट्टा आवंटन की फाइल कई बार जेडीए द्वारा लौटा दी गई है।

हमारी एक बड़ी समस्या जेडीए क्षेत्र में हरमाड़ा के पास ग्राम पंचायत सेवापुरा में स्थापित कचरा डिपो की भी है। यहां घनी आबादी बस चुकी है तथा संक्रमण व प्रदूषण असहनीय है। अतः इसे अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की योजना बनाई जानी चाहिये। चौमूं से आने वाली माननीय सदस्या ने भी अभी इसके सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की है।

मुझसे पूर्व एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अचरोल को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था, यह स्वागत योग्य है, किन्तु इस हेतु सुगम परिवहन अति महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से मेरा आपसे निवेदन है कि सिटी बस

सर्विस (जेसीटीसीएल) की बसों के रूटों में विस्तार कर दिल्ली रोड पर अचरोल, चंदवाजी तक, सीकर रोड पर रामपुरा तक तथा दौलतपुरा टोल रोड पर बिलौची जाटावाली तक इन बसों को बढ़ाया जाये।

**msk/rtm/26.07.2024/20.30/4k**

जेडीए परिक्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनी हुई सड़कें, जो काफी वर्ष पूर्व बनायी गयी थीं, उनके रख-रखाव का भी प्रयास होना चाहिए। आमेर नगर स्थित नवलखा स्टेडियम का सौंदर्यीकरण बहुत समय से लंबित है, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आमेर से सैटेलाइट हॉस्पिटल, गत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ किए कन्या महाविद्यालय, जो वर्तमान में वहां स्थित कन्या विद्यालय की दूसरी पारी में संचालित है, साथ ही, न्यायिक कोर्टों, एसडीएम, तहसीलदार, पंचायत समिति कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन किया जाना चाहिए। उपरोक्त भवन वर्तमान में पुरातत्व महत्व के भवनों में चल रहे हैं तथा इनमें से कुछ को पुरातत्व विभाग द्वारा खाली करने के नोटिस मिल चुके हैं। यहां स्वायत्त शासन विभाग की ठाठर योजना में भूमि उपलब्ध भी है। इनके लिए भूमि का आवंटन करवाने की मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कृपा चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त हमारे बहुत-सी जगह ग्राम पंचायतों में श्मशान की जो भूमि अलॉटेड है, उनमें जेडीए के द्वारा हम चाहते हैं कि उस पर चार दीवारी और शेड बनवाये जाएं। इसी प्रकार से अन्य जेडीए परिक्षेत्र में जिस प्रकार की भूमि जितनी जेडीए के अधीन चली गयी है, उसके अनुपात में हमारे यहां विकास कार्य किये जाएं। यह मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है। आपने मेरे को बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री उदयलाल भडाणा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 39, 40 स्वायत्त शासन विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। मेरी एक छोटी-सी मांग है, ग्राम पंचायत माण्डल है। मैं भीलवाड़ा जिले से आता हूं। भीलवाड़ा जिले में माण्डल विधान सभा है। माण्डल विधान सभा क्षेत्र में एक भी नगर पालिका नहीं है। मंत्री महोदय भी विराजमान हैं, आपसे भी मांग करता हूं, मैंने लिखकर भी दिया था। अगर माण्डल ग्राम पंचायत और संतोषपुरा सहित दोनों मिलाकर नगर पालिका बनाते हैं तो 20 से 25 हजार वोटर उसके रहेंगे। एक मेरी मांग है कि माण्डल ग्राम को नगर पालिका बनाकर माण्डल वासियों के लिए अच्छा सोचें। माण्डल विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका तो नहीं है, लेकिन नगर विकास न्यास के जो पेरिफेरी के गांव हैं, करीब 56 गांव पेरिफेरी के यूआईटी नगर विकास न्यास में आते हैं, उसका डवलपमेंट करने का, उसकी जमीन का अधिग्रहण करने का सारा अधिकार नगर विकास न्यास को है।

सभापति महोदय, मैं आपके माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि माण्डल विधान सभा के जो भी गांव हैं, उनमें विकास कार्य करवाने के लिए, माण्डल गांव में

पिछली सरकार में जो अंडरग्राउंड बिजली की लाइन फिटिंग की गयी थी, उन लोगों ने, पूर्ववर्ती सरकार ने कमीशन का जो भी खेल किया, आये दिन वहां करंट आने की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, नया टेण्डर करके अंडरग्राउंड बिजली की जो लाइनें हैं, उनको सही कराने का काम करें।

पूर्ववर्ती सरकार में माण्डल गांव के अन्दर एसडीएम ऑफिस से लेकर तालाब की पाल तक जो डिवाइडर बनाये गये थे, उन डिवाइडरों के ऊपर बिजली के खंभे लगे थे, लाइटें लगी थीं, लेकिन उन खंभों को, लाइटों को वापस ठेकेदार खोलकर ले गया। या तो उस टेण्डर के अन्दर वे लाइटें थीं या नहीं थीं? अगर थी तो उसको खोलकर क्यों ले गये? माण्डल में वापस पुन: उजाले के लिए उन्हीं डिवाइडरों के ऊपर लाइटें लगायी जायें और माण्डल वासियों के लिए उजाले और रोशनी की व्यवस्था की जाये। माण्डल में एक धर्म तलाई, दोमुही नाडी जहां पर ग्यारस के दिन मेला भरता है और करीब 50 हजार लोग रहते हैं। माण्डल गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है, करीब 300 फीट चौड़ी उसकी पाल है, वह बांध है, लेकिन उसको तालाब का दर्जा है। उन दोनों का सौंदय्ीरकरण किया जाये। भीलवाड़ा में जैसे मानसरोवर झील बनी हुई है, उसी तर्ज पर माण्डल गांव में दोयड़ी नाडी धर्म तलाई और माण्डल के तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाये। उसका जीर्णोद्धार करके सौंदर्यीकरण करें, जिससे आने वाले को सुविधा हो, माण्डल वासियों की आमदनी भी बढ़े।

मेरा गांव पालड़ी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के अन्दर जो पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त में जितने घोटाले हुए हैं, जमीनों के जितने घोटाले हुए हैं, शायद राजस्थान में कहीं भी नहीं हुए होंगे। भीलवाड़ा शहर के अन्दर आज एक भी कॉलोनी नहीं है, जहां पर नगर विकास के 100-200 प्लॉट बचे हैं। क्योंकि भूमाफिया चारों तरफ पेरिफेरी के गांवों में कॉलोनी काटते हैं। वहां पर जमीनों का सारा मुआवजा शहर के अन्दर लेते हैं। यह मैंने पिछली बार बोला था और मंत्री महोदय से मैंने निवेदन भी किया था, ये एक्शन में भी रहते हैं और ये कार्यवाही करेंगे। पर वे पेराफेरी के गांवों में कॉलोनियां काटते हैं, वहां पर रोड बनाते हैं, जहां पर एक भी बच्चा निवास नहीं करता है, वहां पर नगर विकास न्यास के अरबों-खरबों रुपये लगाकर रोड बना देते हैं, लाइटें लगा देते हैं, लेकिन जहां पर माण्डल विधान सभा क्षेत्र के जो गांव वासी हैं, उन गांवों के अन्दर न नालियां बनीं, न रोड बनी, न पानी का पाइप लगा, न लाइटें लगीं, कुछ भी नहीं हुआ।

मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं के द्वारा भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उन लोगों ने जो जंगलों में कॉलोनियां काटीं और कॉलोनियों में करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर दिये, राजकोषीय घाटा किया, उस घाटे की वापस पूर्ति करें और सरकार में जमा करायें। जो संविधान, नियम और कानून के दायरे में है, वह वापस जमा करें। जो 56 गांव हैं, उन ग्रामवासियों को, चूंकि उनकी

चरागाह भूमि को उन्होंने लिया, लेकिन वे गांव वासी विकास के लिए तरस रहे हैं, उन गांवों का विकास किया जाये।

भीलवाड़ा शहर एक ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ माण्डल विधान सभा है। 25-30 किलोमीटर माण्डल विधान सभा बसी हुई है। लेकिन माण्डल के नाम पर, नगर पालिका नहीं है, लेकिन नगर विकास न्यास वाले सारे पैसे को वहां खर्च करते हैं, केवल भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए। भू-माफियाओं पर कार्यवाही करें। वहां पर एक पालड़ी गांव है, छोटी पुलिया से होते हुए सीधे पालड़ी गांव तक यदि ब्रिज बनता है तो कम से कम 70 गांवों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। केवल भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जो आर.ओ.बी. का हाई लेवल ब्रिज बना दिया है, वहां 100-150 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। वहां पर एक मकान नहीं है, डिमार्केशन नहीं है। आगे नदी के उस किनारे पर अभी तक उन्होंने जमीनें एक्वायर भी नहीं की। केवल और केवल एक भू माफिया जिसकी 500 बीघा जमीन है, वहां कॉलोनी काटने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिये। जहां लोग निवास करते हैं, उन लोगों का आप डवलपमेंट करें, वहां भला करो तो ठीक बात है, लेकिन केवल और केवल भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो 500-600 जमीन को, वहां पर एक फीट भी जमीन एक्वायर नहीं की है। वहां 150 करोड़ का एक ब्रिज बनाकर छोड़ दिया गया। केशव हॉस्पिटल के पास में एक ब्रिज बनाया गया, पिछले तीन साल से बन रहे हैं। वहां की कॉलोनी में एक भी आदमी निवास नहीं करता है। वहां पर अरबों-खरबों रुपये खर्च कर दिये। रोड लाइटें लगा दीं। जंगल में कौन नाचा? अगर आपको खर्चा ही करना था तो गांवों में लगायें। शहर में लगायें, जहां विभाग करें। यह सरकार का पैसा है, उसका केवल और केवल भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया है।

मैंने पिछली बार बताया था कि हलेड़ के अन्दर, हलेड़ से लगाकर समेड़ा तक एक रोड निकाला था, अभी तक उसका डिमार्केशन नहीं हुआ है, वहां पर फसलें खड़ी हुई हैं। केवल और केवल पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं के द्वारा उनकी 68 बीघा जमीन का 100 परसेंट मुआवजा उठा लिया गया। जबकि नियम और कानून यह है कि उसका 25 परसेंट मुआवजा ही दिया जा सकता है और वह भी उसी गांव में दिया जा सकता है। शहर की जो पॉश कॉलोनियां हैं, उनके अन्दर 25 परसेंट के हिसाब से मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन वह तो 100 परसेंट, 68 बीघा का। आज की कंडीशन में वहां पर, मैं मंत्री महोदय को फोटो भी दिखाऊंगा, वहां फसल भी खड़ी है, लेकिन फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है।

श्री सभापति: श्री मांगेलाल मीणा। विराजिये।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं आपको तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। विगत कांग्रेस सरकार के राज के दौरान आमजन के हितार्थ अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये गये थे, जिनमें मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में दो नगर

पालिकाएं रैणी और लक्ष्मणगढ़ बनायी गयी थीं। शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी, जिसमें 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया था। यह देश में रोल मॉडल के रूप में बनी थी। माननीय प्रधान मंत्री के सलाहकार परिषद ने भी इसकी सराहना की थी। कोई भी आदमी भूखा नहीं सोये, इस प्रण को साकार करने के लिए इंदिरा गांधी रसोई योजना लागू की गयी थी, जिसमें 15 करोड़ लोगों को भोजन की थाली उपलब्ध करायी गयी थी। इस योजना का राजनीतिक उद्देश्यों के कारण वर्तमान सरकार ने अन्नपूर्णा नाम किया। माननीय सभापति महोदय, बड़ा खेद का विषय है कि इसमें फंड रोका जा रहा है और टोकनों की संख्या भी कम की जा रही है।

गत सरकार के प्रयासों से देश भर में स्मार्ट सिटी योजना को लागू करने में प्रथम स्थान ग्रहण करने में यह गहलोत सरकार की कार्यशैली को अपने आप में दर्शाता है।

**mdp/rtm/26.07.2024/20:40/4l**

आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए निकायों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया था, जिससे इन विभागों के कार्यों में गुणवत्ता का सुधार हुआ। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा बजट उपलब्ध नहीं कराने के कारण बहुत सारे काम बंद पड़े हैं।

प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नाम हस्तांतरण के प्रकरणों में मौका निरीक्षण की प्रक्रिया को समाप्त किया गया था गहलोत सरकार के द्वारा। जयपुर शहर में सिटी पार्क की सौगात गत सरकार की देन है। इसी तरह कोटा में ऑक्सीजन पार्क, रिवर फ्रंट प्रदेश की शान है। एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टॉवर आधुनिक सुविधाओं से युक्त निर्माण, यह भी गत सरकार की देन है। विश्व स्तरीय मापदंडों के अनुरूप इसका काम हो रहा है।

आप सब राम की बात करते हैं। मैं भी आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और वंचित क्षेत्र से हूं। राम की बात करन वालों से मेरा निवेदन है कि राम से ही शुरू करता हूं। राम तत्व जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। सत्य, प्रेम करुणा प्रभु राम तत्व होते हैं। भगवान राम वंचित लोगों के पास स्वयं चलकर गये थे। केवट, शबरी, अहिल्या इस प्रसंग के परिणाम है।

सियाराममय सब जग जानी।
करउं प्रणाम जोरि जुग पानी।।

इसी चौपाई के माध्यम से आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के वंचित लोगों की प्रमुख मांगों को लेकर आया हूं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बजट भाषण के उत्तर में सम्मिलित कर जनता को सौगात देने का कार्य करेंगे। अलवर जिले की नगर पालिका राजगढ़ क्रमोन्नत कर नगर परिषद बनाई जाए। बहुत पुरानी नगर पालिका

है। राजगढ़ नगरीय क्षेत्र में पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए ईसरदा बांध परियोजना से जोड़ा जावे। नगर पालिका राजगढ़ रैनी लक्ष्मणगढ़ के पास वित्तीय संसाधनों के कारण वहां सड़कों व नालों का निर्माण नहीं होने से जनता नारकीय जीवन जी रही है। इसमें 30-30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट देने का प्रावधान करने की कृपा करें।

सभापति जी, राजगढ़ नगरीय क्षेत्र के आसपास की जनता की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीएचसी राजगढ़ को क्रमोन्नत कर जिला अस्पताल बनाया जावे। यहां प्रति वर्ष का ओपीडी 3 लाख 90 हजार है, आईपीडी 25 हजार से ज्यादा है और हर साल सवा लाख से ज्यादा टेस्ट होते हैं। ये जिला अस्पताल के हर मापदंड को पूर्ण करता है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए। सीएचसी, पिनान, गढ़ी सवाईराम 30 बेड से 50 बेड किए जाए क्योंकि वहां एक्सप्रेस-वे और नेशनल हाइवे का इंटर सेक्शन होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। नगर पालिका रैनी लक्ष्मणगढ़ के अन्दर यातायात अवरूद्ध रहता है।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री बालमुकुन्दाचार्य।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): यहां बाइपास की अति आवश्यकता है। जाम से निजात दिलाने के लिए बाइपास का निर्माण कराया जाए। सुशासन की परिकल्पना को साकार करने के लिए।

श्री सभापतिः विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री बालमुकुन्दाचार्य।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): 000

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 नगरीय विकास आवासन तथा मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पर बोलने का अवसर दिया। अब मैं अपरा काशी जयपुर शहर तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र हवामहल क्षेत्र की जेडीए द्वारा नगर निगम संबधी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। विशेष धन्यवाद मुख्य मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदया, वित्त मंत्री का और हमारे यूडीएच मंत्री झाबर साहब का भी कि उन्होंने हमारे हवामहल विधान सभा की विशेष मांग से अधिक जो दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, गत कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे जयपुर शहर के दो टुकड़े किए थे, जिससे पूरे शहर में अव्यवस्था फैल गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुनः नगर निगम को एक किया जाए ताकि विकास हो पाए। कई जगह तो ऐसी स्थिति कर दी कि जिस प्रकार से वार्ड पंच हुआ करते हैं पंचायत में, उतने-उतने लोगों के भी पार्षद आप लोगों ने बना दिए। बजट कुछ था नहीं और खाली घोषणाएं कर दी गयीं, कुछ हुआ नहीं। परकोटा हेरिटेज लुक में परिवर्तन हो रहा है। जिस तरीके से परकोटा हमारा हेरिटेज में है, प्राचीन जो विरासत में, उस विरासत में अभी परिवर्तन किया जा रहा है। अपने अनुरूप नक्शे बनाकर उनको बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि इसमें अधिकारी भी दोषी हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप इस ओर ध्यान दें कि किस प्रकार से प्राचीन

बिल्डिंगों का तोड़कर, सुविधा अनुरूप नये रूप में काम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। ऐतिहासिक इमारतों का जो स्वरूप बदला जा रहा है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि जयपुर हेरिटेज, अपरा काशी, इस हेरिटेज को देखने पूरी दुनिया आती है। राजस्थान का नाम इस जयपुर नगर अपरा काशी से पूरी दुनिया में पहुंचता है।

महोदय, परकोटे से बहुसंख्यकों का पलायन हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली सरकार ने तुष्टिकरण किया, उससे विशेष समुदाय के लोगों का लाभ पहुंचाने के लिए बहुसंख्यक समाज को परकोटे से परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया इसलिए धीरे-धीरे वहां से पलायन हो गये। व्यापार भी अब उस हिसाब से नहीं रहा तो व्यापारी भी वहां से दुःखी है। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी परकोटा जयपुर की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जयपुर नगर में पानी की बड़ी समस्या है। बारिश होती है तो ड्रेनेज प्लान बिलकुल जीरो हो गया। राजा-महाराजाओं के समय का ड्रेनेज प्लान इतना बढ़िया था कि कहीं पानी नहीं रुकता था, लेकिन आज के समय की स्थिति ऐसी है कि जयपुर नगर में थोड़ी बारिश हो जाए तो नालियां, नाले और सीवर लाइन उफान पर होती है और हाहाकार मच जाता है। इसलिए जयपुर में ड्रेनेज प्लान को देखने की आवश्यकता है।

जैसा मुझसे पूर्व कई सदस्यों ने कहा कि टेक्निकल जानकारी पूरी करके ही काम चालू किया जाए। रोड बनाने के पश्चात फिर इंजीनियर जाता है पानी की, विद्युत की या अन्य कई लाइनों के लिए, तो क्या पहले से प्लान तय नहीं होत है कि हमें सीवर का, बिजली का, पानी की व्यवस्था, पहले दुरुस्तीकरण करके फिर किया जाए।

परकोटे में निवेदन करना चाहूंगा कि मांस की दुकानों का पांच साल में बहुत तेज गति से व्यापार बढ़ा है। चहुं ओर बिना लाइसेंस के खुले में मांस की दुकानें चल रही हैं। जिंदा जानवर वहां रखा जाता है। कोई नियम कायदा नहीं है। वहीं पर सामने जानवर काटा जाता है, वहीं पर बेचा जाता है, कोई नियम-कायदा नहीं है। वहीं पर लटकाया जाता है। दुर्गंध ही दुर्गंध की स्थितियां बन गयी हैं। उसकी वजह से उन दुकानों के आसपास बीस-तीस श्वान, कुत्ते वहां बैठे होते हैं, आने जाने वालों को काटते हैं, परेशान करते हैं और मंदिरों के आसपास भी ऐसी कई दुकानें खुल गयी हैं। कभी 150 मीटर हुआ करता था, आजकल 50 मीटर भी नहीं रहा। कुछ जगह तो नियम कायदा नहीं है, कॉलोनी के भीतर भी ये दुकानें खुल गयी हैं, जिनकी अनगिनत प्रतिदिन शिकायतें आती हैं।

महोदय, मेरा निवेदन है कि मांस खाने वाला खाए, बेचने वाला बेचे, उससे आपत्ति नहीं है। मांस के लिए जिस प्रकार से सब्जी मंडियां बना दी हैं, फूल मंडी बना दी है, तो मैं कहूंगा कि मांस की भी एक अलग मंडी बना दीजिए। जिसको भी खाने की इच्छा है, वहां जाकर खा लेगा, वहां से ले लेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को आपके द्वारा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर किये गये कार्यों में बड़े रूप में भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने अनगिनत पत्र, अब तक 6-8 महीने

हो गये हैं, अनगिनत पत्र सभी विभागों को बराबर दे रहा हूं कि स्मार्ट सिटी का भारी भरकम जो बजट था, करोड़ों रुपये का बजट था, उसके काम की जांच कराई जाए कि किस तरीके से वह काम हुआ है, उसको देखा जाए। इसके जांच की आवश्यकता है। बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है इसके अन्दर। भले ही वह हमारा चौगान स्टेडियम हो या गणगौरी अस्पताल का निर्माण हो।

श्री सभापतिः विराजिए, माननीय सदस्य। श्री पूसाराम।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): या अनगिनत कई विद्यालय बने हैं, उनकी स्थितियां ये है कि वह जर्जर हो चुके हैं। साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में, सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापतिः आप विराजिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में एक पटवारी लगा है। वह पिछले कांग्रेस राज से, उससे पूर्व से लगा है।

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): 000

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का मौका दिया।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): 000

श्री सभापतिः टेबल कर दीजिए आप, अगर कोई विशेष बात है

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): 000

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): हमारी तत्कालीन गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की। वर्तमान बजट में इसका आगे कोई जिक्र नहीं है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में स्पष्ट करें। इसके अलावा हमारी सरकार में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने शिविर लगाकार कृषि भूमि में, अन्य योजनाओं में छूट पर पट्टे जारी करने के आदेश दिए। 31 मार्च को वह तिथि खतम हो गयी। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से माननीय सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी अवधि बढ़ाई जावे और जो फाइलें जमा हैं, जिनके पैसे जमा हो चुके हैं, उनके पट्टे जारी करने की जो निर्धारित समय सीमा है, उसमें कराए जाए।

**(समयः बजे)**

**(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)**

मेरी रतनगढ़ विधान सभा में नगर पालिका रतनगढ़ में बहुत-से इस प्रकार के पट्टे बने हुए पड़े हैं। लेकिन वह सम्बन्धित पट्टाधारी को नहीं दिया जा रहा है।

**Ans/rtm 20.50 4m 26.07.2024**

इसके अलावा 300-400 फाइलें, माननीय मंत्री महोदय गायब हैं। इसलिए मैं इस प्रकरण में जांच चाहूंगा कि किस अधिकारी ने और किस कर्मचारी ने इन फाइलों को गायब किया।

धारक रसीदें लिए घूम रहे हैं इसके अलावा मेरी नगर पालिका में इस प्रकार का एक प्रकरण है जो शराब काम्प्लेक्स, जिसमें उसको सीज किया गया।

वापस उसी नगरपालिका द्वारा उसको खोल दिया गया। किसी प्रकार की कोई फाइल नहीं है, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी मांग है कि शराब मार्केट की जांच कराई जाए। मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस पर विशेष ध्यान दें।

इसके अलावा ड्रेनेज की स्कीम है, इसी सत्र 2024 में उसका समय समाप्त हो रहा है। अभी तक 50 परसेंट काम हुआ है, काम में गति लाई जाए। यही स्थिति सीवरेज की है। सीवरेज में भी गति लाई जाए, क्योंकि रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की इस नगरपालिका में बहुत पानी भरता है।

इसके अलावा आवारा पशुओं का बहुत बोलबाला है, बहुत संकट रहता है। नगरपालिका को पाबंद किया जाए कि उन पशुओं को गौशाला में डाले। राजलदेसर नगरपालिका है, उसमें भयंकर पानी भरता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि उसमें ड्रेनेज स्कीम लागू की जाए और जहां-जहां भी गंदगी फैली हुई है, विशेष ऑटो ट्रिपर की व्यवस्था की जाए।

यही स्थिति नगरपालिका छापर की है, ऑटो ट्रिपर एक अप्रेल के बाद नहीं है, इसलिए बजट दिया जाए ताकि दुबारा सफाई के लिए ऑटो ट्रिपर के टेंडर किए जाए। सभी नगरपालिकाओं में नाली, सड़क व रिपेयर का बजट होता है उसमें मनमानी से नगरपालिका स्तर पर क्षेत्र के लोगों को इसमें ठेका दिया जाता है। कितने काम हुए, कितने नहीं हुए, बहुत सी शिकायतें हमारे पास आती हैं। कहीं काम आधे से ज्यादा कम हुए और ऐसे लोगों को दे दिया जिनका काम करने का इंटरेस्ट नहीं है या गुणवत्ता पूर्ण नहीं करते है। ऐसी सड़कें व नालियां जिनका भुगतान हो गया, यह भी जांच के दायरे में आने वाला मामला है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंदिरा रसोई जिसका नाम अन्नपूर्णा किया गया है, इसको सुचारु रूप से वापिस चालू किया जाना चाहिए। अमृत योजना सेकण्ड जो पानी की है, उसमें लाइन रिप्लेसमेंट का, नई टंकियों का प्रावधान है, टयूबवैल का है, उसकी डीपीआर जारी हो गई है, बन गई है, उसकी स्वीकृति शीघ्र जारी कर इसका काम करवाया जाए।

इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है कि निगम में जो भी भूमि आवंटन होती है उसका एम्पावर्ड कमेटी में अनुमोदन होना चाहिए। आज लोगों की यह हालत है कि वाणिज्यिक एवं आवासीय स्वीकृतियों के लिए नगरपालिकाओं के चक्कर काटते हैं। इसलिए या तो सरल किया जाए या निर्देश दिया जाए कि समय सीमा में इनकी स्वीकृति जारी कर दी जानी चाहिए। नियमों के अनुसार करें, हम यह नहीं कहते कि बिना नियमों के करो। मेरी रतनगढ़ की नगरपालिका दो भागों में है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): गरीब व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

श्री सभापति: श्री अर्जुनलाल।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): छापर नगरपालिका में गंदगी का ढेर लगा हुआ है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन एवं मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरी विधान सभा तक ही सीमित रहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा एवं पीपाड़ नगरपालिका क्षेत्र है और करीब 63 परसेंट जनसंख्या नगरीय सीमा में रहती है। जो काश्तकार हैं, 35 वार्ड में से 20 वार्ड तो नगरीय सीमा में है तथा 15 वार्ड बाहर कुओं पर बसे हुए लोगों की है, छितराई हुई आबादी है। विकास होता है वह विकास सिर्फ 20 वार्ड तक ही सीमित रहता है। पीछे जो 15 वार्ड हैं वह वंचित रह जाते हैं। उन सब में किसान लोग रहते हैं खेती पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित है। उसका एक नमूना है कि हमारा पूरा क्षेत्र चाहे कॉआपरेटिव सेक्टर में हो, चाहे डेयरी के सेक्टर में हो, पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। इस क्षेत्र के किसानों के पास छोटी जोत है। जो किसान कुओं पर बसते हैं, उनके इर्दगिर्द सरकारी भूमि है, चाहे वह पथरीली है, गैर मुमकिन है, उस पथरीली भूमि को उन्होंने सुधार करके काश्त काबिल कर दिया है। उन्होंने उस पर खूब मेहनत की है, पैसा लगाया है।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनके इर्दगिर्द आधा बीघा, पाव बीघा, एक बीघा जमीन जो उनके खेतों से सटी हुई सीमा पर है, उन्होने कब्जा काश्त शुरू कर दिया। 1974, जब से नगरपालिका नहीं बनी थी उसके पहले से ही ग्राम पंचायत के समय से ही उनके कब्जे में है, तो उनके नियमन व आवंटन के लिए आप कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करवाए ताकि उनको सहूलियत मिल जाएगी। साथ ही नगरपालिका का रियायती दर पर देंगे तो नगरपालिका की आय भी बढ़ जाएगी।

इसके अलावा, मेरे बिलाड़ व पीपाड नगरपालिका में, बिलाड़ा में राजोलाव तालाब है और पीपाड़ में सापासर और राठलाइ नदी है, उनके सौंदर्यीकरण के लिए कोई ना कोई डीपीआर बनाकर, जैसे बिलाड़ा में राजोलाव तालाब के लिए पांच करोड़ की डीपीआर बनाई गई है, रूडसिको को दी गई है। उसमें एक करोड़ शायद आपके यहां से उनको मिला भी है। तो कार्य की डीपीआर की स्वीकृति कराकर, आप निश्चित रूप से पूर्ण करवाने की कार्यवाही करेंगे।

इसके अलावा हमारी समस्या आती है, नगरपालिका का पेरिफेरी एरिया है, जिसके अन्दर नगरीय सीमा से सटे हुए गांव हैं, करीब दस गांव है। उन गांव के जब वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है, तो उसमें उनके ऊपर इतना चार्ज लग जाता है कि एक बीघा का वाणिज्यि कंवर्जन होता है भूमि का, तो उसमें उनको 20-25 लाख रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। वह देने को भी तैयार है, लेकिन गांव वाले यह चाहते हैं कि हमसे 20-25 लाख रुपये इन्होंने लिए हैं, पेरिफेरी में ले लिया है, तो उसकी साफ सफाई के लिए, उसका परसेंटेज है, वह व्यय किया जाता है। गांव वालों को भी इसमे सहूलियत हो जाएगी।

अभी सारे सदन ने मंत्री महोदय से आग्रह किया है कि जो वाल्मीकि समाज है, मेहतर समाज है, हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो वह हमेशा यह बात कहते हैं कि आपने ऐसा रिजर्वेशन कर दिया कि जनरल के भी आते हैं, ओबीसी के भी आते हैं, सब आते हैं परन्तु काम कोई नहीं करता है। अपने हिसाब से दूसरे ऑफिसेज में डेपुटेशन करवा लेते हैं। सफाई उन्हीं लोगों को करनी पड़ती है जो पुरातन काल से कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनके लिए भी कोई विशेष स्कीम बनाकर, विशेष नियम बनाकर, सफाई कर्मचारियों को लिया जाए।

श्री सभापतिः विषय आ गया। श्री रतन देवासी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): यूडी टैक्स का मामला है, उसके कारण हमारे बिलाड़ा और पीपाड़ नगरपालिका तीसरी और चौथी किस्त रुकी हुई है, उनका भुगतान के लिए मंत्री महोदय कोई व्यवस्था करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री रतन देवासी। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 39 व 40 पर अपनी बात कह रहा हूं। माननीय सदस्यों ने लगभग सारी बातें कह दी, उनको दोहराना नहीं चाहता। हालांकि वह काफी बातें कहने व बोलने लायक है, जिससे हमारे सिस्टम में अच्छा सुधार आ जाए,पर मैं समझता हूं कि उन बातों को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। उसके अतिरिक्त जब बजट के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसमें भी काफी बातें मैंने बोल दी। मैं सिर्फ दस मिनट में सुझाव..

श्री सभापतिः आप पांच मिनट में बोलिए।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): +++

श्री सभापतिः आप तुरंत बोलें, समय हो जाएगा।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति जी, मैं 5-7 बातें ही कहना चाहता हूं। एक तो थोड़ा सा मामला डिसेंटरलाइज होना चाहिए। नगरपालिकाएं अब हर ज़िले में इतनी हो गई हैं जितनी कम से कम पंचायत समितियां हैं। पंचायत समितियों में हमने जिला परिषद बना दी। जिला परिषद का सीईओ भी बिठाते, तो हो सकता है नगरपालिकाएं जितनी भी हैं, हमारा डिविजन नये बन गए, डीडीआर, कहीं बहुत सारे जिले व नगरपालिका अन्दर आ जाती है तो हर जिले में कम से कम एक एडिशनल डीडीआर के नाम से या जिसके नाम से भी आप उचित समझें एक कार्यालय होना चाहिए, जहां छोटे-मोटे काम, फाइलें, सिस्टम, सारी समस्याओं का वहीं समाधान हो जाए।

दूसरा, नागरिकों से रसीदों पर अभी भी आप पैसे ले रहे हो। चार बार चक्कर लगाता है उसको कटाने के अन्दर। आधे पैसे का दूसरा कोई जुगाड़ कर लेता है, वह घूमता फिरता है। उन पेमेंट को भी ऑनलाइन कराइये। टेंडर के सिस्टम में  भी थोड़ा बहुत सुधार लाइये। इसके अलावा जो फाइलो का ट्रेकिंग और बार कोडिंग का सिस्टम है, वह बहुत ज्यादा जरूरी है। कई नगरपालिकाओं में नहीं है इसलिए यह तकलीफ़ें आ रही है, इसीलिए यह कंट्रोवर्सी होती है, मुकदमे होते हैं। आप प्राथमिकता से लेकर इनको आपकी तरफ से कराइये।

**VPS-RTM-26.07.2024-21.00-4n**

यह संविदाकर्मी वाले, ठीक है कि इनको रखना जरूरी है मगर उनका भी कम से कम बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करें, चैक करें कि कौन आदमी ले रहा है, क्या पेमेंट्स दे रहा है और कम से कम जितनी भी शाखाएं हैं नगरपालिका की जरूरी, रेवेन्यू की हो, टैक्स की हो, उसके अन्दर तो कम से कम जो संविदाकर्मी है, वह उसका इंचार्ज या मालिक बनकर नहीं बैठे, यह मेरा आपसे सुझाव है। जी.पी.एस. सिस्टम लागू हो जाये।

दूसरा, मेरे यहां पर जो नगरपालिका रानीवाड़ा में है, उसमें नई नगरपालिका अभी बनी है तो सीवरेज कार्य, कचरे का जो डम्पिंग यार्ड जहां पर भी बनाना है, कहीं गांव वालों को असुविधा नहीं हो, उसको माननीय मंत्री आप दिखाये और कार्यालय की भूमि कब से ही आरक्षित करके दे दी गयी है तो उसका नया कार्यालय भी बने।

इसके अलावा हमारे कई साथियों ने यहां पर कहा, हमारे साथ आने वाले जिलों के कई साथियों ने भी यह बात कही है तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो लैंड आपने जिस परपज के लिए अलॉटमेंट की है, उस परपज के लिए जहां पर अलॉटमेंट की है, वहां कुछ बन ही नहीं रहा है। जिसके लिए अलॉटमेंट किया वह बना नहीं और ऊपर से वह जमीन जो है, कोई बेच भी देता है, रजिस्ट्री हो जाती है, तीसरा आदमी भी खरीद लेता है तो मैं यह समझता हूं कि राजस्थान राज्य के लिए जहां पर आप संसाधन डवलप करके लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं नगरीय विकास में या कहीं पर भी, उसके लिए यह मामला ठीक नहीं है। आप एक तरफ से सारी चीजों को चैक करायें कि ऐसी कौनसी लैंड्स किस-किस परपज के लिए अलॉट की गयी है और उनमें वह बेच दी गयी है और वह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह मेरा आपसे निवेदन है। दो-तीन मिनट में एक अंतिम बहुत जरूरी निवेदन आपसे करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी यहां पर हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, आपका संरक्षण लेते हुए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि तीन-चार मेरे सुझाव हैं।(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही होता है, काम की बात आती है तो घंटी बजती है, फिर भी मैं तीन-चार मिनट में कर लूंगा इसीलिए मैं आज लास्ट में बोल रहा हूं कि मैं कम समय में बोलूं, मुझे समय पहले बहुत मिलता है, बोलने के लिए मिल चुका है।

श्री सभापतिः आप बोलो।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मैं आपसे चार मुद्दे निवेदन करना चाहता हूं, उसमें आपकी भी बहुत जरूरत पड़ रही है, माननीय सभापति महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका संरक्षण चाहिए। हमारे माननीय मंत्रीजी यहां पर हैं, कई मंत्रीजी वहां पढ़े भी हैं माउंट आबू में तो सर, चार चीजें माउंट आबू के बारे में है और जो स्थल इस राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत ही जरूरी है, जहां राजस्थान प्रदेश का मान-सम्मान भी रहता है विश्व के अन्दर और देश के अन्दर तो उसके बारे में सोचना और विचार करना जरूरी है। मैं चार बिंदु सिर्फ आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला तो जो इतनी इम्पोर्टेंट जगह है, उस नगरपालिका को आप

संविदाकर्मियों के हवाले मत छोड़ो। पहले ही हमारे वहां रामकिशोरजी और ये लोग बहुत कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर हर जगह, हर नगरपालिका में एक कोटेशन वाला सिस्टम खतम कर दो। एक लाख का कोटेशन है, वह कोई चैक नहीं होता है। चैक पर साइन नहीं होते हैं, एक लाख जिसकी मर्जी है, वह करे और उसके अन्दर वह इतना खर्चा करता है, इसमें करोड़ों रुपये का खर्चा हो सकता है, मैं उस पर डिस्कस, डिबेट करने के लिए तैयार हूं ऑन पेपर्स किसी भी प्रकार से कि एक लाख का कोटेशन मर्जी आती है, वह लेकर चला जाता है, किसी की भी रसीद फाड़ देता है कि यह काम हमने किया। एक-एक लाख रुपये के कोटेशन काटकर करोड़ों रुपये जो है, वह आपके बिना फालतू वेस्टेज हो गये, कइयों की जेब में चले गये, काम नहीं आया, 17 सी.सी.ए. का नोटिस मिलता है, बोर्ड प्रस्ताव लेता है तो कोई पुष्टि करता नहीं है और वह कर्मचारी खुद ही उसमें लिख लेता है कि मेरी पुष्टि हो गयी है, 17 सी.सी.ए. का नोटिस ड्रॉप कर दिया जाये, यह हालात है।

**(समय: 21.03 बजे)**

**(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यहां आसन पर विराजे हैं, राजस्थान का एक मात्र शहर ...(व्यवधान)... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट में। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): आपकी कृपा दो मिनट की हो जाये, सर।

श्री अध्यक्ष: घड़ी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विराजे हैं आसन पर, राजस्थान का एक मात्र शहर माउंट आबू ऐसा है कि जहां के विकास समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं प्रदेश के, हमारे प्रभारी मंत्रीजी भी बैठे हैं, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मुख्य मंत्री, राजस्थान के जो हैं, वे उस आबू विकास समिति के अध्यक्ष हैं। हमारे सामने में क्या गलतियां, कमियां रही होंगी, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता, बैठक नहीं हुई पर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी, आप उसकी बैठक बुलायें, ताकि उस स्थल का विकास हो सके। हमारी कमियां रही होंगी, वहां पर बोर्ड हमारा, कमियां रहीं मगर स्टाफ की वजह से यह कमियां रही हैं। स्टाफ की वजह से। छह-छह साल कोई रह जाये, माउंट आबू के मामले में आप स्टाफ को बारह महीने में ही रोटेट करते रहो तो वह स्थल बच जायेगा। चार चीजें जो वहां पिछली बार हमारे द्वारा हुई थीं, जिसका काम नहीं हुआ, जिसमें गलती वहां के स्टाफ की और लोगों की है। आर.यू.आई.डी.पी. ने जो एशियन वर्ल्ड बैंक जहां से पैसा लेकर जो विकास के काम करवाने थे, उनकी सैंक्शन बड़ी मुश्किल से यहां के लोगों ने किया। यहां ए.सी.एस. के पास आओ, प्रिंसिपल सैक्रेटरी के पास आओ, डाइरेक्टर डी.एल.बी. के पास आओ तो आकर मिलना बहुत आसान है मगर वहां पर आम आदमी को, वहां संविदाकर्मी को

भी मिलना होता है तो चार दिन तक उसको इंतजार करना पड़ता है। जहां कोई जयपुर आकर मिलकर चला जाता है लेकिन वहां संविदाकर्मी तक को नहीं मिल पाता इसीलिए जो भी पार्किंग का है, पोलो ग्राउंड का काम है, खेल मंत्रीजी यहां पर हैं, 18 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ है, 20-20 का मेच भी हो पायेगा, फुटबॉल का नेशनल मेच भी हो पायेगा, उसकी सेंक्शन हो चुकी है, काम शुरू नहीं हो पाया वहां की लापरवाही की वजह से तो आपसे निवेदन है कि आप उसको शुरू करवाओगे तो पूरे देश के अन्दर हमारे स्टेट का नाम हो जायेगा।

श्री अध्यक्षः श्री केसाराम चौधरी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मैं यही बात कहते हुए ही अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि जो आपके संज्ञान में मामले लाये हैं, कृपा करके आप इसको गंभीरता से लेते हुए पूरा करेंगे, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

**अनुरोध एवं मांग**

**माननीय सदस्य श्री शान्ती धारीवाल द्वारा सदन में आपत्तिजनक भाषा व अभिव्यक्ति पर कार्यवाही की मांग**

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि आज दिन को सदन में पूर्व यू.डी.एच. मंत्री माननीय धारीवालजी जब बोल रहे थे तो उन्होंने चेयर को +++ वर्ड कहा और +++ दी और +++ यह गाली दी और किसी ने आब्जेक्शन नहीं किया। मैं खड़ा हुआ था उस समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की यह असंसदीय भाषा राजस्थान विधान सभा की गरिमा पूरे देश में गिरा रही है। अभी सारे टी.वी. चैनल्स पर यह चल रहा है और यू-ट्यूब पर चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस सदन में इस तरह की गाली नहीं दे।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका वीडियो देखकर और ऐसा फैसला किया जाये कि आने वाले सदस्यों को उससे प्रेरणा मिल सके।

श्री अध्यक्षः यह विषय ध्यान में आ गया है। वास्तव में यह बहुत गम्भीर बात है, निंदनीय है, शर्मनाक है कि कोई भी जो मंत्री रहा, वरिष्ठ विधायक हो, उसके मुंह से +++ जैसा शब्द निकले। मैं समझता हूं कि यह सदन की परम्परा भी नहीं रही है और कोई इसको स्वीकार भी कर सकता।

मैं इस पर परसों खुद वीडियो सुनकर, सारी चर्चा करके, संसदीय कार्य मंत्री और बाकी सब लोगों से चर्चा करके इस पर निर्णय दूंगा।

## अनुदान की मांग
## मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन एवं
## मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर विचार

श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संख्या 39-नगरीय विकास एवं आवासन एवं मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर चर्चा में मुझे भी भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं हैं और एक नगरपालिका रानी है, उसमें एक शराब का गोदाम बिलकुल बाजार के बीचों-बीच है। उस शराब के गोदाम को हटाने के लिए नगरपालिका जमीन देने को तैयार है और वह रेलवे स्टेशन के भी नजदीक है। दारू का गोदाम रहता है तो कभी भी आग लग सकती है और विस्फोट हो सकता है तो बाजार और रेलवे को भारी नुकसान हो सकता है इसलिए उसको हटाने की मैं मांग करता हूं।

रानी के अन्दर भी एक टाउन हॉल की आवश्यकता है जो आज दिन तक बना नहीं है तो रानी के अन्दर एक टाउन हॉल बनाया जाये। इसके साथ ही वहां पर छोटी-छोटी नगरपालिकाएं जो भी हैं, उनमें सीवरेज लाइन नहीं होने के कारण से पानी का भराव होता है तो पहले सीसी सड़क बनाने से पूर्व उनमें सीवरेज लाइनें बनाई जाये। मेरे मारवाड़ जंक्शन में जो नगरपालिका है, वह दो पंचायतों, तीन पंचायतों एवं चार पंचायतों को जोड़कर, छोटे-मोटे गांव तोड़कर वह नगरपालिका बनायी गयी है पर नगरपालिका बनाने के बाद में भी वहां के सरपंचों को अध्यक्ष बना दिया और दूसरे दो सरपंच ऐसे ही घूम रहे हैं। पंचायत समिति के सदस्य को कोई काम ही नहीं है। नगरपालिका में जो वार्ड पंच थे, उनको पार्षद बना दिया गया मगर इसके साथ ही मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका में जो विकास के काम होने थे, उनमें सारी गड़बड़ियां की गयी हैं, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने भी ई.ओ. और कर्मचारियों के खिलाफ में 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही करने का कहा है। मैं उनके खिलाफ में 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही करके सख्त सज़ा देने की मांग करता हूं तथा साथ ही जो अध्यक्ष है उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की है, उसको शीघ्र ही विद्ड्रा करवाने की भी मांग करता हूं ताकि वहां पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका पर्दाफाश हो सके और आनन-फानन में बनी नगरपालिका में जल्दी से चुनाव कराये जाये ताकि जनता के काम हो सके। यही निवेदन करते हुए, आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी, श्री झाबर सिंह खर्रा। ...(व्यवधान)... अच्छा, सॉरी, एक सैकण्ड। माननीय मंत्रीजी, एक नाम रह गया था। आप सीट पर नहीं दिखे। माननीय रफीक खान। लास्ट वक्ता है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां नगरपालिका ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हटा दिया है और एक ऐसे आदमी को चार्ज दे दिया जिसने अतिक्रमण करने वाले का फेवर किया और उसके साथ मारपीट करने का भी एक मुकदमा दर्ज है तो आप उसको संज्ञान में लें और जो भी जरूरी हो, इस पर एक्शन करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाहर नगर कच्ची बस्ती मेरे आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में, मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर वर्षों से कच्ची बस्ती के रूप में है और वर्षों से वहां पर लोग-बाग एक ऐसा जीवन जीने को मजबूर है कि न तो वह फोरेस्ट की लैंड है, न तो हम उसको रेगुलाइज कर सकते हैं और न उनको पट्टा दे सकते हैं।

**SSY/RTM/26.07.2024/21:10/4o**

ना उनको रिहायशी किसी तरह से हम वहां पर आवास दे सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है, मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी। पिछले कार्यकाल में भी कि इस लैंड को हम डी-नोटिफाई कर दें और एनजीटी से बात करके यह लैंड तो हम जेडीए को दे दें और इसके एवज में दूसरी लैंड उनको दे दें। तो यह एक मुद्दा, बहुत वर्षों पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। यहां करीब-करीब 50 से 60 हजार लोग-बाग़ यहां रहते हैं।

जयपुर शहर में कच्ची बस्ती का मसला बहुत बड़ा है। आपके पास बहुत सी जगह आवास बने पड़े हैं। आवास खाली हैं और लोग-बाग़ कच्ची बस्ती में रहने को मजबूर हैं। तो आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इनको किसी तरीके से रेगुलाइज करो। डबल इंजन की सरकार आप बोलते हो, केन्द्र से बात करो। बात करके इसको डी-नोटिफाई कराओ। डी-नोटिफाई कराकर इनको यहां रेगुलराइज करायें।

आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आगरा रोड पर बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड है। काफी सारा बड़ा एरिया इकोलॉजिकल में है। इकोलॉजिकल में होने की वजह से चाहे वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो, चाहे हवामहल से आने वाले विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में हो, चाहे बगरु विधान सभा हो, बहुत सारी जमीन पर कब्जा हो जाता है तो गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई करायें और गवर्नमेंट लैंड को कब्जे से मुक्त करायें। कोई फॉर्मूला ऐसा निकालें। बहुत सारी आबादी बस चुकी। बहुत सारे लोगों ने कॉलोनियां काट दी। इकॉलोजिकल की वजह से हम उनको रेगुलराइज नहीं कर पा रहे हैं। हो क्या रहा है? हम 2021 तक जिसका कब्जा था, उसको तो पट्टा दे रहे हैं। जिसने जमीन खरीदी नहीं। जिस आदमी ने पैसे देकर जमीन खरीदी उसको जेडीए तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, बनाने के लिए। यह एक जटिल समस्या है। इसका समाधान मैं समझता हूं कि आपके संज्ञान में आ गया है और जिस तरह से आपकी स्पीड है काम करने की, मुझे लगता है कि इसका समाधान बहुत जल्दी हो जायेगा।

एक मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि बजट के अन्दर, आप जैसे आदमी को तो स्थान मिलना ही मिलना चाहिए था। 197 पैरों में से खाली एक पैरा स्वायत्त शासन को दिया, 158 नंबर और उसमें भी कुछ नहीं दिया। मैं यह कह सकता हूं कि पिछला जब

आपने 8 फरवरी को बजट दिया, तब आपने कहा कि हम 500 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आयेंगे। यह वाला बजट दिया तब आपने कहा 500 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आयेंगे और उसी पैरा में आपने कहा कि हम विद्याधर नगर से ऐसे मेट्रो लेकर आयेंगे। 500 इलेक्ट्रिकल बसों में से आपने एक बस नहीं खरीदी। अभी भी आप यह कह रहे हो कि हम 200 करोड़ का प्रोविजन करेंगे बसें खरीदने के लिए। खरीदेंगे नहीं, प्रोविजन करेंगे तो आपकी घोषणा है। आपने आते ही सबसे पहले यह घोषणा की और धरातल पर जीरो है। जयपुर उसमें प्रमुख जगह है। हमने कहा कि हम ट्रेफिक को सुधारेंगे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी तरीके से इसको आप स्पीडअप करें, जैसे भी आप करना चाहें और साथ ही आपकी मेट्रो है।

एक शेर और कहना चाहता हूं। आगरा रोड पर अभी क्लोवर लीफ बन रहा है। एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। बोम्बे से लेकर यहां एक्सप्रेस हाईवे आयेगा और यहां से हम दिल्ली रोड और बोम्बे रोड पर चढ़ जायेंगे। वहां आपके डिपार्टमेंट ने लोगों को बेघर कर दिया। बेघर करने में एतराज नहीं है, लेकिन इस बात पर सख्त एतराज है कि उनको बिना मुआवजा दिये कर दिया। आपने लोगों के घर तो उजाड़ दिये और मुआवजा उनके घर में पहुंचा नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अधिकारियों को निर्देश दें कि जिन-जिन आदमियों को मुआवजा नहीं मिला, उनको किसी को बेघर नहीं करेंगे। पहले मुआवजा दो और फिर बेघर करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका डवलपमेंट का काम है, मैं एक शेर और इसमें कह देना चाहता हूं,

अभी क्या बिछायें, जमीं को या आसमान को छोड़ें,<br>
मंत्री जी, यह कैसी सरकार है,<br>
मंत्री जी, आपके राज में हमारे आसियाने तोड़े।<br>
क्या बिछायें और क्या ओढ़ें,<br>
आपके राज में हमारे आसियाने तोड़े।

बस, 2 मिनट में खत्म करता हूं। 2 मिनट में खत्म करता हूं। एक और इश्यू है, एक और ज्वलंत इश्यू है। पत्रकार कॉलोनी में, मानसरोवर में एक कम्युनिटी सेंटर अलॉट हुआ। उसका उद्घाटन हो गया और बाद में जेडीए ने उस पर कब्जा कर लिया तो आपसे गुजारिश है कि ऐसी जगह जहां आपने कम्युनिटी सेंटर ऑलरेडी अलॉट कर दिया, चालू हो गया, उसका उद्घाटन हो गया और फिर जेडीए ने उस पर कब्जा कर लिया। जेडीए का ऑफिस कहीं और खुले और वह जो वहां की लोकल कम्युनिटी है, उनको मिले और उन लोगों का समाधान किया जाये।

जयपुर शहर में जो कचरे की व्यवस्था है, उसका एक बार पुनः एग्जामिनेशन हो। एक बात सबने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की बोली, हम सब इस राय को रखते हैं कि वाल्मीकि समाज को भर्ती करें। यह अधिकारी आपको भर्ती नहीं करने देंगे। सर्टेन गाइड लाइन बतायेंगे और रिजर्वेशन बतायेंगे। जरूरत पड़े तो आप विधान सभा में बिल लेकर आओ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी कर्मचारी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति

लेता है और अपने बच्चे को लगाना चाहता है तो यह सीधा-सीधा रास्ता है, आप उसके बच्चे को लगा दो तो वाल्मीकि समाज की जगह वाल्मीकि समाज का बच्चा आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने बजट की अनुदान मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन की मांगों पर चर्चा में भाग लिया और अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये।

सभी माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों का जवाब विधान सभा सचिवालय को प्रेषित कर दिये गये हैं। जो शीघ्र ही आप तक प्रेषित कर दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों के जवाब हमने विधान सभा सचिवालय को प्रेषित कर दिये हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमारे पास आने भी शुरू हो गये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): यह तो बहुत बढ़िया बात है ना।

अध्यक्ष महोदय, यह पवित्र सदन लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जो प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए विधि-विधान बनाती है। जनता के सपनों को साकार करने और योजनाओं के पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन का दायित्व भी सभी जन प्रतिनिधियों का होता है। अब हम उसका कितना निर्वहन कर पाते हैं, यह हमें अपनी-अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज की बहस के शुरूआत में एक माननीय वरिष्ठ सदस्य ने सदन को बताया कि मैंने जमीन के मुआवजे के लिए जो आदेश जारी किये हैं, वह उनके द्वारा पूर्व में जारी किये गये 3 आदेशों का मिलान करके जारी कर दिये हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने जो आदेश जारी किया है उसमें और उनके आदेश में जो अंतर था, उसमें जो गलियां थी, हमने उन गलियों को बंद किया है। 12 जुलाई, 2024 को जो आदेश जारी किया गया, उसमें सबसे मुख्य बात समतुल्यता का आधार है। डीएलसी दर रखा गया है। डीएलसी दर एक जोन में अनेक हो सकती हैं। जैसे 30 फीट रोड पर अलग डीएलसी है, 60 फीट रोड पर अलग डीएलसी है, 80 फीट रोड पर अलग डीएलसी है, 100 फीट रोड पर अलग है, 200 फीट रोड पर अलग है और आरक्षित दर एक जोन की एक होती है। अब तक जमीन के बदले जमीन में जो सबसे बड़ा सुराख था, वह यही था, इस सुराख को अब हमने बंद कर दिया है। अब कोई भी जमीन के बदले जमीन में नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। उसकी जितने मूल्य डीएलसी की जमीन गई है, उतने मूल्य की जमीन ही वह प्राप्त कर पाने का अधिकारी बनेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक निवेदन था कि पट्टों के और दूसरे मामलों में बड़ा असमंजस चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत शासन काल का आधा समय प्रशासन शहरों के संग चला गया। मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं सभी माननीय सदस्यों से

एक निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी अंतरात्मा को जागृत कर जब भी अपने किसी नगरीय क्षेत्र की नगरपालिका क्षेत्र में जायें, कम से कम 20-30 जिन लोगों ने पट्टे लिये हैं, उनसे यह पूछ लें कि 501 रुपये में मिला या 5 हजार या 50 हजार में मिला।

**Spp/Rtm/26.07.2024/21:20/4p**

और जब यह जानकारी करके आप मुझे बतायेंगे और उसके बाद आप सुझाव देंगे कि किस प्रकार पारदर्शी तरीके से आम व्यक्ति को भी लाभ हो। नगरपालिका और नगर परिषद के उसको चक्कर भी नहीं लगाने पड़े और नगरपालिका और नगर परिषदों का नुकसान भी नहीं हो, उसके बारे में मेरे दिमाग में जो योजना है, उस योजना में मैं आपको सुझावों को शामिल करते हुये एक ऐसी पारदर्शी योजना जारी करने की पहल करूंगा कि जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 30 दिन में या तो उसे घर बैठे पट्टा मिलेगा या उसका निरस्त होगा, उसका सकारण विवरण उसको प्राप्त होगा। आपके ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई कमी-खामी होगी तो उस नगरीय निकाय की यह जिम्मेदारी होगी कि वह एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर आपके आवेदन की जांच करके उसमें जितनी कमी-खामी है, एक बार आपको सूचित करेगा कि इस कमी-खामी को पूरा कर दे। दूसरी बार उनको मौका नहीं मिलेगा कि आपके आवेदन में यह कमी-खामी रह गयी। अगर किसी ने गलत तरीके से निरस्त कर दिया तो उसके लिये नगर निकाय से इतर प्रशासनिक अधिकारियों की एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें व्यक्ति को अपील करने का अधिकार होगा और अगर अपील में यह पाया गया कि उसका आवेदन गलत तरीके से निरस्त किया गया है तो जो भी सम्बन्धित कर्मचारी या अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही भी होगी, दंडात्मक कार्यवाही भी करेंगे।

तीसरा, लगभग-लगभग सभी सदस्यों का मत था कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिये और जो लोग काम करते हैं उसमें उनको वरीयता मिलनी चाहिये। हम खुद इसी विचारधारा के हैं और जो पहला सफाईकर्मी भर्ती नियम बना था, उसमें नगर निकाय के दो साल के कार्यानुभव का प्रावधान था। अब किस-किस सरकार ने किया, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लगा ही दो आप।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): दो साल से अनुभव को एक साल किया गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): लगा दो आरोप। लगा दो।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): नहीं, और एक साल करने के बाद उसमें निजी संस्थाओं द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र को भी शामिल करने का संशोधन किया गया और उसके बाद यह सारी प्रक्रिया दूषित हो गयी। अब मैं आप लोगों से यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आपके दिमाग में जो भी सुझाव हैं, बेहिचक आप सुझाव दीजिये। आपके सुझावों पर गंभीरता से विचार करके हम एक ऐसी पारदर्शी सफाईकर्मी भर्ती

नियम बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें किसी प्रकार का किन्तु-परन्तु करने का आधार नहीं मिले।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विपक्ष वालों के पास खुरापात वाले सुझाव बहुत हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैं सिर्फ सकारात्मक सुझाव स्वीकार करूंगा। यह अगर खुरापाती हैं तो मैं डबल खुरापाती हूं। मेरा एक विडियो चल रहा है यू-ट्यूब पर। देख लेना कभी भी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिसके दिमाग में जैसी बात है, वह वैसी ही सोचेगा। ..(व्यवधान)..

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): एक माननीय सदस्य की शिकायत थी कि नगरपालिकाओं की मीटिंग के नोटिस जन-प्रतिनिधियों को जारी नहीं किये जाते हैं। सात जगह की जगह तीन दिन में मीटिंग का नोटिस जारी करके मीटिंग बुला ली जाती है। कुछ माननीय सदस्यों की यह भी शिकायत थी कि बहुत सी नगरपालिका, नगर परिषदों की मीटिंग साल-साल भर में एक बार भी नहीं हुई। मैं इस बारे में, मेरे दिमाग में जो है वह तो मैं सोच ही रहा हूं, लेकिन आपसे भी मैं यह अपेक्षा करूंगा कि मेरे विभाग से सम्बन्धित जितने भी नियम-कानून हैं, उनमें आपको कोई कमी-खामी लगती है तो उन कमी-खामियों को दूर करने के सुझाव दें ताकि हम उन नियम-कानूनों को संशोधित करके उनको इस प्रकार बना सकें कि किसी भी जन-प्रतिनिधि को यह शिकायत करने का मौका नहीं मिले और किसी भी अधिकारी को उन नियम-कानूनों की अवहेलना करने का अवसर नहीं मिले।

साथ ही, कुछ माननीय सदस्यों ने नगरीय विकास विभाग में टाउनशिप पॉलिसी और दूसरे मामलों में बात की है। हम बहुत सी पॉलिसियां बदल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): टोंक रोड का बताओ।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): सब बता रहा हूं, मालिक सुनो तो सही मेरी बात को। उसमें भी नगर निकाय की जितनी पॉलिसियां हम बदलने जा रहे हैं, हमने जनता के सुझाव आमंत्रित कर रखे हैं और आज इस सदन में खड़ा होकर मैं आप सभी से भी यह अपेक्षा करूंगा कि हमारी जितनी भी पॉलिसियां हैं, उनमें आपको जो भी कोई कमी-खामी लगती है, कोई सुधार की गुंजाइश लगती है, आप अपने सकारात्मक सुझाव दें ताकि उन पॉलिसियों को अंतिम रूप देने से पहले मैं जन-प्रतिनिधियों और माननीय सदन के सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझावों को शामिल करके और एक ऐसी पॉलिसी का निर्माण कर सकें जिसमें किसी को भी आपत्ति करने का अवसर प्राप्त नहीं हों।

कार्मिकों की कमी है। एक भर्ती 2023 में हुई थी। पेपर चोरी, सामूहिक नकल के मामले में ए सी बी में मामला पेंडिंग है। अब हमने तो उनसे अनुरोध किया है कि या तो आप इसको यह कहो कि गडबड़ हुई है तो इस भर्ती को निरस्त करके हम नये सिरे से भर्ती का प्रयास करें या इसमें कमी-खामी नहीं है तो क्लिन चिट दें ताकि हम उनको नियुक्ति दे सकें।

दूसरा, एक माननीय सदस्य का मानना था कि जब जमीन अधिग्रहित होती है और अधिग्रहण के बीच में अगर जमीन की रजिस्ट्री होकर ट्रांसफर हो जाती है तो मूल खातेदार को मुआवजा मिलता है, पंजीकृत व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिलता। मैं अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण है तो नियमों में भी हम इसको देखेंगे कि अंतिम रूप से जमीन जिसके नाम थी, उस व्यक्ति को मुआवजा मिले, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।

बहुत-से माननीय सदस्यों ने विकास कार्यों की बात की है। नगरपालिका क्रमोन्नयन की बात कही है। नई नगरपालिका के निर्माण की बात की है। ये सारी ऐसी बातें हैं जिनके लिये कुछ नियम और रेगुलेशन बने हुये हैं जो भी नियमों में आयेगा, हम यथोचित रूप से उनका क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे और आपकी मांग की पूर्ति करेंगे।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यू.डी. टैक्स के बारे में एक बात की थी, अभी वह उपस्थित नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वह हमेशा ही ऐसा करते हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैं सदन के प्रतिपक्ष के नेता महोदय से अनुरोध करूंगा कि यू.डी. टैक्स के सरलीकरण के बारे में राजाखेड़ा से आने वाले विधायक महोदय के साथ-साथ आपके दिमाग में भी कोई योजना हो कि यू.डी. टैक्स का सरलीकरण इस प्रकार किया जा सकता है जिससे नगर निकायों की आय बढ़ सकती है तो वह भी आप अपने सुझाव दें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इनके दिमाग में होती तो ये अपने राज में कर देते।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): कोशिश करें। हम भी कोशिश करेंगे जितना कुछ करके सरलीकरण करके इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें।

अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यू आई टी और स्कीम 13 के बारे में और एन सी आर से हटाने के बारे में बात कही थी। एन सी आर का तो जब केन्द्र और राज्यों के बीच कोई बात होगी तो प्रयास करेंगे। स्कीम 13 के सम्बन्ध में मैंने आपके यू आई टी के अधिकारी को पहले ही निर्देशित कर दिया था। मांग आपने आज की है कि इसमें मुआवजे का पेच अटका हुआ था। मैंने अब यह 12 तारीख का जो आदेश आया है इसी परिप्रेक्ष्य में निकाला गया कि इसके मुताबिक आप मुआवजे का निस्तारण करके उस योजना को क्रियान्वित करें। अभी जयपुर के आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कच्ची बस्ती के बारे में अपना सुझाव दिया है।

**MLS/RTM/26.07.2024/21:30/4q**

हम कोशिश करेंगे कि वन विभाग के डायवर्जन के लिए वन विभाग को भूमि के बदले भूमि और उसके विकास के लिए कुछ धनराशि, वे जो भी मांगें, प्रयास करेंगे कि इसे भी हम जल्दी से जल्दी सुलझाएं। बाड़मेर से आने वाली माननीय सदस्या ने एसटीपी और कचरा

निस्तारण के बारे में चर्चा की थी। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने चारदीवारी क्षेत्र में सफाई और सीवरेज में भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चारदीवारी के सौंदर्यकरण और दूसरे मामलों पर बात की। जितने सुझाव आपने दिये हैं, उसके अलावा मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि आप अपने लिखित सुझाव भी भेजेंगे और शिकायत भी भेजेंगे। ...(व्यवधान)... बता रहा हूं, बता रहा हूं, टेंशन मत लो। मस्त रहो। सब दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने टोंक रोड के बारे में अख़बार की खबर पर चर्चा की थी। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि फिलहाल इस प्रकार की कोई योजना नहीं है और जब तक यह विभाग मेरे पास है, इस प्रकार की किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं होगा। अब चूंकि मैंने आपसे निवेदन कर दिया, पट्टों के मामलों में मैं मेरे हिसाब से कोई आरोप नहीं लगाऊं तो ज्यादा ठीक है, मैंने आपकी अन्तरात्मा पर सारा छोड़ दिया है, पर मैं यह उम्मीद जरूर करूंगा कि विधान सभा सत्र के बाद जब आप अपने विधान सभा क्षेत्रों में जाएंगे, नगरीय निकाय के क्षेत्र में कम से कम 50 पट्टाधारियों से मिलकर यह जरूर पूछेंगे कि आपको पट्टा 501 रुपये में मिला है या 5 हजार या 50 हजार में मिला है। फिर उसके बारे में मुझे जरूर अवगत कराएंगे। ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा। ...(व्यवधान)... विरोध चलते हैं +++ अपन कोई आपस में करने थोड़ी आते हैं।

देखिये, मुझे यह कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, जब मैं इस सदन का यह कई बार का दृश्य देखता हूं। मैं गांव का आदमी हूं, गांव में पला-बढ़ा हूं। खेती-बाड़ी और पशु पालन के बीच बड़ा हुआ हूं और पंचायती राज से मैंने राजनीति शुरू की है, लेकिन मुझे यह कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि इस सदन से ज्यादा अनुशासन हमारी पंचायत, जिसका मैं अध्यक्ष रहा हूं, प्रधान रहा हूं, एक बार नहीं दो-दो बार, ज्यादा नहीं, आपसे हजार गुना अनुशासन हमारी पंचायत समिति की साधारण सभा में रहता है। अब मैं आपसे निवेदन कर दूं, अब ज्यादा नहीं कहूंगा, जब आपकी अन्तरात्मा पर मैंने सारा छोड़ दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैंने अपने वर्जन में यह कहा था, आपसे निवेदन किया था, आन्ध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। एक बार आप तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों को भेजें और उसमें यदि आपको यह लगे कि वह टैक्स उस तरह से है जैसे मधुमक्खी पुष्प का मकरन्द ले सकती है, लेकिन पुष्प को नुकसान नहीं पहुंचाती, यदि ऐसी योजना वहां है, तो अध्ययन करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। इससे निश्चित रूप से अपने नगरीय निकायों की आर्थिक हालत में सुधार होगा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आपके सुझाव पर मैं मेरे विभाग के अधिकारियों की एक-एक टीम उन राज्यों के यूडी टैक्स के सिस्टम का अध्ययन करने के लिए उन राज्यों में भेज दूंगा और जो भी रिपोर्ट आयेगी, उसके अनुसार हम आगे की कार्यवाही को सम्पादित करेंगे।

अब बातें तो बहुत सी हैं। आरोप-प्रत्यारोप लगाने में मुझे कोई सहारा नहीं लगता है, इसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सम्पुट लगाना नहीं आता और सम्पुट लगाना नहीं आता, इसलिए मैं सीधी-सीधी बात करता हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री महोदय, आज सबसे ज्यादा खुश आपके प्रतिपक्ष के साथी हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'' के मंत्र को लेकर राजस्थान को विकास की नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कठिन परिश्रम से हम यह मुकाम आप सभी जन प्रतिनिधियों के सहयोग से हासिल करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। ...(व्यवधान)... वह मैंने आपसे निवेदन कर दिया न, आपके सुझाव आएंगे, मैं कानूनों में भी संशोधन करूंगा और नियमों में भी संशोधन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आवश्यक हो तो जुबेर खां जी का भी कंसीडर करना भेजने में।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): साथ ही, मैं एक बात और आप लोगों से निवेदन कर दूं, कर्मचारियों के बारे में बहुत शिकायतें आयी हैं। मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को यहीं से निर्देशित कर रहा हूं, कोई भी कर्मचारी एक शाखा में 3 साल से ज्यादा समय से जमा हुआ है, उसे दूसरी शाखा में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। पांच साल से ज्यादा समय से कोई कर्मचारी/अधिकारी अगर प्रतिनियुक्ति पर है तो उसे उसके मूल विभाग के लिए रवाना कर दिया जाये और नये व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर ले लिया जाये।

मान्यवर, हमारी सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में त्वरित गति से काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में वित्त विभाग की प्रभारी उप-मुख्य मंत्री माननीय दिया कुमारी जी सहित हमारी टीम सच्ची लगन, निष्ठा और लगातार कठोर परिश्रम से तमाम चुनौतियों के बाद भी विकास के इन पड़ावों पर पहुंचने का भरसक प्रयास कर रही है। विकास यात्रा की चुनौतियों के सम्बन्ध में मैं इन पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा-

**''ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं,**
**हासिल कहां नसीब से होती हैं,**
**मगर वहां तूफां भी हार जाते हैं,**
**कश्तियां जहां जिद पर होती हैं।।''**

अब मैं सदन से निवेदन करूंगा कि चूंकि वित्त विभाग की प्रभारी माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने बजट का पठन यहां किया था और आप सब तक बजट भाषण की छपी हुई प्रति भी पहुंची है, इसलिए मैं बजट पर समय बर्बाद नहीं करते हुए पिछले सात महीनों में हमने क्या किया और हम आगे क्या नवाचार करने जा रहे हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं सदन की जानकारी के लिए यहां बताना चाहूंगा कि पिछले सात माह

के महत्त्वपूर्ण कार्यों एवं निर्णयों के बारे में हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने पूछा था। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सात माह में हमारी सरकार ने निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये हैं:-

30408 प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत किये हैं। पुरानी स्वीकृति के प्रधान मंत्री आवास, जिनका निर्माण शुरू नहीं हो पाया था, उन्हें मिलाकर हमने 43,141 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया। 18,673 आवास पूर्ण कर दिये हैं। साथ ही, 434 करोड़ रुपये की केन्द्रीय अनुदान राशि भारत सरकार से प्राप्त कर 378 करोड़ रुपये लाभार्थियों को वितरित भी कर दिये। अभी बात चल रही थी, राजस्थान के मुख्य शहरों में 500 ई-बसें संचालित किये जाने का जो निर्णय लिया गया है, आपको 2024 में ये बसें जयपुर और दूसरे शहरों की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी।

अमृत योजना, वन योजना के अन्तर्गत 3 शहरों में 206 करोड़ रुपये के तीन सीवरेज कार्य पूरे किये तथा लगभग 888 करोड़ के 10 कार्य किये जा रहे हैं और 205 करोड़ रुपये के 4 जलापूर्ति के कार्य प्रगतिरत् हैं।

**mkd/rtm/26.07.2024/21:40/5a**

अमृत-2 योजना के अन्तर्गत 29 शहरों में कुल 715 किलोमीटर सीवर लाइन डाली है, 12 हजार सीवर कनेक्शन दिये हैं तथा 31 एसटीपी के कार्य किये जा रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी-2 योजना के अन्तर्गत 134 नगरीय निकायों में 458 करोड़ रुपये के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी-2 योजना के अन्तर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले 58 शहरों में एसटीपी के निर्माण की डीपीआर कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी-2 योजना के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 23 नगरीय निकायों में भूमि का आवंटन, 15 नगरीय निकायों में भूमि का चिन्ह्किरण पूर्ण एवं 14 नगरीय निकायों में भूमि का चिन्ह्किरण प्रक्रियाधीन है।

17 शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों के मरम्मत एवं उन्नयन हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, साथ ही जयपुर में सेक्टर रोड के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

एक चीज में बीच में भूल गया, किसी माननीय सदस्य ने कुछ सेक्टर रोड की बात उठाई थी। उसको भी मैं संज्ञान में लेकर यथाशीघ्र उसका भी निस्तारण करने में सफलता प्राप्त करूंगा।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): माननीय मंत्री महोदय, मेरी समस्या को सुना नहीं आपने।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैंने सब सुनी हैं। आप सुनो तो सही। अब आपने इस सदन के माध्यम से जितने सुझाव दिये, कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे

लिखित में सुझाव दिये हैं, उन सबका अध्ययन करके, उनमें से जितने काम होने वाले होंगे, हम निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर कौन-सा अत्यावश्यक है, कौन-सा सैकेंड लाइन का है, उसके आधार पर निर्णय लेकर हम उस पर भी बहुत जल्दी ही निर्णय लेंगे।

अब आप चाहें तो मैं घंटे भर और बोल सकता हूं। वरना, आपकी इजाजत हो तो अब मेरा..। हां, एक आखिरी निवेदन और कर दूं, जिस-जिस के पास भी कोई तथ्यात्मक शिकायत, देखो शिकायत तो मेरे पास रोज सैकड़ों आती हैं और उनमें से 2 तथ्यात्मक, 98 आती हैं बिना तथ्यात्मक, तथ्यात्मक शिकायत आप करेंगे तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जायेगी।

श्री अध्यक्षः एक-एक बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मंत्री महोदय जी, ये कुछ इस तरह से सुनने में आ रहा है कि शहरों में जो बिजली पर सेस उपकर लगता है, उसका अब तक समायोजन, जो शहरी बिजली है, उसमें उनका समायोजन होता था। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको समाप्त करके, नगरपालिकाओं से उनका जो बिजली का खर्चा आता है, उनसे वसूला जायेगा। यदि ऐसा होगा तो नगरपालिका और नगर निकायों में बहुत बड़ा बिजली का खर्चा बढ़ जायेगा तो क्या इस तरह की कोई स्कीम है, जो बिजली उपकर अब तक 10-15 पैसा, जो चार्ज करते थे, उसको शहरी बिल में एडजेस्ट कर रहे थे, अब यह सुनने में आ रहा है कि उसको समाप्त करके..।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): शहरी क्षेत्र के बिजली के बिलों में..

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): हां, बिजली उपकर जो लगता है, उसका एडजेस्टमेंट उसी में हो रहा है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास):.. बता रहा हूं। शहरी क्षेत्र के विद्युत खर्च का पैसा आपके बिल में जुडकर आता था। जिसमें से सम्बन्धित डिस्कॉम, जितने का बिल उस शहरी निकाय का होता था, उतने पैसे काटकर अगर ज्यादा कलेक्शन हुआ तो आपको, शहरी निकाय को दे देते थे और कम होता था तो आपसे मांग कर लिया करते थे।

फिलहाल, अभी इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन हो तो आप सुझाव देंगे तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): संस्थाओं, निकायों पर खर्चा बढ़ जायेगा, क्योंकि बिजली का खर्चा बहुत बढ़ गया।

श्री अध्यक्षः भाई, अब जवाब सुन लो। आप जवाब कंटीन्यू करो।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): आप बोलिये-बोलिये, दूंगा जवाब।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): सर, शहरों में जहां भूमाफियाओं ने जो कब्जा कर रखा है, नगर पालिका की जमीन पर। सर, इसे जल्द से जल्द से छुड़वाने का क्या प्रयास होगा? सर, एक मिनट मैं मेरा सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः यह प्रश्न-उत्तर नहीं है कि आपने पूछा और उत्तर दे देंगे। यह क्वेश्चन, आंसर का नहीं है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, मेरे पास विकास प्राधिकरण, यूआईटी, नगर परिषद, नगरपालिका और आवसन मंडल की जितनी भी भूमियां हैं, अभी हमने दस दिन पहले ही नागौर में हाउसिंग बोर्ड की 32 बीघा जमीन अतिक्रमणियों से मुक्त करवाकर वापस हमारे कब्जे में ली है और जैसे-जैसे हमारे संज्ञान में कोई शिकायत आ रही है, हम हमारे किसी भी निकाय की एक इंच जमीन भी किसी भी अतिक्रमी के हाथ नहीं लगने देंगे, हम उसका अतिक्रमण हटाकर हमारे निकाय के कब्जे में निश्चित रूप से करेंगे।

श्री अध्यक्षः ऐसे सभी उठेंगे तो। अभी जवाब पूरा हो जाये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन व मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पारित की जाये।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, दूसरी भी रख दीजिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): दोनों ही कर दी हैं, मालिक।

**मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन का पारण**

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,07,12,000/- (नवासी करोड़ सात लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन का पारण**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,23,66,97,92,000/- (एक खरब तेईस अरब छियासठ करोड़ सत्तानवे लाख बानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

मुख बन्द, अभी तो बहुत हैं, एक घंटा लगेगा। अब अपनी जो मुख बन्द की मांगे हैं, वह कर रहा हूं।

**मुख बन्द**

**अनुदान की शेष मांगों का पारण**

**मांग संख्या 01 - राज्यपाल**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 - राज्यपाल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,92,25,000/- (दस करोड़ बानवे लाख पच्चीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 02 - राज्य विधान मंडल**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 - राज्य विधान मंडल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,74,24,000/- (एक अरब छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख चौबीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 05 - लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 - लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,95,07,000/- (एक अरब सैंतीस करोड़ पचानवे लाख सात हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 06 - विधि एवं विधिक कार्य**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 - विधि एवं विधिक कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,92,66,78,000/- (पच्चीस अरब बानवे करोड़ छियासठ लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 7 - मंत्रिपरिषद**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 07 - मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय रुपये 36,55,83,000/- (छत्तीय करोड़ पचपन लाख तिरासी हजार) तक की राशि, जिसमें

लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**Bhs/Rtm/26.7.24/21.50/5b**

इतना बोलो कि किसी को नींद भी आ रही हो तो उड़ जाये।

**मांग संख्या 08 - सचिवालय**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 - सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,95,22,18,000/- (चार अरब पचानवे करोड़ बाईस लाख अठारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 09 - निर्वाचन**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 - निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,55,08,79,000/- (पांच अरब पचपन करोड़ आठ लाख उन्नासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक कर**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक कर के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,49,20,53,000/- (बारह अरब उनचास करोड़ बीस लाख तिरपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 11 - पंजीयक एवं मुद्रांक**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 - पंजीयक एवं मुद्रांक के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,53,11,58,000/- (दो अरब तिरपन करोड़ ग्यारह लाख अठावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 12 - आबकारी**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 - आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,07,02,12,000/- (दो अरब सात करोड़ दो लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,16,08,65,000/- (उन्नीस अरब सोलह करोड़ आठ लाख पैंसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,81,34,68,000/- (बाईस अरब इक्यासी करोड़ चौंतीस लाख अड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 15 - पेंशन**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 - पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,89,96,55,83,000/- (दो खरब नवासी अरब छियानवे करोड़ पचपन लाख तिरासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 16 - राजस्व**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 - राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,06,82,70,000/- (इक्कीस अरब छह करोड़ बयासी लाख सत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,93,19,31,000/- (पांच अरब तिरानवे करोड़ उन्नीस लाख इकत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि को सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 18 - गृह**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 - गृह के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को सामान्य 1,05,62,06,81,000/- (एक खरब पांच अरब बासठ करोड़ छह लाख इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 19 - कारागार**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 - कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,42,84,31,000/- (तीन अरब बयालीस करोड़ चौरासी लाख इकत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 20 - प्रारंभिक शिक्षा**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 - प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,11,53,94,22,000/- (दो खरब ग्यारह अरब तिरपन करोड़ चौरानवे लाख बाईस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा के संबंध से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने हे व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,67,59,72,83,000/- (दो खरब सड़सठ अरब उनसठ करोड़ बहत्तर लाख तिरासी हजार)

तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा के संबंध को 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,50,98,36,000/- (छह अरब पचास करोड़ अठानवे लाख छत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमे लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,52,88,94,000/- (एक अरब बावन करोड़ अठासी लाख चौरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 95,36,90,000/- (पचानवे करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने बाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,57,82,11,000/- (इक्कीस अरब सतावन करोड़ बयासी लाख ग्यारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 35 - अल्पसंख्यक मामलात**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 - अल्पसंख्यक मामलात के संबंध में 31 मार्च, 2025 को

समाप्त होने वाले वर्ष से किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,92,05,92,000/- (चार अरब बानवे करोड़ पांच लाख बानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**Kas/rtm/26.04.2024/22.00/5c**

**मांग संख्या 36 - आपदा प्रबंधन एवं सहायता**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 - आपदा प्रबंधन एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 53,08,95,21,000/- (तिरपन अरब आठ करोड़ पचानवे लाख इक्कीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 38 - सूचना एवं जनसम्पर्क**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 - सूचना एवं जनसम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,52,63,82,000/- (एक अरब बावन करोड़ तिरसठ लाख बयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,72,91,51,000/- (छियानवे अरब बहत्तर करोड़ इक्यानवे लाख इक्यावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 43 - सिंचित क्षेत्र विकास**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 - सिंचित क्षेत्र विकास के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,52,05,17,000/- (पांच अरब बावन करोड़ पांच लाख सत्रह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,11,15,05,71,000/- (एक खरब ग्यारह अरब पंद्रह करोड़ पांच लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 46 - कृषि**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 - कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,24,74,29,000/- (छत्तीस अरब चौबीस करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 48 - उद्यानिकी**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48 - उद्यानिकी के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,65,58,88,000/- (नौ अरब पैंसठ करोड़ अठावन लाख अठासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 49 - गोपालन**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49 - गोपालन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,76,87,15,000/- (बीस अरब छिहत्तर करोड़ सतासी लाख पंद्रह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,77,25,90,12,000/- (तीन खरब सतहत्तर अरब पच्चीस करोड़ नब्बे लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी

सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 52 - पंचायती राज**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 52 - पंचायती राज के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 93,73,42,79,000/- (तिरानवे अरब तिहत्तर करोड़ बयालीस लाख उन्नासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,73,32,69,000/- (सतावन अरब तिहत्तर करोड़ बत्तीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 54 - ऊर्जा**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 54- ऊर्जा के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,82,50,07,97,000/- (एक खरब बयासी अरब पचास करोड़ सात लाख सतानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 57 - पेट्रोलियम**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 57 - पेट्रोलियम के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,02,71,37,000/- (चार अरब दो करोड़ इकहत्तर लाख सैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 58 - खान**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 58 - खान के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले

वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,47,15,32,000/- (दो अरब सैंतालीस करोड़ पंद्रह लाख बत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 59 - पर्यटन**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 59 - पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,67,42,58,000/- (तीन अरब सड़सठ करोड़ बयालीस लाख अठावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 60 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 60 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,25,86,62,000/- (बारह अरब पच्चीस करोड़ छियासी लाख बासठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,44,39,000/- (चौंतीस करोड़ चवालीस लाख उनतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,45,87,92,000/- (एक अरब पैंतालीस करोड़ सतासी लाख बानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,85,89,000/- (एक अरब पंद्रह करोड़ पचासी लाख नवासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**msk/rtm/26.07.2024/22.10/5d**

विधायी कार्य। विधेयक का पुर:स्थापन। डॉ मंजू बाघमार।

**विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन**

**राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024**

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने आज्ञा प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक का पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक सोमवार, 29 जुलाई 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 22.11 बजे सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।) .**

## परिशिष्ट 1

## मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन पर कटौती प्रस्ताव

**मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन** के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

**श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)**

1. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में आवासन मण्डल द्वारा भीमगोडा (सिवाना) में वर्षों पूर्व खण्डहर बनी कॉलोनी के उपयोग के संबंध में चर्चा के लिये।
2. विधायक एवं पूर्व विधायक को रियायती दर पर आवासन मण्डल जोधपुर एवं जयपुर में आवास दिलाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)**

3. कोटा विकास प्राधिकरण का निरसन करने के संबंध में।

**डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)**

4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में अल्प आय वालों के लिए हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा आवासीय फ्लेट बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)**

5. प्रदेश के शहरों में स्वच्छता, बिजली, पानी, सड़क की पर्याप्त उपलब्धता हेतु कार्य किए जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)**

6. अटरू में आवासन मण्डल की रिक्त भूमि पर नयी आवासीय कॉलोनी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)**

7. संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की विधान सभा नगर, धौलाई, सांगानेर, जयपुर की विधान सभा कर्मियों की आवासीय कॉलोनी का जयपुर विकास प्राधिकरण की बी.पी.सी. बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2010 में अनुमोदित मानचित्र के उपरान्त भी संशोधित भूखण्ड संख्या के भूखण्डधारियों को लम्बी अवधि पश्चात् भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का मौके पर डिमार्केशन/कब्जा/नियमितीकरण कर पट्टे जारी नहीं किए जाने से वंचित लोगों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री यूनुस खान (वि.सं.121)**

8. नगर परिषद डीडवाना के नये मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

9. विधान सभा क्षेत्र के कस्बे बयाना में आवासन मण्डल (हाऊसिंग बोर्ड) की कॉलोनी बनाए जाने की आवश्यकता पर के लिए।

श्री जुबेर खान (वि.सं.65)

10. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की तहसील-रामगढ़ में U.T. अलवर की पेराफेरी में आने वाले ग्रामों में निर्मित/प्रस्तावित सरकारी एवं जनोपयोगी भवनों हेतु भूमि की अनापत्ति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. नगर विकास न्यास, अलवर के मास्टर प्लान के पेराफेरी में आने वाले ग्रामों में विकास कार्य कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभा चौहान (वि.सं.165)

12. संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की विधान सभा नगर, धौलाई, सांगानेर, जयपुर की आवासीय कॉलोनी का जयपुर विकास प्राधिकरण की बी.पी.सी. बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2010 में अनुमोदित मानचित्र के उपरान्त संशोधित भूखण्ड संख्या के भूखण्डधारियों को लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का मौके पर डिमार्केशन/कब्जा/नियमितीकरण एवं पट्टे जारी नहीं किए जाने से आम लोगों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)

13. सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के पेराफेरी एरिया में आ रहे गांवों के आवासीय पट्टों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामकेश (वि.सं.133)

14. जयपुर शहर के विकास (सुनियोजित विकास) के अवरूद्ध हो जाने के संबंध में तथा मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल शर्मा (वि.सं.45)

15. जयपुर विकास प्राधिकरण व आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा जयपुर में करवाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

16. इंदिरा गांधी नगर, जयपुर से बस्सी तक सेक्टर रोड़ के निर्माण तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

17. बाड़मेर शहर में विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक जाम व यातायात की समस्याओं में सुधार हेतु नवीन कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शान्ती धारीवाल (वि.सं.161)

18. प्रदेश में यू.टी.आई. की आय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

19. प्रदेश में शहरों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)**

20. कोटा में मिनी सचिवालय बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

21. कोटा में चम्बल नदी के अपस्ट्रीम के किनारों पर हरित्तम पट्टी व अन्य विकास कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

22. कोटा में राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनियों की योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के बड़े नालों में सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाकर इनको पाटकर के सौंदर्यीकरण का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)**

24. उदयपुर पेराफेरी एरिया में आवासीय पट्टे दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यू.डी.एच. द्वारा सूखा नाका से देबारी तक रोड़ बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत तितरड़ी में आम्बा फला से तितरड़ी चौराहा तक मास्टर प्लान रोड़ बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. यू.डी.एच. द्वारा उदयपुर में विकसित कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री गोरधन (वि.सं.47)**

28. जयपुर विकास प्राधिकरण की विधान सभा आवासीय कॉलोनी धावास जोन-7 में प्राधिकरण के स्वीकृत मास्टर प्लान योजनानुसार पूर्व नक्शों के अनुरूप सड़क मार्ग उपलब्ध करवाए जाने एवं सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)**

29. शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए यू.आई.टी. भरतपुर द्वारा एक समग्र नीति बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

30. भरतपुर की यू.आई.टी. की नंबर 13 स्कीम के तहत अधिग्रहण की भूमि के बदले पट्टे नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

31. भरतपुर यू.आई.टी. क्षेत्र में गैर-अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत सड़क एवं नाली निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

32. भरतपुर के यू.आई.टी. क्षेत्र में विकसित आवासियों कॉलोनियों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)**

33. जयपुर विकास प्राधिकरण की विधान सभा नगर आवासीय योजना, धावास की रिजर्व लेण्ड पर जयपुर विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी का पट्टा लेकर निर्माण करने से हुई अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

34. जयपुर विकास प्राधिकरण की विधान सभा नगर, धावास, अजमेर रोड़ व इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी के मध्य बनी सड़क पर अतिक्रमण के कारण सड़क की स्वीकृत चौड़ाई 30 फीट से घटकर 08 फीट रहने के कारण जनहित में अतिक्रमण मुक्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)</u>**

35. अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपान्तरित किए जाने की पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. अजमेर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल द्वारा बसाई गई योजनाओं को नगर निगम अजमेर को स्थानान्तरित करने के पश्चात् भी रिक्त भूखण्ड नहीं सौंपे जाने से विकास में हो रही बाधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. अजमेर नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा एक नई आवासीय योजना गौ ग्राम के रूप में बसाई जाकर गौपालकों को वहां भूखण्ड आवंटित कर आबादी क्षेत्र से दूर बसाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. अजमेर विकास प्राधिकरण के जे. पी. नगर, अर्जुनलाल सेठी नगर एवं चन्द्रबरदायी नगर योजना में हो रहे अतिक्रमणों से आमजन की रूचि योजना के आवासों से विमुक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा गैर योजना क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं हेतु विकास कार्य नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)</u>**

40. पिछले पांच वर्षों में जयपुर के जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न जोनों के क्षेत्रों में भूमि के बदले भूमि (Land For Land) के लिए अवाप्त भूमि, अवाप्त भूमि के बदले दी गयी अवाप्त भूमि के संबंध में चर्चा के लिए।

41. जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-13 की अनन्तपुरा ग्रुप हाऊसिंग योजना में विकास कार्य नहीं होने एवं 30 प्रतिशत पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

42. जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-13 द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना (विस्तार) हेतु ग्राम उदयपुरिया रामपुरा डाबड़ी के खसरा नंबर 93, 94, 95, 92, 93/454, 91, 92/453, 96, 97, 98, 107, 89, 90, 91/452, 101, 102, 103, 104, 105 कुल खसरे 19 की अवाप्त की गयी भूमि की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए।

43. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्जित आवासीय योजनाएं आनन्द लोक, स्वप्नलोक, रजत विहार, संकल्प नगर व अन्य में मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं.138)</u>

44. विधान सभा नगर, धौलाई, मानसरोवर, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी 90 बी. करने के बाद खातेदारों के पक्ष में खोले गए नामान्तरण एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में आये भूखण्ड़ों पर अतिक्रमण करने के संबंध में सम्पूर्ण जांच करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा नगर धौलाई, मानसरोवर जयपुर में सोसायटी पट्टों पर बसी कॉलोनी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 90 बी होने के बाद हो रही अनियमितताओं की सम्पूर्ण जांच करवाए जाने की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अजय सिंह (वि.सं.02)</u>

46. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मानसरोवर योजना के लिए अवाप्त की गयी कृषि भूमि के खातेदारों को शीघ्र मानसरोवर योजना में ही 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.09.2020 के अनुसार खातेदार या उसके वारिसान द्वारा अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अंतिम क्रेता को 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)</u>

48. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पेराफेरी क्षेत्र में बसे लोगों को पट्टा दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नगर परिषद द्वारा कच्ची बस्ती घाटी, पातेला पर बसे लोगों को मकानों के पट्टे दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अमीन कागजी (वि.सं.09)</u>

50. जयपुर के आगरा रोड़ पर इकोलॉजिकल जोन में हो रहे लगातार निर्माण को रूकवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

51. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर की सेक्टर सड़कों पर लगातार हो रहे अवैध निर्माणों को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की मास्टर प्लान की सेक्टर रोड़ सड़कों को बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 40 फीट चौड़ाई से अधिक की सड़के बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)</u>

54. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के क्षेत्र ग्राम नोटाना ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया में क्षतिग्रस्त (टूटी हुई) पुलिया का पुन: निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के उम्मेद गंज से डाडदेवी माताजी के मंदिर तक सी.सी. रोड़ बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के संबंध में।

56. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के रोटेढा से सोगरिया रोड़ पर रेल्वे फाटक पर ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के कृषि भूमि के ले-आउट प्लान अनुमोदन के उपरान्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

58. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुरा में R.U.I.D.P. चतुर्थ फेज का कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)

59. आवासन मण्डल की निवाई में हाऊसिंग स्कीम में मकानों की कीमत की समीक्षा करने तथा मूलभूत सुविधाएं नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश मोदी (वि.सं.183)

60. जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नारायण वाटिका जोन नंबर-7 जो विधान सभा आवासीय योजना, धावास के विस्तार के पास बन रहे आवासी भूखण्ड के भवन नक्शे के विपरीत तथा पट्टे में आवंटित क्षेत्र से अधिक सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर निर्माण किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा नगर धावास जोन-7 की जयपुर विकास प्राधिकरण कॉलोनी में रिक्त पड़ी भूमियों पर पार्क विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. जयपुर विकास प्राधिकरण की जोन-7 की विधान सभा नगर धावास आवासीय योजना के फेज प्रथम के भूखण्ड संख्या 105 से 182-183 के पीछे समानान्तर खाली तिकोने को पार्क में विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शान्ती धारीवाल (वि.सं.161)

63. जयपुर विकास प्राधिकरण की विधान सभा नगर धावास की जोन-7 आवासीय योजना (विस्तार) के ब्लॉक S-25 के पास खाली सरकारी भूमि को अधिकारियों की कथित मिलीभगत से निजी माफियाओं द्वारा पक्के निर्माण करने तथा उन्हें जनहित में हटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

64. बारां एवं अटरू में विकास कार्य हेतु बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र अटरू में आवासन मण्डल की रिक्त भूमि पर नयी आवासीय कॉलोनी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल डांगी (वि.सं.21)

66. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में यू.आई.टी. प्लान के द्वारा प्राकृतिक नालों एवं पानी के सभी रास्ते ब्लॉक किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में जनमत के बगैर जमीन हस्तान्तरण नहीं किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
68. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की मास्टर प्लान (U.I.T.) क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
69. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में U.I.T. की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की भूमि की कन्वर्जन फीस के समान राशि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)</u>**

70. विधान सभा नगर धौलाई, मानसरोवर जयपुर में खातेदारों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लगाए गए कोर्ट कैसेज में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी ढंग से पैरवी किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>**

71. जयपुर शहर में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर शहर के आस-पास के कस्बों को सेटेलाईट टाउन में विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
72. जयपुर शहर में स्थित करतारपुरा नाले का डिमार्केशन कर पक्का किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
73. जयपुर शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अहम् जिम्मेदारी निभाने वाली जे.सी.टी.एस.एल. के अन्तर्गत चलने वाली बसों में निरन्तर कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
74. जयपुर शहर की लालकोठी आवासीय योजना के भूखण्ड़धारियों को पट्टे नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>**

75. बालोतरा के आस-पास अन्य स्थान पर आवासन विभाग द्वारा कॉलोनी बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
76. बालोतरा हाऊसिंग बोर्ड में सीवरेज एवं रोड़ बनाकर हाऊसिंग बोर्ड में निवासरत आमजन को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
77. जयपुर स्थित पृथ्वीराज नगर के करणी विहार इलाके की कॉलोनी हस्तिनापुर को ग्रीन बेल्ट से हटाकर उस क्षेत्र को सामान्य आवासीय में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
78. बालोतरा हाऊसिंग बोर्ड को नगर परिषद बालोतरा के अन्तर्गत लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
79. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की ग्राम पंचायत मंडापुरा, पचपदरा, जसोल, आसोतरा, मूंगड़ा, रामसीन खेड आदि को मिलाकर बालोतरा विकास प्राधिकरण (BDA) बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

80. प्रदेश के नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगमों में आवासन मण्डल द्वारा बनाये जाने वाले भवनों में प्रत्येक विधान सभा मुख्यालय पर विधायक कार्यालय बनवाने एवं जिला मुख्यालय पर आवासन मण्डल के भवनों पर विधायक आवास आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज एवं सिस्टम के संबंध में चर्चा के लिए।

82. आवासन मण्डल द्वारा छोटे शहरों/नगरपालिकाओं क्षेत्रों में भी निकायों के अधीन भूमियों/भूखण्ड़ों पर आवास निर्माण कर रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

83. राजसमन्द नगरीय क्षेत्र एवं परिसीमा के गांवों के लिए नगरीय बस सुविधा प्रारंभ करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. राजसमन्द शहरी क्षेत्र में अल्प आय वर्ग के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

85. राजसमन्द शहरी क्षेत्र में यातायात नगर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

86. राजसमन्द नगरीय क्षेत्रों में विभागीय पहल कर बिजली के तारों को भूमिगत करने और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रसंस्करण संयत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. राजसमन्द जिले के शहरी क्षेत्रों में युवाओं, पत्र विक्रेताओं और बेरोजगार नागरिकों को इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

88. प्रदेश में आवासन मण्डल द्वारा वर्षों से अवाप्त की गयी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. निम्बाहेड़ा में आवासन मण्डल की अटल नगर आवासीय योजना में जन सुविधाओं को विकसित करने यथा सामुदायिक केन्द्र, अस्पताल, स्कूल, उद्यान आदि निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)</u>

90. जयपुर विकास प्राधिकरण की विधान सभा आवासीय योजना धावास में प्लॉट सं. 203 से 208 एवं 182-183 के पीछे नारायण वाटिका के नाम से भू-माफियाओं द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की कथित मिलीभगत से खाली सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने तथा इसकी रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के महात्मा गांधी स्टेडियम में विकास कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>**

92. डूंगरपुर जिले के नगर परिषद में पेराफेरी एरिया में आने वाले आदिवासी परिवारों को मकानों के पट्टे दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**<u>श्रीमती अनीता जाटव (वि.सं.06)</u>**

93. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के पुराने जलाशयों, प्रसिद्ध जल स्रोतों के सौन्दर्यीकरण एवं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं.87)</u>**

94. नगर परिषद फलौदी में सीवरेज लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>**

95. नगर परिषद शाहपुरा के लेण्ड बैंक को मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. जिला मुख्यालय शाहपुरा के आवासन मण्डल कॉलोनी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97. प्रदेश में नगरीय विकास एवं अनुसंधान के लिए केन्द्र सरकार की तर्ज पर बजटीय प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. जिला मुख्यालय शाहपुरा में मिनी सचिवालय व अन्य कार्यालयों हेतु भूमि आवंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)</u>**

99. जयपुर शहर में पत्रकारों के लिए आवासीय कॉलोनी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. जयपुर शहर में कालवाड़ रोड़ माचवां में स्थित मधुलोक (ओ.के.प्लस) कॉलोनी में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>**

101. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**<u>श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)</u>**

102. जैसलमेर के नगर विकास न्यास के क्षेत्र में गांवों को सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए

**<u>श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)</u>**

103. राजस्थान आवासन मण्डल की नसीराबाद कॉलोनी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>**

104. बाड़मेर, जैसलमेर व बालोतरा जिले को विभाग द्वारा विशेष पैकेज देने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. बाड़मेर, जैसलमेर व बालोतरा के समस्त शहरी पानी के रख-रखाव व वहां ओपन जिम लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. बाड़मेर, जैसलमेर व बालोतरा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नवीन योजना बनाकर आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

107. हाऊसिंग बार्ड, बाड़मेर, जैसलमेर व बालोतरा के समस्त कॉलोनियों की सड़क, पानी व बिजली की समस्या का निराकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (वि.सं.63)

108. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के कुशालीधरा से कुनाल मंदिर रोड़ की चौड़ाई को 07 मीटर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

109. प्रदेश में विधायकों एवं पूर्व विधायकों तथा एम.पी. व पूर्व एम.पी. को आरक्षित दर पर दो आवास जयपुर एवं अन्य जिलों में देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर के महेश नगर 80 फीट रोड़ से महावीर कॉलोनी, करतारपुरा वाली सड़क से अतिक्रमण हटाकर सेक्टर रोड़ (60 फीट) बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर करतारपुरा रेल्वे फाटक खुलने के बाद लगे जाम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए अण्डरपास/आर.ओ.बी. तथा सड़क को चौड़ा करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

112. भीलवाड़ा में बढ़ते ट्रेफिक जाम से निजात हेतु एलिवेटिड रोड़ एवं आर.ओ.बी. निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

113. भीलवाड़ा के नेहरू तलाई के सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. भीलवाड़ा में 200 फीट रिंग रोड़ के सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)

115. सादुलशहर में सौन्दर्यीकरण हेतु सड़कें, साईड पार्क विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. सादुलशहर में सार्वजनिक चौक/पार्क पर सौन्दर्यीकरण हेतु लाईट व फव्वारे लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)

117. आवासन मण्डल द्वारा किशनगढ़ को मझेला रोड़ से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री ललित यादव (वि.सं.143)**

118. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर कस्बे में बढ़ते यातायात से निजात दिलाने के लिए बायपास बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री मनीष यादव (वि.सं.111)**

119. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के शाहपुरा में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के मनोहरपुर में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)**

121. विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायत जाहोता की बहुउद्देशीय कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र आमेर की भवन विहीन ग्राम पंचायत अखैपुरा हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)**

123. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पीसांगन को नगरपालिका बनाए जाने के संबंध में आवश्यक चर्चा के लिए।

**श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)**

124. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की आसीन्द नगरपालिका में सीवरेज लाईन डालकर शहरवासियों को गन्दे पानी से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

## परिशिष्ट 2

## मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 40 - **स्वायत्त शासन** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

**श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)**

1. ब्यावर नगर परिषद में सभी वार्डों में पक्की सड़कें, नालियों का निर्माण एवं कम्पनी बाग व बिचिड़ली तालाब का सौन्दर्यकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)**

2. प्रदेश में नगरपालिकाओं/परिषदों के पेराफेरी क्षेत्र में नालियों व वर्षाकालीन नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. प्रदेश में नगरपालिकाओं/नगर परिषदों में होने वाले निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये क्वालिटी कन्ट्रोल एजेन्सियों को सक्रिय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला मुख्यालय सलूम्बर में नालियों से बिजली पोल हटाने व अण्डर ग्राउण्ड बिजली लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला मुख्यालय नगर परिषद में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर नगर परिषद में रिक्त पदों की पूर्ति तथा सेमारी नगरपालिका को स्थाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)**

7. नगरपालिका छबड़ा में नवीन खेल मैदान का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं. 101)**

8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगरपालिका बालेसर सता में शामिल ग्राम पंचायत देवनगर, कुई इन्दा, कुई जोधा एवं खारी बेरी को यथावत ग्राम पंचायत रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगरपालिका बालेसर सता में अधिशाषी अधिकारी के रिक्त पद को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगरपालिका बालेसर सता के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)**

11. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका की संवैधानिकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)

12. नवीन नगरपालिका का गठन होने पर पट्टा नवीनीकरण की निर्धारित शुल्क राशि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. सिवाना नगरपालिका के पेराफेरी क्षेत्र में लिये जाने वाले क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में चर्चा के लिये।

14. प्रदेश में शहरी रोजगार गारन्टी योजना में नियोजित मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. नगरपालिका सिवाना के शहरी क्षेत्र में सफाईकर्मियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. नगरपालिका सिवाना द्वारा किये गये विकास कार्यों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं. 138)

17. नगरपालिका मण्डावा व बिसाऊ में बजट स्वीकृत नहीं होने से विकास कार्य अवरूद्ध होने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)

18. प्रदेश में विभाग में सफाईकर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चर्चा के लिए।

19. नगर परिषद बूंदी में ऑफलाईन पड़ी फाइलों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. प्रदेश में कृषि भूमि पर आवासीय पट्टे जारी करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. नगर परिषद बूंदी में स्थायी आयुक्त लगाने और नाबार्ड से स्वीकृत ऋण की गारन्टी देने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं. 61)

23. नगर परिषद बहरोड़ एवं नगरपालिका बड़ौद व नीमराना के क्षेत्र में कृषि भूमि पर आवासीय पट्टे देने का अधिकार स्वायत्त शासन विभाग को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. नगर परिषद बहरोड़ में सफाई कर्मचारी लगाये जाने व कचरा परिवहन की व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. नगर परिषद बहरोड़ में कचरा निस्तारण के लिए सुदृढ़ योजना बनये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. नगर परिषद बहरोड़ में वर्षाजल की निकासी हेतु सुदृढ़ कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)</u>

27. प्रदेश में नगर परिषदों एवं नगर निकायों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने, टेण्डरों पर लगी पाबन्दी हटाने तथा नगर परिषद फतेहपुर का भवन निर्माण करने एवं कार्मिकों के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं. 142)</u>

28. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की केलवाड़ा नगरपालिका को बजट देने एवं आय के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रोहित बौहरा (वि.सं. 139)</u>

29. प्रदेश की नगरपालिकाओं और नगर निगमों में पर्याप्त स्टॉफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं. 117)</u>

30. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ (अलवर) को विकास कार्यों के लिये अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की नगरपालिका रैणी को विकास कार्यों के लिये अतिरिक्त बजट आवंटित कररवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. अलवर जिले की नगरपालिका राजगढ़ को क्रमोन्नत कर नगर परिषद बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की नगरपालिका रैणी का भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ (अलवर) का भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)</u>

35. प्रदेश के शहरों में निवासित लोगों को समय पर पट्टे देने, मकान के लिये समय पर निर्माण स्वीकृति देने तथा मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. प्रदेश में शहरों के सुनियोजित विकास हेतु योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं. 96)</u>

37. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बाड़मेर शहर में ऑक्सीजोन एवं रॉक पार्क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं. 50)</u>

38. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सीवर लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र टोडभीम के टोडाभीम शहर में सड़क एवं नालियों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की नगरपालिका में ई.ओ. एवं ए.ई.एन. के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रमेश खींची (वि.सं. 125)</u>

41. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की नगर परिषद कठूमर व नगर परिषद खेड़ली को सैटेलाईट नगरपालिका घोषित करने तथा नगर परिषद खेड़ली में ए.ई.एन. पद पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं. 150)</u>

42. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की नगरपालिका नवलगढ़ में सीवरेज का द्वितीय एवं तृतीय चरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

43. विधान सभा क्षेत्र बयाना की नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूदावल कस्बे को नगरपालिका घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास के शाही तालाब का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं. 155)</u>

46. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की नगरपालिका खाजूवाला में सिवरेज लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं. 123)</u>

47. प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में मास्टर प्लान लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

48. नगरपालिका भीम में कार्मिकों के पदस्थापन व बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री यूनुस खान (वि.सं. 121)</u>

49. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की नगर परिषद डीडवाना में सीवरेज एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सुचारू संचालन के संबंध में चर्चा के लिये।

50. नगर परिषद डीडवाना में सड़क, नाली निर्माण व सफाई व्यवस्था की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

51. नगर परिषद डीडवाना में 01.01.2019 से 15.07.2024 तक विकास व सौंदर्यकरण के नाम पर खर्च किए गये बजट की जांच कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।
52. नगर परिषद डीडवाना में बिना बजट बैठक में नये टेंडर जारी करने एवं स्वीकृत बजट से अधिक कार्य का बकाया भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
53. नगर परिषद डीडवाना में अधिकारियों की मिलीभगत से प्रभावशाली लोगों को नगर परिषद की बेशकीमती भूमि के पट्टे अनियमित तरीके से देने से उत्पन्न स्थिति एवं जांच के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)</u>

54. विधान सभा क्षेत्र आहोर के एक बड़े तालाब का सौन्दर्यकरण के लिए रूडसिकों द्वारा अमृतसरोवर के तहत बजट आवंटित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
55. विधान सभा क्षेत्र आहोर के नगरपालिका क्षेत्र आहोर में पानी निकासी के लिए सीवरेज की स्वीकृति एवं राशि रूपये 25 करोड़ की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
56. विधान सभा क्षेत्र आहोर के नगरपालिका क्षेत्र आहोर में कच्चा काम्बा मार्ग पर डिवाईडर सहित सी.सी. रोड़ का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
57. विधान सभा क्षेत्र आहोर में नगरपालिका भवन बनाने एवं नगरपालिका आहोर में फायर ब्रिगेड वाहन की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं. 95)</u>

58. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम (हैरिटेज) जयपुर द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री सुरेश मोदी (वि.सं. 183)</u>

59. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में रेलवे अण्डर-पास के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं. 91)</u>

60. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने एवं आवारा गोवंश को गौशाला में भिजवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
61. प्रदेश में विभाग द्वारा शिविरों में दिये जाने वाले पट्टों हेतु समयावधि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
62. प्रदेश में नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की बैठकें समय पर नहीं होती हैं। अतः प्रावधान अनुसार कम से कम 03 माह में एक बार इनकी बैठकें करवायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. प्रदेश में नगरपालिका एवं नगर परिषद द्वारा पैकेज में नालियां निर्माण/रिपेयर व सड़क निर्माण/रिपेयर के कार्य हेतु मनमाने तरीके से ठेके देने तथा बहुत से निर्माण कार्य नहीं होने पर भी भुगतान कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
64. प्रदेश में नगरपालिका एवं नगर परिषद की भूमि का आवंटन व उपयोग एम्पायर कमेटी के अनुमोदन के बाद ही किया जाने तथा विधायक की उपस्थिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जुबेर खान (वि.सं. 65)</u>

65. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की नगरपालिकाओं नौगावां एवं मुबारिकपुर में आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराने एवं स्टॉफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
66. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की नगरपालिकाएं नौगावां एवं मुबारिकपुर के बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
67. जिला अलवर की नगरपालिका रामगढ एवं बडौदामेव में नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
68. विधान सभा क्षेत्र रामगढ (अलवर) की नगरपालिका रामगढ़, गोविन्दगढ़ एवं बडौदामेव के बोर्ड की साधारण सभा की बैठकें नियमानुसार आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
69. जिला अलवर के नगरपालिका क्षेत्र रामगढ एवं गोविन्दगढ़ में सीवर लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं. 36)</u>

70. विधान सभा क्षेत्र बगरू की नवसृजित नगरपालिका वाटिका में विभिन्न संवर्गों के पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
71. विधान सभा क्षेत्र बगरू की नवसृजित नगरपालिका वाटिका में बजट आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
72. विधान सभा क्षेत्र बगरू की नगरपालिका वाटिका में ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

73. बयाना और रूपवास नगरपालिकाओं में डम्पिंग यार्ड हेतु जमीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रामकेश (वि.सं. 133)</u>

74. गंगापुरसिटी जिले में नगर परिषद द्वारा मास्टर प्लान की पालना करवाने एवं शहरी क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)**

75. जयपुर की नगरपालिका बस्सी के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)**

76. झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत खानपुर एवं बकानी को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)**

77. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवगठित चौहटन नगरपालिका के कार्यालय की स्थापना एवं संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं. 57)**

78. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की नगरपालिका हेतु नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)**

79. नवसृजित नगरपालिका चौहटन में बरसाती जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं. 66)**

80. नगर निगम बीकानेर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।
81. नगर निगम बीकानेर क्षेत्र की सड़कों व नालियों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।
82. बीकानेर में नगर निगम व यू.आई.टी. द्वारा पट्टों के वितरण के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री संजीव कुमार (वि.सं. 171)**

83. जिला हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में सीवरेज निर्माण कार्य में हुए भारी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच करवाकर शहरवासियों की सीवरेज समस्या का समाधान करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
84. नगरपालिका भादरा द्वारा शहर के समीप राजपुरा राजस्व ग्राम व राजकीय महाविद्यालय भादरा के नजदीक अव्यवस्थित तरीके से कचरा डालने से उत्पन्न परेशानियों के निस्तारण हेतु कचरा संग्रहण एवं परिवहन की उचित व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
85. जिला हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में बरसाती पानी निकासी हेतु ड्रेनेज निर्माण की स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
86. नगरपालिका भादरा में विगत पांच वर्षों के दौरान भूखण्डों एवं आवासों के पट्टा वितरण में हुई भारी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

87. नगरपालिका भादरा द्वारा शहर भादरा में विगत पांच वर्षों के दौरान करवाए गए विकास कार्यों में हुई भारी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री शान्ती धारीवाल (वि.सं. 161)</u>

88. प्रदेश की नगरपालिकाओं की आय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
89. प्रदेश में नगरपालिकाओं के चुनाव करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
90. प्रदेश में स्वायत्तशासी संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता व अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
91. प्रदेश में नगरपालिकाओं में चल रहे रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती एवं नए पदों का सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं. 107)</u>

92. पाली शहर में सेशन कोर्ट के बाहर स्थित रेस्टोरेन्ट को नगर परिषद, पाली द्वारा लीज पर देने और फिर 'सबलेट' किये जाने और उसको 2028 तक आगे बढ़ाये जाने पर बरती गई अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं. 172)</u>

93. नगर निगम कोटा द्वारा गौशाला के लिए जमीन आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
94. कोटा में दशहरा मैदान को प्रगति मैदान बनाने की कार्य योजना के लिये द्वितीय व तृतीय फेस के कार्यों के लिए बजट आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं. 98)</u>

95. उदयपुर पेराफेरी ऐरिया में साफ-सफाई व सीवरेज व्यवस्थित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री मुकेश भाकर (वि.सं. 118)</u>

96. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में नगरपालिका मण्डल को क्रमोन्नत करने व नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं. 178)</u>

97. नगर निगम भरतपुर की मास्टर ड्रेनेज परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।
98. नगर निगम भरतपुर को विकास कार्यों के लिये विशेष वित्तीय पैकेज देने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)</u>

99. अजमेर नगर निगम द्वारा डाली जा रही सीवरेज लाईन के मैनहॉल सड़क लेवल से ऊंचाई पर होने से होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
100. अजमेर नगर निगम क्षेत्र में संचालित मांसाहार एवं मांस विक्रय की दुकानों की विभागीय अनुमति के प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की आवश्यकता एवं

अवैध दुकानों को अविलम्ब बन्द करवाने की अभियानपूर्वक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. प्रदेश में नगरीय निकायों के अधिकारियों/कार्मिकों को वेतन का भुगतान चूंगी पुनर्भरण अनुदान पेटे से किये जाने के स्थान पर राज्य की संचित निधि से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. अजमेर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कृषि भूमि को आवासीय भूमि में बिना रूपान्तरण कराये ही कृषि भूमि पर नक्शे स्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाईन एवं दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होने के बावजूद अजमेर नगर निगम द्वारा प्रातः एवं सांय दिन में दो बार कचरा संग्रहण केन्द्रों से कचरा नहीं उठाये जाने की स्थिति से हो रही परेशानी एवं कचरा उठाने में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

**<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)</u>**

104. नगरपालिका क्षेत्र नोहर में नियमित सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करने हेतु विभिन्न सफाई संसाधनों की वृद्धि एवं बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. प्रदेश में विभिन्न स्थानीय निकाय यथा नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाओं में लम्बित सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. नगरपालिका क्षेत्र नोहर में सीवरेज लाईन एवं मुख्य स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्वीकृत करने एवं बजट आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. नोहर में स्थित प्राचीन जोहड़ का सौन्दर्यकरण एवं जीर्णोद्धार कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. नगरपालिका क्षेत्र नोहर में वर्षाजनित पानी निकासी की कार्ययोजना बनाकर बजट स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**<u>श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)</u>**

109. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के नगरपालिका खेतड़ी में सिनेमा घर से लेकर कोलिहान नगर तक नाला निर्माण, सौन्दर्यकरण एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण एवं बायो पिंक टॉयलेट कॉम्पलैक्स का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित नगरपालिका खेतड़ी को 'डी' श्रेणी से 'सी' श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के नगरपालिका क्षेत्र में पन्नासागर तालाब से भोपालगढ़ तक रोपवे बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में नगरपालिका क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिये पार्क विकसित/स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
113. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की उप तहसील बबाई को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कंवरलाल (वि.सं. 26)</u>

114. नगरपालिका/नगर निगम में आई.ओ.ए. की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा राजस्व आय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं. 44)</u>

115. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की नगरपालिका माण्डलगढ़ में प्रबन्धन एवं विकास कार्य सुचारू रूप से चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
116. नगरपालिका माण्डलगढ़ में फायर-ब्रिगेड वाहन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
117. नगरपालिका माण्डलगढ़ में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
118. नगरपालिका माण्डलगढ़ में सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण के लिए आवश्यक बजट आवंटन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अजय सिंह (वि.सं. 02)</u>

119. नगरपालिका डेगाना को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बकाया एवं अन्य किश्तें शीघ्र दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
120. नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में गौचर भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
121. नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये 15 करोड़ रूपये आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
122. नगरपालिका डेगाना के नया कार्यालय भवन निर्माण के लिये दो करोड़ रूपये की राशि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
123. नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में वर्षा जल निकासी के लिये बड़े नालों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रूपये आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अमीन कागजी (वि.सं. 09)</u>

124. जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 271 करोड़ की लागत से चल रहे सीवरलाइनों के कार्यों में सुधार के संबंध में चर्चा के लिये।
125. जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर के निलम्बन के संबंध में चर्चा के लिये।
126. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में हो रहे अवैध निर्माणों के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)</u>

127. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के केथून नगरपालिका को नगर निगम कोटा में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के शहरी क्षेत्र में नई सीवरेज लाईन डाले जाने के कारण टूटी-फूटी सड़कों को संवेदक फर्म द्वारा ठीक नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)

129. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सौर ऊर्जा की स्ट्रीट-लाइटों में गबन की जांच, कैमरे लगाने में भ्रष्टाचार की जांच एवं पिछले 04 वर्षों में बिना कार्य किये गये भुगतान उठाने के संबंध में भौतिक सत्यापन करवाकर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)

130. जे.डी.ए. की विधान सभा आवासीय योजना विधान सभा नगर धावास जोन-7 में सीवर लाईन डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं. 131)

131. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में विकास कार्य ठप्प होने के कारण बजट राशि के आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में छोटे फुटकर व्यापारियों हेतु दुकानें आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के शहरी क्षेत्र में बरसाती पानी के निकासी की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं. 88)

135. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की चिड़ावा व पिलानी नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में सीवरेज स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं. 30)

137. जयपुर शहर में मालवीय नगर सेक्टर नम्बर 5, 6, 9, 12 एवं 14 के मध्य गुजरने वाले नाले को पाटने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. जयपुर शहर की दोनों नगर निगमों जयपुर ग्रेटर एवं जयपुर हेरिटेज को एक किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. जयपुर शहर के मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र की सीवरेज लाईन आये दिन बहने से हो रही बदबू से निजात के लिए इनको बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. जयपुर शहर में बापूनगर स्थित सिवाड़ एरिया में बसे निवासियों को पट्टे नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

141. जयपुर शहर में बिना नगर निगम की अनुमति से खुली मांस की दुकानों को बन्द किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**<u>श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं. 200)</u>**

142. विधान सभा क्षेत्र करणपुर की नगरपालिका पदमपुर में गन्दे पानी एवं बरसाती पानी की निकासी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में नगरपालिका कार्मिकों को समय पर वेतन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र करणपुर की नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी मकानों के रिहायशी पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. नगरपालिका श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर एवं गजसिंहपुर के गन्दे पानी एवं बरसाती पानी की निकासी के लिये सीवरेज एवं नालियां बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**<u>श्री राजेन्द्र (वि.सं. 128)</u>**

147. विधान सभा क्षेत्र महवा की नगरपालिका महवा शहर एवं कैला देवी स्थान के सौंदर्यकरण के लिए 10 करोड़ का बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. नगरपालिका महवा के भवन एवं कार्यालय के लिए 01 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)</u>**

149. विधान सभा नगर धौलाई (मानसरोवर), जयपुर में जे.डी.ए. द्वारा 90बी करने के उपरान्त भी जे.डी.ए. के स्वामित्व में आये भूखण्डों पर अतिक्रमण करने एवं अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

**<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)</u>**

150. नगर परिषद बालोतरा की आर्थिक स्थिति खराब होने से विशेष पैकेज देने की घोषणा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. नगर परिषद क्षेत्र बालोतरा के अन्तर्गत सड़क, रोड़लाईटें एवं साफ-सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. नगर परिषद क्षेत्र बालोतरा की गारन्टी पिरियड की सड़कों की ठेकेदारों द्वारा मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. नगर परिषद बालोतरा के पैराफेरी एरिया के अन्तर्गत सड़क, सीवरेज एवं रोड़ लाईट की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. नगर परिषद क्षेत्र बालोतरा के अन्तर्गत नये बस-स्टैण्ड के आस-पास की साफ-सफाई एवं वहां गन्दे नाले को RUIDP के अन्तर्गत जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**<u>श्री हरलाल सहारण (वि.सं. 191)</u>**

155. नगर परिषद क्षेत्र चुरू में 04 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. क्षमता के बने हुए/निर्माणाधीन हैं, जिससे शोधित जल का उपयोग किसानों को सिंचाई के लिये दिये जाने का परियोजना/प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. नगर परिषद क्षेत्र चुरू के अग्रसेन नगर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. चुरू शहर का ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना एवं जर्जर होने से शहर में जल निकासी की समस्या के मध्येनजर ड्रेनेज सिस्टम को शीघ्रातिशीघ्र सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)</u>**

158. प्रदेश में नगरपालिकाएं एवं नगर निगम कार्यालयों में नियुक्त संविदाकर्मियों एवं प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के नियुक्ति की जांच, वांछित योग्यताओं के दस्तावेज की जांच और कार्य प्रभार एवं उनकी उपस्थिति का भौतिक सत्यापन के साथ उनसे करवाये जा रहे कार्यों के निष्पादन के संबंध में चर्चा के लिये।

159. प्रदेश में नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगमों में अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त द्वारा अल्पकालीन निविदा/कोटेशन के माध्यम से करवाये गये कार्य और स्टोर/भण्डार में क्रय किये जाने वाले सामग्री/वस्तुओं के क्रय में होने वाली अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. प्रदेश में नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगमों में आने वाली भूमि के आवंटन/रूपान्तरण आदि से प्राप्त होने वाली आय से पैराफेरी क्षेत्र में विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. नगरपालिका बिलाड़ा में गैर मुमकिन भूमि पर कई वर्षों से उस भूमि पर काबिज किसानों को नियमन/आवंटन डीएलसी दर पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)</u>**

162. मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका में हुए भ्रष्टाचार की जांच प्रमाणित होने पर भी विभाग द्वारा दिये गये आरोप पत्रों पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में लेक राणकपुर रिसोर्ट को नगरपालिका बोर्ड द्वारा एन.ओ.सी. खारिज करने के बावजूद ई.ओ. द्वारा विक्रय विलेख नियम विरूद्ध करने

एवं इको-फॉरेस्ट जोन में हो रहे निर्माण कार्य को रूकवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)</u>

164. प्रदेश में भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया के सरलीकरण, स्वघोषणा पर अनुमति एवं अनुमति की अधिकतम अवधि 03 माह करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता एवं राजसमन्द जिले में योजना से बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों के वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. राजसमन्द नगरीय क्षेत्र में शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक उदासीनता एवं शिथिलता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. राजसमन्द में नगर विकास प्रन्यास की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. राजसमन्द नगर में सर्व सुविधायुक्त 2500 व्यक्तियों की क्षमता के रंगमंच एवं सभागार निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं. 168)</u>

169. नगरपालिका निम्बाहेड़ा को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. नगरपालिका निम्बाहेड़ा में नये फायर ब्रिगेड की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. नगरपालिका निम्बाहेड़ा में सीवरेज से वंचित आबादी क्षेत्र में सीवरेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. नगरपालिका निम्बाहेड़ा को RUIDP के पंचम चरण में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बहादुर सिंह (वि.सं. 99)</u>

173. विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर, भुसावर तथा हलैना के बरसाती नालों को पक्का किये जाने एवं कॉलोनियों में नालियों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर तथा भुसावर में सीवर लाईन डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. भरतपुर जिले के वैर, भुसावर तथा हलैना में लगी रोड़ लाईटें अपने गारन्टी अवधि में ही खराब होने से उत्पन्न स्थिति तथा आवासीय कॉलोनियों में रोड लाईटें लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर तथा भुसावर में नवीन पार्क के निर्माण सहित बारिश के मौसम में नालियों में दवाई का छिड़काव किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र वैर के नगरपालिका क्षेत्र भुसावर तथा वैर में आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर पट्टा जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>सुश्री नौक्षम (वि.सं. 86)</u>

178. विधान सभा क्षेत्र कामां के नगरपालिका क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर पट्टा जारी करने हेतु चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां शहर तथा जुरहरा में पार्क विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र कामां के नगरपालिका क्षेत्रों में बाजारों तथा आवासीय कॉलोनियों में रोड़ लाईट खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां शहर में सीवरेज डालने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. भरतपुर के कामां, जुरहरा तथा पहाड़ी के नगरपालिका क्षेत्र के बरसाती नालों को पक्का करवाने एवं कॉलोनियों में नालियों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)</u>

183. नगरपालिका मारवाड़ जंक्शन में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. नगरपालिका मारवाड़ जंक्शन में सी.सी. सड़क से पहले सीवरेज लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं. 153)</u>

185. पीलीबंगा एवं रावतसर पालिका क्षेत्र के अर्द्ध-विकसित पार्कों का विकास एवं खराब पड़ी स्ट्रीट-लाइटों को दुरूस्त कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

186. पीलीबंगा के तहबाजारी का पुनरूद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. पीलीबंगा व रावतसर पालिका क्षेत्र में लम्बित पट्टों के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में रावतसर मेगा हाइवे से 99 आ.डी. तक व श्रीकृष्ण गौशाला वार्ड नं. 26 से पम्प हाउस तक सेमनाला पक्का करने के संबंध में चर्चा के लिये।

189. पीलीबंगा व रावतसर पालिका क्षेत्र में गन्दे व बरसाती पानी की निकासी के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा) (वि.सं. 154)**

190. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की नगरपालिका विजयनगर में गरीब एवं मजदूर वर्ग के मकानों को नियमानुसार पट्टे जारी करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की नगरपालिका विजयनगर को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने एवं पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री उमेश मीणा (वि.सं. 23)**

192. डूंगरपुर जिले में नगर परिषद क्षेत्र में साफ-सफाई व लगाये गये पेड़-पौधों के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. डूंगरपुर जिले में नगर परिषद क्षेत्र में कच्ची बस्ती के मकानों के पट्टे दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं. 62)**

194. विभाग द्वारा की जा रही सफाई कर्मचारियों की भर्ती में केवल वाल्मिकी समाज के ही अभ्यर्थी लेने एवं रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

195. नगर परिषद मकराना में गत वर्षो बजट में स्वीकृत सड़कों को पूरा कराने एवं नई सड़कों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र मकराना की नगरपालिका बोरावड़ (मकराना) के विकास के लिए सीवरेज की डी.पी.आर. बनवाने, ड्रेनेज सिस्टम एवं सड़कें आदि के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

197. नगर परिषद मकराना में सौन्दर्यकरण हेतु 25 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. नगर परिषद मकराना क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्र को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती शोभा चौहान (वि.सं. 165)**

199. सोजत नगरपालिका के क्रियाकलापों के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री रतन देवासी (वि.सं. 122)**

200. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा (सांचौर) की नगरपालिका रानीवाड़ा में सीवरेज लाईन स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की नगरपालिका रानीवाड़ा (सांचौर) में कचरा निष्पादन व कचरा डम्पिंग यार्ड स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

202. नगरपालिका माउण्ट आबू (सिरोही) में जोनल मास्टर प्लॉन जल्द लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

203. नगरपालिका माउण्ट आबू (सिरोही) में कचरा निष्पादन के संबंध में चर्चा के लिये।

204. नगरपालिका माउण्ट आबू (सिरोही) में कार्यरत कर्मचारियों को हटाकर नए लगाने व मुख्य शाखाओं में कार्यरत संविदाकर्मियों के स्थान पर नियमित कर्मचारियों को लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं. 87)**

205. नगर परिषद फलोदी में आयुक्त के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
206. विधान सभा क्षेत्र फलौदी की नगरपालिका बाप में अधिशासी अधिकारी सहित समस्त रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)**

207. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की नगर परिषद शाहपुरा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
208. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की नगर परिषद शाहपुरा में ऑनलाईन पेमेंट की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।
209. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा नगर परिषद क्षेत्र में बिना कन्वर्जन आवासीय कॉलोनियों के सृजन से हो रही राजस्व हानि के संबंध में चर्चा के लिये।
210. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा नगर परिषद शाहपुरा के सुनियोजित विकास की योजना व पूर्व में बने मास्टर प्लान की खामियों के संबंध में चर्चा के लिये।
211. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के शाहपुरा जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के मानदण्डों के अनुरूप स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं. 102)**

212. जयपुर शहर के परकोटे में स्थित इमारतों में मनमाना परिवर्तन कर हैरिटेज लुक को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
213. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित खुले नालों को कवर कर फुटपाथ एवं साईकिल ट्रैक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
214. जयपुर शहर के परकोटे में परकोटे की दीवार तथा बरामदों की छतों पर किये जा रहे अतिक्रमण की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
215. जयपुर शहर के गणगौरी बाजार हॉस्पिटल में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कराये गये कार्यों की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
216. जयपुर शहर के विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित ऐतिहासिक इमारतों, परकोटे एवं अन्य स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री छोटूसिंह (वि.सं. 55)**

217. जैसलमेर शहर मे ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
218. जैसलमेर शहर में पानी की आपूर्ति हेतु गजरूप सागर प्लान्ट की आवक बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।
219. जैसलमेर शहर को हैरिटेज शहर (हैरिटेज सिटी) घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं. 136)

220. नगरपालिका नसीराबाद का कार्य क्षेत्र विस्तार किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

221. नगरपालिका नसीराबाद में कनिष्ट अभियन्ता सहित सभी रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं. 162)

222. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के मोरिजा में कचरे के निवारण के लिए Legacy Waste Plant स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र चौमूं नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी/आयुक्त की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं. 144)

224. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की नगरपालिकाओं में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की नगरपालिकाओं के बजट आवंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं. 116)

226. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिये यूडीएच/यूआईटी/आरएचबी आदि के माध्यम से विकास कार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं. 112)

228. नगर परिषद सुजानगढ़ के अधीन एन. के. लोहिया स्टेडियम की मरम्मत कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

229. नगर परिषद सुजानगढ़ में बनाई सड़कों के गारंटी पीरियड में ही टूट जाने व मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)

230. विधान सभा क्षेत्र शिव के शिव व गढरा रोड ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र शिव में विभाग के रिक्त पदों को भर्ती के माध्यम से भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

232. प्रदेश के जोधपुर संभाग में समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका में नवीन पद सृजन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

233. प्रदेश की सभी नगर परिषद, नगरपालिका व नगर निगमों में लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।

234. प्रदेश में विभाग में संविदा/ठेका कर्मियों को स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)</u>

235. नगरपालिका श्री विजयनगर (जिला अनूपगढ़) में गन्दे पानी की निकासी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. नगरपालिका श्री विजयनगर (जिला अनूपगढ़) में कृषि कॉलोनियों में सड़क निर्माण की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं. 17)</u>

237. भीलवाड़ा जिले के गांधीसागर तालाब का सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. भीलवाड़ा जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु कीर खेड़ा स्थित एमएसडब्ल्यू पावर प्लान्ट की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

239. भीलवाड़ा में अस्थाई कचरा संग्रहण केन्द्रों से निजात हेतु 2 कचरा कम्प्रेस्ड युनिट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. भीलवाड़ा जिले में नवीन गौशाला हेतु भू-आवंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

241. नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा किये गये अनुबंध के अनुसार रामधाम आरओबी निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)</u>

242. नगरपालिका सूरतगढ़ में खातेदारी के गलत आवेदनों की जांच करने एवं खातेदारी निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. नगरपालिका सूरतगढ़ में लंबित पट्टों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. नगरपालिका सूरतगढ़ में कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए नया सर्वे करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. नगरपालिका सूरतगढ़ क्षेत्र में श्री गुरूद्वारा सिंह सभा को पट्टे को जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)</u>

246. किशनगढ़ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत खेल स्टेडियम निर्माण एवं मल्टी-स्पोर्ट्स खोलने हेतु खेल विभाग से समन्वय के संबंध में चर्चा के लिये।

247. प्रदेश में पट्टा प्रक्रिया पुनः निस्तारित करने हेतु विखण्डन एवं नामान्तरण की पत्रावलियों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की ग्राम पंचायत अरांई को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित यादव (वि.सं. 143)</u>

249. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के शाहजहांपुर कस्बे को नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं. 81)</u>

250. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में फायर मैन व सफाईकर्मी के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. प्रदेश में नगरीय निकायों को Tied व Untied ग्रांट की राशि जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सुविधायुक्त पार्क बनाने हेतु बजट स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सुभाष चौक से हरसौरा चौक मुख्य बाजार (शर्मा मेडिकल) होते हुए डिवाईडर एवं लाईटिंग व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सीवरेज प्लांट व सीवरेज लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)</u>

255. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) की मनोहरपुर नगरपालिका के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) की मनोहरपुर नगरपालिका में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) की नगरपालिका शाहपुरा (नव क्रमोन्नत नगर परिषद) को बंदरों के आतंक से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) की नगरपालिका शाहपुरा (नव क्रमोन्नत नगर परिषद) में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) की शाहपुरा नगर परिषद के लिए नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं. 53)</u>

260. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की सुल्तानपुर नगरपालिका की कॉलोनियों में पानी निकासी की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विधायक कोष से कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सुल्तानपुर नगरपालिका को बजट आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की ईटावा नगरपालिका क्षेत्र में ट्यूबवेल से पाईपलाईन को जोड़कर पानी सप्लाई करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)</u>

265. ब्यावर नगर परिषद में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री समाराम (वि.सं. 175)</u>

266. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की ग्राम पंचायत जनापुर में मुख्यमंत्री सहभागिता से निर्मित आवासों को आवेदकों को शीघ्र आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हंसराज मीना (वि.सं. 188)</u>

267. नगरपालिका सपोटरा एवं मण्डरायल में साफ-सफाई व्यवस्था चरमराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

268. नगरपालिका सपोटरा एवं मण्डरायल में कार्मिकों के रिक्त पद होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

269. नगरपालिका सपोटरा में विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं. 50)</u>

270. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की नगरपालिका में स्टॉफ की कमी के कारण विकास कार्य अवरूद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जीवाराम चौधरी (वि.सं. 64)</u>

271. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में फर्जी पट्टों के वितरण करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं. 123)</u>

272. जयपुर शहर में पट्टों के वितरण एवं आदर्श नगर क्षेत्र की सील बिल्डिंग में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं. 112)</u>

273. नगर परिषद सुजानगढ़ में स्वीकृत ड्रेनेज परियोजना के टेण्डर प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

274. नगर परिषद सुजानगढ़ के क्षेत्र में बन रहे अवैध कॉम्पलेक्सों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने व सेटबैक नहीं छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं. 57)</u>

275. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के गुलाबपुरा नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**<u>श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं. 36)</u>**

276. नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के वार्ड संख्या 104 से 124 (विधान सभा क्षेत्र बगरू) में सीवरेज निर्माण कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**<u>श्री गोरधन (वि.सं. 47)</u>**

277. प्रदेश में नगरपालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों का पुनर्गठन व वार्डों का सीमांकन करने तथा अध्यक्ष, सभापति व महापौर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. विधान सभा क्षेत्र धोद की नगरपालिका लोसल में नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति एवं बजट आवंटन कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

**<u>श्री ललित यादव (वि.सं. 143)</u>**

279. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नगरपालिका नीमराना में स्टेडियम एवं जिम आदि बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं. 42)</u>**

280. सादुलशहर नगरपालिका में कचरा संग्रहण हेतु पांच ऑटोटीपर की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

281. सादुलशहर नगरपालिका क्षेत्र में कचरे के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा आवंटित भूमि की चारदिवारी एवं एम.आर.एफ. प्लांट लगाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

282. सादुलशहर बस-स्टैण्ड पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

**<u>श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (वि.सं. 63)</u>**

283. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में शिवाड़-भगवतगढ़-बालेर पंचायत को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. विधान सभा क्षेत्र खण्डार की योग्य ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

285. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के चौथ का बरवाड़ा को नगरपालिका बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

286. विधान सभा क्षेत्र खण्डार की खण्डार पंचायत समिति को नगरपालिका बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं. 112)</u>**

287. नगर परिषद सुजानगढ़ में रूपये 25 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना के टेण्डर अभी तक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं. 144)**

288. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की नगरपालिकाओं के विकास एवं सौंदर्यकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के नगरपालिका क्षेत्र में व्यवस्थित कचरा प्रबन्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं. 162)**

290. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सीवरेज लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं. 136)**

291. नसीराबाद छावनी परिषद का नगरपालिका में विलय खासमोल (हिमाचल प्रदेश) की तर्ज पर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

292. नगरपालिका नसीराबाद का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री समरजीत सिह (वि.सं. 174)**

293. नगरपालिका भीनमाल द्वारा पिछ्ले दो वर्ष में पट्टा आवंटन, विभिन्न निजी अस्तपालों को जमीन आवंटन तथा क्रिकेट स्टेडियम हेतु जमीन आवंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)**

294. प्रदेश में सफाई कर्मचारियों का भर्ती कलेण्डर जारी करने एवं ठेकेदारों द्वारा ESI/EPF जमा करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं. 162)**

295. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में मगध नगर और कार्यालय रोड़ पर पानी के ठहराव/भराव के निदान हेतु ड्रेनेज सिस्टम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं. 136)**

296. उपखण्ड मुख्यालय पीसांगन को नगरपालिका घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री ललित मीना (वि.सं. 142)**

297. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की नई नगरपालिका (केलवाड़ा) को समाप्त कर पुनः ग्राम पंचायत करने के संबंध में चर्चा के लिये।